# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11 ] ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिवस [ संख्या : 2

**शुक्रवार;**

**22 अगस्त, 2003**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक**

**11.00 बजे विधान सभा भवन,**

**जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**( श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन )**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र।

### श्री जन कल्याण गोपाल गौशाला मारोठ ( नागौर ) को आबंटित भूमि

**1. श्री हरीश चन्द्र कुमावत ( नावां ) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिव राजस्व विभाग ने दिनांक 28 जनवरी, 2003 को जिला कलक्टर नागौर को निर्देश दिया कि श्री जन कल्याण गोपाल गौशाला मारोठ को भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में कोई समुचित भूमि अपने स्तर पर तलाश कर निर्विवाद भूमि आबंटन करने की कार्यवाही सम्पन्न करें?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर नागौर में उसकी अनुपालना में मारोठ के खसरा नम्बर 315 गैर मुमकिन ओरण करीब 93 बीघा जिसमें से 10 बीघा पहले तथा 5 बीघा तथा फिर 5 बीघा इस प्रकार करीब 20 बीघा भूमि आबादी बसाने हेतु पंचायत को आबंटित की हुई है और शेष करीब 73 बीघा भूमि में से गौशाला के लिये 0.80 हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर भूमि की किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव राजस्व विभाग को दिनांक 25 फरवरी, 2003 को भिजवाये हैं?

(3) क्या उक्त भूमि आबंटन हेतु शासन सचिव ने पत्रावली अपनी अभिशंसा के साथ स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है?

(4) अब उक्त भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा? उक्त आबंटन में विलम्ब के क्या कारण रहे? उक्त प्रकरण में विलम्ब हेतु कौन जिम्मेदार है? अब उक्त भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा?

**राजस्व मंत्री ( डा. ( श्रीमती ) कमला ) :**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) उल्लिखित रकबा पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र के लिये आरक्षित किया

(डा. कमला)

हुआ है। अतः किसी अन्य कार्य हेतु आबंटन नहीं किया जा सकता है।

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए कब व किसने आरक्षित की? दूसरा प्रश्न यह है कि इस गौशाला को भूमि आबंटन के लिए वर्ष 1998 में आवेदन किया गया तब तत्कालीन तहसीलदारजी ने जांच करके उसकी रिपोर्ट भेजी उसके बाद ए.सी.एम. नावां ने उसकी जांच की तो वो भूमि खुली होना बताया गया लेकिन उस भूमि पर वहां की पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने आपत्ति की, प्रधान ने आपत्ति की इस कारण एतराज बताया कि इसमें आपत्ति है तब यहां से राजस्व सचिव महोदय ने वैकल्पिक भूमि के लिए पूछा कि वैकल्पिक भूमि कौन सी है तब उन्होंने खसरा नम्बर 779 के सम्बन्ध में भेजा कि यह भूमि उपलब्ध है, 2.8 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है और मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बार-बार यह अनुरोध किया था कि यह गौशाला को भूमि आबंटन क्यों नहीं हो रहा है उनको भी आपके यहां से यह इत्तला दी गयी कि खसरा नम्बर 799 की भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध बतलायी गयी है जिसके निस्तारण हेतु राजस्व सचिव महोदय की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 23.1.2002 जिला कलक्टर को भिजवाया जा चुका है आबंटन जिला कलक्टर के नागौर स्तर से ही किया जाना है इस हेतु राजस्व सचिव महोदय ने जिला कलक्टर से वार्ता कर ली है जिला कलक्टर वैकल्पिक भूमि आबंटन...।

**श्री अध्यक्ष :** आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये। यह लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं।

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत :** तो उन्होंने भी यह कहा कि यह भूमि आबंटन की जा रही है परन्तु वो भूमि आबंटित नहीं की गयी और उसको खारिज कर दिया तो ऐसा क्यों किया गया? उसको खारिज करने के क्या कारण रहे? उसके बाद भी यहां से जब वापस पत्र लिखा गया कि उस भूमि को भी यदि आपने आबंटन खाजिर कर दिया है तो ऐसी भूमि का प्रस्ताव भिजवाया जाए जो निर्विवाद भूमि हो और उसके लिए पत्र भेजने के बाद उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया। यहां पर यह प्रस्ताव आ गया राजस्व मंत्री महोदय के पास प्रस्ताव चला गया और अब यह कहा जा रहा है कि यह भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है तो फिर इसकी जांच पूर्व में क्यों नहीं की गयी? जब स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि समुचित भूमि निर्विवाद भूमि को आबंटन करें।

**डा. (श्रीमती) कमला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विवरण दिया है कि सचिव महोदय ने कलक्टर को लिखा कि इस तरह की भूमि

(डा. कमला)

आप चिन्हित करके भिजवाये। सही बात है, आवेदन आया था। सचिव ने कलक्टर को लिखा कि आप ऐसी भूमि आइडेंटीफाई करें जो निर्विवाद हो, दी जा सके वो जो जमीन उन्होंने आइडेंटीफाई करके भेजी उस जमीन के बारे में बाद में जब जांच की गयी तो पता लगा कि ग्राम मारोठ में सम्वत् 2058-61 की जमाबंदी में लाल स्याही से नोट दर्ज है कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 16.7.1996 के मुताबिक उक्त भूमि रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित की हुई है इसलिए इस भूमि को आबंटित नहीं किया जा सका।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : मंत्री महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कलक्टर को आपने लिखा कि निर्विवाद भूमि के बारे में अपनी अभिशंसा करे और आपने अपने उत्तर में खुद ने कह दिया। कलक्टर ने जब निर्विवाद भूमि की अभिशंसा कर दी तो इसका मतलब कलक्टर दोषी है और खण्ड पहले में जो सचिव ने निर्देश दिया है कि कोई ऐसी भूमि तलाश की जाए जो निर्विवादित हो, आबंटन योग्य हो। सचिव के आदेश पर कलक्टर ने जिस भूमि को रिकमण्ड किया अब आप कह रहे हैं कि वो उद्योग के लिए आरक्षित थी तो क्या आपकी मंशा कोई दूसरी भूमि आबंटन करने की है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है, यह पूर्णतया राजनीति करने वाला मामला है। इस मामले को लेकर माननीय सदस्य सदन के वैल में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे उस वक्त कुर्सी पर बिराजे हुए उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप जनहित के लिए बैठे हो आपकी मांग सरकार तक पहुंचायेंगे और आप वापस आकर उसी तरह इसको टालमटोल करने का काम मंत्री महोदया कर रही हैं।

**डा. (श्रीमती) कमला** : अध्यक्ष महोदय, न तो मैं किसी का अनादर कर रही हूं और न कोई बात को टालने की बात कर रही हूं लेकिन जो भी जमीन वहां पर उपलब्ध बतायी वो जमीन उपलब्ध इसलिए नहीं है कि बहुत समय से वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। अब यह मुद्दा जब सामने आया तो हम इतना ही पूछ सकते है कि उद्योग विभाग रीको अगर उसका उपयोग करना चाहता है तो वो अपना कोई कार्य वहां पर बताये अगर नहीं करना चाहता है तो वो उस जमीन को सरेण्डर करे तो हमारे पास जब वो जमीन आ जाएगी तब हम उसके ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : माननीय मंत्री महोदया, एक गौशाला के लिए भी अगर आप जमीन अलाट नहीं करेंगे तो सुअरशाला के लिए करेंगे क्या? (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):** क्या यह सही है कि आज तक उक्त भूमि का औद्योगिक प्रयोग नहीं हुआ है?

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** गौशाला जैसे महत्वपूर्ण मामले को लटकाया जा रहा है। इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष :** आहूजा साहब, बैठिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** तो राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? गौशाला के लिए आप अलाट करेंगे कि नहीं करेंगे?

**डा. (श्रीमती) कमला :** राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि रीको को...(व्यवधान) सुनने की भी क्षमता रखो।

**श्री अध्यक्ष :** श्री धर्मपाल।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** आप लोगों के कुप्रबन्धन के कारण राजस्थान की लाखों गायें मर गयी और...(व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला :** वो गायें आराम से एक जगह मौजूद हैं।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** गायों को पालना चाहते हैं उनको आप जमीन नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला :** आप तो मारना चाहते थे। (व्यवधान) आप तो चाहते थे कि कोई गायें मरें लेकिन प्रशासन ने, शासन ने...(व्यवधान) कोई गायों को मरने नहीं दिया।

**श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा मंत्री):** लाखों गायें बच गयीं। हमारे सफल प्रबन्धन से लाखों गायें बच गयीं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** (व्यवधान) चारा भी खा गये। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** (व्यवधान) श्री शिवनारायण ने उठाया तो मुख्य मंत्री के सामने पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। (व्यवधान) शिवनारायणजी के साथ बारां के विधायक के साथ।

**डा. (श्रीमती) कमला :** अभी भी वो गौशाला सही चल रही है। कोई भी गायें आसमान में नहीं रहती हैं। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** आप राजनीतिक आधार पर गौशालाओं के लिए जमीन आबंटित कर रहे हैं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** बारां के विधायक के साथ मारपीट कर दी मुख्यमंत्री के सामने और अवैध रूप से गौशाला का अलाटमेंट हुआ। यह कह रहे हैं सिंघवी साहब।

**श्री हरीश चन्द कुमावत :** माननीय मंत्री महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने बजट सत्र में भी यह बात उठायी थी और तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उपाध्यक्ष महोदय ने, विपक्ष के नेता महोदय ने चैम्बर में बात की थी और कहा था

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

कि भूमि का आबंटन करा दिया जाएगा परन्तु मुझे खेद है कि इतने लम्बे समय के बाद में भी इस भूमि का आबंटन नहीं हुआ और वहां राजनीति की जा रही है वहां पर इतना समय लगाने के बाद भी भूमि का आबंटन नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि गायों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहां पर भारत सरकार से 4 लाख 30 हजार रुपये निर्माण के लिए मिले ताकि वहां बाउण्डरी बन जाए। वो राशि नहीं लगे उसको रोकने के लिए सारी कार्यवाही की जा रही है नहीं तो स्पेशल आदेश दिये गये कि...

**श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि गौशाला के लिए भूमि आबंटन के लिए कौन अधिकारी सक्षम है, नम्बर-1.

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : यह आबकारी विभाग का प्रश्न नहीं है।

**श्री धर्मपाल चौधरी** : राजेन्द्रजी, आप छोड़ो इसको। प्रश्न किसका है वो बाद में बतायेंगे।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आबकारी विभाग का प्रश्न हो तब पूछें। ये गौशाला के मामले से क्या लेना-देना है आपका?

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आप तो ब्राह्मण होकर गौहत्या करा रहे हैं हजारों गायों को कटवा रहे हैं आप तो ब्राह्मण हो करके। इनको तो पूछने दें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** : दूसरी भूमि आबंटन के लिए अगर गौशाला आवेदन करती है तो उसके आबंटन के लिए कितना समय आपने निर्धारित कर रखा है और कितनी भूमि उस गौशाला के लिए आबंटन करने का सरकार ने मापदण्ड बना रखा है?

**श्री सांवर लाल (भिनाय)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने...

**श्री अध्यक्ष** : इनका उत्तर आने दीजिये।

**श्री सांवर लाल** : सरकार ने रिपोर्ट मांगी, अध्यक्ष महोदय, निर्विवाद भूमि की।

**श्री अध्यक्ष** : सांवर लालजी, बैठिये।

**श्री सांवर लाल** : और जिला कलक्टर ने विवादित भूमि की रिपोर्ट आपको दी तो आपकी मंशा ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की है क्या? यह स्पष्ट करिये आप।

**श्री अध्यक्ष** : प्रो. सांवर लाल।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : रामबाण औषधि हो न आप तो।

**डा. (श्रीमती) कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला वहां पर चल रही है, उसके लिये वह अलटरनेटिव जमीन चाहते हैं। जो जमीन चाहिये वह

(डा. कमला)

जमीन अभी खाली नहीं है और जिस जमीन का तकाजा है जो कि रीको को अलाटेड है वह सरेण्डर करती है तो हम यह जमीन दे सकते है लेकिन सरेण्डर नहीं करती है तो कोई और जमीन देखेंगे दूरदराज में, बाकी गौशाला तो चल ही रही है।

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत** : यह बात गलत है साहब, जमीन खाली पड़ी है उसके बाद में पंचायत को अलाटमेंट किये हैं, ऐसी बात नहीं है जमीन खाली पड़ी है। रीको ने पजेशन में नहीं लिया है केवल आरक्षित करने की बात है, रीको को वह जमीन आबंटित नहीं की हुई है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब वह भूमि रीको के लिये कलक्टर ने सन् 1996 में अलाट कर रखी है, स्पेशली मार्क करके रखी है, 7 साल में उस पर कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं हुई तो राजस्व विभाग ने क्या फुर्ती से इण्डस्टरी डिपार्टमेंट को पूछा कि नहीं कि 7 साल में भी आपको यहां कोई इण्डस्ट्रियल एस्टेट नहीं बनाना है और आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसको सरेण्डर करें ताकि यह भूमि गौशाला को आबंटित की जा सके।

**डा. (श्रीमती) कमला** : मैं यही निवेदन कर रही हूं कि हम रीको को नोटिस देंगे यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं। (व्यवधान) सुनने में क्या दिक्कत है। मैं आपको सुनती हूं तो आप भी सुने।

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत** : अध्यक्ष महोदय, रीको को आबंटित की हुई जमीन है ही नहीं। उसके बाद पंचायत को जमीन आबंटित कर दी है।

**डा. (श्रीमती) कमला** : जब हमारे नोटिस में आयेगा तभी हम कार्यवाही करेंगे। राज्य सरकार के नोटिस में अभी कागज आया है।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : चार महीने बाद तो जाने वाले हो, कब दोगे आप नोटिस।

**डा. (श्रीमती) कमला** : (व्यवधान) आप जवाब चाहते है या अपनी ही बात कहना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनिए (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : चार महीने बाद तो जाने वाले हैं आप। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री कटारियाजी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अपने आप में बहुत स्पष्ट है और प्रश्न के हर खण्ड में आपने जो जवाब दिया वह भी आपने जी हां में कहा है। मैं सोचता हूं कि अगर प्रश्न को पढ़ लिया जाये तो हाउस के मन की जो शंका है वह अपने आप निकल जाती। बहुत स्पष्ट है और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसमें आपने हरेक में जी हां, जी हां, जी हां, कहा है। क्या यह सही है कि शासन सचिव राजस्व विभाग ने दिनांक 28 जनवरी, 2003 को जिला कलक्टर नागौर को निर्देश दिया कि श्री जन कल्याण गोपाल गौशाला मारोठ को भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में कोई समुचित भूमि अपने स्तर पर तलाश कर निर्विवाद भूमि आबंटन करने की कार्यवाही सम्पन्न करें, आपने कहा जी हां। नम्बर 2, क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर नागौर ने उसकी अनुपालना में मारोठ के खसरा नम्बर 315 ओरण करीब 93 बीघा जिसमें से 10 बीघा पहले तथा 5 बीघा तथा फिर 5 बीघा इस प्रकार करीब 20 बीघा भूमि आबादी बसाने हेतु पंचायत को आबंटित की हुई है और शेष करीब 73 बीघा भूमि में से गौशाला के लिये 0.80 हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर भूमि की किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव राजस्व विभाग को दिनांक 25 फरवरी, 2003 को भिजवाये हैं, आपने कहा जी हां। नम्बर 3, क्या उक्त भूमि आबंटन हेतु शासन सचिव ने पत्रावली अपनी अभिशंसा के साथ स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है।

**श्री अध्यक्ष :** कटारियाजी, प्रश्न पढ़ने से क्या है वह तो सब पढ़ा हुआ है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है जब आप यह मान रहे हो कि यह सारी प्रक्रिया जो भी आपको विभाग के स्तर पर करनी थी वह सारी की सारी प्रक्रिया की और उन अधिकारियों ने की जो इसके बारे में सक्षम हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही यह सवाल आगे चला है। या तो इन अधिकारियों ने गलत सूचना दी या तो वह अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने आपको गलत सूचना देकर भ्रमित किया या उन्होंने सही सूचना दी लेकिन आप भ्रमित हो रहे हो किसी कारणवश, दोनों में कोई न कोई एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं।

**डा. (श्रीमती) कमला :** मेरी समझ में भ्रमित कोई भी नहीं होना चाहिये, न मैं और न आप क्योंकि मैंने पूरे तौर से पढ़कर सुनाया है कि 16.7.1996 से (व्यवधान) सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए, आप बैठिए।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** (व्यवधान) भागने की योजना है इनकी, इनका इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, यह केवल गौ के मामले में बहिर्गमन करना चाहते हैं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** पारीक साहब, गाय के मामले में तो संवेदनशील बनो, क्यों गौ हत्यारे बनते हो (व्यवधान) आप तो बैठ जाओ। लोक सभा यहां ले आये। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** आप कहीं भी संवेदनशील नहीं हो।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** गौ के मामले में तो संवेदनशील बनो मंत्री महोदया।

**डा. (श्रीमती) कमला :** आप बिराजो, मैं जवाब दे रही हूं।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** यह बहिर्गमन करेंगे। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** यह गौशाला के लिये तो जमीन नहीं दे पाये।

**डा. (श्रीमती) कमला :** आप बिराजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। तेज बोलने से कोई काम नहीं चलेगा। जवाब सुनो।

**श्री मदन दिलावर :** विधान सभा के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गौशाला के लिये जमीन दे दो, जमीन दे दो क्या जवाब देना चाहती हैं आप। गौशाला के लिये जमीन चाहिये।

**डा. (श्रीमती) कमला :** जवाब सुनिए, सुनिए जवाब, सुनना पड़ेगा।

**श्री मदन दिलावर :** गाय भूखी मर रही है, गाय को मरवा रहे हो।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री मदन दिलावर :** लोग पालना चाहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं। (व्यवधान) और यह लोग दानदाताओं को गायों को पालने के लिये जमीन भी नहीं देना चाहते।

**डा. (श्रीमती) कमला :** जवाब सुनना पड़ेगा।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** यह बहिर्गमन करेंगे गौ के नाम पर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** यह तो लालू यादव के समर्थक हैं, गाय का चारा भी खा गये, यह तो लालू यादव के समर्थक हैं।

**डा. (श्रीमती) कमला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीनों खण्डों में जो जी हां कहा है वह सही कहा। हमने कलक्टर से रिपोर्ट मंगवाई यह भी जी हां। कलक्टर ने रिपोर्ट भेजी वह भी जी हां, सचिव ने विभाग को रिपोर्ट भेजी वह भी जी हां लेकिन क्या विभाग को इतना अधिकार नहीं या इतनी दूरंदेशी नहीं कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है...

**श्री मदन दिलावर :** सोनिया गांधी ने मना किया है कि गायों के लिये जमीन नहीं देना और इसलिए लोक सभा में भी विधेयक का बायकाट किया है सोनिया गांधी ने। आप सब सोनिया गांधी की पट्टी पढ़ रहे हो। इसलिए गायों को मराना चाहते हो। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप बैठ जाइए, चुप रहिए, क्या तरीका है, बैठ जाइए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अपने सदस्य को समझाइए, जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं।

**श्री मदन दिलावर :** आपको कुछ तो शर्म आये। 1999 से लगातार गायों के लिये जमीन मांगी जा रही है और आप

(श्री मदन दिलावर)

गौशाला के लिये जमीन नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला :** आप समझाइए उनको जरा जवाब सुनें। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** बहनजी, धर्मात्मा हो तो अलाट करो ना। (व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला :** आप इसी पर हंगामा करना चाह रहे हो क्या।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** आप धर्मात्मा हो तो अलाट कर दो ज़मीन को। (व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला :** मैं बिलकुल साफ तौर से कह रही हूं, खुले तौर से कह रही हूं कि मैंने तीनों खण्डों में जी हां कहा है लेकिन राज्य सरकार को यह लगा, यह अहसास हुआ उन्होंने और फर्दर इंक्वायरी की, फर्दर इंक्वायरी के सम्बन्ध में जानकारी आई कि यह जमीन खाली नहीं है और 1996 से यह अलाटेड है, रिजर्व है औद्योगिक क्षेत्र के लिये रीको को। (व्यवधान) सुनिए पूरी बात।

**श्री हीरासिंह चौहान :** इसका मततलब आप की मंशा में पाप है। (व्यवधान) मैं आरोप लगाता हूं आपकी नीयत में खोट है। (व्यवधान) मैं आरोप लगाता हूं कि आपकी मंशा में खोट है।

**डा. (श्रीमती) कमला :** रीको को नोटिस दिया जा रहा है कि वह बताये कि वह इसका उपयोग करना चाहते है या नहीं करना चाहते हैं। वह उपयोग नहीं करे तो जमीन सरकार अपने पास लेकर कार्यवाही करेंगी।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मारोठ में गौशाला की जमीन के नाम पर चंदा कर लिया है। (व्यवधान) और इनको जमीन नहीं मिली, सवाल यह है। इन्होंने मारोठ में चंदा कर लिया गौशाला के नाम पर और यदि इनको यह जमीन नहीं मिली तो इनकी नीयत में खोट है...(व्यवधान) लोगों को इनसे वापस चंदा दिलवाया जाये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** लालू यादव के समर्थकों बैठ जाओ, क्यों चारा घोटाले में लिप्त हो रहे हो, गाय का भी चारा खाना चाहते हो। धर्मात्मा हो तो अलाट करो।

**श्री जुगल काबरा :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जो विवादित भूमि है उसके ऊपर वर्तमान में अभी कोई गौशाला काम कर रही है क्या?

**डा. (श्रीमती) कमला :** विवादित भूमि कोई नहीं है जिसे वह अलाट कराना चाह रहे हैं उस पर गौशाला नहीं है, गौशाला अन्यत्र चल रही है।

**श्री जुगल काबरा :** अध्यक्ष महोदय, जहां वर्तमान में गौशाला चल रही है अगर

(श्री जुगल काबरा)

वहां भूमि विवादित नहीं है तो मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां गौशाला चल रही है वह भूमि विवादित नहीं है तो उस भूमि का आबंटन कर दिया जाये ताकि विवाद ही ख़तम हो जाये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जिला कलक्टर ने आपको गलत रिपोर्ट दी तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

**डा. (श्रीमती) कमला** : जिस जमीन पर गौशाला चल रही है, जो मुझे जानकारी मिली है वह किसी पार्क के नाम की जमीन है इसलिए वह भी खाली नहीं है हालांकि उसके ऊपर वह चल रही है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि आपने नम्बर–2 में जी हां कहा है...

**श्री अध्यक्ष** : सुरानाजी, आप बैठिए।

**श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में भी यह मुद्दा बड़ी गम्भीरता से उठा था और गम्भीरता इस स्तर की थी कि माननीय सदस्य को वैल आफ द हाउस में आना पड़ा और साथ में भूख हड़ताल की घोषण करनी पड़ी। आसन ने भी गम्भीरता से लिया और यह व्यवस्था आई कि बड़ी चिंता का विषय है और जैसा कि अभी सदन में चर्चा हुई कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में भी इस बात पर चर्चा हुई और आश्वासन दिया गया उसके बाद में मंत्री महोदया फरमा रही है कि हम रीको से पूछेंगे। मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के स्तर पर जब यह बात तय हो जाए और बजट सत्र के बाद में अभी तक आप रीको से पूछने की बात कह रहे हैं, आरोप नहीं है, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस बात को कितना गम्भीरता से लिया गया?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : जिला कलक्टर ने विवादित जमीन की जो रिपोर्ट भेजी...(व्यवधान) जिला कलक्टर की वह रिपोर्ट आप गलत मानती हो ना, जिला कलक्टर को जब यह लिखा था, आप निर्विवाद भूमि का चयन करके भेजो, उसके बाद उन्होंने वह जमीन भेज दी जो कि रीको के लिए आबंटित थी, जिला कलक्टर ने गलती की, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करोगी?

**डा. (श्रीमती) कमला** : मैं आपसे यह पूछ रही हूं कि सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर अगर कोई यह सूचना आती है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें पूरी तरह से सही बात उल्लिखित नहीं है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उसकी जानकारी करे और जानकारी करके कार्यवाही करे, तो क्या राज्य सरकार यह नहीं कर सकती है, राज्य सरकार का दायित्व बनता है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सुरानाजी...(व्यवधान) अब मैं परमिशन नहीं दूंगा। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन उस बजट सत्र में दिया था कि इसको आबंटित किया जाएगा और अभी तक यह नहीं किया गया है। (व्यवधान) मैं आमरण अनशन पर बैठता हूं।

**श्री सांवर लाल** (भिनाय) : रिपोर्ट सही नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**डा. (श्रीमती) कमला** : अगर आपको बैठना था तो...(व्यवधान)

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)**

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है कि मुख्य मंत्रीजी की बात को गम्भीरता से नहीं लिया जाता, यह संवेदनशील सरकार...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री सी. पी. जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल पार्लियामेंट में बिल पास किया (व्यवधान) कल पास किया इन्होंने।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भंवरलालजी शर्मा।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, यह सहानुभूति लेना चाहते हैं, कल पास किया है।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : बड़ा गम्भीर मामला है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : चन्द्रबाबू नायडू के डर के मारे तो कल आपने वह बिल वापस ले लिया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कलक्टर ने गलत रिपोर्ट दी। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह छोटा सा मामला, सरकार नहीं कर सकती।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : मुख्य मंत्रीजी की बात को गम्भीरता से नहीं लिया, बड़े शर्म की बात है।

**एक माननीय सदस्य** : आज सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि सात दिन में, दस दिन में...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : वापस क्यों ले लिया? इनसे पूछिये कि लोक सभा में इन्होंने वापस क्यों ले लिया। चन्द्रबाबू नायडू के डर से...(व्यवधान) लोक सभा में बिल पास करा था।

**श्री अरुण सिंह** (डीग) : बड़ी गम्भीर बात है।

**एक माननीय सदस्य** : राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता...(व्यवधान)

**श्री अरुण सिंह** : राजस्थान के मुख्य मंत्री की बात को...(व्यवधान)

**श्री संजीव कुमार** (भादरा) : यह व्यवस्था करने नहीं गये।

**श्री अरुण सिंह** : मखौल बना दिया, शर्म आनी चाहिए, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का...(व्यवधान)

**श्री संजीव कुमार** : जब चुनाव का समय आया तो गौ का नाम लिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं।

**श्री अरुण सिंह** : मुख्य मंत्रीजी की बात का गम्भीरता से नहीं लिया, बड़े शर्म की बात है।

**श्री संजीव कुमार** : अकाल के समय इनको टाइम नहीं मिला था।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : यह गौ-वध को बंद कराना चाहते थे। मैं भी इसका समर्थक हूं लेकिन लोक सभा में बिल रखकर, चन्द्रबाबू नायडू के विरोध के बावजूद...(व्यवधान) विरोध करने के कारण इन्होंने वह बिल वापस ले लिया। (व्यवधान) यह राम मन्दिर को भूल गए, यह गौ-माता को भूल गए। इनको केवल कुर्सी चाहिए। इनको कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यह वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनको गौ-माता से भगवान राम से, मन्दिर से कोई लेना-देना नहीं है। इसको केवल वोट चाहिए।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : विधायक है +++ (व्यवधान) रानीजी का यह आदेश है बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा। (व्यवधान) इनको गौ-माता से कोई लेना-देना नहीं है।

**डा. (श्रीमती) कमला** : अध्यक्ष महोदय, सदन को दोनों बातें निवेदन की है...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद भी आपसे... (व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला** : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को दोनों बातें निवेदन की हैं, पहली बात तो यह निवेदन की है कि हम रीको को नोटिस दे रहे हैं कि वह जमीन सरेण्डर करें या उस पर काम करना चाहता है तो हमें बताएं। सुनिए, दूसरी बात यह है कि जमीन सरेण्डर नहीं करते हैं तो क्या और भी कोई जमीन ऐसी है क्या जिसको उपयोग में इस काम के लिए दिया जा सकता है, हमने दोनों बातें कह दी है अगर उसके बाद भी आप बैठते हैं तो आपकी मर्जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से हम मिले थे...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : मदारी वाला खेल बंद करो, मन्दिर के नाम पर कब तक लूटोगे।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आप इनको जमीन अलाट कर दोंगे तब भी इनको बैठना पड़ेगा...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : गौ–वध हो रहा है...(व्यवधान)

**श्री संजीव कुमार** : इनके केन्द्रीय मंत्री, इनके प्रधानमंत्री तक को समय नहीं मिला राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के बीच में जाए...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : गौ वध हो रहा है।

**श्री संजीव कुमार** : गौ की रक्षा के लिए जाए (व्यवधान) लेकिन जब जब चुनाव का समय आता है तभी राम मन्दिर को लेकर, कभी गौ माता को लेकर इस तरह का...(व्यवधान) आज तक राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के बीच में क्यों नहीं गए? इनके केन्द्रीय मंत्री, प्रधान मंत्रीजी नहीं गए।

कभी गौ माता की रक्षा के लिए नहीं गए। अकाल पड़ा हुआ था इन्होंने कभी राजस्थान की जनता को पूछा नहीं। और आज जब चुनाव का समय आ गया तो इस तरह से गौ माता का नाम लेकर इस प्रकार से बैठे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : करोड़ों रुपये खा गए चंदा लेकर।

**श्री संजीव कुमार** : कभी राम मन्दिर का नाम लेकर इस तरह...(व्यवधान) अकाल के मौके पर जनता के बीच में जाए, इस तरह से गौ माता का नाम लेकर जो कर रहे हैं...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मंत्रीजी से दिलवा दीजिए कि गौशालाओं के लिए इनके आठ साल में आबंटन कितना हुआ, हमारे चार साल में कितना हुआ, 50 साल में गौशालाओं के लिए जितना आबंटन नहीं हुआ होगा इस सरकार ने चार साल में किया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, हम मुख्य मंत्रीजी से मिले थे। पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने एक आश्वासन दिया था, मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उस वक्त गौओं की सुरक्षा पर ध्यान देते तो आज यह नौबत नहीं आती। आप लोगों ने जमीन के नाम पर चंदा ले लिया, लोग आपको चंदा वापस लेने के लिए ढूंढ़ते फिरे।

**एक माननीय सदस्य** : कभी राम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर चंदा लेते हैं, इनका चंदे से ही पेट भरता है, और कोई साधन नहीं है।

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** (केकड़ी) : कुचामन के अन्दर बेशकीमती जमीन का दुरुपयोग होगा, यह लोग...(व्यवधान) गौशाला की आड़ के अन्दर उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। वस्तुस्थिति यह

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

है कि वर्तमान में गौशाला वहां पर चल रही है। पशु आहार के नाम पर अनुदान दिया गया ग्यारह महीने से लगातार, गौशाला के अन्दर तमाम तरह की राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। इन लोगों ने पशुधन पर ध्यान नहीं दिया, आज दिन तक इन लोगों ने सुध नहीं ली। आज अकाल का समय अच्छी तरह निपट गया तो...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, जिस गांव में अनुदान देते थे, कांग्रेस की सरकार ने...(व्यवधान) इनसे पूछिए।

**श्री बाबूलाल सिंगारिया** : वोट की राजनीति की खातिर यह लोग राजस्थान को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** (रतनगढ़): (व्यवधान) त्वा मध्ये विषाम्यहम, गहलोत सरकार ने गौशालाओं के लिए जमीन अलाट की है। मेरे क्षेत्र में भी गौशाला के लिए भूमि अलाटमेंट हुई है। बूगासर गांव में गौशाला के लिए जमीन अलाटमेंट हुई है इसलिए गऊ में सन्तु तिष्ठत:, गऊ में हृदय सन्तु, गऊ मध्य विषाम्यहम... (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : साढ़े चार साल में कांग्रेस शासन की प्रशासनिक व्यवस्था बिलकुल नहीं है। (व्यवधान) 1966-67 से लेकर जो गोवध की बात करके आंदोलन चलाया था, जनसंघ, बी.जे.पी. वह भी कल एक नाटक किया। निश्चित तौर पर यह सरकार दोषी है, राजी होने की बात नहीं है, प्रशासनिक बदलाव की बिलकुल...(व्यवधान) नाटक बंद करो।

**श्री संजीव बेनीवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब गौ-माता के नाम पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं... (व्यवधान)

**डा. (श्रीमती) कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में हजारों एकड़ जमीन गौशालाओं को नि:शुल्क प्रदान की है, हजारों एकड़ जमीन, वह क्या मात्र 80 बिस्वा जमीन के लिये, कोई जमीन रोकना चाहेगी, यह सोचने की बात है। (व्यवधान) हजारों एकड़ जमीन अकेले 4 साल में गौशालाओं के लिये मुफ्त में दी है। यह केवल कुछ बिस्वा का मामला है। हम इसको रोकना चाहेंगे क्या?

**एक माननीय सदस्य** : चुनाव के समय गौ-माता याद आती है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : बड़े पशु का 12 रुपये और छोटे पशु का 6 रुपये देकर के अकाल में इतना शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा की सरकार ने अपने आठ वर्ष में कुछ जिलों को रुपये भेजकर के अराजकता पैदा की। (व्यवधान)

**श्री संजीव बेनीवाल** : लगातार अकाल पड़ा हुआ था। इनके केन्द्रीय मंत्री

(श्री संजीव बेनीवाल)

और ये जो भाजपा के नेता हैं इनको समय नहीं मिला कि राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के बीच में जाकर के उनका दुःख-दर्द सुनें और अकाल के अन्दर गऊ माता की सेवा करें। जब-जब चुनाव का समय आता है, इन्हें कभी राम मन्दिर याद आता है और कभी गऊ माता याद आ जाती है। (व्यवधान) और इस तरह से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री हीरालाल विश्नोई** : XXX

**श्री संयल लोढ़ा** : XXX

**श्री नगराज** : XXX

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी से हम मिले थे, आप इस बारे में अपनी बात तो स्पष्ट करें, जब मुख्य मंत्रीजी ने एक डाइरेक्शन दे दिया... (व्यवधान) जब हमारे प्रतिनिधि मण्डल को आपने कहा था कि जो निर्विवादित जमीन होगी वह देने को तैयार हैं...(व्यवधान) क्या आपके ऊपर है रीको, क्या आपके ऊपर है रेवेन्यू मिनिस्टर, आपसे बात होने के बाद...(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : XXX

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : जब आपसे बात करने के बाद यह बात थी कि जो निर्विवाद जमीन है वह जमीन देने का है, कलक्टर ने उस सारी जमीन को...(व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : XXX

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री नाथूराम** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

**श्रीमती शांति पहाड़िया** : XXX

**मोहम्मद माहिर आजाद** : XXX

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : XXX

**श्री संयम लोढ़ा** : XXX

**श्री संजीव बेनीवाल** : XXX

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : XXX

**श्री संजीव बेनीवाल** : XXX

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : XXX

**श्री अध्यक्ष** : मैंने अनुमति नहीं दी है, अमरारामजी, बैठिये। श्री भंवरलालजी शर्मा।

**श्री अमराराम** (धोद) : XXX

**श्री संयम लोढ़ा** : XXX

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर यहां अभी गम्भीर चर्चा चली है। मेरा निवेदन यह है कि या तो अभी तक जमीन दे देनी चाहिए थी...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ रहे हैं?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उसमें सरकार असफल रही। अब मेरा निवेदन यह है कि आप...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : नैक्स्ट प्रश्न पूछ लिया गया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मंत्री महोदय, क्या यह घोषणा करने को तैयार हैं कि जमीन दे देंगे...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री संजीव बेनीवाल** : आपने अगला प्रश्न काल कर लिया, साहब।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : अगले प्रश्न का जवाब आ रहा है, आप अपना अगला प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हम आपके कहने से बैठे हैं। आप इसका उत्तर दिला दीजिए। क्या मंत्री महोदय, इस बात के लिये तैयार हैं कि 10 दिन में यह जमीन आबंटित कर देंगी।

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैं पहले यह निवेदन कर रहा हूं, आपके कहने से बैठे हैं हम।

**श्री संयम लोढ़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपना प्रश्न पूछें।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : आप प्रश्न पूछिये, अगला प्रश्न, आपका नाम पुकार लिया गया है, आप प्रश्न पूछें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप एडवाइज मत करिये मेरे को।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : अगला प्रश्न आसन के द्वारा पुकारा गया है। आसन का निर्णय हो गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : डोंट एडवाइज मी. डोंट एडवाइज मी, प्लीज।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मैंने जो पहले बात की है उसका आंसर आ जाए, साहब।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं, सदन ठीक प्रकार से चले, आपके आसन से व्यवस्था पिछली बार यह हुई थी कि...(व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** (शिक्षा मंत्री) : जी हां। आर.पी.ई.टी.-2003 काउंसलिंग में अनियमितताओं की कुछ शिकायतों की जांच शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा द्वारा की जा चुकी है एवं जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 18.7.2003 को प्रस्तुत किया जा चुका है जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट–क पर संलग्न है। (व्यवधान) इसके अलावा 12 शिकायतें और प्राप्त हुई थीं जिन पर समन्वयक, आर.पी.ई.टी.-2003 से टिप्पणी मांगी गयी है परन्तु किसी भी प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उक्त शिकायतों की सूची परिशिष्ट–ख पर संलग्न है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : माननीय सदस्य यहां पर अनशन पर बैठे थे। तब आसन से व्यवस्था हुई थी। उसके आधार पर हम लोग मुख्य मंत्री से मिले थे। एक सैकण्ड, क्या इतनी जल्दी है, रुक तो जाओ। दो मिनट। हमको बोल लेने दो। क्या है यह? (व्यवधान) यह क्या कहना चाह रहे हैं?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नम्बर बोला ही नहीं मैंने।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : हमारा सवाल सीधा सा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप यूं ही बोल रहे हैं, प्रश्न पूछा ही नहीं मैंने साहब, मैंने तो प्रश्न किया ही नहीं है। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : (2) जी हां। एक निजी कालेज (ग्लोबल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, जयपुर) की भूमिका की जांच...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बोला ही नहीं गया, उससे पहले ही यह उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पुकारा नहीं गया है। माननीय सदस्य ने खड़े होकर अपने प्रश्न का नम्बर नहीं बताया और मंत्री किस आधार पर खड़े होकर पढ़ रहे हैं? (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : खड़े हो गये न। वह खड़े हुए थे न।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : खड़े होने से क्या होता है?

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आप बैठ जाओ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : खड़े होने से कोई अर्थ नहीं है।

**डा. बी. डी. कल्ला** : खड़े हुए थे।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : इतने सीनियर मिनिस्टर होकर +++ प्रश्न बोला ही नहीं है और बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : खड़े होने पर पूछ लिया जाता है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इस विषय को सैटल करने की दृष्टि से ही...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : बिना पूछे ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्योंकि माननीय सदस्य यहां पर अनशन पर बैठ गये थे हाउस में ही, उस समय हम सब लोग मुख्य मंत्री से मिले थे।

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न आपके द्वारा पुकार लिया गया है। प्रतिपक्ष के नेता अब बारबार आसन के आदेशों की अवहेलना करके... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मुख्य मंत्री ने अपनी तरफ से यह आश्वासन दिया था कि इससे निर्विवादित जो भी जमीन होगी, उसका आबंटन कर देंगे। पर्टिकूलर कोई विषय नहीं था।

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है और प्रतिपक्ष के नेता आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अगला प्रश्न उठा लिया गया है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आप प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे तो हम आपके मुख्य मंत्री को भी नहीं बोलने देंगे।

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : अब अगले प्रश्न को पूछने के लिए आप माननीय सदस्य को निर्देशित करें। अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। आसन सर्वोपरि है और आसन का जो निर्णय है वह... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आसन से ही मांग कर रहे हैं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : सचेतक महोदय, यह आपसे मैं कह रहा हूं। कल मुख्य मंत्री को भी नहीं बोलने देंगे क्योंकि आप विपक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे तो...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आसन से ही व्यवस्था चाह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : हम आपसे कह रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** : बिना इंजन की रेलगाड़ी के डिब्बे हैं। इंजन चलाने वाला दिल्ली में है और सब यह पीछे भटक रहे हैं। (व्यवधान)

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : हम तो आपकी व्यवस्था चाह रहे हैं। पिछली बार सदन में जिस प्रकार की स्थिति बनी थी और माननीय सदस्य अनशन पर यहां पर बैठे थे। हम सब लोगों ने जाकर, अनशन पर जाकर, अनशन के बाद मुख्य मंत्रीजी से मिले और मुख्य मंत्रीजी ने हमें आश्वासन दिया था कि जो निर्विवादित जमीन है वह उसके नाम से अंकित हो जाएगी। मगर चार महीने हो गये। मगर उसमें यह था कि कौनसी आबंटित है और कौनसी नहीं, निर्विवादित जमीन के लिए आश्वासन देने के बाद और मुख्य मंत्रीजी के कहने के बाद...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : माननीय सदस्य, पूरे राजस्थान के अन्दर इन चार सालों के अन्दर गौशालाओं के लिए जितने आबंटन हुए हैं, पचास साल में उतने आबंटन नहीं हुए हैं। प्रतिपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के मामले लेकर राजस्थान की जनता को...(व्यवधान) जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मुख्य मंत्री के आदेश की अवहेलना कर चुके हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? (व्यवधान) इससे ज्यादा धोखा क्या होगा। (व्यवधान) हम आपसे मिले थे अगर आगे यह आबंटन (व्यवधान) आपने हमको आश्वासन दिया था कि जो निर्विवादित जमीन है उसको...(व्यवधान) आपसे मिले और आपने आश्वासन दिया था और उसके बाद वह आबंटन कर दी जाएगी, अब मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद हमने माननीय सदस्य का यह अनशन तुड़वाया और उस बात को लेकर आज चार महीने गुजर गये हैं और इस बात को लेकर, आपके आदेश को...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : राजस्थान की छह करोड़ जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। कह रहे हैं...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : माननीय सदस्य को बहुत चिन्ता है। आपका टिकट भी कट रहा है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आपके आदेश को रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं करें इससे ज्यादा दुःख क्या होगा? आप इस बारे में बताएं कि ऐसे कौनसी समस्या है...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : पूरे देश में यह इस बात को ले करके...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : ऐसा नहीं है कि पर्टिकूलर यही जगह दी जाए। हमारे कहने पर यह लगता है कि आपको यह (व्यवधान) आपको लगता है कि यह निर्विवादित जमीन है, यह आबंटन हो सकता है। (व्यवधान) आपके कहने के बाद हमने अनशन तुड़वाया था। आपके आश्वासन के बाद में अनशन तुड़वाया था। आप स्वयं ही इस बारे में बताएं। हम नहीं चाहते कि यह जमीन या वह जमीन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिले लेकिन जो भी निर्विवादित जमीन हो उस जमीन का आबंटन हो। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : आसन ने व्यवस्था दे दी है। बड़े खेद की बात है कि नेता प्रतिपक्ष आसन की व्यवस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री संजीव कुमार** : क्या यह पूरक प्रश्न है? (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : जो प्रश्न किया वह निर्विवादित जमीन का किया था और आपने आश्वासन दिया था कि वहां से यह कहा था जो भी निर्विवादित जमीन होगी उसका आबंटन हो जाएगा। आपके आश्वासन के बाद हमने माननीय सदस्य को समझाया। सदन से हमने उनको आमरण अनशन से उठाया। इतनी सी बात चाहते हैं और क्या चाहते हैं?

**श्री अशोक गहलोत** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, वैसे तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को लेकर अभी धरना दिया गया और जो माहौल बनाया गया, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मेरी कोई तमन्ना भी नहीं थी कि मैं कोई उत्तर दूं पर क्योंकि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का अपना एक अलग स्थान होता है, उनका सम्मान करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और कहना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री महोदया ने स्थिति स्पष्ट कर दी, कोई बात को छिपाने का प्रश्न ही नहीं है। यह कह दिया कि हम रीको को नोटिस दे देंगे और अगर उनके काम में यह जमीन आती होगी तो हम दूसरी तलाश करेंगे वरना वह कैंसिल करके आपको दे देंगे। उसके बाद कोई बात रहती ही नहीं है। फिर भी बिना विवाद को विवाद बनाकर समय का, 35 मिनट खराब किये गये समय, इस हाउस के, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है यह।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह खराब नहीं होते अगर आप उठकर, इतनी ही बात चाहते थे और कोई नई बात नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : यह कहना चाहते हैं कि लोक सभा में जिस तरह से यह... (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह दोनों पार्टियां नाटक करके, यह तो नाटक कर रही है। यह तो सामाजिक न्याय मंच आयेगा, वह ही जनता का सही फैसला करेगा। सामाजिक न्याय मंच। यह दोनों पार्टियां नाटक कर रही है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह समय हमने बरबाद नहीं किया। हमने तो आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसी बात को हमने फिर से यहां पर आज दोहराने की कोशिश की है। (व्यवधान) समय तो मंत्रीजी, आपके उत्तर के कारण से जाया हुआ है।

**श्री सांवर लाल** : मुख्य मंत्रीजी, आपके कार्यकाल में हो जाएंगे क्या यह काम, यह बताइये।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : हमने तो आपके आश्वासन को मानकर पिछली बार सदस्य को यहां से अनशन से उठाया था और यही बात हुई थी कि जो निर्विवादित जमीन है, हमारा कोई पर्टिकूलर यह हो या यह हो, यह नहीं था, जो निर्विवादित जमीन है, वह गौशाला के लिए आबंटन हो। आपने उसके बारे में अपनी सहमति दी थी कि निर्विवादित जमीन आपको आबंटन कर देंगे, चार महीने गुजर गये लेकिन आबंटन नहीं हुआ और आज भी जो जवाब दिया मंत्रीजी ने वह घूमाकर बात को कहा। अगर बात यह कहते कि जो भी निर्विवादित जमीन होगी, आबंटन हो जाएगा तो हमें कौनसा दूसरा सवाल करना बाकी रहा, हमारा कोई सवाल नहीं, यही चाहते थे।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : वह तो आपने महारानी बुलाकर जमीन को आपने विवादित कर दिया और आप लोगों की जमीन जो रही-सही थी वह भी गयी। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : मुख्य मंत्रीजी, आपके कार्यकाल में हो जाएगा क्या? महीने, दो महीने में, अब यह तो स्पष्ट करिये। आपके कार्यकाल में हो जाएगा क्या?

**डा. सी. पी. जोशी** : यह तो कह दिया, हो गया। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : छह महीने निकाल दिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : चार महीने बाद आपकी सरकार नहीं रहेगी इसलिए... (व्यवधान) आपकी सरकार नहीं रहेगी।

**श्री जुगल काबरा** : माननीय सदस्य का बौखलाना स्वाभाविक है। कल लोक सभा में इनकी...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : लोक सभा में आपकी हालत खराब हो गयी। अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर-आर्डर। श्री बाबूलाल शर्मा।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : पूछ ही नहीं छूटी गाय ने इनके लातें मारी हैं। पूछ ही नहीं छूटी, इनकी दुष्टता देखकर लातें मारी कल गाय ने इनके। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नकर्ता। आपको अनुमति नहीं है। आप बैठो।

**श्री हरीश चन्द कुमावत** : अध्यक्ष महोदय, भूमि आबंटन करने का, निश्चित तारीख का सरकार ने आश्वासन नहीं दिया है। 10 दिन में करेंगे या 15 दिन में करेंगे?

**डा. सी. पी. जोशी** : हो गया न यह तो।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : मनाली में चुसकियां लगा रहे थे वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत** : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का सही उत्तर नहीं आया इसलिए मैं अपना आमरण अनशन चालू करता हूं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : अनुशासन ही नहीं है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : यह पार्टी में आन्तरिक प्रजातंत्र की हत्या है।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : अनुशासनहीन पार्टी है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : भैरोंसिंहजी वाली बात नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हरीश चन्द्र कुमावत** : मैं अपना आमरण अनशन इसी जगह पर कर रहा हूं। मैं विधान सभा की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालना चाहता इसलिए अपना आमरण अनशन इसी सीट पर कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो। श्री भंवरलाल शर्मा।

## राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट काउंसलिंग के दौरान अनियमितता की शिकायतों की जांच

2. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट काउंसलिंग के दौरान हुई अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निजी कालेजों को भी इसमें भूमिका पाई गई है? यदि हां, तो उक्त निजी कालेजों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट काउंसलिंग स्थापित किये जाने की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**शिक्षा मंत्री** (डा. बी. डी. कल्ला): (1) जी, हां। आर.पी.ई.टी.-2003 काउंसलिंग में अनियमितताओं की कुछ शिकायतों की जांच शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा द्वारा की जा चुकी है एवं जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 18.7.2003 को प्रस्तुत किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

इसके अलावा 12 शिकायतें और प्राप्त हुई थीं जिन पर समन्वयक, आर.पी.ई.टी.-2003 से टिप्पणी मांगी गई है, परन्तु किसी भी प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना

(डा. बी. डी. कल्ला)

प्राप्त नहीं हुई है। उक्त शिकायतों की सूची परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। एक निजी कालेज (ग्लोबल इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, जयपुर) की भूमिका की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संदर्भित की गई है, क्योंकि इस प्रकरण में एक सार्वजनिक बैंक का अधिकारी आरोपित है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल महोदय के पास निर्णय हेतु विचाराधीन है।

**(जांच प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और इसमें देश के हजारों–हजारों विद्यार्थियों का जीवन उलझा हुआ है। सामान्यतया, यह बताइये, जो काउंसलिंग प्रदेश में करते हैं वह केन्द्र के बाद करते हैं या पहले करते हैं। यह काउंसलिंग केन्द्र में भी होती है जो विद्यार्थी वहां जाना चाहते हैं वह वहां चला जाता है, वहां नहीं होता है तो यहां भी आता है। सामान्यतया पहले केन्द्र में काउंसलिंग होती है उसके बाद प्रदेश में करते हैं। इस बार आपने किस कारण से केन्द्र के पहले यह व्यवस्था की? इसकी सूचना आपने कब निकाली कि काउंसलिंग होगी और कितने दिन का समय दिया, यह बताइये। उसमें कितनी सीटें रखीं इसकी कोई जानकारी दी, कितनी आरक्षित होंगी, इसकी जानकारी दी, क्या फीस होगी इसकी कोई जानकारी दी? मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो आपकी काउंसलिंग है उसको संगठन आपने किया है उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इंजीनियरिंग जानने वाला तो कोई आदमी उसमें है ही नहीं। सारे विषयों की जो आप यह काउंसलिंग कराते हैं वह जोधपुर में करवाते हैं। जितनी फैकल्टीज हैं उनकी सबकी आप केवल जोधपुर को क्यों रखते हैं? विभिन्न विश्वविद्यालय अलग–अलग हैं वहां क्यों नहीं रखते? और एक दिन में कितने लोगों की काउंसलिंग हो सकती है, वह संख्या आपने कुछ निर्धारित की है? आपने पूरे देशभर के लिये केवल एक दिन का समय तय किया। हजारों विद्यार्थी आते हैं, यह काउंसलिंग हो कैसे सकती थी और आपके सिलेबस में इसकी तिथि आगे है, आपने जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया और कितने दिन का समय दिया? इनके उत्तर आप दीजिये।

**डा. बी. डी. कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने काउंसलिंग के बारे में जो बातें उठायीं, 3.7.2003 को काउंसलिंग प्रारम्भ की गयी और उसके लिये पर्याप्त सूचना...(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उसके लिये नोटिस कब निकाला आपने? नोटिस कब निकाला?

**डा. बी. डी. कल्ला** : नोटिस के बारे में मैं आपको अभी सूचना दे दूंगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां, वह बताइये पहले।

**डा. बी. डी. कल्ला** : समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य तरीकों से सबको पता था कि 3.7.2003 को काउंसलिंग प्रारम्भ हो गयी। चूंकि उस समय सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, नोटिस कब निकाला यह तो बताइये ना?

**डा. बी. डी. कल्ला** : मैं बता रहा हूं। अभी बता रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : ऐसा कौनसा सवाल है, इसमें आपको क्या दिक्कत है?

**डा. बी. डी. कल्ला** : आपने काफी चीजें बतायी हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पाइंटेड सवाल है। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : हां, मैं बता रहा हूं आपको।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपने नोटिस कब निकाला तीन तारीख के लिये? लैट हिम रिप्लाई।

**डा. बी. डी. कल्ला** : मैं अभी बता रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अभी बताइये ना। अभी बताइये। आपने प्री पाइंट क्यों किया, नोटिस कब निकाला बताओ ना? सारा सवाल ही नोटिस पर है।

**डा. बी. डी. कल्ला** : सभी गवर्नमेंट कालेजेज में जो आपने आरक्षण के बारे में पूछा है 16 प्रतिशत एस.सी. के लिये, 18 प्रतिशत एस.टी. के लिये...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आरक्षण के लिये किसने पूछा है?

**डा. बी. डी. कल्ला** : आरक्षण के लिये इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा है आपने सुना नहीं। 21 प्रतिशत ओ.बी.सी. के लिये आरक्षण रखा गया था।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड सवाल है मेरा। यह नोटिस आपने कब निकाला, यह बताने में आपको क्या दिक्कत हो रही है?

**श्री धर्मपाल चौधरी** : पता नहीं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : शांत रहिये थोड़ा। आपने 3 तारीख के लिये तय किया। यह नोटिस कब निकाला और उसमें क्या-क्या सूचनाएं प्रकाशित कीं, यह बता दीजिये पहले।

**डा. बी. डी. कल्ला** : सूचनाएं यह प्रकाशित की गयी थी कि गवर्नमेंट कालेज में 6 कालेज में 1695 सीटें हैं, उनमें

(डा. बी. डी. कल्ला)

से 8 सीटें आई.सी.ए.आर. की नोमिनेटेड सीटें हैं और उनमें 16 प्रतिशत एस.सी. का आरक्षण है, 12 प्रतिशत एस.टी. का आरक्षण है और गवर्नमेंट कालेज में ओ.बी.सी. का 21 प्रतिशत है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड प्रश्न है आरक्षण की बात कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन का जवाब दिलवाओ ना।

**श्री अध्यक्ष** : इन्होंने पूछा है। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : इन्होंने पूछा है। अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड क्वेश्चन है कि उनकी उनमें सूचना क्या–क्या थी?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो विज्ञापन है न वह पढ़वा दीजिये। जो विज्ञापन है न। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, 18 जून को रिजल्ट आया और उसी के साथ यह प्रकाशित करवा दिया गया था कि 3.7.2003 को काउंसलिंग की जायेगी। आप एक मिनट पहले मेरा प्रश्न सुन लें। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, प्रश्न तो मेरा है।

**डा. बी. डी. कल्ला** : मेरा उत्तर सुन लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : एक सैकण्ड, आपने जो विज्ञापन निकाला वह पढ़ दो। 3 तारीख के लिये जो विज्ञापन निकाला उसमें क्या शर्तें थीं, क्या बातें थीं, वह पढ़ दीजिये पूरा खतम हो जाएगा मामला।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आपने नोटिस कब जारी किया? (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है वह पढ़ दीजिये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : विज्ञापन की तारीख बताइये कि आपने नोटिस कब निकाला?

**डा. बी. डी. कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला गया था 28 जून, 2003 को उसको आप कहो तो मैं पढ़कर सुना दूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हां, पढ़कर सुना दीजिये।

**डा. बी. डी. कल्ला** : **Subsec:** Admission to First Year B.E./ B.Arch. Courses for the session 2003-2004 on the basis of RPET-2003.

**Reference** : Your application from for admission to Engineering Colleges and subsequent result of RPET-2003.

(डा. बी. डी. कल्ला)

I am happy to inform you that your name appears in the merit list. You are required to appear for Counselling as per Date and Time given above for provisional admission to first year B.E./ B.Arch. Courses subject to fulfilling the eligibility requirements prescribed in the information booklet supplied to you along with RPET-2003, application from.

You are advised to reach in advance so that you are in time for counselling to be held at Department of Architechure, Faculty of Engineering, Jai Narain Vyas University, Jodhpur. In case you reach late, the admission process will not wait for you and you will be considered only for the branch/college available at the time of your reporting provided the counselling is still continuing at that time. Please note that you are required to appear for counselling in person. No request for consideration in absentia will be entertained. If you are a candidate for Architecture Course as well as Engineering course, please note that the counselling for B.E. Course will be held first. You may also appear in the counselling for B.Arch. Courses, which will be held subsequently. However, if you opt for admission in the Architecture course, your admission in the B.E. Course shall stand cancelled unless you have kept your name in waiting list for engineering course. और क्या चाहते हो आप? अध्यक्ष महोदय, हमने व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी काउंसलिंग हो रही थी, 18 तारीख को लिख दिया था और उसके बाद 28.6 को और 22.6 को जो चिट्ठियां जारी हुई थीं, जिसको मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, यह चाहे तो मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, यह जो काउंसलिंग रद्द की गयी उसके बाद में काउंसलिंग हुई या नहीं? जो काउंसलिंग रद्द कर दी गयी थी उसके बाद में काउंसलिंग हो गयी या नहीं हुई? यह जरा जवाब दें।

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, 3.7.2003 को जो काउंसलिंग प्रारम्भ हुई उसी दिन एक तरीके से पोस्टपोन कर दी गयी और उसके बाद 22.7.2003 को प्रारम्भ हुई और 3.8.2003 को समाप्त हुई।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आपने सूचना निकाली 28 जून को यह महीना 30 दिन का ही होता है और 3 जुलाई को आपने बुला लिया, पूरे देश के लोगों को इंवाइट किया। यह विज्ञप्ति आपने किसमें निकाली? इस विज्ञप्ति का आपने प्रयोग जो किया प्रचार के लिये, वह क्या थी आपके पास, किसमें सूचना निकाली, यह सूचना कि उसमें विकलांग कोटे में कितने होंगे, उसकी क्या शर्तें होंगी, आप उसके ओरिजनल सर्टिफिकेट जमा कर लोगे, उसको कितनी फीस देनी पड़ेगी, इसका कहीं भी तो उल्लेख नहीं है। आपने विज्ञप्ति किसके माध्यम से निकाली, कौनसा अखबार में निकाली? आप यह बताइये। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके बोलने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह जांच किससे करवाई? आप इसका जवाब दें पहले मुझे कि आपने जांच किससे करवाई और आपने जांच इन्हीं तकनीकी शिक्षा के सचिव से करवाई, क्या आप यह मानते हैं कि जिस विभाग के सचिव से आप जांच करवा रहे हैं क्या वह सही जांच करके देंगे? आप इसका जवाब दीजिये मुझे।

**श्री जुगल काबरा** : विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सूचना दी गयी थी क्या किसी पत्र द्वारा, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कितने विद्यार्थी काउंसलिंग के लिये, जिन्होंने आवेदन किया था, क्या उनको व्यक्तिगत सूचना दी गयी थी क्या? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सब्जैक्ट का डायल्यूट करने का प्रयास न करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : पूरे देश के लोगों को इत्तिला कैसे होगी?

**डा. बी. डी. कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, विज्ञप्ति के अलावा व्यक्तिगत सूचना प्रत्येक व्यक्ति को, जो पीई.टी. टैस्ट में पास हुआ था, दी गयी थी।

**श्री जुगल काबरा** : सूचना में आपने क्या लिखा था, कृपया पढ़कर सुनाइये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : 3 दिन में आपने पूरे देश में सूचना कर दी। अध्यक्ष महोदय, कैसा अन्याय हुआ है राजस्थान और बाहर के विद्यार्थियों का तीन दिन में इन्होंने पूरे देश में सूचना दे दी।

(12.00 बजे)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अखबार तो बोलो कौनसा है?

**श्री जुगल काबरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस काउंसलिंग में कितने लोगों को एडमिशन दिया गया और कितने लोग बकाया रहे? कृपया इसकी जानकारी देने का कष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)** : सेक्रेटरी पैसे खाकर जांच को बिलकुल गोलमोल कर गया।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : साहब, यह तो अन्याय हो गया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज 28 लोगों ने पर्चियां डाली हैं। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : पैसे खा गया, सैक्रेटरी पैसे खा गया।

**श्री अध्यक्ष** : सदन में आपके जो पूर्व प्रतिपक्ष के नेता थे जो अपनी वाइस प्रेसीडेंट हैं वह पूरे क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने वहां पर एक परम्परा स्थापित की है। अभी दो सवाल एक घंटे भर में सदन में आये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, हम सहयोग करना चाहते हैं, सत्तापक्ष वाले नहीं करते। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : सीधा उत्तर नहीं देते हैं।

**श्री मदन दिलावर** : तैयारी करके आयें।

**एक माननीय सदस्य** : प्रताड़ना दीजिये आप।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से हट करके है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, आज 28 विभिन्न पर्चो के माध्यम से माननीय सदस्यों ने अपने लिख कर दिये हैं। (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और यह अधिकारी उठ-उठ कर जा रहे हैं, देखिये आप क्या विडम्बना है इस हाउस की। देखिये, कैसे खड़े हुए हैं उधर।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : इतने गम्भीर विषय हैं और आप उसको समय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की सीमा में बांध रहे हैं। क्योंकि अपने पास केवल दो दिन, 22 और...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे को कहते हैं आसन पैरों पर और अधिकारी खड़े होकर जा रहे हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : 28 माननीय सदस्यों ने विभिन्न समस्याएं जो उठी हैं, आप या तो उनको समय देकर चर्चा करा लें, वह 28 पर्चियां अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हैं। आज दिन तक, जब से पर्ची सिस्टम हुआ है 28 पर्ची कभी नहीं आयी। पहली बार 28 पर्चियां आयी हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : कोई माननीय सदस्य खड़ा हो जाता है तो कहते हो आसन पैरों पर और इन अधिकारियों को तो परवाह ही नहीं है। इनकी, अधिकारियों की आप दादागीरी देखो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : तो इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सामने इस सदन में उठाना चाहता है आपकी आज्ञा से इसलिए आप अलग से समय दें तो उन पर्चियों पर ठीक प्रकार से चर्चा हो सके नहीं तो क्या होगा बीच-बीच में लोग खड़े होंगे तो उसमें समय जाया होगा।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सरसाइज कब खत्म होगी?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : पैराटीचर्स का मामला है, जितने लोग हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं सोचता हूं 28 पर्ची में से 12 पर्ची तो केवल पैराटीचर, शिक्षाकर्मी और अनएम्प्लाइड यूथ जो हैं...(व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर, बैठिये। अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन है...

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, बीच में नहीं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन है। इस वक्त प्रदेश के अन्दर...

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं आपसे।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त।

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## पेंशन विभाग द्वारा अधिकार पत्रों का प्रकाशन

1. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नागरिक अधिकार-पत्र जारी किये जा रहे हैं? क्या सरकार पेंशन विभाग में भी नागरिक अधिकार-पत्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

### उत्तर

जी हां। जी नहीं, क्योंकि सामान्य नागरिकों का पेंशन विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

## पंचायत समिति तिजारा के स्टोन क्रेशरों द्वारा देय बिक्री कर का चुकारा

**2. श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मैं. जैन स्टोन क्रेशर हसनपुर माफी पंचायत समिति तिजारा (अलवर) ने वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में स्टोन ग्रिट की कितनी बिक्री की है तथा कितने माल का बिक्री कर अदा किया है एवं कितना स्टोन (कच्चा माल) उक्त क्रेशर पर किस-किस फर्म ने आपूर्ति किया और उसका कितना-कितना बिक्री कर किस किस फर्म ने चुकता किया है?

### उत्तर

जैन स्टोन क्रेशर हसनपुर माफी पंचायत समिति तिजारा (अलवर) नें वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में स्टोन ग्रिट की 7.32 लाख बिक्री की है तथा उक्त माल पर 0.85 लाख का बिक्री कर अदा किया है एवं उक्त फर्म द्वारा स्टोन (कच्चा माल) निम्न फर्मे ने सप्लाई किया है माल की मात्रा एवं खरीद मूल्य फर्म वाइज निम्नप्रकार है :

वर्ष 1999-2000 में मैसर्स रहमत खां नीमली, आसीम खां नीमली से क्रय मूल्य 31,113 वर्ष 2000-2001 ने मैसर्स मोहन लाल बलबाडका, नानक सिंह तहसील अलवर, मेवात मिनरल्स तहसील तिजारा से माल क्रय मूल्य 218025 वर्ष 2001-2002 में मैसर्स मेवात मिनरल्स तहसील तिजारा, मुकुट कुमार तहसील अलवर ग्राम उल्लाहेडी तहसील अलवर से माल क्रय मूल्य 125250 रुपये का कच्चा माल पत्थर खरीदा है।

ये आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यवसाई है जिनके द्वारा स्वयं के स्तर पर कोई बिक्री कर जमा नहीं कराया है। परन्तु चेजा पत्थर एकल बिन्दु पर कर होने के कारण मैसर्स जैन स्टोन क्रेशर हसनपुर माफी का कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 करते समय उक्त क्रय कच्चे माल पर देय कर मैसर्स जैन स्टोन क्रेशर हसनपुर माफी से वसूल कर लिया गया है। वर्ष

(वित्त मंत्री)

2001–2002 की विवरणियों के अनुसार फर्म द्वारा समस्त कर का भुगतान कर दिया गया है।

## शासन सचिवालय, जयपुर में हिन्दी आशुलिपिकों के रिक्त पद

**3. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा):** क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय, जयपुर में हिन्दी आशुलिपिकों के स्वीकृत सभी पद भरे हुए हैं? यदि नहीं, तो मार्च, 2003 तक ऐसे कुल कितने पद रिक्त हैं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माह सितम्बर, 1995 के पश्चात् सचिवालय में हिन्दी आशुलिपिकों के पद पर नियुक्तियां किए जाने हेतु कोई परीक्षा आयोजित नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त आशुलिपिकों के सभी रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जी नहीं। शासन सचिवालय, जयपुर में मार्च, 2003 तक आशुलिपिकों के 7 पद रिक्त है। वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। सरकार (वित्त विभाग) द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है।

(3) जी नहीं। शासन सचिवालय में मार्च, 2003 तक 7 पद आशुलिपिकों के रिक्त थे लेकिन उन पर माननीय मंत्रिगणों के पास अन्य संवर्ग के 6 कर्मचारी और पदस्थापित करने के कारण, केवल एक ही पद रिक्त रहा है, इसलिए विज्ञापन जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

## सहयोग अपार्टमेंट विद्याधर नगर जयपुर में आवश्क सुविधाएं

**4. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा):** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्यकर्मियों को विद्याधर नगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट में आवासीय सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कब से? उक्त आवासों व गांधी नगर स्थित राजकीय आवासों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में क्या-क्या अन्तर किस कारण

(श्री अनर्गराम चौधरी)

से है? क्या सरकार उक्त अन्तर को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि गांधी नगर स्थित राजकीय आवासों के दरवाजों पर जाली के गेट भी लगे हुये हैं? क्या विद्याधर नगर स्थित आवासों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों व उक्त सुविधा अब कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

### उत्तर

(1) हां। दिनांक 26.4.1996 से विद्याधर नगर व गांधीनगर स्थित आवासों में सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं है।

(2) जी नहीं, गांधीनगर में भी कुछ आवासों के दरवाजों पर जाली के गेट नहीं हैं।

## जयपुर स्थित राजकीय आवासों के आबंटन प्रकरणों का निस्तारण

5. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जयपुर में राजकीय आवास आबंटन के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं? श्रेणी/वर्षवार/सचिवालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000 से जुलाई, 2003 तक कितने आवेदकों को समय से पूर्व अथवा विवेकाधीन कोटे से आवास आबंटित किये गये हैं? उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है?

(3) वर्तमान में प्रतीक्षारत वर्ष 1996 के आवेदकों को कब तक आवास आबंटित कर दिये जायेंगे?

(4) शासन सचिवालय को वरीयता के आधार पर आवास आबंटन के सम्बन्ध में क्या आदेश हैं? क्या शासन सचिवालय की भांति विधान सभा एवं राज्यपाल सचिवालय को वरीयता के आधार पर आवास आबंटित करने के सम्बन्ध में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन सचिवालय को वरीयता के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जयपुर में राजकीय आवास आबंटन के विचाराधीन आवेदनों की वर्षवार व श्रेणीवार सूचना निम्नानुसार है:

| वर्ष | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | पंचम् | एच |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | — | — | — | — | — | 75 |
| 1992 | — | — | — | — | — | 70 |
| 1993 | — | — | — | — | — | 60 |

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | — | — | — | — | — | 79 |
| 1995 | — | — | — | — | — | 56 |
| 1996 | — | — | — | — | 513 | 150 |
| 1997 | 1 | — | — | — | 249 | 51 |
| 1998 | 1 | — | — | — | 189 | 51 |
| 1999 | 3 | — | — | — | 140 | 49 |
| 2000 | 7 | 30 | — | 29 | 120 | 29 |
| 2001 | 15 | 50 | 02 | 206 | 217 | 71 |
| 2002 | 12 | 39 | 67 | 297 | 193 | 61 |
| 2003 | 19 | 31 | 67 | 82 | 71 | 20 |

(2) वर्ष 2000 से जुलाई 2003 तक समय से पूर्व बिना पारी के आबंटित आवासों की सूचना निम्नानुसार है:

| | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| प्रथम | 1 | 1 | 1 | 1 |
| द्वितीय | 3 | 11 | 9 | 10 |
| तृतीय | 2 | 3 | 6 | 3 |
| चतुर्थ | — | — | 8 | 6 |
| पंचम | — | — | 16 | 8 |
| एच | — | — | — | — |

कार्य की प्रकृति, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि विशेष परिस्थितियों में विभाग के मंत्री स्तर पर बिना पारी के आबंटन किया जाता है।

(3) प्रथम, द्वितीय, ततीय व चतुर्थ श्रेणी के लिए 1996 के आवेदक शेष नहीं है। पंचम श्रेणी में 1996 के आवेदकों को जैसे-जैसे आवास रिक्त होकर प्राप्त होते है वैसे-वैसे आबंटन का कार्य किया जा रहा है।

(4) आबंटन नियमों के अनुसार ही किया जाता है।

## औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी (अलवर) में आबंटित भू-खण्ड

6. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीडा ने भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में अपनी स्थापना के बाद कितने भूखण्ड औद्योगिक, आवासीय और व्यवसायिक का आबंटन या नीलाम किस किस को किस दर पर किया है? आबंटी के पूरे पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में जो प्लाट आबंटन या नीलाम किये हैं उनकी लोकेशन क्या है?

(3) क्या इस बाबत सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस बाबत किसी ने सिविल न्यायालय या राजस्थान उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश लिया

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है या वाद दाखिल किया है? यदि हां, तो स्थगन और वाद तथा जवाब दावे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बीडा द्वारा अपनी स्थापना के बाद 351 औद्योगिक भूखण्ड, 86 व्यवसायिक भूखण्डों का आबंटन किया है तथा 17 व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की गई है। कोई आवासीय भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया है। बीडा की समस्त अवधि में किये गये आबंटन के सम्बन्ध में आबंटियों के नाम व पूरे पते सही विस्तृत सूचना का संकलन प्रश्न के दिनांक 22.8.2003 को सूचीबद्ध होने की अल्पावधि में किया जाकर उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। इसमें कुछ समय लगना आवश्यक है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दो शिकायतें प्राप्त हुई है। प्रथम शिकायत सितम्बर, 2002 एवं द्वितीय जून, 2003 में प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों की प्रति परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में कोई न्यायिक स्थगन नहीं है। आबंटन/नीलामी से सम्बन्धित 3 वाद दायर हुये थे जिनकी प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

**(वाद/शिकायतों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

## पोंग बांध विस्थापितों के हितकारी काश्तकारों में आस्टीज संख्या में वृद्धि

**7. श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पोंग बांध निर्माण हेतु कितनी एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी? उक्त अवाप्ति की कार्यवाही कब-कब व किन-किन वर्षों से सम्बन्धित सरकारों द्वारा की गई?

(2) क्या उक्त बांध निर्माण के लिए धारा 4 से 6 की भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत विज्ञप्ति सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी की गई है? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिग्रहित भूमि में कितने हितकारी काश्तकार थे? हितकारी काश्तकारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि को सर्वप्रथम कितने हितकारी काश्तकारों की संख्या बताई गई थी?

(5) क्या उक्त काश्तकारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान सरकार से वार्तालाप व समझौता कर संख्या में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो पोंग बांध आस्टीज कृषकों की संख्या कितनी है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(6) राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से वार्तालाप व समझौता कर जो पोंगे बांध आस्टीज की संख्या में जो बढ़ोतरी की है, उसका आधार क्या सम्बन्धित सरकार द्वारा नियुक्त भूमि अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड है? यदि हां, तो क्या उक्त अवार्ड की प्रति राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उपलब्ध करा दी? यदि नहीं, तो आस्टीज की संख्या में बढ़ोतरी किये जाने का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) पोंग बांध निर्माण हेतु 75268 एकड़ भूमि अवाप्त की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की तीन अधिसूचनाएं संख्या 930 दिनांक 11.1.1962, क्रमांक 6969 दिनांक 1.4.1963 एवं क्रमांक 24275 एचजी 3561-62 दिनांक 10.11.1964 की प्रतियां दिनांक 22.4.2002 को भिजवाई 1 धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(2) पोंग बांध निर्माण के लिए धारा 4 की भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। धारा 6 की अधिसूचना सम्बन्धित सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उक्त अधिग्रहित भूमि से विस्थापित हुए परिवारों को भूमि आबंटन कराने हेतु 11668 व्यक्तियों के पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेडिंग 1981 के तहत 1559 विस्थापितों को और भूमि आबंटन की सहमति हुयी।

(4) पंजाब सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7.4.1964 के द्वारा पोंग बांध विस्थापितों की अनुमानित संख्या 6284 बताई थी।

(5) जी हां। बिन्दु 3 में उल्लिखित 11668 तथा मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेडिंग 1981 के तहत 1559 और पात्रता प्रमाण पत्र ओर जुड़ जाने पर इनकी संख्या 13227 हो गई है।

(6) हिमाचल प्रदेश सरकार व राजस्थान सरकार के बीच दिनांक 12.9.1981 को मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेडिंग के तहत बिन्दु संख्या 5 पर उल्लिखित इन विस्थापितों को भूमि आबंटन करने पर सहमति हुई थी। पोंग बांध के निर्माण में अवाप्त हुई भूमि से विस्थापित हुए परिवारों को सम्बन्धित अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड की मूल प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार से आज तक प्रयास करने के बावजूद प्राप्त नहीं हुई है।

**(अधिसूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

## ग्राम पालड़ी (जयपुर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

8. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आम रास्ते पालड़ी से भागोद एवं पालड़ी से मेड वाला में सम्वत् 2012 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित समस्त कार्यवाही कर दी गई है और नहीं, तो क्यों? अब तक उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण को शीघ्र निपटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलत कार्यवाही के कारण पालड़ी से भामोद वाले आम रास्ते की भूमि का 7 ऐयर भाग बन्द कर 7 ऐयर भूमि श्री भूरा पुत्र श्री भाना गुर्जर की भूमि हाल खसरा नं. 363 में शामिल कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या आम आम रास्ते की भूमि किसी व्यक्ति के नाम दर्ज की जा सकती है? यदि नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? उक्त के लिये कौन व्यक्ति दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई गलत कार्यवाही के कारण गत व हाल नक्शे के अनुसार आम रास्ते के पास वाले काश्तकार की गत खसरा नम्बर 407 का 7 ऐयर एवं 406 का 2 ऐयर रकबा हाल आम रास्ता खसरा नम्बर 364 में शामिल कर दिया गया है? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार द्वारा दुरुस्ती हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अब सरकार इस पर दुरुस्ती की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जी हां। रिकार्ड दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, विराटनगर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दिनांक 13.8.2002 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

निर्णय होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर में वाद सं. 212/2000 विचाराधीन है। आगामी नियम तिथि 3.9.2003 है। अत: प्रकरण में न्यायालय द्वारा जब निर्णय पारित किया जावेगा तब

(राजस्व मंत्री)

निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) जी हां। भू-प्रबन्ध के दौरान ग्राम पालड़ी, तहसील विराटनगर के गत खसरा नम्बर 281 के आम रास्ते का 0.07 एयर रकबा हाल खसरा नम्बर 363 में शामिल कर दिया गया। नियमानुसार आम रास्ते की भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज करने का अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं है। इसकी दुरुस्ती हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियास जा चुका है जो अभी विचाराधीन है। उक्त के लिए सर्वेक्षण/अभिलेख कार्य करने वाले भू-मापक एवं जांच कर्ता निरीक्षक दोषी है। जिम्मेदार भू-मापक श्री ओमप्रकाश शर्मा को राज. सेवा नियमों के नियम 244(2) के तहत दिनांक 12.6.1998 से राज्य सेवा से पृथक किया जा चुका है एवं निरीक्षक श्री रमाशंकर सिंह दिनांक 31.1.1998 को नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

(4) जी हां। भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलत कार्यवाही की दुरुस्ती हेतु प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर में विचाराधीन है, जिसमें आगामी तिथि 3.9.2003 नियत है। निर्णय होने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(5) इसका उत्तर बिन्दु संख्या-4 में दिया जा चुका है।

## ग्राम रसूलपुरा (जयपुर) के नियमन योग्य लम्बित प्रकरणों का अमलदरामद

9. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला-जयपुर की तहसील सांभर के ग्राम रसूलपुरा के खसरा नम्बर 1195/2 रकबा साढ़े आठ बीघा एक बिस्वा का नियमन कमेटी द्वारा श्री बेणिया पुत्र श्री मांगूराम जाट के हक में नियमन किया गया था? यदि हां, तो उक्त का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में इनके नाम कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही हैं कि पटवारी हल्का रसूलपुरा द्वारा नामान्तर करण संख्या 232/77 श्री रामु पुत्र श्री बेणिया के नाम भरकर भू-अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार से तस्दीक करवाया गया? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमन आदेश के मुताबिक नामान्तर करण संख्या 232/77 श्री बेण्या पुत्र श्री मांगू जाट संरक्षक श्री रामु जाट भरा जाना चाहिये था? क्या उक्त गलत नामान्तर करण करने वाले दोषी अधिकारियों

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त नियमन आदेश के मुताबिक अब राजस्व रिकार्ड में सुधार किस विधि से व कब तक करा दिया जायेगा? नियमन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। राजस्व रिकार्ड में ग्राम काजापुरा के नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 27.9.1977 के द्वारा रामू पुत्र अर्जुन जाट संरक्षक व मांगू पुत्र बेणा जाट के नाम स्वीकार होकर रेकार्ड में अमल दरामद किया गया।

(2) जी हां। पटवारी हल्का काजापुरा द्वारा नामान्तरण संख्या 232 तस्दीक दिनांक 27.9.1977 में बेणा पुत्र मांगू जाट नाम दर्ज करने के बजाय रामू पुत्र अर्जुन जाट संरक्षक व मांगू पुत्र बेणा जाट खातेदार के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया। जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) नियमन आदेश के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 232/77 श्री बेणा पुत्र मांगू जाट के नाम से ही भरा जाना चाहिये था।

तहसील स्तर पर उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने वाले पटवारी की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) न्यायालय अपर कलक्टर (तृतीय) जयपुर के निर्णय दिनांक 26.12.2000 द्वारा भूमि चरागाह में दर्ज की जा चुकी है। उसके उपरान्त प्रकरण न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर राजस्थान में विचाराधीन है।

(नामान्तरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## ग्राम हुलमाना खुर्द (अलवर) में अवैध भू-आबंटन

10. **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क), **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) एवं **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हुलमाना खुर्द तहसील मुण्डावर (अलवर) के एक अवैध भू-आबंटन की जांच के आदेश सरकार द्वारा जिला कलक्टर अलवर को दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त की जांच का क्या परिणाम रहा? वर्ष 1966 में प्रचलित आबंटन नियमों की प्रति सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील व जिला स्तर पर उक्त आबंटन की प्रक्रिया राज्य सरकार के आबंटन आदेशों के पूर्व ही शुरू कर दी गई थी व आबंटियों के लिये भूमि रिजर्व कर उन्हें आबंटन पूर्व ही कब्जा भी सम्भलवा दिया गया था? यदि हां, तो क्यों एवं

(श्री उदय सिंह राठौड़)

इसके लिये कौन-कौन तत्कालीन अधिकारी दोषी हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित भूमि के हाल खसरा नं. 281 रकबा 8 बीघा में आबंटन से पूर्व बसे गांवों की भूमि को आबंटित कर उस पर खसरा गिरदावरियों में काश्त दर्ज कर दी गई? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त दुर्घटना में मृतक सैनिक के कोई भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं था? यदि हां, तो उक्त अवैधानिक आबंटन को आबाद गांव के रकबे सहित कब तक निरस्त कर दिया जावेगा? उक्त आबंटन की जांच के क्रम में तहसीलदार मुण्डावर से सहायक कलक्टर मुण्डावर को व सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुण्डावर से जिला कलक्टर/प्रशासन को प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। अवैध आबंटन की जांच के सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा उप जिला कलक्टर, मुण्डावर से कराई गई जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.2003 की प्रति एवं वर्ष 1966 में प्रचलित आबंटन नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.2003 अनुसार उक्त आबंटन जिला कलक्टर की स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर आबंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.4.1966 को किया गया था तथा उसी दिनांक को आबंटन का दखल देने के आदेश तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पटवारी हल्का को दिये गये थे।

उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.2003 अनुसार प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर को जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर को जारी कर दिये गये हैं।

(4) जी हां। मृतक सैनिक अविवाहित होने के कारण उसका कोई भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं था। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.2003 के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। तहसीलदार मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2003 एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.2003 की प्रति संलग्न है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## ग्राम गण्डाला (अलवर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

11. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी, बहरोड जिला अलवर व जिला कलक्टर को ग्राम गण्डाला के वार्ड नम्बर 8 व 9 में ग्राम पंचायत की स्वीकृति दिनांक 5.10.1995 के विपरीत कतिपय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते में पक्की सड़क को काटकर नाली, खुर्रा व दीवार आदि बनाने की शिकायतें ग्रामवासियों की ओर से प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त प्राप्त शिकायतों व ग्राम पंचायत में दायर प्रार्थना पत्र दिनांक 5.9.1995 व उक्त पर फैसला दिनांक 5.10.1995 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई बार शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् भी उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने से ग्राम का मुख्य आम रास्ता सड़क अवरुद्ध हो जाने से ग्रामीणों को यातायात की भारी परेशानी उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो सरकार उक्त अतिक्रमण को कब तक हटवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में समय पर सूचना मिल जाने के उपरान्त भी इसे नहीं रुकवाने/हटवाने के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर निर्णय किया है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।

(2) प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत की तरफ से कोई पत्र उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर को प्राप्त नहीं हुए है। परन्तु प्रश्न के सन्दर्भ में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि रैम्प निर्माण किया गया है, जिसका कुछ हिस्सा रास्ते की ओर बढ़ा हुआ है। किन्तु ग्रामवासियों को रास्ते में आवागमन में कोई परेशानी नहीं है।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लेने में उपरान्त भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और ना ही प्रशासन से कोई सहयोग लिया गया है।

**(फोटो प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

## उप तहसीलदार, कानोड़ (उदयपुर) द्वारा अनियमितताएं

12. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने राजस्व अधिकारियों को डेली अप-डाउन करने की स्वीकृति प्रदान कर रखी है? यदि हां, तो किस आदेश से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की कानोड़ उप तहसील के उप तहसीलदार द्वारा गत दो वर्षों से डेली अप-डाउन किया जा रहा है? यदि हां, तो किसकी स्वीकृति से? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राजस्व अधिकारियों के डेली अपडाउन को उचित मानती है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्य नहीं करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार उप तहसीलदार, कानोड़ के द्वारा डेली अप-डाउन नहीं किया जाता है। वे अपने कानोड़ मुख्यालय पर ही निवास करते हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार राजस्व अधिकारियों के डेली अप-डाउन को उचित नहीं मानती है। अपने मुख्यालय पर निवास नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का नियमों में प्रावधान है।

## तहसील कोटड़ा (जयपुर) के कर्मियों की बकाया महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान

13. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत तथा जुलाई से 51 प्रतिशत कब किया गया एवं यह कब से देय था?

(2) जिला उदयपुर की तहसील कोटड़ा कार्यालय के किस-किस कर्मचारी का इस अवधि का एरीयर बिल कितना कितना बनाया गया एवं किस-किस का क्यों नहीं बनाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्बन्ध में किस-किस कर्मचारी ने किस किसको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों का एरीयर समय पर क्लेम नहीं होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है?

(5) क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 3.8.2002 से राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत, आदेश दिनांक 4.2.2003 से 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तथा आदेश दिनांक 22.7.2003 से 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 52 प्रतिशत

(राजस्व मंत्री)

किया गया, जो क्रमशः माह जुलाई, 2001, माह जनवरी, 2002 एवं माह जुलाई, 2002 से देय है।

(2) तहसील कोटड़ा कार्यालय के जिला प्रशासन मद 2053 के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एरियर बिल कोष कार्यालय से पारित कराया जा चुका है। भू–अभिलेख मद 2029 के कर्मचारियों का एरियर बिल तैयार कर कोष कार्यालय को पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।

(3) दो कर्मचारियों सर्वश्री प्रवीण कुमार एवं अनिल कुमार, कनिष्ठ लिपिक द्वारा तहसीलदार कोटड़ा को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना–पत्र पर समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित किये जाने हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर को निर्देश दिये गये हैं।

(4) राज्य सरकार के सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 14(3) के प्रावधानुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ाई गई महंगाई भत्ते की जी.पी.एफ. में जमा होने वाली राशि पर महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की दिनांक से नियमानुसार ब्याज देय है। ऐसी स्थिति में किसी कर्मचारी को आर्थिक नुकसान होना प्रकट नहीं होता है। समय पर एरियर बिल नहीं बनाने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करने की निर्देश जिला कलक्टर, उदयपुर को दिये गये है।

(5) इसका उत्तर बिन्दु संख्या 4 में दिया जा चुका है।

## पटवारी सिरसली (जयपुर) के विरुद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाही

14. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पटवारी हल्का सिरसली तहसील आमेर (जयपुर) के विरुद्ध माफियाओं से मिलकर चारागाह से हरे वृक्षों की कटाई व कृषकों से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु नियम विरुद्ध राशि वसूलने के सम्बन्ध में उप सरपंच व आम जनता पोखरसाकाबास व रामगट्टा ने जिला कलक्टर, जयपुर को एक शिकायत प्रस्तुत की थी? क्या उक्त शिकायती पत्र पर जिला कलक्टर ने आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ए.डी.एम. को निर्देश प्रदान किये थे? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रति मय जांच रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पेड़ों की कटाई करने वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने

(श्री हीरालाल सहरिया)

हेतु पटवारी को तहसीलदार आमेर ने निर्देश प्रदान किये थे? क्या माफियाओं से मिलीभगत के कारण पटवारी ने रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं करवाई? यदि हां, तो क्यों? उक्त में दोषी पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त शिकायती पत्र के अलावा उक्त पटवारी के विरुद्ध कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा तहसीलदार आमेर को लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायत की गई और प्रशासन गांव के संग कैम्प में भी शिकायत प्रस्तुत की गई? क्या तहसीलदार आमेर की मिलीभगत से उक्त शिकायती प्रकरण रफा-दफा दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पटवारी का स्थानान्तरण अन्यत्र करके उक्त के विरुद्ध प्राप्त उक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) अब उक्त पटवारी का स्थानान्तरण कब तक करके उक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कब तक करा दी जायेगी विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा शिकायत पत्र की जांच उपखण्ड अधिकारी, आमेर से करवाई गई जिसमें शिकायती पत्र के अधिकांश आरोप आधारहीन पाये गये। शिकायत पत्र की प्रति एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.8.2003 की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। पेड़ काटने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना चौमूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार, आमेर ने अपने पत्रांक आर.ए./03/262 दिनांक 28.3.2003 द्वारा पटवारी हल्का को निर्देश जारी किये जो कि पटवारी हल्का को दिनांक 3.4.2003 को प्राप्त हुए। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा 4.4.2003 को पुलिस थाना चौमूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट 125/03 दिनांक 4.4.2003 दर्ज करवा दी गई थी। पटवारी को दोषी नहीं पाये जाने से उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी हां। उक्त पटवारी के विरुद्ध ग्रामीण जनता पटवार हल्का सिरसली द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ताओं की वल्दियत जाति इत्यादि का उल्लेख नहीं होने से इसकी जांच गिरदावर हल्का द्वारा मजमे आम में ग्राम वासियों के बयान लेकर की गई जिसमें शिकायत को निराधार बताया एवं जांच के दौरान पटवारी से कोई शिकायत नहीं होना बताया। अत: तहसीलदार से मिलीभगत कर शिकायत रफा-दफा करने का आरोप सही नहीं है।

(4) पटवारी के विरुद्ध प्राप्त सभी

(राजस्व मंत्री)

शिकायतों की निष्पक्ष जांच पूर्ण की जा चुकी है एवं पटवारी के दोषी नहीं होने से स्थानान्तरण अन्यत्र करने का कोई औचित्य नहीं है।

(5) पटवारी के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच पूर्ण की जा चुकी है एवं पटवारी के दोषी नहीं होने से स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(जांच रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

## ग्राम कानरपुरा, (जयपुर) की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

**15. श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में हरिजन मौहल्ले के पास स्थित आबादी भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर फसल की बुवाई कर दी है? यदि हां, तो किस-किस ने?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त आबादी भूमि का सीमांकन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या?

(5) अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा?

### उत्तर

(1) जी हां। प्रश्नगत आबादी भूमि में 0.15 हैक्टयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण नानगराम पुत्र भैंरूराम जाति यादव निवासी कानरपुरा ने फसल बाजरा बोकर कब्जा किया था।

(2) उक्त अतिक्रमण दिनांक 20.8.2003 को हटाया जा चुका है।

(3) उक्त आबादी भूमि का दिनांक 20.8.2003 को ही सीमांकन करा दिया गया है।

(4) आबादी भूमि पर किये गये अतिक्रमण स्वरूप बोई गई फसल बाजरा नष्ट कर अवैध अतिक्रमण दिनांक 20.8.2003 को हटा दिया गया है, जो विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है।

(5) अवैध अतिक्रमण दिनांक 20.8.2003 को मौके पर से हटाया जा चुका है।

## कृषि अधिकारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लम्बित प्रकरण

**16. श्री नाथूराम (किशनगढ़): क्या** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के कतिपय सहायक कृषि अधिकारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 ''क'' के अन्तर्गत कार्यवाही के प्रकरण पाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध?

(2) क्या किसी सहायक कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 31.1.2000 को सरपंच/पंच ग्राम पंचायत धिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के चुनाव में गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के कारण उपखण्ड अधिकारी चौमूं (जयपुर) द्वारा उक्त कर्मी के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमूं (जयपुर) के समक्ष कोई इस्तगासा पेश किया गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या उक्त इस्तगासा की तारीख पेशी की सूचना सम्बन्धित दोषी सहायक कृषि अधिकारी को दे दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त इस्तगासे में क्या निर्णय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। श्री रामकिशोर मीणा, सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध।

(2) जी हां। दिनांक 30.01.2003 को।

(3) पेशी दिनांक 10.02.2003 एवं 30.4.2003 एवं आगामी पेशी दिनांक 3.09.2003 की पुलिस द्वारा तलवी की कार्यवाही की गई है।

(4) प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। आगामी पेशी दिनांक 3.09.2003 को है।

## तहसील दीगोद (कोटा) में सोयाबीन की फसल में अज्ञात बीमारी

**17. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील दीगोद (कोटा) में सोयाबीन की फसल में अज्ञात बीमारी फैली हुई है? क्या उक्त कारण फसल पीली हो गई है तथा ईली का प्रकोप भी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सोयाबीन फसल को बचाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या बीमारी से ग्रसित फसल के स्वामी को सरकार कोई सहायता उपलब्ध करा रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। उक्त कारण से सोयाबीन की फसल पीली नहीं हुई है। प्रारम्भ में वर्षा की कमी से कहीं कहीं फसल में पीलापन हो गया था, जो वर्तमान में वर्षा होने से पीलापन स्वत: ही समाप्त हो गया है तथा फसल में ईल्ली का प्रकोप नहीं है।

(2) जी नहीं। क्योंकि बीमारी से किसी काश्तकार की फसल ग्रसित ही नहीं हुई है। अत: सहायता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

## जिला जैसलमेर के नहरी उपनिवेशन क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं का अभाव

18. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के नहरी उपनिवेशन क्षेत्र में पूर्व में जनसंख्या नहीं थी तब अब नई 208 चक आबादियां/राजस्व गांव बसे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबादियों में 50 से 100 किलोमीटर तक कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग जो पूर्व में सभी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाता था वह व्यवस्था अब बन्द कर दी गई है?

(4) क्या सरकार उक्त पचास हजार परिवारों हेतु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। इन चक आबादियों में से 36 राजस्व गांव घोषित किये गये है।

(2) चक आबादियों में बसे नागरिकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनगढ़, नाचना, देवा, नोखा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पांचकोतला, सत्याया, चिन्नू, मदासर, भारेवाला, टाबरीवाला, जालूपाला, नेहडाई, तेजपाला आदि चिकित्सा संस्थाओं के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर जिले में अस्थाई तौर पर 21 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा के आधार पर आर.सी.एच. परियोजना के अन्तर्गत लगाई गई है। इनमें से चक आबदियों एवं नये राजस्व ग्रामों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगाई गई है।

(3) सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा पूर्व में जन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी।

(4) राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन चक आबादियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

## रैफरल अस्पताल तिजारा (अलवर) में जन्मे बच्चे

19. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

रैफरल अस्पताल तिजारा (अलवर) में दिनांक 19 अक्टूबर, 1977 को कितने बच्चे पैदा हुए थे? बच्चों के माता-पिता का नाम पूरे पते सहित सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

रैफरल अस्पताल, तिजारा (जिला अलवर) में दिनांक 19 अक्टूबर, 1977 को दो बच्चे पैदा हुए थे। जिनके माता-पिता के नाम व पता निम्नप्रकार है:–

| क्र. सं. | माता-पिता का नाम एवं पता | उम्र | लिंग |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गिवानी पत्नी श्री जगमाल सिंह यादव घासमण्डी, तिजारा | 24 वर्ष | मेल चाईल्ड |
| 2. | श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता शाहबाद | 26 वर्ष | फिमेल चाइल्ड |

## पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू (जयपुर) में चिकित्सकों के रिक्त पद

20. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में कहां-कहां राजकीय मानव चिकित्सा ईकाइयों में चिकित्सक/महिला चिकित्सक मेल फिमेल नर्स व अन्य स्टाफ के कितने कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या उक्त स्वीकृत पदों में से अधिकांश पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती अवधि चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के कुल 172 पद स्वीकृत है, जिनमें से 19 पद रिक्त है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों का संविदा से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बी.एच.एस. के पद एवं सैक्टर सुपरवाइजर के है। पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रसाविका के 3 पद, वाहन चालक के 2 पद व सफाई कर्मचारी का मात्र 1 पद रिक्त है।

(पदवार विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

## विधान सभा क्षेत्र रायपुर में विधायक विकास कोष से सड़कों का निर्माण

**21. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर में वर्ष 1999–2000 से जुलाई, 2003 तक स्थानीय विधायक विकास कोष से किस किस सड़क निर्माण की कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति राशि में से कितनी-कितनी राशि उक्त निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी तथा कितनी-कितनी राशि अधिशेष है?

(3) उक्त मद की शेष बची राशि के प्रत्येक सड़क कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर में वर्ष 1999-2000 से जुलाई, 2003 तक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में कुल 16 सड़क कार्य हेतु रुपये 81.68 लाख की राशि स्वीकृति की गई सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) उक्त स्वीकृत कार्य में से 45.65 लाख रुपये निर्माण कार्यों पर व्यय की गई है। सड़कवार व्यय राशि एवं अधिशेष राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। संलग्न है।

(3) सूची "ब" संलग्न है। सूची में वर्णित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

## राजकीय कन्या महाविद्यालय टौंक के प्रशासनिक भवन निर्माण में रोकी गई राशि का भुगतान

**22. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता टौंक के पत्र क्रमांक 6158 दिनांक 17.9.1998 द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय टौंक का प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु संवेदक को आदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री नाथूराम अहारी)

(2) क्या यह भी सही है कि कार्य प्रारम्भ करने पर संवेदक के बिल में से एस.डी. एवं पी.जी. के पेटे राशि रोकी गई है? यदि हां, तो उक्त राशि को कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कब तक रोकने का अधिकार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, टौंक के प्रशासनिक भवन निर्माण को पूर्ण करने वाले संवेदक की राशि भी बिल में से एस.डी. एवं पी.जी. के पेटे रोकी गई है और उसे अभी तक नहीं लौटाई? यदि हां, तो अब उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

## उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। कार्य प्रारम्भ करने पर संवेदक के प्रथम बिल में से पूरी पी.जी. राशि 5% की दर से एवं बिल की राशि के 5% की दर से एस.डी. राशि काटी गई है।

अनुबन्ध की धारा 37 के अनुसार पी.जी. व एस.डी. राशि कार्य के पूर्ण होने के 6 माह पश्चात् एवं एक वर्षा ऋतु निकलने के पश्चात् जो भी अवधि बाद में हो, लौटाई जा सकती है, बशर्ते कार्य के अन्तिम बिल का भुगतान कर दिया गया हो।

(3) जी हां। संवेदक की एस.डी. व पी.जी. राशि का भुगतान कार्य के अन्तिम बिल के भुगतान के पश्चात् किया जावेगा।

**(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)**

## जिला पाली की ग्राम पंचायत दूदौड़ में पाली का फला पुलिया का निर्माण

23. **श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की ग्राम पंचायत दूदौड़ में पाली का फला पुलिया निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की जनता को पुलिया अभाव में भारी परेशानियों को देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिला कलक्टर पाली तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पत्रांक 3/753 दिनांक 21.5.2003 को मुख्य अभियन्ता व जन अभाव मंत्रीजी के पत्रांक 103/3.7.2003 मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण के लिये लिखित रूप से निर्देशित किया है? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति उक्त पर की गई कार्यवाही के विवरण सहित विवरण की मेज पर रखें।

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

(3) क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कार्यालय पत्रांक 3/753 दिनांक 21.5.2003 की पालना में पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य का तकमीना बनाया गया। जिसकी अनुमानित राशि रुपये 20.38 लाख है। (प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ")

(3) जी नहीं। राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को वर्तमान में कराया जाना सम्भव नहीं है।

**(अनुमानित राशि विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

## विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के सड़कों का पुनः डामरीकरण

24. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में किस-किस सड़क पर वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक पुनः डामरीकरण/मरम्मत/पेचवर्क का कार्य कौन-कौनसी कार्यकारी एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कब करा कर भुगतान किया गया?

(2) क्या उक्त सड़कों की गुणवत्ता की जांच की गई? यदि हां, तो कब-कब किस अधिकारी ने जांच की?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

(4) क्या सरकार उक्त सड़कों पर पुनः डामरीकरण, मरम्मत, पेचवर्क कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में वर्ष 1999 से जुलाई 2003 तक पुनः डामरीकरण/मरम्मत/पेचवर्क का कार्य जिन सड़कों पर एवं जिन एजेन्सियों से कराकर भुगतान किया गया उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कें अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। जिसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

(4) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़क मरम्मत एवं पेच रिपेयर का कार्य माह अक्टूबर, 2003 तक करवाने का विचार रखती है।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)**

## विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रस्तावित सड़कें

**25. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कहां से कहां तक सड़कें बनाई गई है?

(2) क्या यह सही है कि 500 या 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बाली के 500 या अधिक आबादी वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विधान सभा बाली (पाली) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक कोई भी सड़क नहीं बनाई गई है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2001 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 500 से अधिक आबादी के गांव जो वर्तमान में किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुये नहीं है, को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना है। विधान सभा क्षेत्र बाली के 500 से 999 की आबादी का एक गांव कोरवा (आबादी 579) को जनसंख्या की प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

## जिला बीकानेर में राज्यादेश से अध्यापकों का स्थानान्तरण

**26. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बीकानेर की पंचायत समिति लूणकरणसर, नोखा, बीकानेर व कोलायत के किस–किस गांव की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के किस–किस अध्यापक का स्थानान्तरण राज्यादेश से बीकानेर शहर में किया गया है? पंचायत समिति के गांववार स्थानान्तरित किये गये अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्र से राज्यादेश के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के जो स्थान रिक्त हुए क्या उनकी पूर्ति बीकानेर शहर से गांवों में अध्यापकों को स्थानान्तरित करके की गई है? यदि नहीं, तो अब ग्रामीण क्षेत्र में हुए रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्र से अध्यापकों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को राज्यादेश द्वारा स्थानान्तरित करके सरकार ने पंचायत समिति की स्वायत्तता में दखलंदाजी नहीं की है? यदि हां, तो दखलंदाजी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला बीकानेर की पंचायत समिति लूणकरणसर, नोखा, बीकानेर एवं कोलायत की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीकानेर शहर में किए गए स्थानान्तरण का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र से बीकानेर शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण से 70 अध्यापक पदों की पूर्ति एवं शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में 55 अध्यापकों के स्थानान्तरण कर की गई है। सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है। समानीकरण कार्य योजना के अन्तर्गत बीकानेर शहर से 548 अध्यापक गांवों में स्थानान्तरित किए गये।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

## सरदारशहर (चूरू) के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

**27. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील सरदारशहर (चूरू) के किस-किस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों के रिक्त रहने से शैक्षिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है?

(3) अब उक्त रिक्त पदों को सरकार द्वारा कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) माध्यमिक शिक्षा के अधीन तहसील सरदारशहर (चूरू) में संचालित माध्यमि व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) रिक्त पदों के शिक्षकों का कार्य विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।

(3) प्रधानाध्यापक (मा.वि.) के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। व्याख्याताओं के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये चयनित आशार्थियों को माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में 50 प्रतिशत की सीमा तक

(शिक्षा मंत्री)

पदस्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के विभागीय पदोन्नति समिति कोटे के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद भरने हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की जा चुकी है। जब तक रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक गैस्ट-फैकल्टी योजना और शिक्षण व्यवस्था योजना भी लागू की जा चुकी है।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)**

## प्रश्न संख्या–28
**(स्थगित)**

## राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवरी ढाणी (बाड़मेर) में अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही

**29. श्री भंवर सिंह** (नवलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक (प्रा. शिक्षा) जोधपुर ने वर्ष 2000 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवरी ढाणी, पंचायत समिति बालोतरा (बाड़मेर) के अध्यापक के विरुद्ध जांच करवाई थी? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या रहे?

(2) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवरों की ढाणी पंचायत समिति बालोतरा (बाड़मेर) के अध्यापक श्री मांगीलाल पालीवाल के विरुद्ध की गई जांच में श्री पालीवाल को दोषी माना गया।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री पालीवाल को दोषी मानते हुए राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया है।

## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

**30. श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता हेतु कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है? अब इन्हें कब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिये जायेंगे?

## उत्तर

(1) शिक्षा सत्र 2003-04 तक माध्यमिक स्तर के 09 तथा उच्च माध्यमिक स्तर के 10 विद्यालयों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र विभाग को प्रेषित किये हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "क" सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) 19 विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के कारण फिलहाल सी.बी.एस.ई. की सम्बद्धता के लिये राज्य स्तरीय समिति की बैठक द्वारा लम्बित रखा गया है। जिस पर नीतिगत निर्णय लिये जाने के लिये उच्च स्तरीय बैठक शीघ्र बुलाई जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

## शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर नियुक्ति

31. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 564/2001 के फैसले में शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय में नियुक्ति दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो क्या तत्संदर्भित फैसले की अनुपालना में नियुक्तियां दे दी गई और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त निर्णय की अनुपालना में वर्तमान में रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्तियां देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बनाम इन्दिरा वगैरह 2001 (1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 124 के मामले में नागपुर विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण डिग्री को वैध मानते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश पारित हुए थे?

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त आदेश की अनुपालना में 95 प्रतिशत मेरिट वालों को नियुक्तियां दे दी तथा 97 प्रतिशत के मैरिट के अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार को कोई आवेदन/ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

## उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त निर्णय की अनुपालना कर दी गई है।

(3) वस्तुतः 2000(1) डब्ल्यू. एल. सी. (राजस्थान) 124 में वर्णित वाद

(शिक्षा मंत्री)

डी.बी.एस.ए. डब्ल्यू. क्रमांक 801/99 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम हरिराम तथा 16 अन्य का है, की पालना में सत्र 1997-98 एवं भावी वर्षों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए बैचलर आफ फिजीकल एज्यूकेशन (बी.पी.ई.) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम योग्यता को स्नातक माना जाना है का निर्णय लिया है। वरियतांक के आधार पर नियुक्तियां भी दी है।

(4) न्यायालय द्वारा निर्णित निर्णय की अनुपालना में वरियतांक के आधार पर पूर्व में नियुक्ति वरियतांक से अधिक वरियतांक वाले याचकगणों को उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के निर्णय अध्याधीन नियुक्तियां दी गई है।

## प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय पातुसरी (झुंझुनूं) का स्थानान्तरण प्रकरण

**32. श्री अमराराम (धोद):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा/मा.संस्था/बी-1/45001/98 दिनांक 18.9.1998 प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के लिये जारी किये गये थे?

(2) उक्त आदेश सम्बन्धित विद्यालयों में किस तिथि को प्राप्त हुए और सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ने किस तिथि को रिलिव होकर स्थानान्तरित संस्था में किस तिथि को कार्यभार ग्रहण किया?

(3) उक्त आदेशों की प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय निम्बडी कला, जिला नागौर द्वारा क्रियान्वित आज तक नहीं किये जाने के क्या कारण है?

(4) क्या यह सही है कि श्री अमरसिंह तत्कालीन प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय पातुसरी (झुंझुनूं) को जिला निर्वाचन अधिकारी झुंझुनूं के द्वारा जारी प्रतिबन्ध के विपरीत उक्त आदेश दिया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि निर्वाचन विभाग का प्रतिबन्ध (विधान सभा चुनाव 1998) समाप्त होने पर श्री अमरसिंह प्रधानाध्यापक को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु चार्ज हस्तान्तरण करवा कर कार्य मुक्त प्रतिवेदन दिलाया गया? यदि हां, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त आदेश सितम्बर, 1998 के अन्तिम सप्ताह में सम्बन्धित संस्थाओं को प्राप्त हुये। सम्बन्धित संस्था प्रधान के कार्यमुक्त होने तथा नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने का विवरण इस प्रकार से है:-

(शिक्षा मंत्री)

| क्र. सं. | नाम प्रधानाध्यापक | कार्यमुक्त होने की तिथि | नवपद स्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री महावीरसिंह | कार्यमुक्त नहीं हुये। | |
| 2. | श्री प्रहलादराम | 5.10.98 | 6.10.98 |
| 3. | श्री अमरसिंह | 26.10.98 | कार्यग्रहण नहीं किया |
| 4. | श्री सुरेन्द्र शर्मा | 5.10.98 | 6.10.98 |
| 5. | श्री परमानंद शर्मा | 5.10.98 | 5.10.98 |
| 6. | श्री कन्हैया लाल शर्मा | 6.10.98 | 7.10.98 |
| 7. | श्री ओमप्रकाश | 5.10.98 | 6.10.98 |
| 8. | श्री मुकुटसिंह यादव | 8.10.98 | 9.10.98 |
| 9. | श्री अनिलकुमार | 5.10.98 | 6.10.98 |
| 10. | श्री गिरधारीलाल | 5.10.98 | 6.10.98 |
| 11. | श्री धनराज यादव | 6.10.98 | 7.10.98 |

(3) प्रधानाध्यापक, रा.मा.वि. निम्बडीकलां (नागौर) के द्वारा माननीय अपील अधिकरण से स्थगन प्राप्त करने के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त नहीं हुये।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु कार्यमुक्त किया गया।

## विधान सभा क्षेत्र धोद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

33. **श्री अमराराम (धोद):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों एवं व्याख्याताओं के विद्यालयवार कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त पद कितने समय से रिक्त हैं तथा गत वर्ष अतिथि अध्यापक में कितने अध्यापकों की नियुक्ति किस तारीख से कब तक की गयी थी?

(3) उक्त रिक्त पदों को भरने की अब सरकार की क्या योजना है?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों/व्याख्याताओं तथा अध्यापकों के विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) रिक्त पदों की अवधि के विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है। गत वर्ष नियुक्त अतिथि अध्यापकों के विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) प्रधानाध्यापक (मा.वि.) के सीधी-भर्ती कोटे के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी

(शिक्षा मंत्री)

उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। व्याख्याताओं के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये चयनित आशार्थियों को मा. न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में 5% की सीमा तक पदस्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के विभागीय पदोन्नति समिति कोटे के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद भरने हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की जा चुकी है। जब तक रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक गैस्ट-फैकल्टी योजना और शिक्षण व्यवस्था योजना भी लागू की जा चुकी है।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)**

## निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**34. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निजी/गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की मान्यता के क्रमोन्नयन के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/नीति निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर/भरतपुर/दौसा में शैक्षणिक सत्र 2003-04 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन/मान्यता में वृद्धि हेतु किन-किन विद्यालयों का अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया एवं क्या रिपोर्ट दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सत्र में उक्त जिलों में किस-किस विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर से माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत/मान्यता प्रदान की गई? क्रमोन्नत आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) निजी/गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की मान्यता/क्रमोन्नति की प्रक्रिया/नीति गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अनुसार अपनाई जाती है।

मान्यता के क्रमोन्नयन की प्रक्रिया एवं नीति निर्देशों की प्रति प्रस्तुत करना श्रम, समय एवं व्यय साध्य होने से प्रश्न का यह भाग राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 37 के तहत ग्राह्य नहीं किये जाने योग्य है।

(2) जिला अलवर/भरतपुर/दौसा के शैक्षणिक सत्र 2003-04 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में

(शिक्षा मंत्री)

मान्यता/क्रमोन्नति हेतु क्रमशः 73, 50 एवं 14 विद्यालयों का तीन-तीन अधिकारियों को अलग-अलग समितियां बनाकर निरीक्षक करवाया गया। चूंकि निरीक्षण रिपोर्ट अलग से तैयार नहीं की जाकर आवेदन पत्रों में ही अंकित की गई है। क्रमोन्यन/मान्यता में वृद्धि हेतु निरीक्षण रिपोर्ट अलग से नहीं की जाकर संस्था के आवेदन पत्रों में ही अंकित की जाती है। कुल 137 विद्यालयों का निरीक्षण कब-कब किया गया तथा उनकी निरीक्षण रिपोर्ट की फोटो प्रतियां करना, समय एवं व्यय साध्य है। अतः राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 37 के तहत प्रश्न का यह भाग ग्राह्य योग्य नहीं है।

(3) उक्त सत्र में अलवर/भरतपुर/दौसा जिलों में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमशः 49, 40 एवं 09 विद्यालयों को मान्यता/क्रमोन्नति प्रदान की गई है। परिशिष्ट (क) में रख दी गई है।

**(आदेश की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

## पोलिटैक्निक कालेज चूरू हेतु स्वीकृत राशि का व्यय

**35. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):** क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने वार्षिक बजट में चूरू में पोलिटेक्निक कालेज के निर्माण व उपकरण हेतु कोई राशि का प्रावधान करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो घोषणा कब की गई? क्या घोषणा अनुसार राशि व्यय की गई? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त कालेज के निर्माणाधीन भवन में सरकार कब से कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? अब कब तक चूरू के उक्त कालेज में छात्रों को प्रवेश मिल जायेगा?

(3) उक्त कालेज में गत तीन सत्रों में चूरू जिले के कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। पोलिटैक्निक कालेज चूरू के भवन निर्माण व उपकरण हेतु अब तक निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

| वर्ष | विवरण | बजट | हस्तांतरित |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | भवन निर्माण | 60.00 लाख | 60.00 लाख |
| 2002-2003 | भवन निर्माण | 45.00 लाख | 45.00 लाख |
| 2003-2004 | भवन निर्माण उपकरण, फर्नीचर व पुस्तकें | 174.00 लाख | वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। |

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (पूर्व में राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम) को राशि उपलब्ध कराई जाती है एवं वास्तविक खर्चा राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2003-2004 में 174.00 लाख रुपये के बजट प्रावधान को व्यय किये जाने हेतु विभाग ने आयोजना विभाग/वित्त विभाग की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रेषित कर दिये है।

(2) चुरू पोलिटैक्निक कालेज के भवन निर्माण कार्य पूर्व से ही राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा करवाया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर ही अध्ययन कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में चूरू पोलिटैक्निक के छात्र बीकानेर पोलिटैक्निक में अध्ययनरत है।

भवन निर्माण पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(3) वर्तमान में पोलिटैक्निक महाविद्यालय में गत तीन सत्रों में प्रवेशित विद्यार्थियों की स्थिति निम्नानुसार है:

| सत्र | कुल प्रवेश क्षमता | कुल प्रवेशित छात्र | चूरू जिले के निवासी छात्र |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 40 | 38 | 04 |
| 2001-02 | 40 | 40 | 04 |
| 2002-03 | 40 | 40 | 04 |

## राज्य कर्मियों की बीमा पालिसियों पर स्वीकृत ऋण पर ब्याज

36. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा पालिसी पर ऋण एवं जी.पी.एफ. खाते पर अस्थाई एवं स्थायी आहरण स्वीकृत करने के कोई नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो उक्त ऋण की गणना (मय ब्याज एवं बोनस) करने की क्या प्रक्रिया है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋण पर वर्तमान में क्या ब्याज दर है? उक्त ऋण पर ब्याज गणना करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रैल, 2003 से जुलाई, 2003 तक उप निदेशक, जयपुर शहर (जी.पी.एफ.) द्वारा कितने स्थाई आहरण स्वीकृत किये गये? उक्त स्थाई आहरण कौन से माह तक का मूल एवं ब्याज जोड़कर स्वीकृत किये गये थे? उक्त स्वीकृत किये गये आहरण का विवरण मय नाम, विभाग, मूल एवं ब्याज जोड़ने का माह, जमा राशि, स्वीकृत आहरण की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्थाई आहरण स्वीकृत करते समय मूल एवं ब्याज की राशि जोड़ने में समानीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो अलग-अलग तिथियों की जमा पर स्थाई आहरण क्यों स्वीकृत किये गये?

(5) क्या सरकार जी.पी.एफ. अस्थाई आहरण स्वीकृत करने की तरह जी.पी.एफ. स्थाई आहरण एवं राज्य बीमा पालिसी पर ऋण स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित विभागों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा पालिसी पर ऋण एवं जी.पी.एफ. खाते पर अस्थाई एवं स्थाई आहरण स्वीकृत करने के नियम बने हुए है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 44 एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 15 से 19 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है। बीमा ऋण एवं बोनस की गणना की प्रक्रिया बीमा कार्य विधि पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. अस्थाई/स्थाई आहरण की गणना की प्रक्रिया पी.एफ. कार्य विधि पुस्तिका में वर्णित है। बीमा कार्य विधि पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 52 से 58 एवं जी.पी.एफ. कार्य विधि पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 42 से 47 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 3 व 4 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य बीमा ऋण पर अप्रैल, 2002 से 9.5 साधारण ब्याज दर लागू है। जी.पी.एफ. अस्थाई एवं स्थाई आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। ऋण पर ब्याज गणना की प्रक्रिया बीमा कार्य विधि पुस्तिका के पृष्ठ 120 पर वर्णित है जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) जी.पी.एफ. योजना के अन्तर्गत उप निदेशक जयपुर शहर द्वारा माह अप्रेल, 2003 से जुलाई 2003 तक कुल 1833 स्थाई आहरण स्वीकृत किये गये। उक्त स्थाई आहरण में कर्मचारी का नाम, खाता संख्या, विभाग, मूल राशि का माह, ब्याज देने का माह इत्यादि का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जी.पी.एफ. योजना के अन्तर्गत स्थाई आहरण स्वीकृत करते समय मूल एवं ब्याज राशि को जोड़ने में समानीकरण का ध्यान रखा गया है। प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर समस्त प्रकरणों पर समान रूप लागू की जाती है। जहां तक ब्याज गणना की तिथि का प्रश्न है, इसमें यथासम्भव एकरूपता अपनाने का प्रयास रहता है, फिर

(राज्य मंत्री, राज्य बीमा)

भी ब्याज गणना का तथ्य कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पासबुक एवं अन्य जिलों से स्थानान्तरित होकर आने वाले खाते इत्यादि पर निर्भर करता है।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

**(नियमों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)**

## उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को ब्याज दर में छूट

**37. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर):** क्या उप निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप निवेशन विभाग में काश्तकारों से किश्तों की बकाया राशि की वसूली समय पर भुगतान न करने पर 18% ब्याज तथा 6% पैनल्टी वसूल की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य एजेंसियों ने ब्याज की दर कम कर दी है?

(3) क्या सरकार उप निवेशन विभाग में ब्याज दर कम करने तथा पैनल्टी समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। इ.गा.न.प. क्षेत्र में सामान्य व विशेष आबंटन में आबंटियों द्वारा भूमि की किस्तें समय पर जमा नहीं कराने पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है लेकिन सामान्य आबंटन में जिन आबंटियों के आबंटन निरस्त कर दिये जाते है उनसे उक्त 18% के अतिरिक्त 6% ब्याज की राशि ली जाकर उनके आबंटन बहाल किये जाते हैं।

(2) जी हां।

(3) प्रकरण विचाराधीन है।

## अनुपस्थिति के लिये अनुमति

### श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत को 21 अगस्त, 2003 से सत्र के अन्त तक

**श्री अध्यक्ष :** मुझे माननीय सदस्यों की सूचित करना है कि श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, सदस्य; विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 21 अगस्त, 2003 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुमति प्रदान की गयी।

### श्री हीरालाल इन्दौरा को 21 अगस्त, 2003 से सत्र के अन्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अवस्थता के

(श्री अध्यक्ष)

कारण दिनांक 21 अगस्त, 2003 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी, पैरा टीचर्स एवं स्वास्थ्यकर्मियों को स्थायी करने की घोषणा के उपरान्त भी स्थायी नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से किसानों से वर्ष 2002 की खरीफ में दिये गये ऋणों का ब्याज जबरन वसूल कर लिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से बेरोजगार युवकों को गत 5 वर्षों में नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप आसन नहीं छोड़ें। आप व्यवस्था देकर जाएं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आप एक मिनट सुन लें।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देशित करें।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, हमें व्यवस्था चाहिए।

(12.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अब उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे कि मैं व्यवस्था नहीं दे सकता।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य की ओर से जिला जयपुर की तहसील जमुवारामगढ़ के ग्राम विशनपुरा के श्रीरघुनाथजी मन्दिर की जीर्ण-शीर्ण दशा के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा में शामिल कर विद्यार्थियों से वसूली जा रही फीस के सम्बन्ध में।

(3) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से किसानों की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** उपाध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दिया है, खरीफ की फसलों का जो ब्याज जबरदस्ती वसूल किया गया है वर्ष 2002 को, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार को जवाब के लिए भेजा गया है। वह जवाब परसों की 25 तारीख को आप दिलवाने का आदेश फरमाएं तभी उस उत्तर का कोई महत्व हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष :** (4) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं में घोषित 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में। इनका अंकित नहीं हो।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** XXX

**श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक):** आसन पैरों पर।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** (5) श्री अमराराम (धोद) सदस्य की ओर से किसानों के नर्सरी कनेक्शन सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से चम्बल सिंचाई योजना को बचाकर कोटा, बून्दी व बारां के किसानों को सुचारू सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से जिला अलवर के मुण्डावर में गौशाला निर्माण हेतु जमीन आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(8) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से राजस्थान में आरक्षण नीति में की कथित विसंगति के कारण जरूरतमंद वर्गों के हितों पर कुठाराघात होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर की सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(11) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में विधायक कोष से रपट निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ललित भाटी, सदस्य की ओर से अजमेर नगर परिषद के स्वामित्व की भूमि एवं भवनों की लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी नवीनीकरण अथवा समाप्ति की कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री रामचन्द्रजी सराधना।

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था महोदय ने दी है, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी और शिक्षा सहयोगी राजस्थान में वैसे ही विद्यालयों में 48 हजार पद खाली हैं। आज शिक्षाकर्मी 11 हजार, 21 हजार...

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये। इस पर चर्चा होगी। आप बिराजो। इस पर पर्चियां आयी हुई है, चर्चा होगी आप बिराजो।

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पर्ची का नहीं है, राजस्थान में तमाम जगह जिस तरह से असंतोष है...

**श्री उपाध्यक्ष** : इस पर पर्ची आयी है, अभी माननीय सदस्य बोलेंगे।

**श्री अमराराम (धोद)** : पर्ची से नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार इस बात को स्पष्ट नहीं करेगी, हजारों लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजो, इसका जवाब मिलेगा। श्री रामचन्द्र सराधना।

**श्री अमराराम (धोद)** : सवाल पर्ची और व्यवस्था में इसको नहीं लें, जब तक सरकार इस पर व्यवस्था नहीं देगी, जब तक अपनी घोषणा मुख्य मंत्रीजी द्वारा इसी सदन में की गयी थी कि पैराटीचर, जो भी शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी और स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : ओन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रताप सिंह सिंघवी। आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं।

**श्री अमराराम (धोद)** : मैं तो मेरी बात खतम कर दूं, बाद में आप।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोल क्या रहे हो?

**श्री अमराराम (धोद)** : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं, मैं आपका ध्यान नहीं चाहता, आप बिराजो।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजो प्लीज। आप इजाजत लेकर बोले, ऐसे नहीं। नहीं, आई विल नोट अलाउ। अंकित नहीं होगा।

**श्री अमराराम (धोद) :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिये न। आप बिराजिये प्लीज। आप बिराजो। अंकित नहीं होगा।

**श्री अमराराम (धोद) :** XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर :** XXX

**श्री शिवनाथ सिंह कुशवाह :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजो। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बोल रहे हो अंकित ही नहीं हो रहा, आप बोले जा रहे हो।

**श्री अमराराम (धोद) :** XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर :** XXX

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री अमराराम (धोद) :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजो। आप से कह रहा हूं आप बिराजो, आप सुन ही नहीं रहे हो बात को, आप बोले जा रहे हो। (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं, आपकी बात समझ में आ गयी फिर क्या बोले जा रहे हो आप। बिराजिये आप प्लीज।

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजें न।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर :** XXX

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह :** XXX

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या? मैं बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजें, आप बैठिये।

माननीय सदस्य, आप जिस विषय को उठा रहे हैं, एक मिनट आप बिराजो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** फिर वही बात। आप बिराजो। आप जो पैराटीचर्स का प्रश्न उठा रहे हो, इस पर पर्चियां आयी हुई हैं।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

अभी इस पर चर्चा होगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट से स्टेटमेंट दिलाना होगा तो दिलवायेंगे। उस समय कोई बात होगी। आप बीच में बोले जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इश्यु आया हुआ है। जिन माननीय सदस्यों ने इस पर पर्चियां दी हैं वे बोलेंगे अभी। उसके बाद फैसला करेंगे।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, आज 22 पर्चियां इस विषय पर दी हुई हैं। (व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वेदना तो सुनिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : विषय की गम्भीरता को समझने का प्रयत्न कीजिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर इससे बड़ी कोई ज्वलंत समस्या नहीं हो सकती।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी बताया जाए... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बात को ही नहीं समझ रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे। पर्चियां आयी हुई हैं।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : अभी तक बाड़ी में नहीं पहुंचे। सभी जगह पहुंच गये। (व्यवधान)

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह** : धौलपुर और बाड़ी में विधायक कोटे का पैसा आज तक नहीं पहुंचा है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि विधायक कोटे का जो पैसा होता है वह उसकी विधान सभा में नहीं पहुंचा है। इसके बारे में कह रहे हैं। बाकी लोगों को पहुंच गया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी इसका क्या सम्बन्ध है? आप देओ नोटिस, कुछ और देओ तो बात कर लेंगे। इसमें क्या है?

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह** : हम किससे बात करें? (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : विधायक कोटे का पैसा मिल ही नहीं रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : आप पैसे कम कर देंगे? आपका राज है क्या जो कम कर देंगे?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है?

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तुम्हारा कम कर दिया। बाप का राज है क्या जो कम कर देंगे?

**श्री उपाध्यक्ष** : इनका पाइंट आफ आर्डर है। आप बैठिए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों के पास स्थगन प्रस्ताव पेश करने से बड़ा और कोई साधन नहीं है। राजस्थान के लाखों किसानों के बारे में जो घोषणा भारत सरकार ने ब्याज माफी की की...

**श्री उपाध्यक्ष** : पाइंट आफ आर्डर क्या है?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कह कर गये कि सरकार को उत्तर के लिए भेज दिया...

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : पाइंट आफ आर्डर यह है कि सरकार से 25 तारीख को जवाब दिलवाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह क्या पाइंट आफ आर्डर है?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप सरकार को जवाब देने के लिए 25 तारीख के लिए बाध्य नहीं करते है तो मुद्दे का क्या होगा?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अध्यक्ष की रूलिंग को चेलेंज कर सकते हो क्या पाइंट आर्डर से? (व्यवधान) अंकित नहीं हो। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं। श्री प्रताप सिंह सिंघवी, बोलिए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिए। आप हाउस को नियम से चलाओगे या यूं ही चलाओगे?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिए माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप बिराजिए एक मिनट। आपका स्थगन प्रस्ताव आया है... (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं जवाब दे रहा हूं न। आपका स्थगन प्रस्ताव आया है। अध्यक्ष महोदय ने अभी इसको पढ़कर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। आ जाने दीजिए। आपको बुलवा देंगे। (व्यवधान)

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

(सदन के कूप में आकर माननीय मानिक चन्द सुराना द्वारा भाषणबाजी)

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब आ जाएगा तो...(व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

(माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द सुराना द्वारा पुनः सीट पर जाकर बोलना)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब नहीं देंगे तो यह तो हाइपोथेटिकल बात हो गयी न कि नहीं देंगे। जब देंगे तब सोचेंगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, हम आपको कह ही नहीं रहे हैं, बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफारमेशन। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो आप नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप समझ ही नहीं रहे हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हमारी केवल प्रार्थना यही है कि...

**श्री उपाध्यक्ष** : समझना नहीं चाहते हो तो कोई इलाज नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : एक सैकण्ड। नहीं, बोलना नहीं, हम चाहते हैं कि कोई हल हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलना ही बोलना है तो बोले जाओ। अगर हल निकालना है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज इन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया। परसों तक यदि सरकार का जवाब आ जाता है तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। नहीं आएगा तो उस वक्त विचार कर लेंगे। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बात कर लेंगे, परसों आ जाएगा तो देखेंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी भावना से सहमत हैं। आज हमने प्रस्ताव रखा है। आपने जवाब मांगा है। हमें कोई एतराज नहीं लेकिन अगर खुदा-न-खास्ता...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है और आज ही अगर जवाब चाहते हैं तो मेरी समझ में बात नहीं आयी।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आप मेरी पूरी बात सुन लें। आज आपने जानकारी के लिए विभाग को भेजा। बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी कारणवश सरकार जवाब न दे तो कम से कम इस विषय को सदन में लाने की इजाजत आप दे दें ताकि कम से कम यह विषय तो आ जाए। बस इतनी बात है और कुछ नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह परसों तय करेंगे न। आज हाइपोथेटिकल बात क्यों कर रहे हो आप? जवाब सरकार दे देगी और आ जाएगा तो...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली कह दें तो अच्छा होगा न।

**श्री उपाध्यक्ष** : आ जाएगा।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : परन्तु इतना महत्वपूर्ण विषय आना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजो। श्री प्रताप सिंहजी, बोलिए।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके अलावा हम किससे पूछें? हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं?

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह** : पाइंट आफ इनफारमेशन। हमारे विधायक कोटे के पैसे नहीं पहुंचे।

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजो। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? सभी को पैसे मिल गये।

**(माननीय सदस्य सर्वश्री जसवन्त सिंह गुर्जर, शिवराम सिंह कुशवाह एवं नन्दलाल बंशीवाल द्वारा सदन के कूप में आकर भाषणबाजी)**

**श्री उपाध्यक्ष** : आप चाहते क्या हो? लिखकर दो। यह क्या कर रहे हो आप?

**डा. महेश जोशी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं, उनकी बात रिकार्ड नहीं होनी चाहिए। आप अपने स्थान से बोलिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो खड़े होकर कुछ भी कह लो। आप जाइये। आप नोटिस दीजिए। आप यूं ही बोल रहे हैं। आप लिख कर दो।

**डा. महेश जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं, उन्हें आप अनुशासन सिखाने की कृपा करें। माननीय राठौड़ साहब, सचेतक महोदय, प्रतिपक्ष, अपने माननीय सदस्यों को नियंत्रित करिएगा। बहुत हो गया बस।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाड़ी और धौलपुर के विधायक कोटे का पैसा रिलीज कर

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दिया गया है। यहां पर जो आरोप लगा रहे हैं वह असत्य आरोप हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रताप सिंहजी।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह असत्य है। सितम्बर को जो क्वाटर एण्ड होता है, छह महीने का पैसा रिलीज कर दिया गया है। धौलपुर के विधायक ने...(व्यवधान) सितम्बर तक की सारी सैंक्शन निकाल दिये हैं। यह गलत है। (व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रताप सिंह सिंघवी। प्लीज।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज बैठो।

**श्री केसाराम चौधरी** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह** : XXX

**श्री केसाराम चौधरी** : XXX

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप समझ लीजिए इस बात को, आप जीरो अवर चलने देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये। नहीं अलाउ करूंगा। आप बैठिये, कोई जवाब नहीं। आप बैठिये।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री शिवराम सिंह कुशवाह** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रताप सिंहजी प्लीज।

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिए प्लीज।

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रताप सिंहजी, आप शुरू करिये ना।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं एक बजे जीरो अवर खतम कर दूंगा। नहीं बोलना चाहते हो तो।

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलिए ना आप, शुरू करो।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : बोल तो रहा हूं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : इसको पढ़ा हुआ मानकर मैं समाप्त कर देता हूं। (व्यवधान) तो बोलिए ना आप।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : मैं बोल तो रहा हूं (व्यवधान) सबसे पहले तो एक गम्भीर घटना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, मेरे क्षेत्र की एक बस का एक्सीडेंट मेहन्दीपुर बालाजी और दौसा के बीच में हो गया है। उसमें दो-तीन कैजुअल्टी भी हो गयी है। उनकी सार सम्भाल नहीं हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय प्रताप सिंहजी, आप क्या पढ़ रहे हो? 295 पढ़िये।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : सूचना दे रहा हूं, सूचना दे रहा हूं। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है एक घंटे पहले। मेरे पास टेलीफोन से इत्तला आयी है मैं गृह मंत्रीजी को सूचना दे रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप जो लिखा है वह पढ़ो।

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर फीस वसूली

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सदन का ध्यान कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में शामिल कर विद्यार्थियों से वसूली जा रही फीस (600/-) रुपये पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

राजस्थान के गरीब विद्यार्थियों के परिजनों की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वे पढ़ाई पर इतना अधिक खर्च सहन नहीं कर सकते। जिससे राज्य भर के हजारों विद्यार्थी आगे पढ़ाई से वंचित रह गये हैं। राज्य सरकार एक तरफ तो शिक्षा को बढ़ावा देने का खोखला दिखावा कर रही है, दूसरी ओर अत्यधिक फीस बढ़ाकर गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से दूर कर रही है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

सरकार द्वारा 50 बच्चों पर एक कम्प्यूटर रखने के निर्देश दिये गये हैं तथा प्रति छात्र 600 रुपये शुल्क वसूली की गयी है। इस प्रकार प्रति बैच 50×600=30,000/–रुपये वसूले गये हैं तथा ये टेण्डर ठेकेदारों को पांच वर्ष के लिए दिये गये हैं। इस तरह से सरकार एक वर्ष में ही कम्प्यूटर की फीस वसूल कर इस कम्प्यूटर से चार वर्षों तक 4×50×600=1,20,000/– रुपये अतिरिक्त वसूलने के निर्देश दे चुकी है।

इस प्रकार सरकार पांच वर्षों में 30,000/–रुपये कीमत के कम्प्यूटर से गरीब विद्यार्थियों का शोषण कर 1,50,000/–रुपये फीस वसूल कर रही है जो कि गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय है।

अत: मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भगवान सहाय सैनी।

## किसानों की विद्युत समस्या

**श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत किसानों की विद्युत समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र चौमूं में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है।

नर्सरी योजना जो सम्पूर्ण रूप से बन्द की जा चुकी है, जब नर्सरी योजना चालू हुई थी यह प्रावधान था कि दो वर्ष बाद नर्सरी को सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा लेकिन 1 अप्रैल, 2000 के व उसके बाद के जारी कनेक्शन आज भी नर्सरी योजना में चल रहे हैं, यहां तक कि जिन किसानों के डिमाण्ड नोट की राशि 31 मार्च, 2000 से पूर्व जमा हो गए थे, उनसे भी नर्सरी श्रेणी का शुल्क लिया जा रहा है।

अत: नर्सरी योजना में चालू सभी कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किया जावे। इस प्रकार चोरी योजना, चारा योजना, स्पेशल कृषि योजना भी बहुत महंगी योजनाएं हैं। इन श्रेणियों के शुल्क में भी कमी करके किसानों को राहत दिलवाना अत्यन्त आवश्यक है।

कृषि कनेक्शन सीधे ट्रांसफार्मर से लाइन खिंचना नियमों के कारण किसानों को भारी राशि चुकानी पड़ रही है, इन नियमों में संशोधन किया जावे।

स्पेशल कृषि योजना में किसानों द्वारा छह माह से डिमाण्ड नोट राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त भी अब तक कनेक्शन नहीं हुए हैं, अविलम्ब कनेक्शन

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

करवाए जाएं तथा किसानों के लिए कोई भी एक योजना नए कृषि कनेक्शन लेने के लिए खोलकर चालू किये जाने का भी प्रावधान करना जनहित में होगा।

आशा है उपरोक्त बिन्दुओं पर ऊर्जा विभाग ध्यान देकर किसानों को राहत प्रदान करवायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री घनश्याम जैन।

## बेगूं विधान सभा क्षेत्र में ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण

**श्री घनश्याम जैन (बेगूं)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान विधान सभा क्षेत्र बेगूं में तत्कालीन ऊर्जा मंत्रीजी द्वारा घोषित 33 केवीए ग्रिड स्टेशन भैंसरोड़गढ़, धामन्चा, नन्दबाई की स्वीकृति दिलाने व कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदयजी, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में रावतभाटा आता है एवं राणा प्रताप सागर बांध से व अणु शक्ति परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता है। इस हेतु राणा प्रताप सागर बांध बनाने में स्थानीय लोगों की जमीनें डूब में आई एवं इनको जहां बसाया गया आज भी इनकी स्थिति 35 वर्ष बाद भी दयनीय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का मुख्य धन्धा कृषि है मगर विद्युत सप्लाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से काश्तकारों की सिंचाई व्यवस्था में भयंकर व्यवधान होता है। मोटरें जल जाती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डा. चन्द्रभानजी ने किसानों की वाजिब मांगों को ध्यान में रखकर चेची के 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन के लोकार्पण के समय करीब दो वर्ष पूर्व विधान सभा क्षेत्र बेगूं में भैंसरोड़गढ़, नन्दवाई व धामन्चा में 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की घोषणा की थी मगर मेरे कई बार निवेदन कर आपका ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी इन तीनों ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से काश्तकारों की नाराजगी होना तो स्वाभाविक है ही मगर इससे राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है क्योंकि घोषणा होने के दो वर्ष बाद भी इसका क्रियान्वयन नहीं होना खेद का विषय है।

अत: मेहरबानी करके उपरोक्त घोषणा की क्रियान्विति विभाग को आवश्यक आदेश फरमावें ताकि स्वीकृति होकर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके। धन्यवाद।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री घनश्याम जैन** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय दिलावरजी, प्लीज आप बैठिये...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री घनश्याम जैन :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बैठिये। माननीय दिलावरजी, प्लीज मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं। आप इस तरह से डिस्टर्ब मत करो अदरवाइज हाउस...(व्यवधान) आप बैठिये। आप बिराजिये...

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजिये प्लीज। अंकित नहीं हो। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं that this is the last opportunity. Please don't disturb. I will not allow this. आप आसन से इजाजत लेकर बोलिये।

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** आप समझ लीजिये इस बात को...

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय दिलावरजी, आप बैठिये। आप कह लो मैं...(व्यवधान) माननीय दिलावरजी, एक मिनट... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय दिलावरजी, माननीय लोढ़ाजी, बैठिये। माननीय दिलावरजी, मैं आपसे रिकवेस्ट कर रहा हूं कि यह लास्ट सैशन है आप कृपा करके दो रोज ठीक तरह से बिहेव करिये Don't force me to take such an action which may be against the House.

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** I will not allow. प्लीज आप बैठिये। I will not allow. आप बैठिये। आप मजबूर मत करिये। मैं फिर रिकवैस्ट कर रहा हूं आपको, मजबूर मत कीजिये मुझे।

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं फिर कह रहा हूं आपको this is the last opportunity.

**श्री मदन दिलावर :** XXX

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री अमरारामजी।

## नर्सरी कनेक्शन का सामान्य श्रेणी कनेक्शन में परिवर्तन

**श्री अमराराम (धोद) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन, सरकार और विशेष तौर से बिजली मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नर्सरी श्रेणी में चारा और चोर योजना में जिन किसानों ने हजारों की संख्या में कनेक्शन लिये हैं...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** चोर योजना क्या है, आप स्पष्ट तो करिये। चोर योजना क्या है?

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अमराराम (धोद)** : अब यह तो सरकार करेगी, इन्होंने योजना निकाली थी कि किसान चोरी...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप 295 पढ़ो ना। आप काहे को बोल रहे हो। 295 पढ़ो। आप तो।

**श्री अमराराम (धोद)** : 295 ही बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पढ़ो ना, आप उनकी तरफ क्या देख रहे हो।

**श्री अमराराम (धोद)** : अब यह सुमित्रा जी इतनी सीनियर मैम्बर हैं, वह कह रही हैं कि स्पष्ट करो तो मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप किसी पर ध्यान मत दो, आप तो इसको पढ़ने का ध्यान रखो।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इसमें से पढ़ो ना। यह नहीं है इसमें आप बोल रहे हैं जो।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हेमन्त कुमार। श्री धर्मपाल चौधरी। आप बिराजिये। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप तो भाषण देना चाहते हो। आप इसमें पढ़ो।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरी तरफ देख रहे हो कैसे पढ़ रहे हो।

**श्री अमराराम (धोद)** : महोदय, मैं सरकार का ध्यान राज्य के हजारों किसानों की उस पीड़ा की और दिलाना चाहता हूं जिसमें राज्य सरकार के वादे और घोषणा के अनुसार नर्सरी, चारा और चोर योजना में कृषि कनेक्शन लिये थे, जिनको दो वर्ष पूर्ण होने पर सामान्य कृषि कनेक्शन में परिवर्तित करने का निर्देश था लेकिन आज हजारों किसान जिन्होंने इस योजना में कनेक्शन लिया उनको दो वर्ष से ज्यादा चार-चार वर्ष होने के बाद भी सामान्य श्रेणी में नहीं बदलकर किसानों को दुगुनी रेट से बिल देना पड़ रहा है। इससे किसानों को दो वर्ष से लूटा जा रहा है तथा पर एच.पी. चार्ज को बिलों में समायोजित करने के आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था लेकिन 4 वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भी इस आदेश को वापिस लागू नहीं किया गया है... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें यह लिखा है आगे कि अत: मेरी मांग है यूं बोलो...

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें लिखा है कि अत: मेरी मांग है कि राज्य सरकार...यूं बोलों।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया ना, यह तो आपने बोल दिया। श्री धर्मपालजी। आप बोल रहे हो। श्री हेमन्त कुमार जी... (व्यवधान) बिराजिये प्लीज।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये। अंकित नहीं होगा। आगे कोई अंकित नहीं होगा। बस हो गया, 295 है। 295 है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। प्लीज हो गया ना आपको निवेदन...

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है बिराजिये। हो गयी ना बात, खतम करो ना।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय अमरारामजी, प्लीज हो गयी ना बात। साढ़े चार साल तक बहुत अच्छे रहे आप, दो रोज में क्या हो गया। आप साढ़े चार साल तक इतने बढ़िया रहे, दो रोज में आज क्या हो रहा है आपको।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिये ना आप। अब यह कह दी ना आपने बात।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने कह दी न अपनी बात।

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार ने सुन ली न, सुन रही है न वह।

**श्री अमराराम** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये, आप बैठें एक मिनट...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी आप इस पर कुछ बोल सकते हैं, बोलिये।

**डा. सी. पी. जोशी** : सुन लिया न, जवाब दे देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है, कुछ नहीं कह सकते तो...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गयी न बात।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हेमन्त कुमार।

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री अमराराम (धोद)** : XXX

## चम्बल सिंचाई योजना से किसानों को पानी देने विषयक

**श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा के कार्य

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हेमन्त कुमार)

संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित कोटा सम्भाग में बहने वाली नदियों में चम्बल नदी महत्वपूर्ण है। इसका निकास मध्य प्रदेश के विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकार के आपसी सहयोग से इस नदी पर गांधी सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है। गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर किया गया है। गांधी सागर बांध के ऊपर पानी के जलाशय का निर्माण किया गया। इस जलाशय के पानी से विद्युत उत्पादन तथा कोटा बैराज का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था की गयी। राजस्थान व मध्य प्रदेश को नहरों द्वारा पानी पहुंचाया गया।

गांधी सागर बांध के निर्माण के समय राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकार के मध्य आपसी समझौता हुआ। जिसमें सिंचाई के पानी व विद्युत उत्पादन में दोनों प्रदेशों की बराबर–बराबर उपयोग हेतु हिस्सेदारी रखी गयी। गांधी सागर बांध की जलापूर्ति मध्य प्रदेश की छोटी नदियों व वर्षा के पानी से की जाती रही है।

लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ वर्षों पूर्व से मध्य प्रदेश सरकार ने आपसी समझौता भंगकर अपनी स्थानीय नदियों पर चैकडैम व एनीकट निर्माण कर लिये हैं। इससे गांधी सागर बांध की भराव क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है तथा पानी का बांध में आना बहुत कम हो गया है। इसी कारण से गांधी सागर जलाशय अपनी पूर्ण क्षमता का पानी प्राप्त नहीं कर रहा है।

गांधी सागर जलाशय में पूर्ण क्षमता के पानी की कमी के कारण कोटा बैराज द्वारा सिंचाई हेतु नहरों को पानी पूरा प्राप्त नहीं होता है। कोटा बैराज से नहरों द्वारा सिंचाई हेतु छोड़े जाने वाले पानी में मध्य प्रदेश सरकार का समझौते के शर्तों के अनुसार आधा हिस्सा रहता है जिसे वह ले रहा है। जबकि मध्य प्रदेश ने समझौता भंग कर चैकडैम व एनीकट अपने क्षेत्र में निर्माण कर चम्बल में आने वाले पानी को रोक लिया है व अपने भू–भाग में सिंचाई कर रहा है।

राजस्थान सरकार द्वारा जब इस विषय पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षित किया तो वहां की सरकार ने चैकडैम व एनीकट बनाने की बात को स्वीकार नहीं किया। जबकि वस्तुस्थिति में सच्चाई यह है कि एनीकट व चैकडैम निर्माण कर रखे हैं। राजस्थान सरकार को चाहिए कि सैटेलाइट के माध्यम से उक्त क्षेत्र की फोटो प्रति प्राप्त कर मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव डाले कि वह सच्चाई को स्वीकार करें।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हेमन्त कुमार)

गांधी सागर बांध व कोटा बैराज के मध्य चम्बल नदी पर राजस्थान सरकार ने राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में किया है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर में राजस्थान के अपने क्षेत्र का पानी गांधी सागर के द्वारा छोड़े गये पानी के अलावा भी आता है जिस पर राजस्थान का पूरा–पूरा अधिकार है।

राजस्थान के भू-भाग का पानी जो राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर में आता है इस पानी को यदि कोटा बैराज से राजस्थान के उपयोग के लिये छोड़ा जाता है तो मध्य प्रदेश के कोटा स्थित अधिकारीगण इसे अपना पानी बताकर राजस्थान को मिलने वाले गांधी सागर के पानी में से काटते हैं। इस विवाद से बचने के लिये यह पानी (राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर से बैराज के मध्य का) चम्बल नदी में छोड़ा जाता है तथा इस पानी का राजस्थान के कृषक कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं।

यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में चम्बल सिंचाई योजना मृतप्राय हो जायेगी। राजस्थान के कोटा, बूंदी व बारां जिले के किसान नहरों में पर्याप्त पानी नहीं होने से कृषि उत्पादन में पिछड़ रहे हैं। जैसा कि अभी चावल उत्पादन करने के लिये क्षेत्र के किसानों को नहरों द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जो पूर्व में कराया जाता था। किसानों को रबी की फसल हेतु ही पानी उपलब्ध कराया जाता है वह भी पानी की कमी के कारण नहरों के अन्तिम छोर तक नहीं पहुंचता है।

मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार पर सैटेलाइट द्वारा फोटो प्राप्त कर दबाव डालें तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये चैकडैम व एनीकट द्वारा रोके गये पानी का हिस्सा काटकर ही मध्य प्रदेश सरकार को दें जिससे राजस्थान के किसानों को अपने हक का पूरा–पूरा पानी मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बारां, कोटा व बूंदी जिले के किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। सरकार को चाहिए कि इस समस्या का शीघ्र निवारण कर किसानों को राहत प्रदान करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री धर्मपाल चौधरी।

**श्री मदन दिलावर :** राजस्थान की जनता व किसानों के अधिकार मध्य प्रदेश की सरकार के गिरवी रख दिये हैं श्रीमान् अशोक जी गहलोत ने और हाड़ौती का एक-एक किसान एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहा है और यह सरकार दिग्विजय सिंहजी जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनसे अपना अधिकार नहीं ले पा रही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** विपक्ष के नेता महोदय...(व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय कटारिया साहब, इन्हें सम्भालो।

**श्री मदन दिलावर** : कितने कमजोर मुख्य मंत्री हैं। कितनी कमजोर यह सरकार है। यह हमारे अधिकारों को गिरवी रख रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज, लैट हिम स्पीक।

## मुण्डावर में गौशाला निर्माण हेतु भू-आबंटन

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में रानी गायों का बहुत बड़ा प्रकोप है क्योंकि साबी नदी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर से गुजरती है। राजस्थान में लगातार चार वर्षों से अकाल पड़ रहा है इसलिए भी बहुत से लोग यहां पर अपनी गायें छोड़कर चले गये। जिससे इस क्षेत्र में रानी गायों की संख्या हजारों की तादाद में पहुंच गयी है। ये किसानों की सारी फसलें नष्ट कर देती हैं इससे सारे क्षेत्र के किसान बहुत दुःखी है। मैं लगातार सदन में ग्यारहवीं विधान सभा के आठवें सत्र से इस मांग को उठा रहा हूं। मेरे क्षेत्र में इन रानी गायों को रखने हेतु एक गौशाला का निर्माण का प्रस्ताव भी मेरे क्षेत्र की जनता द्वारा लिया गया। मेरे और मण्डावर क्षेत्र की जनता द्वारा गठित महर्षि दयानन्द गौशाला (ट्रस्ट) के द्वारा भी जिला कलक्टर अलवर एवं राजस्व मंत्री महोदय को भी इस बारे में लिखित व मौखिक रूप से समय-समय पर अवगत कराते रहे हैं।

माननीय मंत्रीजी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नांगल सालिया में शहीद मूर्ति अनावरण के समय आई तब भी वहां की जनता ने गौशाला हेतु जमीन आबंटित करने हेतु निवेदन किया था। उसी दिन माननीय मंत्री महोदया जी ने भी लोगों को आश्वासन दिया था कि जमीन जल्दी से जल्दी गौशाला के लिए आबंटित कर दी जायेगी अगर गौशाला के लिए आवेदन किया हुआ है। ग्राम जाट भगौला में महर्षि दयानन्द गौशाला द्वारा पिछले तीन वर्ष से आवेदन कर रखा है लेकिन अभी तक इस गौशाला को जमीन आबंटित नहीं की गयी है इससे मण्डावर क्षेत्र की जनता में रोष है। माननीय मंत्री महोदया के आश्वासन के बाद भी गौशाला हेतु जमीन का आबंटन नहीं किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि महर्षि दयानन्द गौशाला जाट भगौला (मण्डावर) को जमीन आबंटित करने का कष्ट करें जिससे इस क्षेत्र के किसानों को तबाह होने से बचाया जा सके। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करणसिंह यादव।

## बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

**डा. करण सिंह यादव** (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बहरोड़ विधान सभा में अतिवृष्टि के कारण काफी सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। बहरोड़-कुण्ड मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम माजरी कलां एवं ग्राम मांढण के अन्दर से निकलने वाली सड़क पहले से ही खराब स्थिति में थी और अब वर्षा के वजह से इन गांवों के अन्दर इन सड़कों में बहुत बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं।

यद्यपि सम्पूर्ण कुण्ड–बहरोड़ मार्ग को गत वर्ष आर.यू.पी. फेस–प्रथम के अन्तर्गत नवीनीकृत किया गया था। उस वक्त भी माजरी कलां एवं मांढण गांवों में पड़ने वाली सड़कों के हिस्से को नवीनीकृत होने से रोक लिया गया था और अब वर्षा ने हालात बद से बदतर कर दिये हैं। इसी प्रकार बहरोड़ से नारनौल जाने वाले राजमार्ग नम्बर–14 पर बहरोड़ कस्बे से निकलते ही लगभग 200 मीटर की दूरी में तथा ग्राम नारेड़ा कलां में लगभग 200 मीटर की दूरी में बहुत बड़े–बड़े गढ्ढे पड़े हुए हैं। इन स्थानों पर अक्सर गाड़ियों के एक्सल टूटते हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। यों तो तहसील की अन्य ग्रामीण सड़कें भी बहुत क्षतिग्रस्त हो गयी हैं लेकिन मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि अप्रोच रोड टू ग्राम नांगल खोड़िया एवं अप्रोच रोड टू ग्राम महाराजावास जिन पर चलना बहुत दूभर हो गया है।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वर्षा थमते ही सबसे पहले मेरे द्वारा वर्णित उपरोक्त सड़कों के नवीनीकरण का कार्य सबसे पहले लिया जावे जिससे की तहसील में आवागमन सुगम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

## राजस्थान में आरक्षण नीति की विसंगतियां

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के तहत गठित मण्डल कमीशन रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् सामाजिक न्याय, समानता व समता के सिद्धान्त के अनुरूप सामाजिक, शैक्षणिक, पिछड़ा वर्ग जिसमें व्यावसायिक जातियां, दस्तकार, सेवक, भूमिहीन कृषकों को विशेष अवसर, सुविधा, छूट देते हुए राजकीय सेवाओं में 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

(श्री देवीसिंह भाटी)

राजस्थान में आरक्षण नीति की विसंगति के कारण जरूरतमंद वर्गों के साथ राजनीतिक दल उनके संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मंच के 1999 से शांतिपूर्वक आंदोलन में जहां लाखों–लाखों लोग सभाओं में इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं, किसी पार्टी द्वारा उनकी सुनवाई नहीं करने पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा, मुख्य मंत्री के बीकानेर प्रवास, सोनिया गांधी के अजमेर महिला सम्मेलन, प्रधानमंत्री की जयपुर सभा में आरक्षित व उपेक्षित वर्ग द्वारा जवाब तलबी करने पर जनता को भ्रमित कर आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के बिना आधार की थोथी घोषणा की गई, जो मंच को मंजूर नहीं। सामाजिक न्याय मंच के दबाव से ही पार्टियों के प्रमुख बोले हैं, देश में आरक्षण व्यवस्था पर बहस छिड़ चुकी है। विधान सभा चुनाव से पहले केन्द्र व राज्य सरकार ने आरक्षित वर्ग की दो सूची व सवर्णों को ओ.बी.सी. में आरक्षण नहीं दिया गया तो दोनों पार्टियों को जनता चुनाव में नकार देगी।

राजनीतिक निर्णय के फलस्वरूप राज्य सेवाओं में मूल ओ.बी.सी. का आरक्षण वस्तुतः समाप्त हो गया है। राज्य सरकार द्वारा मेरे द्वारा विधान सभा सत्र 2002 में पूछे गए अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में सामने आई स्थिति विस्मयकारी एवं चौंकाने वाली है।

राजस्थान पुलिस सेवा चयन वर्ष 1997 में कुल 27 आरक्षित पदों पर मण्डल आयोग में मूल पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति चयनित हुए और 1999 में जुड़ी नई समृद्ध कृषक जाति के आरक्षण के पश्चात् 2001 में 13 में से 7 पद एक ही समृद्ध जाति के व्यक्ति चयनित हो गए। न्यायिक सेवा में भी 30 पदों में से 15 एक ही जाति के व्यक्ति चयनित हो गए। तहसीलदार सेवा में जहां पूर्व में मूल पिछड़ा वर्ग के प्रायः प्रत्येक जाति के एक से दो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो जाता था वहां नए आरक्षित वर्ग के 2001 में 9 में से 7 एक ही जाति के चयनित हो गए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 2001 में 8 में से 5 नए आरक्षित एक ही जाति के चयनित हुए। ऐसी स्थिति में आयोग की मूल जातियों का आरक्षण मात्र कागजों में ही दिखाने के लिए रह गया है। राजनीतिक क्षेत्र में पंचायतीराज में...।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी ओ.बी.सी. कमीशन की रिकमण्डेशन है, ओ.बी.सी. कमीशन में सभी जातियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और उस रिकमण्डेशन के आधार पर ही सरकार निर्णय करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से समृद्ध जाति, जाति विशेष की बात कह कर किस तरह

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

से हम समाज के अन्दर हमारी स्थिति को दिखाना चाहते हैं और ये क्यों समरसता को भंग करना चाहते हैं?

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत है, जो प्रावधान है, जैसा हुआ है, वही सदन के सामने रख रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड ट्राइबल और शिड्यूल्ड कास्ट्स के अन्दर किस तरह से रिजर्वेशन है, वह आपके सामने हैं, कृपया माननीय सदस्य वह भी व्यक्त करे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : वह भी मैंने पिछले सत्र में बिलकुल रखा है।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** : इस तरह से कोई भी रिजर्वेशन मिला है हमें...

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : इस पर डिबेट करा लो।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह रिकार्ड में लाना चाहता हूं। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं वह बिलकुल ठीक है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, आज तक कभी किसी का विरोध नहीं किया। हम यह बात कहना चाहते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रजेंट करके, आज तक जिनको अधिकार नहीं मिला, उनको अधिकार यदि कांग्रेस की सरकार ने दिया, ओ.बी.सी. कमीशन ने रिपोर्ट देकर दिया, इसलिए कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत बधाई के पात्र हैं। हमको यह बात पूरा सदन कह रहा है, पूरा राजस्थान कह रहा है। अब खाली आलोचना करना कि इसको मिल गया, उसको मिल गया तो इसके अन्दर काम्पीटिशन है, काम्पीटिशन के अन्दर जो जिसका वेट है, उस वेट के आधार पर कमीशन ने यह रिपोर्ट दी, कमीशन के आधार पर सरकार ने माना, अब उसको इस तरह से रिप्रजेंट करके एक जातीय वैमनस्यता को पैदा करना और इसको फैलाना, यह किसी भी रूप से राज्य के सामाजिक हित में नहीं हो सकता। (व्यवधान) मैंने यह बात नहीं कही है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से सामाजिक समरसता को भंग करना और लगातार यह बयान देना एक जाति विशेष के बारे में, यह किसी तरह से उचित नहीं है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान) एक मिनट, माननीय मंत्रीजी का इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से है या एक इण्डिजुअल मैम्बर की तरफ से है? (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उन्होंने अपनी बात बोल दी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं। ही इज ए मिनिस्टर, ही इज ए मिनिस्टर। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन नहीं है तो वह बात है।

**डा. सी. पी. जोशी** : डाक्टर साहब, बोलो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया है।

**डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़िए, हमारी सिम्पैथी है। सरकार ने फैसला किया है। लेकिन अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति एक जैसी हो सकती है, किसी को कोई कम पद मिल गए, ज्यादा मिल गए। आप अन्य पिछड़ी जातियां एक जगह बैठी हैं, उनमें आप क्यों विभाजन करना चाहते हैं? आप अपनी लड़ाई लड़िए। जो सवर्ण जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़िए आप।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सामाजिक न्याय सबकी बात करता है, जो देश के अन्दर अन्य प्रांतों में व्यवस्था है।

**डा. सी. पी. जोशी** : भाटी साहब, अपने 295 पर बोलिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हरियाणा के अन्दर भी यह व्यवस्था है कि मूल ओ.बी.सी. को मण्डल आयोग के तहत आरक्षण दिया था उनका हिस्सा अलग है और बाद में आई उनका हिस्सा अलग है।

**डा. सी. पी. जोशी** : भाटी साहब, आप तो 295 पर बोलो। डाक्टर साहब, छोड़ो।

**डा. चन्द्रभान** : आप सामाजिक न्याय मंच की बात कर रहे हैं। देवीसिंहजी, जब मण्डल कमीशन लागू हुआ था उस समय आपके विचार क्या थे? आज आपको सामाजिक न्याय की चिंता है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, गवर्नमेंट हमारी इसके पक्ष में है। अभी आपने कह दिया कि थोथी घोषणा है, हमने कोई एक फैसला किया तो उस फैसले के कारण आज देश के अन्दर एक बहस चल रही है। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ यह समृद्ध जाति, वह जाति, कभी यादव का नाम लेंगे, कभी गुर्जर–माली, ये एक जैसी जातियां हैं, किसान जातियां, मेहरबानी करके आप उनको एक जगह रहने दीजिए।

**डा. सी. पी. जोशी** : भाटी साहब, आप तो बोलो, 295 पर बोलो।

**श्री अमराराम (धोद)** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, स्पष्ट कर दो कि विरोध नहीं करेंगे तो समर्थन कर रहे हो क्या? इनके सामाजिक न्याय मंच का समर्थन कर रहे हो क्या?

**डा. चन्द्रभान** : नहीं, नहीं, इस मामले में नहीं।

**डा. सी. पी. जोशी** : भाटी साहब, आप तो 295 पर बोलिए, पढ़िए।

**डा. चन्द्रभान** : यह ओ.बी.सी. को जो 21 प्रतिशत मिला है, इसमें यदि आप विभाजन करना चाहते हो, इसके तो हम पक्ष में नहीं है। मैं यह साफ कहना चाहूंगा और यदि आप अन्य जो सवर्ण जातियों के गरीब हैं उनको आरक्षण मिले उसके लिए सरकार ने एक फैसला किया है और आप भारत सरकार से मांग कीजिए...

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह व्यवस्था है, सब सरकारों ने किया है, आयोग ने किया है, अन्य प्रांतों में किया है, यहां हमारे राजस्थान में कोई नई बात नहीं हम कह रहे हैं, करें।

**डा. सी. पी. जोशी** : आप तो 295 पर बोलिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हम किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं लेंगे। अन्य प्रांतों में किया है।

**डा. चन्द्रभान** : कई बार आप यहां कोर्ट करते हो, कई बार आप बाहर भी इस बात को कहते हो। आप जिस फार्मूले की बात करते हो, वहां क्या हुआ बाद में? (व्यवधान) किसी राज्य में लागू नहीं है यह, यह सब राज्यों में लागू नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, 295 जब पढ़ा जाता है तो बहस थोड़े होती है? 295 पढ़ा जाता है, आप तो पढ़ो इसको।

**श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)** : मण्डल कमीशन की बात करने से पहले वी. पी. सिंहजी की तस्वीर लगाओ, वी. पी. सिंहजी की तस्वीर और वी. पी. सिंहजी की पूजा करो मण्डल कमीशन की बात करने से पहले।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिए। माननीय देवीसिंहजी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मूल पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 6 पदों में से मूल ओ.बी.सी. का एक भी जिला प्रमुख नहीं है। पंचायत समिति प्रधान के 41 पदों पर इसी समृद्ध कृषक जाति का आधिपत्य बन गया है तथा मूल ओ.बी.सी. के 8 से ज्यादा प्रधान नहीं है। क्रीमीलेयर अपवर्जन नियमों की खुली अवहेलना कर करोड़पति व्यक्ति गंगानगर नगर परिषद् जैसे संस्थानों में अध्यक्ष बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक अथवा दो समृद्ध जाति ही आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले जाए इसलिए पिछड़ा वर्ग को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर श्रेणी विभाजन को वैध, आवश्यक व उपयुक्त बताया है, जिसे ध्यान में रखकर अनेक

(श्री देवीसिंह भाटी)

राज्यों आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं हरियाणा आदि में पिछड़ा वर्ग सूची के दो या दो से अधिक भाग कर दिये हैं, जो कि राजस्थान में भी यह व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

(13.00 बजे)

उत्तर प्रदेश के गत विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी दोनों दलों के घोषणा पत्रों में श्रेणी विभाजन का वायदा किया है तथा अन्य अपेक्षित वर्गों यथा राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, पठान, वैश्य को 5 से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा किया है तो राजस्थान में यह दल ऐसा क्यों नहीं लागू कर रहे हैं?

राज्य में जब उन्नत, समृद्ध, विकसित, सम्पन्न सिंचित क्षेत्र के बड़े भूमिधारियों, जिनका राजकीय सेवा, राजनैतिक प्रतिनिधित्व है एवं ब्राह्मण व क्षत्रियवंशी अन्य जातियों को पिछड़ा वर्ग आरक्षण सूची में जोड़ा जा चुका है तो अन्य जातियों के राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी, पठान, शेख, मंसूरी, बोहरा जरूरतमंद लघु सीमान्त कृषक, भूमिहीन किसान व सेवक वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि बगैर जाति का ध्यान दिये व्यवसाय व आय के आधार पर पिछड़ा वर्ग में जोड़ा जा सकता है। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अत: भेदभाव नीति को छोड़, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सरकार से न्याय अपेक्षित है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरासिंह चौहान। (व्यवधान) श्री हीरासिंह चौहान। (व्यवधान) हो गया ना आपको। सुन लिया ना। (व्यवधान) श्री हीरासिंह चौहान। माननीय सदस्य, पढ़ लिया ना आपने। 295 पढ़ा दिया पूरा, और क्या चाहिए। (व्यवधान) सवाल इसी बात का है कि 295 पढ़ दिया आपने। (व्यवधान) वो कह दिया ना आपने। (व्यवधान) अंकित न हो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको जो कहना है कह दिया।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरासिंहजी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने तो देखा ही नहीं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्लीज। बिराजिए।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य प्लीज। बहुत हो गया। प्लीज।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : हीरासिंहजी, आप बोलिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : यह न्याय कौन देगा?

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : कह दिया ना आपने। आपका पूरा 295 पढ़वा दिया, और क्या चाहिए आपको? कुछ रहा नहीं अब।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आसन से आप यह अपेक्षा करो कि आप बिराज जाओ। यह अपेक्षा हो सकती है और कुछ नहीं। आई एम सारी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप चुनाव में जचे जो करो, मैं कहां रोकता हूं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजो प्लीज। श्री हीरासिंहजी। प्लीज। हो गया।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया ना। बिराजो बिराजिए प्लीज।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य प्लीज। बिराजिए प्लीज। बिराजिए, बिराजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : हो गया। आपको बहुत देर से समझ में आया कि झगड़ा यह हो रहा है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : न तो इधर हुकम हुआ, न इधर हुकम हुआ। आपको बहुत देर से समझ में आयी यह बात। बिराजो प्लीज।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कोई हुकम देने की स्थिति में नहीं हूं। बिराजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिए प्लीज। बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह प्रजातांत्रिक तरीका है। इसके लिए मैं सदन के अन्दर अनिश्चितकालीन धरना देता हूं।

**(श्री देवीसिंह भाटी द्वारा सदन कूप में धरना)**

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**डा. बी. डी. कल्ला** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : छोड़ो ना बात। बिराजो।

**डा. बी. डी. कल्ला** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठें प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, बैठिए। आप वहां बिराजो चाहे यहां बिराजो, मर्जी आए जहां बिराजो तो सही।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आपको कहो ना।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। बिराजिए। सिट डाउन।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय व्यासजी।

**श्री जीतमल खांट** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सुरेन्द्रजी। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, प्लीज।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे कुछ नहीं करना है बिराजो। आप बिराजो।

(श्री देवीसिंह भाटी द्वारा धरना समाप्त)

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : कह दिया न, आपकी बात हो गयी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : यहां बैठे थे आराम से। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजें, बहुत हो गया अब।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय उपाध्यक्षजी, दो वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : कुछ नहीं होगा यहां पर।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके जचे जो करो।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपकी मर्जी आवे जो करो, इस हाउस में आप बिराज जाओ, बाकी बाहर आपकी मर्जी आवे जो करो, कौन रोकता है आपको? हम थोड़े ही रोक रहे हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय उपाध्यक्षजी, इन्हें बिठाइये, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

**श्री हीरासिंह चौहान** : वह अनशन पर बैठ गये थे जबरदस्ती वापस लाये इनको।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय देवीसिंहजी।

**श्री हीरासिंह चौहान** : अब सीट पर आकर बोलेंगे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : XXX

## विधान सभा क्षेत्र रायपुर की सड़कों की मरम्मत आदि विषयक

**श्री हीरासिंह चौहान** : आप बिराजो भाटीजी। माननीय उपाध्यक्षजी, दो वर्ष पहले राज्य सरकार ने रोड़ अपग्रेडेशन और रिन्युअल का कार्यक्रम चलाया था उसमें बहुत सारी सड़कें जितनी लम्बाई की थी उनको छोड़ दिया गया इसलिए मेरा निवेदन है...

**श्री देवीसिंह भाटी** : आरक्षित वर्ग की बात आई जब भी नहीं बोले अपनी बात, डेरे मगरा यों ही चलाते हो, शर्म नहीं आती आपको?

**श्री हीरासिंह चौहान** : किस बात के लिए?

**श्री देवीसिंह भाटी** : जैसा आप अपने वर्ग के लिए बातें करते हो।

**श्री हीरासिंह चौहान** : हम हमारे वर्ग के लिए जितनी पंचायत करनी चाहिए उतनी कर चुके हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यहां करो।

**श्री हीरासिंह चौहान** : यहां भी करेंगे और करते रहेंगे। And I think, it is not the last session. We will again come in the House. और इसे सिरियसली उठाएंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय हीरासिंहजी पढ़िये।

**श्री हीरासिंह चौहान** : मिल जाएगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। प्लीज हैल्प मी।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पढ़ो न।

**श्री हीरासिंह चौहान** : I have never promised you. Not at all.

**श्री देवीसिंह भाटी** : कहां आवाज दब रही है?

**श्री हीरासिंह चौहान** : कहीं नहीं दब रही है, आवाज खुली रहेगी, मैदान में रहेगी, मुझे दो पन्ने और पढ़ने दीजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : पशु जीवन मत जीओ, कर्म की खाओ। (व्यवधान) मानव के कल्याण के लिए उसे उपयोग में लाओ। (व्यवधान)

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री हीरासिंह चौहान** : निश्चित लाएंगे।

उक्त सड़क मार्गों की सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि विपणन बोर्ड को विभागों द्वारा करने की प्रक्रिया अपनायी लेकिन निश्चित लम्बाई व प्रस्तावित सड़क मार्गों को पिछले वर्ष तक आधी अधूरी करके छोड़ दिया गया जिससे जनता में जबरदस्त आक्रोश है। अधूरे छोड़े सड़क मार्ग निम्नप्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1. कुशालपुरा से निमेड़ाकलां | 4 किमी. |
| 2. झाला की चौकी से काणूजा | 4 किमी. |
| 3. बर से गिरी | 3 किमी. |
| 4. हरिपुर से कालब कलां | 3 किमी. |
| 5. अटपड़ा से रूदिया | 3 किमी. |
| 6. अण्डांवल नगर से मुण्डावा | 5 किमी. |

उपरोक्त सड़क मार्ग प्रस्तावित किये गये थे फिर किस कारण से इन पर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप कार्य क्यों नहीं पूरा किया गया? क्या इन कार्यों को पूरा नहीं करने के दोषी ठेकेदार हैं या ठेकेदारों की मिलीभगत से विभाग है। उच्च स्तरीय जांच की मांग कर सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण से पूर्ण की जावे तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

इसी प्रकार नानणा से लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय रेलड़ा तक 5-6 वर्ष पूर्व सड़क का डामरीकरण किया गया था लेकिन 4 किलोमीटर का यह सड़क मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त होकर टूट चुका है। किस ठेकेदार से यह सड़क मार्ग बनवाया गया था तथा इतना जल्दी प्लेन मार्ग के रोड के टूटने की जांच कर पुनः शीघ्र मरम्मत की व्यवस्था की जावे।

इस विषय में मेरी मुख्य मांग निम्न प्रकार से है :

1. स्थानीय विधायक द्वारा प्रस्तावित कौन कौन से सड़क मार्ग कितनी कितनी लम्बाई की सार्वजनिक निर्माण विभाग को मेरे क्षेत्र में दी गई तथा कौन कौन से मार्ग की कितनी लम्बाई तक रिन्युअल किया तथा कितना कार्य करवाना शेष है, अवगत करावें।

2. इसी क्रम में कौन कौन प्रस्तावित सड़क मार्ग कृषि विपणन बोर्ड के दिये तथा कौन कौन से मार्ग कितनी लम्बाई के उनके द्वारा निर्माण करवाये तथा कितना कार्य उनके द्वारा करवाना शेष है? अवगत करावें।

अन्त में, इस विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि प्रस्तावित अधूरे मार्ग कब तक पूर्ण करवा दिये जाएंगे। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेवर रोड़ के स्थान पर मेन्युअल रोड निर्माण को ही प्राथमिकता दी जावे ताकि वर्षों तक रोड मजबूत व टिकाऊ रह सके।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री केसाराम चौधरी।

## विधान सभा क्षेत्र खारची में विधायक कोष से रपट निर्माण विषयक

**श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विधायक कोष से आबंटित राशि का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि खारची विधान सभा क्षेत्र कच्ची सड़कों पर ग्रेवल डालने हेतु स्वीकृति प्रदान की किन्तु पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के जे.ईएन. एवं ए.ईएन. को कई बार घटिया निर्माण की शिकायतें करने के बावजूद देवली आउवा से वाडिया, धामली से भमालिया मारवाड़ जंक्शन से अखवास तीनों सड़कों पर जो ग्रेवल डाला गया उसके बाद इन रास्तों पर वाहन साइकिल एवं पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है जिसकी मेरे एवं ग्रामवासियों द्वारा देवली वाडिया सड़क की शिकायत पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री एवं एक्स.ईएन. सोजत को की गई उसके बाद एक्स.ई.एन. साहब ने 4 दिनों में ठीक करके देने को कहा था किन्तु अभी भी उस सड़क की हालत वैसी ही बनी हुई है।

साड़ियों की ढाणी से बैरा रूपावा सड़क पर बिलकुल ही ग्रेवल नहीं डाला गया जिससे कच्ची मिट्टी पर बरसात के पानी की वजह से रास्ता ही बन्द हो गया है। हनुमानजी की बगीची से रामलाल अणकिया रेलवे फाटक तक सड़क पर ग्रेवल की स्वीकृति 6 माह पूर्व ही दे दी थी उसके बाद भी आधी सड़क पर ग्रेवल डाला एवं आधी पर बिलकुल ही ग्रेवल नहीं डाला गया है।

इसी तरह 9 माह पूर्व धामली की नदी पर रपट बनाने हेतु विधायक कोष एवं सांसद कोष से करीब 9 लाख रुपये रपट निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई थी। मगर विभाग की लापरवाही के कारण केवल दो दीवारें ही बनाई गई। रपट पर दोनों दीवारों के बीच चौके भरना अभी भी बाकी पड़ा है जिससे रास्ता ही अवरुद्ध हो गया है।

अत: इन पांच सड़कों व धामली नदी पर रपट निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की जाना आवश्यक है एवं दोषी अधिकारयों के खिलाफ जांच करके दण्डित किया जावे ताकि भविष्य में राजकोष के धन का दुरुपयोग रोका जा सके तथा उपरोक्त पांचों सड़कों को वाहन चलने योग्य तत्काल बनाया जावे एवं रपट पर चौके बनने में देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करावें एवं रपट को अतिशीर्घ पूर्ण करवाया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री ललित भाटी।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : सड़कों की स्थिति तो पूरे अलवर जिले की ऐसी है कि एक एक, डेढ़ डेढ़ फुट के गड्डे पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिन ठेकेदारों ने बनाया और ए.ईएन., जे.ईएन. के खिलाफ हमने लिखा भी उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं और वे सड़कें सारी टूट गयी हैं, तीन महीने में, चार महीने में, पांच-पांच बार उनकी मरम्मत कराई गई। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र में और पूरे अलवर जिले में सड़कों में एक एक डेढ़ डेढ़ फुट के गड्डे होने के बाद भी सरकार कोई जांच नहीं करवा रही है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके इस कार्यवाही को करवाने का कष्ट करें। यह सड़कों का मामला बड़ा गम्भीर है। आने वाले चुनाव में सब को ही दिक्कत आएगी, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो और चाहे कोई कार्यकर्ता हो सब लोग जाएंगे चुनाव प्रचार में। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सड़कों को ठीक कराया जाय, यह मेरा कहना है। हमारा निवेदन है कि इनको स्वीकार किया जाय और निर्मित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ललित भाटी।

## अजमेर नगर परिषद् भवन-भूमि की लीज अवधि विषयक

**श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अजमेर नगर परिषद् उसके स्वामित्व वाली भूमि एवं भवनों को उसमें स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, धर्मशाला, रैनबसेरा, मनोरंजन क्लब तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोग के लिए लीज पर दी गई और उनकी लीज अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी न तो लीज नवीनीकरण की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की गई और न ही लीज समाप्ति के बाद उन भवनों एवं व्यावसायिक भवनों को खाली करवाकर अपने कब्जे में लेने के कोई कदम उठाये गये जिसकी वजह से जहां एक और नगर परिषद् अजमेर को करोड़ों रुपयों के राजस्व ही हानि हो रही है। वहीं दूसरी ओर इन सम्पत्तियां के खुर्द-बुर्द करने तथा बेचान का कार्य बेखौफ एवं सरकार के प्रवर्तित अधिनियमों की अवहेलना करते हुए खुलेआम किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन बेचान की रजिस्ट्री कार्यालय उप पंजीयक अजमेर के द्वारा की जा रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी सम्पत्ति को बेचने में नगर परिषद के अधिकारियों, सभापति तथा उप पंजीयक की मिलीभगत सामने आ रही है। इस क्रम में अजमेर क्लब, अजमेर को मनोरंजन के उद्देश्य से 1890 में 03 बीघा 4 बिस्वा मुख्य क्लब के लिए सरवेंट क्वार्टर के लिए 24.4.1890 को और हाकी ग्राउंड के लिए 1916 में टेनिस कोर्ट के लिए 1895 में नाम मात्र

(श्री ललित भाटी)

के किराये पर दी गई जिसकी लीज अवधि 1981 में समाप्त हो चुकी है इस जमीन को जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज उसमे पंजीयक कार्यालय अजमेर के यहां 4.4.2001 को क्लब के अध्यक्ष राजकुमार जयपाल पुत्र श्री जसराज जयपाल द्वारा अजय सिंह पुत्र कल्याण सिंह, श्रीमती मधु पत्नी अजय सिंह, अभिमन्यु सिंह पुत्र अजीत सिंह को बेचान कर दिया गया।

इसी प्रकार नगर परिषद् के स्वामित्व वाले बांदनवाड़ा हाउस के नाम से जानने वाली सम्पत्ति जो कि शहर के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख व्यावसायिक स्थल एवं बाजार पुरानी मण्डी एवं कवाड़ी बाजार मदार गेट के मध्य स्थित है जहां कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से कीमत सबसे महंगी है इसे भी लीज अवधि समाप्त होने के बाद वासु हार्डवेयर के मालिक के साथ मिलकर विभिन्न व्यावसायियों को जरिये रजिस्टर्ड डीड बेचान कर दिया गया और नगर परिषद् अजमेर को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचाई गई जबकि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर के परिपत्र संख्या 4 क्रमांक : एफ 7(521)जन/30448-883 दिनांक 01.10.1992 में भी यह स्पष्ट है कि सरकार या स्थानीय निकाय की सम्पत्ति के स्थानान्तरण दस्तावेज अधिसूचना क्रमांक प.2(5)वित्त/कर अनु./94 दिनांक 20.01.1997 के द्वारा किसी भी स्थानीय निकाय की सम्पत्ति विक्रय, दान, वसीयन, पट्टा, बंधक या अन्य अन्तरण दस्तावेजों को लोकनीति के विरुद्ध घोषित किया है। नगर परिषद् के द्वारा ऐसी कोई सम्पत्तियों को बेचान और खुर्द-बुर्द किये जाने की जानकारी है लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोगों के विरुद्ध नगर परिषद्, अजमेर द्वारा न तो कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है और ना ही अन्य कोई कार्यवाही अब तक की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजकीय सम्पत्ति के अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा किये जा रहे एवं किये गये बेचान के मामले में उच्चस्तरीय जांच करायें तथा तुरन्त प्रभाव से दोषियों के विरुद्ध सम्बन्धित थाना क्षेत्र में सम्बन्धित विधि उपबंधों के उल्लंघन के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह। बिराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** मेरा उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि मेरी पर्ची...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :** मेरा नाम पुकार लिया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री छोगाराम बाकोलिया (स्वायत्त शासन मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी जो पीड़ा बताई है कि

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

वहां पर चैयरमैन द्वारा जिस तरीके से अनियमितता की जा रही है...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान के 38 हजार पैराटीचर्स से इस सरकार ने वादाखिलाफी करके उनको नियमित नहीं किया है। (व्यवधान)

**श्री ललित भाटी** : जांच करा लें। (व्यवधान)

**श्री छोगाराम बाकोलिया** :...किसी भी तरीके की अनियमितता नहीं हो और जो तथ्य बताये हैं...(व्यवधान)

**श्री ललित भाटी** : मंत्री महोदय, रजिस्टर्ड डीड से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का बेचान किया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** :...और मात्र 1200 रुपये महीने में उनसे काम करवाया जा रहा है। इस बारे में मैंने आपको पर्ची दी थी, मेरी पर्ची रिजेक्ट कर दी है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजें। आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजें। आप बिराजो न। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सेंसेटिव मैटर है, अगर मैंने कोई...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बिराजिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : यह पैरा टीचर वाला मामला बहुत गम्भीर है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये। आप बैठिये। आप बैठिये प्लीज।

**श्री मदन दिलावर** (अटरू) : यह बड़ा गम्भीर मामला है और आप माननीय सदस्य को बिठा रहे हैं। (व्यवधान) शिक्षाकर्मी सरकार को रो रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** :...एक जुलूस निकाल है उन्होंने। (व्यवधान) धरने पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** :...पैरा डाक्टर, पैरा इंजीनियर, पता नहीं कहां से ला रही है। सारे के सारे एग्रीकल्चर कालेजेज बन्द हैं। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : यह पैराशूट से आने वाली सरकार...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मेरी बात सुन लों श्रीमान्। (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : पहला नम्बर मेरा था। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : वो पैराटीचर पर ही तो बोल रही हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : यह बहुत गम्भीर मामला है। लाटरी में इनकी पर्ची निकली है। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : उनको जो परमानेंट नहीं किया जा रहा है। मात्र 1200 रुपये महीने में काम करवाया जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : यह पैरा सरकार अपने पूरे चोखटे को बदल चुकी है। अपने चेहरे को बदल चुकी है। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरा नाम पुकार लिया है।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : इस बारे में मंत्रीजी...(व्यवधान) पहली पर्ची मेरी है, उपाध्यक्ष महोदय। पहले मुझे मौका दीजिये बोलने का। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पहली पर्ची मेरी है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** :...अब इनकी शक्ल पर देखो। (व्यवधान) चेहरे की इनकी नकल बदल गई। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरा नाम पुकार लिया गया है। (व्यवधान)

**(अध्यक्षपीठ द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने का निर्देश दिया)**

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट आप बिराजें। आप बैठिये। आपने एक पर्ची दे दी। इसमें आपने दो विषय लिख दिये। पर्ची में एक विषय लिखा जाता है इसलिए आपकी पर्ची को खारिज किया गया है। माननीय सदस्य वहां मौजूद थे। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये प्लीज।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी पर्ची को... (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : XXX

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। श्री सुरेन्द्रजी...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरा नाम पुकार लिया आपने।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलिये। (व्यवधान) आप बैठिये, प्लीज।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे बोलूंगी मैं। या तो आप इन्हें बिठाइये। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे बोलूंगी मैं?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसे में मैं वाद विवाद समाप्त कर दूंगा। अंकित नहीं।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठ जाइये। आपकी पर्ची को आपके माननीय सदस्य ने खारिज करवा दिया। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं कहना नहीं चाहता हूं, आपकी पर्ची को आपके माननीय सदस्य ने ही खारिज करवाया है। माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### पैराटीचर्स की दयनीय स्थिति विषयक

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष, आज पैरा टीचर्स के मामले में पर्ची के माध्यम से मैं राजस्थान की संवेदनशील सरकार को आगाह भी, और निवेदन भी करना चाहूंगी कि वह संवेदनशीलता इस सम्बन्ध में बरते। वैसे तो...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : 25 को वापस लगा देना।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बोल नहीं लेना, पर्ची लगा देना, लाटरी आयेगी तो।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसे ही कैसे बोल लेना। (व्यवधान) आप समझ नहीं रहे हैं बात को। आप बिराजिये। आप सुनिये। पर्ची को सैक्रेटरी साहब ने खारिज नहीं की, पर्ची को आपके माननीय सदस्य श्री दिलावरजी ने कहा कि इसको खारिज करो तब खारिज की है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : ये सुरेन्द्रजी व्यास और दिलावरजी, दोनों...

**श्री मदन दिलावर** : XXX

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप जब तक इनको बिठायेंगे नहीं, मैं कैसे बोलूंगी अपनी बात को? (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पूछो न। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी, बोलो। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : XXX

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे काम चलेगा।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को व्यवस्थित करिये आप पहले। आसन से मेरा आग्रह है कि आप सदन को व्यवस्थित करिये। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये प्लीज, आप बैठिये ना।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले सदन को व्यवस्थित करिये। इनको बैठाइये तब मैं बोलना शुरू करूं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं तो जीरो आवर समाप्त कर देता हूं। कोई चारा ही नहीं है मेरे पास।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : अब तक वे बोल रहे थे, अब इनकी बारी आ गई है।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इनको बोलने देना चाहते हैं कि नहीं? आप बैठिये, बैठिये।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नेता महोदय प्रतिपक्ष से निवेदन कर रही हूं कि इनको आप अनुशासित करिये। (व्यवधान) वे देख ही नहीं रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नेता महोदय प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष को शायद नींद आ रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय कटारिया साहब। आप चाहते हैं कि मैं जीरो आवर समाप्त कर दूं? (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय कटारियाजी। आप माननीय सदस्य को अनुशासित करिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं? हम तो आपको काआपरेट कर रहे हैं और आप...(व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय से मेरा नाम पुकारा गया है। आपके सदस्य लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप उन्हें अनुशासन में रखिये।

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : क्या तमाशा है यह? यह क्या तमाशा है? (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको बोलने का मौका नियम से देंगे। ऐसे जिद करने से मौका नहीं मिलता है।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : भाटी साहब 295 पर बोले हैं, उनको बोलने का अधिकार था

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इतने महत्वपूर्ण मामले पर आप इस तरह से कर रहे हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : बोलूं तो मैं जब, जब आपके सदस्य बैठे तब मैं बोलूं ना।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : XXX

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि यह ''पैरा'' शब्द शायद पेरेलल वर्ड से बना है ''समानान्तर व्यवस्था'' और वैसे तो राजस्थान सरकार को ''पैरा'' शब्द से बड़ा मोह है, पैराटीचर्स, पैरा डाक्टर्स, पैरा इंजीनियर, ये सब पैरा यहां पर सभी क्षेत्रों में पैदा कर रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? ये पैरा करके और जिस तरीके से आधी-अधूरी व्यवस्था, आधी-अधूरी व्यवस्था से मेरा मतलब है, आधी-अधूरी व्यवस्था उनके ज्ञान में, उनके चयन के आधार में, उनके अनुभव से तो है ही, लेकिन आधी-अधूरी व्यवस्था उनके वेतन की भी कर रखी है आपने और (व्यवधान) नहीं, वह तो अगली बार बनेंगे, पैरा मिनिस्टर, लेकिन मैं यह निवेदन कर रही थी कि आखिर चार साल बीत गये हैं। आप कहते हैं बड़े संवेदनशील हैं। मेरे सामने मैं रोजाना घूमने जाती हूं, सचिवालय के सामने एक टैंट लगा था पहले संयुक्त शिक्षक संघ का 1.1.2003 को लगा था। आज दिन तक लगा है। पूर्व में जितनी सरकार रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, विपक्ष की जनता पार्टी की भी रही है, लेकिन कभी भी, कहीं भी इस तरह से धरने पर बैठने वाले किसी भी संगठन को इतने दिनों तक लम्बा मैंने बैठे देखा नहीं है। सातवां-आठवां महीना चल रहा है। संवेदनशीलता का नमूना है ना यह? आखिर कितनी ही गैर वाजिब मांग हो, सरकार का कर्त्तव्य होता है, ''हैव्स'' का मतलब है, जिनके पास सत्ता है। जो सत्ताहीन हैं वे ''हैव्स नोट्स'' के अन्दर उनमें इतना असंतोष नहीं पनपे कि आपकी जगह पर आ जाये। यह ''हैव्स'' का प्रथम कर्तव्य है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह पैरा टीचर्स के मामले में पिछली बार भी मैंने चुनौती दी थी और फिर चुनौती दे

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रही हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि पांच लोगों ने, इस आपकी आधी-अधूरी व्यवस्था पर और आपके वादाखिलाफी की वजह से पांच लोगों ने सुसाइड कर लिया है। नाम बताये थे मैंने पिछली बार, आज वह नाम मेरे पास नहीं हैं लेकिन चुनौती दे रही हूं, यदि मैं गलत बात कहती हूं तो आप बड़ी से बड़ी सजा मुझे यहां पर दे सकते हैं। मैं चाहूंगी, मैंने पिछली बार नाम भी बताये थे उनके आपको और फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आखिर आपने लिखित में वादा किया था कि इन्हें श्रेणी अध्यापक के वेतनमान का।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : चौथे साल।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नहीं, पांचवें साल का कहा था लेकिन पांचवां साल आ गया, पांचवां साल चल रहा है, आ गया है पांचवां साल। कभी तो घोषणा आप कुछ कर देते हैं, वादाखिलाफी करने में तो माहिर हैं ही, कहते कुछ हैं, क्योंकि जो वादा करते हैं उसे कभी निभाते नहीं हैं, किसी मामले में भी नहीं निभाया आपने। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि इस मामले को आप गम्भीरता से लीजिये वरना वे आमरण अनशन पर बैठ गये हैं और आप सचिवालय से निकलते हैं रोजाना, पता नहीं कौनसे रास्ते से जाते हैं लेकिन सचिवालय के पश्चिमी द्वार के ऊपर यह रोजाना यह धरना, ये प्रदर्शन, यह करने वालों के टैंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आठ टैंट लगे हुए हैं। संयुक्त शिक्षक संघ का टेंट 11 जनवरी, से लगा है। एक तरफ आपके इन पैरा टीचर्स का लगा है, वे तो अब आमरण अनशन पर बैठ गये हैं। पशुपालन वालों ने भी लगा रखा है। नीमकाथाना को जिला बनाओ, उन्होंने भी लगा रखा है और आयुर्वेद वालों ने भी लगा रखा है। कम से कम ये आठ टैंट वहां पर लगे हुए हैं। सुखाड़ियाजी जब मुख्य मंत्री थे तो वे जब कभी कुछ ऐसा होता था तो अपने एक मंत्री की ड्यूटी लगाते थे और कहते थे कि जाकर इनसे सम्पर्क करो, इनसे बात करो और सुखाड़ियाजी ही क्यों, उसके बाद जोशीजी भी, माथुर साहब भी, पहाड़ियाजी भी शायद और भैरोंसिंहजी भी, ये सब क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा "हैव नोट्स" में जैसे ही असंतोष गुम-अप होगा, आप मानकर चलिये, हैव की जगह वे आयेंगे और आप हैव नोट्स बन जायेंगे, इसलिए...

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : वसुन्धराजी भी यही करेंगी अब।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : वसुन्धराजी का नाम बीच में कहां ले रहे हो। बात मैं कह रही हूं, मुझे कहने दो अपनी बात। (व्यवधान) उदाहरण किस बात का दे रहे हो। तो वसुन्धराजी आयेंगी तब आयेंगी, करेगी जब करेगी। (व्यवधान)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आप देखिये, बहस की गम्भीरता को कम मत करिये, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करिये, बात कहने दीजिये मुझे। (व्यवधान)

तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी...(व्यवधान) आप डाइल्यूट मत करिये, आप बार-बार बीच में बोल कर...तो मैं यह निवेदन कर रही थी आपसे कि आखिर कब आप इस बारे में सोचेंगे? और कोई समाधान निकालेंगे।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** वसुन्धराजी आकर करेंगी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** आपने वादा तो पूरा कोई किया नहीं है लेकिन अब ये पैरा टीचर्स, जिनको आपने वादा किया था और जिनको 1200 रुपये चार सालों तक, 2002 में आपने जरूर कहा कि हम 200 रुपये बढ़ायेंगे लेकिन 2002 तक लगातार, 1999 से लेकर वे 1200 रुपये में रहे हैं। जबकि अकाल राहत में भी, किसी ने दो तगारी डाल दी, वह भी 60 रुपये लेकर गया है, वह भी आपके 14 रुपये रोकड़ी और बाकी 10 किलो अनाज लेकर गया है लेकिन ये बेचारे गरीब जो हैं, ये केवल 1200 रुपये के अन्दर आपको अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर कब तक आप इनकी अनदेखी करते रहेंगे, कब तक किसानों की बलि लोगे आप? आमरण अनशन पर बैठ गये हैं। अब कितनों की बलि लेने का इरादा है? पांच की तो ले ली है आपने, अब कितनों की और बलि लेने का इरादा है? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगी, आप तो शिक्षाविद् हैं। आप जैसे शिक्षाविद् को याद दिलाना चाहूंगी, रविन्द्रनाथजी टैगोर ने शिक्षक के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है "The mistake of a doctor is buried in the graves, the mistake of an engineer..." हिन्दी में भी समझा दूंगी।

"...the mistake of an engineer is cemented with the bricks, the mistake of a lawyer lies in the files but the mistake of a teacher is reflected long in the nation." यह एक बुनियाद है, इस देश की बुनियाद है शिक्षक, जो समाज का निर्माण करता है। इनकी अनदेखी कब तक करोगे। जो लोग मुझे कह रहे थे कि इसको हिन्दी में तर्जुमा करो। मैं उनसे बताना चाहूंगी, मैं उनसे निवेदन करूंगी, एक डाक्टर की गलती श्मशान की लपटों में दबकर रह जाती है..."The mistake of a doctor is buried in the graves..." "the mistake of an engineer is cemented with bricks,..." एक इंजीनियर की गलती सीमेंट और ईटों में दबकर रह जाती है। "...the mistake of a lawyer lies

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

in the file'' एक वकील की गलती, एक वकील की गलती फाइलों में दबी रह जाती है चाहे वह मर्डर करने वालों को सजा न दिलवा पाये लेकिन उसकी गलती फाइलों में दबी रह जाती है लेकिन ''...the mistake of a teacher/एक शिक्षक की गलती,'' ''...is reflected long in the nation.'' बड़े लम्बे समय तक देश के अन्दर प्रतिबिम्बित होती रहती है कि भाई उसने क्या गलती की थी। इसलिए आप इन्हें ऐसा मत समझिये। आप तो स्वयं शिक्षक रहे हुए हैं, क्या शिक्षकों के प्रति आपको कोई संवेदना नहीं है, इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, क्योंकि यह ऐसा विषय है कि इस पर सब बोलना चाहेंगे और आपने जिस तरीके का इनके साथ व्यवहार किया है चार साल के अन्दर, अब आप कह रहे हैं, 75 प्रतिशत को जो क्वालिफाई करते हैं उनको तो हम लेंगे, बेचारे, सब जगह तो आपने राजीव गांधी पाठशालाएं, कुल 35 हजार से अधिक खोल रखी हैं यह आपके पैरा टीचर्स हैं, स्कूलें आपने बना रखी हैं, जोहड़ में, गांव से दूर, जहां स्कूल से आपकी दूरी एक किलोमीटर हो, उस जगह पर जाकर के यह बेचारे शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, हालांकि इस बार में भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह कसूर इनका तो नहीं है, शिक्षक तो बेचारा फिर भी बारह सौ रुपये के अन्दर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है लेकिन एक ही विद्यार्थी का राजीव गांधी में भी नाम है, प्राइमरी स्कूल गांव की जो है उसमें भी नाम है और जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं उसमें भी उसका नाम है। मैं एक बच्चे का नाम आपको तीन जगह दिखा सकती हूं। आप शिक्षा मंत्रीजी, मेरे साथ ही चलें, मेरे ही जिले में चलें, एक विद्यार्थी का नाम तीनों जगह लिखा हुआ आपको दिखा दूंगी। लेकिन उसमें आपका कसूर नहीं है, आपने बेचारों की इनकी ड्यूटी लगाई कि तुम जाकर के दो महीने तक घूघरी पका करके उनको खिलाओ और अब भारत सरकार जो आपको दो महीने का गेहूं देगी नहीं, तो अब तो आपके बच्चे रहेंगे वंचित और उन दिनों के अन्दर सूअरों को खिलाई थी, बना ली घूघरी और घूघरी बनाकर जब नहीं कोई खाने वाला बचा, गर्मी में कौन आता, तो उन कुत्तों को डाली, सूअरों को डाली, किसी ने भी खाई लेकिन यह भी आपने अपव्यय किया, उन बच्चों का हक मारा जिन बच्चों को इन दो महीने में और मिलती। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी, अपनी बात को अधिक नहीं कहते हुए, मैं आपसे यही निवेदन करते हुए कि अब यदि आपने गलती कर दी तो हो सकता है इस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और वह खामियाजा बहुत भारी खामियाजा होगा, मैं आपको बता रही हूं। इसलिए मेहरबानी करके आज घोषणा करिये कि इन आमरण अनशन पर बैठने वाले पैराटीचर्स की आप क्या

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

व्यवस्था करने जा रहे हैं, अपने वायदों को निभाने जा रहे हैं अथवा यों ही यह तीने महीने आपको निकाल देने हैं और रामभरोसे इनको छोड़ करके और क्या कुछ लोगों की और बलि लेनी है आपको? इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : डाक्टर करण सिंह। (व्यवधान) आप बिराजें। एक साथ करा देंगे।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**डा. बी. डी. कल्ला** : उनका इश्यू अलग है...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : ऐसा संवेदनशील सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** : मंत्रीजी बोलना चाहते हैं...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह सारे राजस्थान को...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बाद में बोलना। (व्यवधान) आप बिराजें न।

**डा. किरोड़ी लाल** : मंत्रीजी इसकी जांच कराना चाहते हैं...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह पैंतीस हजार अध्यापकों से जुड़ा हुआ सवाल है और मात्र पैराटीचर्स की बात नहीं है, इस सरकार ने ठेके पर चिकित्सकों को लगा दिया, ठेके पर नर्सिंग स्टाफ को लगा दिया, आज जो योग्यताधारी प्रशिक्षित लोग है वह दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और यह सरकार इस तरह की बात कर रही है...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री धर्मपाल चौधरी** : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजो। आप बिराजो एक मिनट।

**श्री जीतमल खांट** : सारे राजस्थान को देख लो आप...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये न।

**श्री धर्मपाल चौधरी** : पैराटीचर, पैराडाक्टर, पैराइंजीनियर, पैरामुख्य मंत्री...

**श्री जीतमल खांट** : यह सरकार इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठो तो सही तो। बैठो न एक मिनट। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, आप साक्षी हैं, इसी सदन के अन्दर तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम सेवा नियम बनायेंगे और तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला के अनुसार इन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पैराटीचर्स को हम सारी सुविधाएं देंगे। इन्होंने घोषणा खुद ने की थी। एक दिसम्बर को...

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप बिराजो न एक मिनट।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : जब इस सरकार के चार साल पूरे हुए थे, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और आज वह पैराटीचर, पूरे राजस्थान का पैरा टीचर्स आज अपने हक के लिए राजस्थान की सर्वोच्च संस्था के सामने आया हुआ है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजें न।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : क्या हालत है राजस्थान की इस समय...(व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** : पैराटीचर सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार सोई हुई है...

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजें। बिराजें।

**श्री जीतमल खांट** : पारदर्शिता का नारा देनी वाली सरकार...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : अड़तीस हजार पैराटीचर्स। उपाध्यक्ष महोदय, अड़तीस हजार, लगभग चालीस हजार पैराटीचर, बेरोजगार शिक्षाकर्मी...

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट बैठो।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट बिराजें आप। एक मिनट बिराजें। आप तो समझदार आदमी हैं, बिराजें न एक मिनट। आप काहे को इनके साथ लग रहे हो। एक मिनट आप बिराजें। आप बिराजें न एक मिनट। एक मिनट बिराजिए। पहले मेरी सुन लीजिये, फिर आप कहना। यह पैरा टीचर्स का जो मामला है इस पर मैं चाहूंगा कि सरकार पांच बजे जवाब दे, कोई स्टेटमेंट लाये। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : इसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षक हैं...(व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन पैराटीचर्स का जवाब देने के लिए तैयार हूं...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

**डा. बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स का जवाब देने में, मैं अभी जो मुद्दे उठाये हैं उसका जवाब दे दूं, मैं अभी दे दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट। और हैं पर्चियां इस पर अभी, बिराजो। बिराजो न, क्या प्रोब्लम है अब। (व्यवधान) आप बैठिये न अब, नेता महोदय बोल रहे हैं आपके।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस विषय के बारे में मंत्रीजी को कह रहे हैं कि पांच बजे उसका वह अपनी तरफ से वक्तव्य दें, मैं कह रहा हूं कि सम्पूर्ण...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस पर तीन पर्चियां हैं अभी, पैरा टीचर्स की।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सम्पूर्ण शिक्षा का एक पर्चियों के माध्यम से, अलग-अलग विषय हैं, शिक्षाकर्मी भी अलग यह पैराटीचर्स अलग हैं, जो नई भर्ती के आपने आदेश निकाले और कोर्ट से स्टे हो गया क्योंकि आपने डिफेक्टिव आदेश निकाले, हजारों पद विद्यालयों में खाली पड़े हैं, बच्चे रोड पर आ रहे हैं, चक्के जाम हो रहे हैं, रोज लाठीचार्ज कहीं न कहीं हो रहा है, यह एक नहीं, शिक्षा के इतने आयाम हैं कि अगर आप इसकी दिन भर भी चर्चा करें तो आप स्वयं अपने अन्त: मन में इतने परेशान और दुखी होंगे कि हमने सम्पूर्ण शिक्षा के ढांचे को...

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आप चाहते क्या हो।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें ठीक प्रकार से, यह जो वक्तव्य दे, केवल एक पैराटीचर्स तक सीमित न करें, वह शिक्षाकर्मी भी उसमें है, इसी तरह से यह जो आपका एग्रीकल्चर का नवजवान है, वह जो आया हुआ है, यह पशुधन सहायक आये हुए हैं...

**डा. बी. डी. कल्ला** : यह नया इश्यू और आ गया, नया इश्यू...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मतलब इन सारे, ठीक है आपके विषय जो हैं वह केवल आप दें, शिक्षा का विषय है, आप शिक्षा का पूरा विषय लें, हम तो चाहते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा की इस अव्यवस्था के बारे में जिसके कारण से सम्पूर्ण राजस्थान में जो हाहाकार मच रहा है, गांवों में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है; एक अध्यापक से मिडल स्कूल चल रहा है 250 बच्चों को लेकर के, कहीं व्याख्याता नहीं, कहीं सैकण्ड ग्रेड टीचर नहीं, कहीं थर्ड ग्रेड टीचर नहीं, पचास हजार पद शिक्षकों के रिक्त हैं और हम कहते हैं कि हम भर्ती कर लेंगे, कब होगा, क्या होगा, कैसे...

**डा. बी. डी. कल्ला** : कोई पचास हजार पद रिक्त नहीं है, बिलकुल गलत सूचना दे रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह कोई गलत...

**डा. बी. डी. कल्ला** : आप पूर्व शिक्षा मंत्री रहकर, कौन से पचास हजार रिक्त पद हैं, बताइये जरा आप। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : आप अपनी कहो तो दे देना। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला** : बिलकुल रिक्त नहीं है। आप बिलकुल गलतबयानी कर रहे हो। बिलकुल गलतबयानी कर रहे

(श्री बी. डी. कल्ला)

हैं, पचास हजार पद रिक्त नहीं हैं।

**श्री अमराराम (धोद) :** कल्लाजी, आप एक स्कूल का नाम बता दें जिसमें टीचर पूरे हों। (व्यवधान) कल्लाजी, राजस्थान में एक स्कूल का नाम बता दो जहां पर टीचर पूरे हो। +++ (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** गांवों में अध्यापक नहीं हैं...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** कल्लाजी, +++ आप तो। (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान :** उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, सारी स्थिति चरमरा गई है। आपसे कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। स्कूल खुले पड़े हैं, अध्यापक नहीं है। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट :** सारे के सारे विद्यालय खाली पड़े हुए हैं, गांवों के अन्दर जितने भी विद्यालय हैं...

**श्री हीरासिंह चौहान :** ऐसी स्थिति की तो किसी ने आशा ही नहीं की थी, वह स्थिति आपने स्कूलों की बना दी है। (व्यवधान) खोलते गये स्कूलें, खोलते गये स्कूलें...

**श्री सांवर लाल :** समानीकरण के पश्चात् कितने पद समाप्त किये मंत्रीजी...

**श्री जीतमल खांट :** शिक्षा का बंटाढार कर दिया इस सरकार ने।

**श्री सांवर लाल :** समानीकरण के नाम से कितने पद समाप्त किये आपने... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। डाक्टर करण सिंहजी। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट :** छोटे–छोटे बालकों के साथ सरकार बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है, ग्रामीण इलाके के साथ भेदभाव कर रही है...

**डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान माननीय जो सदस्यगण कह रहे हैं, जिस पर चर्चा आप कर रहे हैं, उसी विषय पर अपनी बात आप लोगों के बीच में...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** आपने एड. खतम कर दी...(व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट :** सारे विद्यालयों के वहां ताले लगे हुए हैं...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानित शिक्षार्मी दुखी हैं... (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :** आज कोई भी विज्ञान पढ़ाने वाला नहीं, कोई भी गणित पढ़ाने वाला नहीं, कोई भी अंग्रेजी पढ़ाने वाला नहीं, यह व्यवस्था

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम चौधरी)

है मेरे ओ शिक्षा प्रेमी, उन गरीब बच्चों का देखो, किसानों के बच्चों का, शहर में सब कुछ है, गांवों के अन्दर इस प्रकार की हालत है, आज हकीकत है, कोई भी गणित का मास्टर नहीं है, कोई भी विज्ञान का मास्टर नहीं है, कोई भी प्रिंसीपल नहीं हैं, कोई भी आज स्कूलों के अन्दर हैडमास्टर नहीं है, यह आपको विनम्र निवेदन करता हूं। शहरों में पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इस तरह की हालत गांवों के अन्दर हैं, गांव के अन्दर सारे के सारे स्कूल खाली हैं और यह सरकार...(व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : और उन दूर-दराज के गांवों में जहां किसान के बच्चों का क्या हाल होता है आपको पता नहीं...

**डा. करण सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची पर बोलने का मेरा समय है, मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह अधिकार...

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : XXX

**श्री जीतमल खांट** : XXX

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : XXX

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री जीतमल खांट** : XXX

**श्री हीरासिंह चौहान** : XXX

**श्री मानिक चन्द सुराना** : XXX

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : XXX

**श्री केसाराम चौधरी** : XXX

**डा. बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, जो पर्चियां आज दी गयी हैं उनके बारे में पांच बजे एक स्टेटमेंट जारी करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पांच बजे जिन पर्चियों के बारे में उल्लेख किया गया है, मैं सदन में एक लिखित वक्तव्य जारी कर दूंगा। जो पर्चियां दी गयी हैं उनके सम्बन्ध में पांच बजे मैं लिखित वक्तव्य जारी कर दूंगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिये प्लीज। अब क्या चाहते हैं?

**श्री केसाराम चौधरी** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर-आर्डर। आप चाहते क्या हो? आप बोल रहे हैं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप इनको सुन ही नहीं रहे हैं। आपने बात कही। आपने कहा तब मैं कह रहा हूं। आपने इनको खड़ा कर दिया। क्या बात मैं इसमें

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** उपाध्यक्ष महोदय, आप एक सैकण्ड सुन लें। आप एक मिनट बिराज तो जाएं।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको इतना मौका दे रहे हैं। आपने जो कुछ बात कही उसको हम पालन कर रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप इस पर स्टेटमेंट लाये और क्या चाहिए?

**डा. बी. डी. कल्ला :** मैं 5 बजे स्टेटमेंट दे दूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** सवाल पांच बजे देने का नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षा की दुगर्ति हुई है। एक नहीं हमने आज जो...एक सैकण्ड आप मेरी बात सुन लें।

**डा. करण सिंह यादव :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** हां बोलें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** डाक्टर साहब एक मिनट बिराज जाए।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** आप पांच मिनट बाद में बोल लेना।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सुराना साहब।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** आज ये तो लाटरी सिस्टम है इसलिए पर्ची चार ही निकली लेकिन आज इस शिक्षा से सम्बन्धित जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर मैं सोचता हूं कि 20 माननीय सदस्यों ने केवल शिक्षा पर ही और तो कुछ फसल बीमा या और कुछ किसानों की समस्याओं की भी पर्चियां थी 28 पर्चियों में से लगभग 16 पर्चियां शिक्षा और शिक्षा से सम्बन्धित जो समस्याएं इस समय राजस्थान में गांव-गांव का व्यक्ति जो महसूस कर रहा है और जो उसका आक्रोश है और जिसके कारण से आये दिन लाठीचार्ज और रोड जाम हो रहे हैं। गांव-गांव के लोग स्कूल पर ताला लगा रहे हैं इन सब बातों को दिया। लाटरी में तो आपके चार ही निकलेगी ये तो तय बात है और चार में हो सकता है इससे सम्बन्धित दो ही पर्ची निकली हो या तीन निकली हो।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप चाहते क्या हो वो बोलो न।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मैं चाहता हूं कि शिक्षा की इस समस्या पर सरकार से कहें कि वो तुरन्त अपना वक्तव्य दे और व्यवस्था करे। आखिर मतलब क्या है हमारा यहां चर्चा करने से केवल हमें अखबार में थोड़े ही छपाना है। उस बच्चे का क्या होगा जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री महोदय को स्वयं जब इतनी आपके पास पर्चियां नहीं निकली लेकिन आयी तो थी न।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो सीधी बात यह कहो न आप गवर्नमेंट से स्टेटमेंट चाहते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : मैं चाहता हूं कि वो तुरन्त इसके बारे में अपना वक्तव्य दें तब इस चर्चा को आगे बढ़ायें बाकी चर्चा का कोई अर्थ नहीं है।

**डा. बी. डी. कल्ला** : मैं पांच बजे वक्तव्य दे दूंगा। कह रहा हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : पांच बजे क्यों अभी नहीं दे सकते आप? क्या चाहते हो आप?

**डा. बी. डी. कल्ला** : पैराटीचर्स के बारे में अभी दे देता हूं। (व्यवधान) व्यवस्था दी है पांच बजे की।

**श्री मोहन लाल मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स के बारे में अभी मंत्री महोदय कहना चाह रहे हैं कहला दीजिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिये। माननीय अमरारामजी।

**श्री अमराराम (धोद)** : शिक्षाकर्मी और पैराटीचर, खाली पोस्टें तीनों के बारे में दीजिये केवल पैराटीचर ही नहीं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री केसाराम चौधरी** :...(व्यवधान)... माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में कामर्स में सब्जेक्ट बन्द होने को आ गया है चार साल से बच्चे विषय अध्यापक नहीं होने की वजह से बैठे हुए हैं और स्कूल छोड़ कर जाने को मजबूर हो गये हैं और बातें कर रहे हैं यहां वक्तव्य दे दूंगा। वक्तव्य से बच्चे थोड़े पढ़ेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये-बैठिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** :...(व्यवधान)... एक महीने से ताला लगा रहा मेरे रामगढ़ अलवर में। (व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** : बच्चों को वहां मारवाड जंक्शन में विज्ञान की फैकल्टी बंद हो रही है।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : मेरे क्षेत्र में एक महीने ताला लगा रहा उसके बाद 6 टीचर लगे...(व्यवधान)...कम्प्यूटर लगा दिये। कम्प्यूटर के टीचर नहीं है... (व्यवधान)

**श्री केसाराम चौधरी** :...(व्यवधान)... कौन पढायेगा? (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : आपने सारे शिक्षा जगत को रुला दिया। सारी शिक्षा जगत हो रहा है। सारी स्कूलों के बच्चे रो रहे हैं। स्कूलों में ताले लग गये हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : माननीय सदस्य, अपना आक्रोश प्रकट नहीं कर रहे हैं...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : गांव की जनता ने ताले लगा दिये मेरे क्षेत्र में 15 स्कूलों में ताले लग गये। आप किसको रोयेंगे शिक्षा मंत्रीजी। क्या बात करते हो आप

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बेईमानी करते हो। आप इस देश के साथ इस राजस्थान में शिक्षा के साथ में आपने +++ किया है। आपने +++ की है। 15 स्कूलों में ताले लगे हुए हैं मेरे क्षेत्र में रामगढ़ अलवर में और जनता ने ताले लगाये हैं...(व्यवधान) क्या बात करते हो आप।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या है कि हमारा कोई आक्रोश अपने मन से बनाया हुआ नहीं है जनता में जो आक्रोश है वो प्रकट हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब मेरी बात सुन लीजिये। आप बात सुनिये न। आपने बात कह दी कि सम्पूर्ण शिक्षा पर आप गवर्नमेंट का स्टेटमेंट चाहते हैं। तो फिर वापस मुझे जवाब तो देने दो। काहे को आप इतना कर रहे हो Why are you agitating? बात तो सीधी सी है आप बैठिये प्लीज।

**श्री मदन दिलावर :** उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी पर भी...(व्यवधान) पशुचिकित्सक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, बच्चों की फीस, कम्प्यूटर सारा का सारा गड़बड़ घोटाला शिक्षा विभाग ने किया है सब पर अपना स्टेटमेंट लाइये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** अनाप-शनाप फीसें बढा दी। पहली कक्षा से लेकर के आपने मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एल.एल.बी. एक-एक जिले में 15-15 कालेज खोल दिये कहां जाएंगे बेरोजगार विद्यार्थी। कहां जाएंगे बेरोजगार शिक्षक +++ की है। इतनी बड़ी राजस्थान के साथ हर मिनिस्टर ने हर कांग्रेस के एम.एल.ए. ने (व्यवधान)

**श्री कृष्ण मुरारी गंगावत :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। इस बात पर तो राजस्थान सरकार को...(व्यवधान) इस बात पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे लड़के जब साउथ में एडमिशन के लिए जाना चाहते थे तो वहां डोनेशन देते थे...(व्यवधान) आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आज हमारा बच्चा यहां पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग कर रहा है। (व्यवधान) इसके लिए तो पूरे सदन को मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना श्री सी.पी. जोशी।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

### अधिसूचना

#### खनिज विभाग

**डा. बी. डी. कल्ला. (शिक्षा मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अधिसूचना संख्या एफ.12(17)खान/ग्रुप-1/2000 दिनांक 27 मार्च, 2003 जिसके

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. बी. डी. कल्ला)

द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

## प्रतिवेदन

**राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) एवं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)**

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

**राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001**

**डा. बी. डी. कल्ला** (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा 3(बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2000-2001 (19.6.2000 से 31.3.2001 की अवधि के लिए) तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (19.6.2000 से 31.3.2001 की अवधि के लिए) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

**राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000**

**श्री रतन लाल ताम्बी** (खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणजी माथुर।

## समिति का प्रतिवेदन

**प्राक्कलन समिति 'क' 2003-04 का 24वां से 32वां प्रतिवेदन**

**श्री शिवचरण माथुर** (सभापति, प्राक्कलन समिति "क", 2003-04) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 समिति के निम्नांकित 9 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. वन विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन

(श्री शिवचरण माथुर)

समिति "क", 2003-04 का 24वां प्रतिवेदन।

2. खनिज एवं भूगर्भ (पेट्रोलियम) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 25वां प्रतिवेदन।

3. शिक्षा (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 26वां प्रतिवेदन।

4. संस्कृत शिक्षा विभाग (प्राक्कलन समिति "क", 2002-2003 के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट संस्कृत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक) प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 27वां प्रतिवेदन।

5. भाषा विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 28वां प्रतिवेदन।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 29वां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा (विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम) विभाग (प्राक्कलन समिति "क", 2000-2001 के 10वें प्रतिवेदन में समाविष्ट ऊर्जा) (विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम) (विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक) प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 का 30वां प्रतिवेदन।

8. वाणिज्यिक कर विभाग (प्राक्कलन समिति "क", 2001-2002 के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक) प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 31वां प्रतिवेदन।

9. विधि एवं संसदीय कार्य विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 का 32वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री हीरालाल देवपुरा।

**प्राक्कलन समिति "ख", 2003-04 का 16वां से 19वां प्रतिवेदन**

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 2003-04) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "ख", 2003-04 समिति के निम्नांकित 4 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्व विभाग एवं राजस्व मण्डल के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख", 2003-04 का 16वां प्रतिवेदन।

2. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभ्भाग से क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख",

(श्री हीरालाल देवपुरा)

2001-02 के दशम् प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2003-2004 का 17वां प्रतिवेदन।

3. उपनिवेशन विभाग के क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख", 2003-04 का 18वां प्रतिवेदन।

4. देवस्थान विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख", 2001-2002 के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2003-04 का 19वां प्रतिवेदन।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित) श्रीमती सुमित्रा सिंह।

**महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2003-2004 का छठा प्रतिवेदन**

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** (सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2003-2004 समिति के षष्ठम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिवनाथ सिंह।

**सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2003-2004 का प्रथम प्रतिवेदन**

**श्री शिवनाथ सिंह** (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2003-04): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2003-04, नागरिक उड्डयन, डेयरी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, अल्प बचत, आबकारी, पर्यावरण, श्रम, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, प्रशासनिक सुधार, खादी एवं ग्रामोद्योग, मत्स्य, सिंचित क्षेत्रीय विकास, राजकीय उपक्रम, संसदीय कार्य, भू-जल, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, कारागार, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वर्ष 2000 के लम्बित आश्वासनों से सम्बन्धित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**(14.00 बजे)**

**श्री उपाध्यक्ष** : डाक्टर करण सिंह।

**पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति वर्ग 2003-04 का प्रथम प्रतिवेदन**

**डा. करण सिंह यादव** (सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में दिये जा रहे प्रतिनिधित्व तथा उनके सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य-कलापों से सम्बन्धित

(डा. करण सिंह यादव)

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति 2003-04 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट।

**कार्य सलाहकार समिति का 25वां प्रतिवेदन**

**श्री हरिसिंह** (महुवा)(मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई। विचारार्थ।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

## विधायी कार्य:विधेयक का पुर:स्थापन

### राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003

**डा. बी. डी. कल्ला** (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक (संस्था संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

**डा. बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार शौर शराबा)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट, आप समझ ही नहीं रहे बात को, आप मेरी बात सुनिए। यह मेरी रेस्पासिबिलिटी है यह नहीं भागेंगे, आपको मौका दूंगा यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तो सुनना ही नहीं चाहते है उसका मेरे पास क्या

(श्री उपाध्यक्ष)

इलाज हैं। पांच बजे स्टेटमेंट दिलाने का मतलब यह नहीं कि मैं इनको भगाना चाहता हूं। क्या बात है ऐसी, फालतू बहस कर रहे हो। आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो कोई बात को। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं, यह भागने की तैयारी में है कि सरकार स्पष्टीकरण दे, यह तो भागेंगे। इनके पास तो भागने की तैयारी है, यह सुनना ही नहीं चाहते।

**श्री कृष्ण मुरारी गंगावत** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो भागने वाले हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

**श्री मोहन लाल मोदी** : सरकार का उत्तर ही नहीं सुनना चाहते। पैराटीचर्स को नहीं सुनना चाहते।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : सेठजी, आपको क्या लेना देना है पैराटीचर्स से।

**श्री मोहन लाल मोदी** : यह तो आपको पता है क्या लेना देना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप यदि पैराटीचर्स का स्टेटमेंट चाहते हैं तो मैं इनका पांच बजे स्टेटमेंट करा दूंगा। आप सम्पूर्ण शिक्षा पर स्टेटमेंट चाहते हैं तो फिर 25 तारीख को इनका स्टेटमेंट कराऊंगा, बोलिए क्या चाहते हैं और आपको मौका दूंगा।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : 25 तारीख को कराइए कोई एतराज नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी शिक्षा पर चर्चा हो जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यही कह रहा हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : हां ठीक है, 25 तारीख को कराइए हमें कोई एतराज नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है फिर बिराजो।

**डा. बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पैराटीचर्स के बारे में इन्होंने एक तो पांच आत्म हत्याओं का कहा इसको मैं डिनाई करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप जवाब में दे देना।

**डा. बी. डी. कल्ला** : यह तो फिर आज ही जवाब देना पड़ेगा इसका तो।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपने जवाब में कह देना। आप स्टेटमेंट दोगे न।

**श्री मोहन लाल मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स का जवाब दे रहे हैं दिलावा दीजिए क्या दिक्कत है।

**डा. बी. डी. कल्ला** : पैराटीचर्स के बारे में कुछ मुद्दे जो गलत उठाये हैं उनका जवाब तो देना पड़ेगा नहीं तो एक तरफ बात चली जायेगी।

**श्री मोहन लाल मोदी** : यह तो आज देना चाहिये इनको।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपने स्टेटमेंट में कंट्राडिक्ट कर देना ना, क्या बात है इसमें।

**श्री मोहन लाल मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स पर आज ही दिलवाइए (व्यवधान)

**श्री कृष्ण मुरारी गंगावत** : जो इन्होंने गलत क्वेश्चन उठाये हैं उनका आज ही जवाब देना चाहिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स के मामले में झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्या ने...

**श्री उपाध्यक्ष** : उस पर इन्होंने कह दिया, यह कह चुके हैं यह बात...He has already said it.

**डा. सी. पी. जोशी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं आपकी आज्ञा से।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पास किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही नवज्योति अखबार में प्रतिपक्ष के नेता का स्टेटमेंट पढ़ा। सदन की परम्परा रही है, लोकतंत्र की परम्परा में यह आवश्यक है कि जो विधान सभा में कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन है वह गोपनीय प्रतिवेदन होता है (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : इनको रोकिए साहब, यह क्या बीच-बीच में बोलते रहते हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर में भी यह क्या है।

**श्री मदन दिलावर** : क्या पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक):** कार्य सलाहकार समिति का नहीं जाता (व्यवधान) कार्य सलाहकार समिति का गोपनीय प्रतिवेदन आज तक लीक नहीं हुआ। कार्य सलाहकार समिति से पहले, विधान सभा मीट आउट करने से पहले की बात है, क्या-क्या सम्भावित कार्य हो सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : कार्य सलाहकार समिति की गोपनीयता भंग की है मुख्य सचेतकजी ने, मेरे सामने कहा है कि केवल दो दिन सदन चलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठिए, आप क्या कह रहे हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा के कार्यालय से हमें जो सूची मिली उसमें लिख रखा है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन

(डा. सी. पी. जोशी)

का उपस्थापन एवं उस पर विचार किया जायेगा। हमने आज अखबार में पढ़ा प्रतिपक्ष के नेता का स्टेटमेंट कि सरकार ने 25 तारीख तक का प्रोग्राम बनाया है उसके बाद सरकार भाग रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उस कमेटी का सदस्य नहीं हूं लेकिन रूल 203 में कहा गया है कि कोई भी प्रतिवेदन होता है वह गोपनीय होता है। (व्यवधान) आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ। (व्यवधान) कोई तकलीफ है तो।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : ऐसा लगता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी है।

**श्री मदन दिलावर** : (व्यवधान) बेरोजगार पशु चिकित्सकों की बात नहीं सुनी जाये...(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : किसी मनोचिकित्सक से आप अपना इलाज करवाइए...(व्यवधान) आपको मानसिक बीमारी है।

**श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : हर बात में उठकर खड़े हो जाते हैं कमाल की बात है, बड़ी परम्परा है।

**डा. सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, इस नियम 203 में कोई भी प्रतिवेदन गोपनीय प्रतिवेदन होता है और गोपनीय प्रतिवेदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी गोपनीय प्रतिवेदन होता है। प्रतिपक्ष के नेता लोकतंत्र में एक जिम्मेदार पद पर होते हैं। प्रतिपक्ष के नेता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह प्रतिवेदन की गोपनीयता को बनाये रखे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है कि राजस्थान की विधान सभा परम्परा से भी चली, नियम से भी चली आज यहां के प्रतिपक्ष के नेता भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर है। वह राज्यसभा को संचालित करते हैं, उन्होंने पद की गरिमा बनायी और हम यह आशा करते थे कि भैरोंसिंहजी शेखावत के बाद जो प्रतिपक्ष के नेता है वह कम से कम उन नियम और कानून जो परम्परा है उनका निर्वहन करेंगे। पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि प्रतिपक्ष के नेता ने अखबार के माध्यम से यह कहा कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में यह–यह चीजें लिखी हुई है। वह पूर्णतया गोपनीय का उल्लंघन है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का नेता यदि गोपनीयता का उल्लंघन करे तो मैं सोचता हूं कि विधान सभा में जो मर्यादा है, नियम और कानून है वह सब खतम हो जायेंगे। और यह हम सब के लिये चिंता का विषय है कि प्रतिपक्ष के नेता जिस जिम्मेदारी के पद पर निर्वहन करते हैं वह अगर प्रतिवेदन की गोपनीयता का निर्वहन नहीं कर सके तो हम सबके लिये चिंता का विषय है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन

(डा. सी. पी. जोशी)

करना चाहता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत प्रतिपक्ष के नेता का सवाल नहीं है, हम सदन के सारे सदस्य हैं, हम सबकी गरिमा का सवाल है कि यदि सदन में किसी कमेटी में हम बैठे हैं प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा करें वह हाउस में आने से पहले यदि अखबार में आ जाता है तो कहीं न कहीं इस पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह आने वाले समय में, नयी शताब्दी में नये ढंग से हम लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, आपने अभी डिबेट में सुना होगा कि लोक सभा में हमारी पार्टी की नेता ने यह बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और यही एक उदाहरण है कि प्रतिपक्ष के नेता जो आज बी.जे.पी. के हैं वह भी राजस्थान में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का उदाहरण करना चाहते हैं। इससे हमें ज्यादा चिंता है कि आने वाले वर्षों में लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें यदि नियम और कानून के अन्तर्गत कार्य नहीं करेंगी तो लोकतंत्र में गम्भीर प्रश्न खड़े हो जायेंगे और प्रतिपक्ष के नेता प्रतिवेदन को गोपनीय रखने के बजाय यदि अखबार के माध्यम से यह बाते कहते हैं कि हम वहां मौजूद थे तो यह और भी गम्भीर प्रश्न है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर डिबेट की जाये। यह प्रिविलेज का मोशन बनता है या नहीं बनता है कि प्रतिपक्ष के नेता ने प्रतिपक्ष के नेता के पद की गरिमा के अनुरूप आचरण किया कि नहीं किया। यदि आचरण नहीं किया है तो उस सम्बन्ध में कुछ चर्चा की जानी चाहिये जिससे आने वाले समय में कोई भी प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो कम से कम प्रतिवेदन जो सदन में चर्चा करे उससे पहले उसकी गोपनीयता को भंग नहीं करे और यह गोपनीयता भंग हुई है यदि नहीं हुई है तो यह बताये कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने अखबार में नहीं कहा यदि नहीं कहा तो यह बताये कि अखबार में जो तथ्य लिखे है वह गलत लिखे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं इनके खड़े होने से या हल्ला करने से कोई बात खतम नहीं होगी। यह तो अखबार में न्यूज है, प्रतिपक्ष के नेता के हवाले से न्यूज है। यदि वह खण्डन कर दें कि उन्होंने न्यूज नहीं दी है तो कोई बात नहीं। (व्यवधान) यदि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अखबार के माध्यम से कहा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वित्त मंत्रीजी ने करोड़ों रुपये खाए।

डा. सी. पी. जोशी : सदन के अन्दर चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान) वित्त

(डा. सी. पी. जोशी)

मंत्री ने करोड़ों रुपये खाए, बजट लीक किया था तब कहां चले गए थे। आपको निर्णय करने की आवश्यकता है।

**श्री मदन दिलावर :** करोड़ों रुपये खाकर बजट लीक कर रहे थे तब कहां चले गये थे?

**डा. सी. पी. जोशी :** निर्णय लेने से पहले सबकी राय...(व्यवधान) से समझता हूं इस बारे में आप निर्णय लेने में पहले माननीय सदस्यों की...(व्यवधान) सबकी राय सुनने के बाद, आप ठीक समझते हैं ऐसा होना चाहिए। आपको निर्णय करने से पहले सभी माननीय सदस्यों की राय सुननी चाहिए और राय सुनने के बाद में यदि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने नहीं कहा है और अखबार में छपा है...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** करोड़ों रुपये खाकर आपने बजट लीक किया था। करोड़ों रुपये खाए थे, सी.पी. जोशी साहब... (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी :** निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के नेता को (व्यवधान) इन्होंने गोपनीयता को भंग किया है। व्यवस्था की जानी चाहिए, मेरा आपसे यह निवेदन है।

**श्री मदन दिलावर :** बजट लीक में आपने करोड़ों रुपये खाए थे।

**डा. सी. पी. जोशी :** आपको अस्पताल में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया था। आपने अच्छा मान लिया क्या, अस्पताल में भर्ती का...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** बिराजिए, बिराजिए।

**डा. सी. पी. जोशी :** गम्भीर चर्चा कर रहा हूं, गम्भीरता से...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** बिराजिए, बिराजिए।

**डा. सी. पी. जोशी :** गम्भीर चर्चा कर रहा हूं, गम्भीरता से बात करें। यह कोई आपका सवाल नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता का...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** मैं सब जानता हूं। करोड़ों रुपये खाए थे, मैं जानता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** एक मिनट, आप बैठिए।

**श्री मदन दिलावर :** कम्प्यूटर में करोड़ों रुपये खा गए और बात कर रहे हैं।

**डा. सी. पी. जोशी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको या तो बाहर निकालिए, कोई चर्चा होगी तो इस तरह से नहीं होगी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता से और राठौड़ साहब से निवेदन है कि चर्चा करनी है उस उस को आप गाइड करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बिराजिए।

**डा. सी. पी. जोशी :** चर्चा करें,

(डा. सी. पी. जोशी)

रिजक्ट कर दें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से इंटरवीन करके किसी चीज की गम्भीरता को कम नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता अपने आपको शैडो चीफ मिनिस्टर कहलाते है, कल मुख्य मंत्री बनेंगे, इस चीज को कमजोर करेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। यह चर्चा की जानी चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता ने अगर अखबार में कहा है तो गोपनीयता भंग की है, नहीं कहा है तो सदन के समक्ष...(व्यवधान) सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए, नहीं कहा है तो अखबार के खिलाफ सैंक्शन पास होना चाहिए कि अखबार ने इस तरह की न्यूज क्यों दी। गम्भीरता से चर्चा की जानी चाहिए। सदस्य के रूप में हम भी किसी कमेटी में बैठे हैं, प्रतिवेदन जब तक हाउस में नहीं आए तब तक प्रतिवेदन के किसी भी निर्णय को यदि गोपनीयता को भंग करते हैं, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, इस सम्बन्ध में चर्चा की जानी चाहिए। व्यक्तिगत मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। आप भी सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं लेकिन इस पर चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा करने के बाद आपको निर्णय करने की आवश्यकता है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजिए, बिराजिए। अगर किसी प्रश्न पर चर्चा होगी तो रूल के तहत होगी अगर आपने कोई नोटिस दिया है प्रिविलेज का, अभी तक तो आपने कोई नोटिस दिया नहीं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, न हाउस के सामने इसका अभी तक कोई सब्जक्ट है, आप इसको पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से उठा रहे हैं, यह पाइंट आफ आर्डर तो बनता नहीं है। अगर आपको इस पर कोई है आप नोटिस दीजिए, कायदे से उसको पेश करेंगे।

**श्री जर्नादन गहलोत :** बहुत गम्भीर प्रश्न है।

**श्री संयम लोढ़ा :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्पष्ट लिखा है... (व्यवधान) कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद कहा...(व्यवधान) राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो, वह केवल 22 तथा 25 अगस्त, को ही सदन की कार्यवाही चलाना चाहती है।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य बिराजिए। इसको डिनाई कौन करेगा?

**श्री जनार्दन गहलोत :** इतना गम्भीर प्रश्न है।

**डा. सी. पी. जोशी :** आपने जो रूल कोट किया है, निवेदन करना चाहता हूं सामान्यतया जो प्रिविलेज के मोशन है उनके सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यह सामान्य प्रश्न नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें रूल के अन्दर, जो नियम है मैं कोट करना चाहता हूं, जिस नियम के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय, काम्पीटेंट है नियम और कानून को इन्टरप्रेट करने के लिए...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : किसको काम्पीटेंट?

**डा. सी. पी. जोशी** : आपको रेजीड्वेल पावर है।

**श्री उपाध्यक्ष** : रिलेक्स किसको... (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कर रहा हूं, आपके पास रेजीड्वेल पावर है 307 के अन्तर्गत, आपको पावर है 306 के अन्तर्गत (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** : उपाध्यक्ष महोदय को आपको बताने की जरूरत नहीं है।

**डा. सी. पी. जोशी** : आपको जरूरत नहीं है।

**श्री सांवर लाल** : इनके पावर इनको मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप हाइलाइट करोंगे क्या कि क्या पावर है क्या नहीं है।

**डा. सी. पी. जोशी** : आप खुद जानते हैं, आपकी जरूरत नहीं है।

**श्री सांवर लाल** : इनको मालूम है। आप बताओगे क्या इनको?

**डा. सी. पी. जोशी** : आपकी जरूरत नहीं है।

**श्री सांवर लाल** : आप अपनी होशियारी मत बताओ, मेरे को कह रहे हो।

**डा. सी. पी. जोशी** : यह कोई किसानों का मामला नहीं है जो अपन बोल ले। (व्यवधान) कोई भी बात कर ले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद) : इन्होंने जवाब और व्यवस्था दे दी।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज।

**श्री अमराराम** (धोद) : इन्होंने तो व्यवस्था भी दे दी और जवाब भी दे दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिए न।

**श्री अमराराम** (धोद) : इन्होंने तो जवाब दे दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : अमरारामजी।

**श्री हरिसिंह** (महुवा)(मुख्य सचेतक): जवाब तो पहले भी दिया था फिर यहां काहे को आए वैल में?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप 306 पढ़ो।

**श्री हरिसिंह** (महुवा) : जवाब तो आसन कई बार दे देता है, वैल में काहे का आए? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, 306 पढ़ो।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : हरिसिंहजी साहब, आपकी नेता तो पूरे देश की गोपनीयता को...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** आप बात कर रहे हो...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, आप इस नियम से सारी बाते लाइये। (व्यवधान) जोशीजी, आप नियमों की दुहाई देते हो...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी :** वो ही नियम बता रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय ने आसन से व्यवस्था दे दी है।

**डा. सी. पी. जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, इनसे आप निवेदन करें कि मेरी बात सुनने दें। मैं आपका ध्यान 306 के अन्तर्गत आकर्षित कर रहा हूं।

**श्री अमराराम (धोद) :** उपाध्यक्ष महोदय ने आसन से व्यवस्था दे दी।

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** सी.पी. जोशी साहब, आपकी नेता तो पूरे देश की गोपनीयता को इटली में ले जा रहे है, उसका क्या कर रहे हो, उस गोपनीयता का। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला :** कोई कुछ नहीं कर रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजिए ना, प्लीज आप बिराजिए। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि नियमों में... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** आपके नेताओं की बोलती बन्द कर दी है।

**डा. सी. पी. जोशी :** मैं आपका ध्यान 306 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 306 के अन्तर्गत सस्पेंशन आफ रूल्स के पावर आपके पास है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि 306 में, प्रिविलेज का जो आपने बताया कि इस तरह का नोटिस देकर करें, उसको आप सस्पेंड करके आज ही इसी क्षण इसको हाउस में डिबेट करने के लिए अलाउ कीजिए, जिससे हम गम्भीर विषय पर चर्चा कर सके, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** सस्पेंड किसको?

**डा. सी. पी. जोशी :** 306 के अन्दर, सस्पेंड करने का, नोटिस देने के लिए आप कह रहे हैं, सस्पेंड का नोटिस दीजिए, फिर मैं दूंगा। (व्यवधान) किसको सस्पेंड करने के लिए, जो आप प्रिविलेज का जो तरीका है। (व्यवधान) इस प्रिविलेज के तरीके को (व्यवधान) आप राइटिंग में लिखकर मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप राइटिंग में लिखकर दे उन सारी प्रक्रियाओं को 306 के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो तो 307 में, दोनों में ही आपके पास पावर है। उपाध्यक्ष महोदय, 307 में भी आपके पास पावर है। 306 में ले लें या 307 में ले लें। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं आप प्रक्रिया के उदाहरण को देकर ऐसे

(डा. सी. पी. जोशी)

गम्भीर प्रश्न को साइट्रेक नहीं करे। यह हाउस, आपको भी मालूम है आखरी आवर्स में चल रहा है। ऐसे समय में इस सत्र के अन्दर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम न्याय नहीं कर सकेंगे। 306 या 307 किसी के अन्दर चर्चा लेकर (व्यवधान) 307 में नहीं हैं 308 में आपके पास पावर है, 308 के अन्तर्गत इंटरप्रेट करने का आपके पास पावर है। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो रिपोल डिफिकल्ट पावर आपके पास है तो रिमूवल आफ डिफिकल्टी के पावर आपके पास है। आप 306, 307, 308 जो भी ठीक समझते हैं उनमें चर्चा करने के लिए सदन में हमें अलाउ करें।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : नरेन्द्र सिंहजी भाटी तो चले गए पाइंट आफ आर्डर करते करते...(व्यवधान) अब आप पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर कर रहे हैं।

**डा. सी. पी. जोशी** : लेकिन यह हल्ला गुल्ला करके सदन को डिस्ट्रब करना चाहते हैं। गम्भीर प्रश्न है, सदन को कैसे चलाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करें। (व्यवधान) चर्चा की जानी चाहिए। इसमें यह नहीं कि प्रतिष्ठा का कोई बनेगा, आज विधान सभा में फैसला होना चाहिए कि कमेटी के मैम्बर होने के बाद यदि उसके जो निर्णय होते हैं उसको सदन में होने से पहले करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपनी ड्यूटी के प्रति डिरेल कर रहे हैं, इस गम्भीर प्रश्न पर 306, 307, 308 किसी में भी कंसीडर करके डिस्कस करवाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : इनको भी सुन लीजिए।

**डा. चन्द्रभान** (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, सदन की गरिमा का प्रश्न है। यहां प्रतिपक्ष के नेता महोदय बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि इनको भी इस बारे में विचार रखने थे। इन्होंने वास्तव में कहा या नहीं कहा और इसके साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि इस सदन में इतने वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं आप कृपया उनकी भी राय सुने इस विषय के सम्बन्ध में। इतना गम्भीर मसला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, इनको भी सुनिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक बार व्यवस्था दे दी और उसके बाद भी...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यवस्था नहीं दी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उसके बाद में सदन में इस तरह के विषय को लेकर... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप यह मत कहिए कि व्यवस्था दे दी, व्यवस्था नहीं दी।

**डा. चन्द्रभान** : नियमों का हवाला दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने कहा कि आप किस नियम से उठा रहे हो, मैंने व्यवस्था नहीं दी है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं निवेदन कर रहा था प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का उल्लेख करते हुए नियम 202 का उल्लेख करते हुए मंत्रीजी ने कहा... (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : 203 (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : 202 (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलो, बोलो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह कहा कि प्रतिपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति की किसी बात को लेकर गोपनीयता भंग की है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन जिस दिन आहूत हुआ सदन का पहला दिन था उस दिन संसदीय कार्य मंत्री के हवाले से यह छपा था कि इस बार सदन के अन्दर अमूक-अमूक प्रस्ताव लेकर आए जाएंगे। यह सदन दो दिन चलेगा, तीन दिन चलेगा यह सारे बातें संसदीय कार्य मंत्री की...(व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : वह बिजनस एडवाइजर कमेटी का हिस्सा नहीं है। वह कार्य सलाहकार समिति का हिस्सा नहीं था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर।

**डा. महेश जोशी** (सरकारी उप सचेतक): राठौड़ साहब पढ़ाई-लिखाई आपका शौक पहले से नहीं रहा, पढ़ाई-लिखाई का शौक पहले से नहीं रहा (व्यवधान) 202, 203 के चक्कर में फंस जाओगे, आप बिराजो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप बिराजिए।

**डा. महेश जोशी** : जो कुछ बोलना है वह आपके प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोले।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : आप बिराजिए।

**डा. महेश जोशी** : लिखने पढ़ने का शौक रहा है चर्चा करने का यह कोई...(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बोलिए।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में मैंने कोई गोपनीयता भंग की है तो यह सदन जो सजा देना चाहे उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं यह सोचता हूं कि, मैं यह समझ नहीं पाया हूं कि यह विषय क्यों और किस कारण से, हाउस दो दिन ही चलेगा यह बात किसी जानकारी में नहीं थी। यह बात किसकी जानकारी में नहीं थी कि केवल 22 और 25 का ही बिजनस है। यही विषय पूछा था, क्योंकि सरकार ने पहले कहा कि आप लोग अगर सहयोग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करेंगे तो सदन चलेगा। हमसे यह पूछा कि आप लोग सहयोग करेंगे, हमने कहा, हम सहयोग करने के लिये तैयार हैं। लेकिन सरकार चला करके अपनी तरफ से 25 तारीख तक का काम देकर के भागना चाह रही है। इसमें कौनसी बड़ी बात हो गयी। क्या विषय नया आ गया, किसकी जानकारी में नहीं था। इस सदन में जितने लोग आये हैं, यह रिपोर्ट आपके पास डाक में सवेरे पहुंची। लेकिन इससे पहले इसमें से ईमानदारी से कोई खड़ा हो जाएं जिसको यह जानकारी नहीं है कि हाउस का 2 दिन का बिजनस है 22 और 25, इसमें क्या गोपनीयता थी। (व्यवधान) क्या गोपनीयता को भंग किया। इससे क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** 26 तक के प्रश्न छप चुके हैं, 27 तक के छप चुके हैं। इतना तो आपको भी पता होगा। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** आपने गोपनीयता भंग की है, आपने गोपनीयता भंग की है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** और अगर भंग की है तो आप उसकी सजा, जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है।

**श्री जनार्दन गहलोत :** विरोधी दल के माननीय नेता ने बिजनस सलाहकार समिति का हवाला दिया। (व्यवधान)

**डा. महेश जोशी :** आपने सदन की गरिमा को, इसकी परम्परा को तोड़ने की कोशिश की है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मेरे को जो भी पूछा तो मैंने कहा कि चूंकि यह हमारी मीटिंग का विषय है, इस विषय के बारे में गोपनीयता इसकी, जब तक कल सवेरे हाउस में जानकारी नहीं आती तब तक कोई इसके विषय के ऊपर... (व्यवधान) मुझसे पूछा तो स्पष्ट रूप से यह भी टेलीफोन से ही बात हुई। मैंने कहा यह विषय कल हाउस में, जब यहां रिपोर्ट रखी जाएगी, क्या-क्या बिजनस लिया जाएगा वह तो वहां तय होगा लेकिन यह जरूरी है कि सरकार 2 दिन का कार्यक्रम देकर सरकार भागना चाहती है। हमसे सहयोग मांग रही है, हम सहयोग देने को तैयार हैं, चर्चा 10 दिन चलाओ हम उसके लिये तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है और सरकार के पास कोई काम नहीं दिखता है। इसलिये केवल मात्र अभी इस मीटिंग में 2 दिन का ही कार्यक्रम तय हुआ, 22 और 25 का। अब इसमें क्या भंग है, क्या चीज भंग हो गयी। क्या हो गया और अगर मैंने कोई डाकूमेंट भेजा या मैंने कोई किसी को स्टेटमेंट दिया, या कोई चीज हो तो वह पूछ लो, क्या है, क्या... (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी :** प्रेस में स्टेटमेंट दिया आपने।

**श्री जुगल काबरा :** नेता, प्रतिपक्ष ने यह स्वीकार करके कि उन्होंने यह बयान दिया...(व्यवधान)

**श्री जनार्दन गहलोत :** एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता का हम बड़ा सम्मान करते हैं। इस पद पर भैरोंसिहजी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे और जिन्होंने प्रतिपक्ष की हर भावना को, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर सदन की परम्पराएं चलायी हैं। सुखाड़ियाजी के जमाने से जो परम्परा चली थी, भैरोंसिंहजी ने और आज के वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने उस परम्परा को निभाया है। आज विरोधी दल के नेता हैं, हमारा उन का कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, एक ऐसे पद पर जहां विरोधी दल के नेता हों और उस बिजनस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हों, जहां गोपनीयता का प्रश्न हो, प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि इस सदन की मर्यादा, आज इस की जो व्यवस्था रही है उन व्यवस्थाओं को उन मर्यादाओं को उस आचरण को इन्होंने तोड़ा है। (व्यवधान) हमें तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। विरोधी दल के माननीय नेता खेद प्रकट कर दें हाउस को, प्रश्न यहीं समाप्त कर देते हैं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** खेद प्रकट करने का सवाल ही नहीं है, यह सदन जो सजा देना चाहे उस सजा के लिये तैयार हूं।

**श्री जनार्दन गहलोत :** आपने गोपनीयता को तोड़ा है। आपने गोपनीयता को भंग किया है। आप खेद प्रकट कर दें हाउस को, बात समाप्त हो गयी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** खेद प्रकट करने का सवाल ही नहीं है। आदर्श की बात करते हैं, केवल आदर्श की बातों से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

**डा. महेश जोशी :** चोरी और सीना जोरी वाली बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** अगर मेरा कोई अपराध है तो हाउस में प्रमाणित कर दो कि मेरा अपराध है, मुझे सजा दे दीजिए, मैं खुद तैयार हूं। (व्यवधान)

**डा. महेश जोशी :** आपने खुद प्रमाणित कर दिया। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** दो दिन सदन चलेगा, यह सब लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता, 2 दिन सदन चलेगा। सरकार स्वयं भाग रही है इसमें क्या नयी बात है। हमको पूछा आप लोग, हम चलाना चाहते हैं, हम सदन में समर्थन करना चाहते हैं, ज्यादा दिन चले लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि ज्यादा दिन चले, इससे ज्यादा क्या बात है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** आप क्या कहना चाहते हैं?

**मोहम्मद माहिर आजाद** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा सबको मालूम है कि हाउस 2 दिन चलेगा। ऐसा नहीं है। 26 तारीख के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास आ चुके हैं, सारे सदस्यों के पास आ चुके हैं। 27 तारीख के भी छप चुके हैं। (व्यवधान) सुनिये तो सही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि टेलीफोन पर मैंने यह बात कही...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कह दिया नां इन्होंने।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : इन्होंने कह दिया, इसमें फोटो सहित यह न्यूज छपी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन का कोई नया सदस्य, या मेरे जैसा कोई जूनियर मेम्बर अगर इस तरीके की बात कर देता कार्य सलाहकार समिति का यह जो आता है, इस पर लिखा होता है नितान्त गोपनीय...(व्यवधान) अगर उसके मुंह से कोई गलती हो जाती तो क्षम्य थी। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति का...(व्यवधान) जो सदन का विशेषाधिकार था उसका हनन किया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 306 के अन्दर मैं कोट करना चाहता हूं।

**श्री धर्मपाल चौधरी** : जो पार्टी बदल ले उसको पार्टी से निकाल दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : 306 तो पढ़ दिया इन्होंने। अब नयी बात क्या कह रहे हो आप।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इसमें है कि नियमों का निलम्बन, कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि नियम कायदों और कानून का सवाल नहीं है, सवाल इस सदन की मर्यादा का है। सवाल विशेषाधिकार का है। इसका हनन हुआ है तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस पर चर्चा करानी चाहिए और आपको आवश्यक निर्देश देने चाहिए। आपको अपनी रूलिंग देनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा किस पर करूं?

**श्री नन्दलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, जनता के विशेषाधिकारों का हनन किया है, उसकी इनको क्या सजा मिलने वाली है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको बोलने दूंगा।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : राजेन्द्रजी राठौड़ का भी कहो, मानिकचन्दजी सुराना हमारे साथ थे।

**श्री जुगल काबरा** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं प्रकट की हैं उसके ऊपर कृपया आप अपनी व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये ना आप, (व्यवधान) दे दूंगा व्यवस्था, दे दूंगा, आप बिराजिये।

**श्री जुगल काबरा** : माननीय सदस्यों ने आपसे अनुरोध किया है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचायी गयी है। (व्यवधान) इसलिये कृपया आप इसके बारे में अपनी व्यवस्था दीजिए।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : राजस्थान में जिस प्रकार बसपा के साथ धोखा किया है, मायावती की आत्मा रो रही है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : राजेन्द्रजी, सुरानाजी ने, आपने आपके लिये तो पूरा देश रो रहा है कि गाय की बात करते करते कल आप नायडू के दबाव में आ गये। राज के लिये आपने राम को छोड़ दिया, राज के लिये आपने सारे सिद्धान्तों को छोड़ दिया, केवल वोट चाहिए आपको तो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : आपने राज के लिये मायावती को छोड़ दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये।

**डा. बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठायी वह बहुत गम्भीर हैं और उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता महोदय का यह कहना कि हां, मैंने अखबार वालों को फोन पर बताया तो इससे इसकी गम्भीरता और बढ़ जाती है। (व्यवधान) जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन मुख्य सचेतक द्वारा यहां पढ़ा जाता है और सदन के लोगों को पहले सूचना दी जाती है उसके बाद वह सार्वजनिक लोगों के पास सूचना आती है। (व्यवधान) कार्य सलाहकार समिति में सभी पक्षों के सदस्य होते हैं। उन्होंने विचार-विमर्श कर एक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार किया, उसको प्रतिपक्ष के नेता ने यहां स्वीकार किया कि हां, मैंने अखबार वालों को टेलीफोन पर बताया। तो यह निश्चित रूप से सदन की गोपनीयता को भंग किया गया है और यह स्पष्ट उन्होंने स्वयं कहा है कि मैंने टेलीफोन पर यह बात बतायी कि सदन केवल दो दिन चलेगा। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** : मास्टर रो रहे हैं, डाक्टर रो रहे हैं, किसान रो रहा है,

(श्री धर्मपाल चौधरी)

राजस्थान का गरीब रो रहा है उसका तो ध्यान है ना। (व्यवधान)

**डा. बी. डी. कल्ला :** मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है उसके लिये या तो ये खेद प्रकट करें, नहीं तो हम विधिवत रूप से प्रस्ताव लाएंगे और इस बारे में प्रिविलेज मोशन को लाकर के इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी :** आप जवाब देने वाले थे, मंत्री महोदय, जो 8 महीने से बाहर बैठकर रो रहे हैं। बेरोजगार उनको सुनें...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** भंवरलालजी शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया है इसके कानूनी पहलू देखने चाहिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर, आप बैठें ना, सबको सुन रहे हैं फिर इनको क्यों नहीं? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक :** कि हम इस मन्दिर की, इस बाबरी की, जो इस मामले में हम सुरक्षा करेंगे और वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता गये तो इनकी तो आदत पड़ी हुई है इस तरह से करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजिये, प्लीज। पहले आप बैठें ना। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक :** और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध करके यह कह देना कि अपराध किया है लेकिन आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह भावना इन लोगों की है। डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं है।

**श्री अमराराम** (धोद) : आप इतने कमजोर हो कि कुछ कर नहीं सकते हो।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** पूरी तरह से फांसीवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे फांसीवादी प्रवृत्ति के लोगों के लिये ज्यादा कुछ समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से आप यह तय करिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय पारीक साहब, बिराजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** जिन्होंने स्वयं ने यह कह दिया कि मैंने टेलीफोन पर यह बता दिया उसके बाद फिर बाकी क्या रह गया।

**श्री उपाध्यक्ष :** कुछ नहीं रहता है, आप क्यों बोल रहे हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक :** फिर किस बात का प्रमाण, सब कुछ प्रमाणित हो चुका है, इनके खिलाफ अभियोग लाया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बिराजिये प्लीज।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या बिन्दु होना चाहिए जिससे यह माना जाए कि सीक्रेसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

खतम हो गयी, क्या नहीं होनी चाहिए, यह बता दो आप। (व्यवधान) कोई सुनेगा तो बताऊं, किसने बीच में पूछा, यह सवाल जरा खड़ा हो जाए, किसने पूछा यह सवाल।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : न आपके मन में गम्भीरता है, न जोशीजी के मन में गम्भीरता है। खाली इसका मजाक बना रहे हो और सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। बीच में बोलिये मत, कृपया सुनना सीखें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप फरमाएं।

**डा. महेश जोशी** : सुन रहे हैं ना आपको।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : फिर बोल रहे हो आप।

**श्री जनार्दन गहलोत** : आपने आपके पीछे वालों को हिदायत दे दी क्या?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : दे दूंगा, वह तो, आपको भी दे रहा हूं।

**श्री जनार्दन गहलोत** : पीछे वालों को भी दे दो ना हिदायत।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपको भी दे रहा हूं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : और तो दे रहे हैं लेकिन आई फ्लू मत दे देना। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : प्लीज, पारीक साहब।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : यह आई फ्लू मत दे देना।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये। यह बोल रहे हैं। प्लीज, बिराजिये। पण्डितजी, बिराजिये आप। बिराजिये। एक मिनट, यह बोल रहे हैं पहले। (व्यवधान)

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** : इनके बाद में समय देंगे?

**श्री उपाध्यक्ष** : बाद में बोल लेना। बोलने दो न, काहे को टाइम खराब कर रहे हो? (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सीक्रेसी आउट का मतलब है, किसी कंटेंट की सीक्रेसी आउट करना। मीटिंग में क्या तय हुआ, कौन-कौन से विषय लिये गये, उसमें क्या चिन्तन हुआ, यह विषय है। यह विषय नहीं है कि मीटिंग में कौन कौन थे। अगले ने कह दिया कि पांच आदमी थे तो इसमें क्या आउट हो गया? मीटिंग कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे तक चली, क्या आउट हो गया इसमें? क्या सीक्रेसी आउट हुई इसमें? अध्यक्षता कौन कर रहा था, क्या सीक्रेसी आउट हुई जो वहां पर डिस्कशन हुआ, जो निर्णय लिये गये, वह निर्णय सीक्रेट हो सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : 25 तक चलेगी इसको आपने अखबारों में साया करवा दिया। (व्यवधान) यह है मामला।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय पारीक साहब।

**श्री अमराराम** (धोद) : यह क्या जरूरी है कि 25 तक ही चलेगी? 25 के आगे भी चल सकती है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पारीक साहब, अगर आपको कुछ कहना है तो ढंग से कहिये। नहीं तो बड़ी बदनामी होती है आपकी और आपके लिए फिर मुझे सुनना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि यह तय करना पड़ेगा कि कौनसे कंटेंट को कहना सीक्रेसी है और किसको नहीं कहना सीक्रेसी नहीं है।

यह जैसे मैंने दो-चार बातें बताई, अगर इन्हें बता दिया तो इसमें कौनसी सीक्रेसी आउट हो गयी?

**श्री राजेन्द्र पारीक** : जो कुछ अपराध इन्होंने किया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, हम तो यह भी सुनने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपके आचरण के लिए क्षमा मागूंगा मैं तो। समाज में मैं जाता हूं तो आपके लिए कितनी बदनामी होती है, यहां कहना ठीक नहीं समझता मैं। (व्यवधान)

**डा. महेश जोशी** : हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाते हो तो थोड़ी आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के लिए भी उठाओ। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : पहले यह तो बताइये, मुझे यह समझाइये हाउस में कि कौनसी बात ऐसी थी जिससे सीक्रेसी आउट हुई? यदि यह-यह कह देते कि यह-यह विषय लिया गया, इस पर विचार हुआ, यह विचार किस-किस, इस आर्डर में हुआ, यह सलाह आयी तो कोई बात समझ में आ सकती थी। मीटिंग कितनी देर चली, कब तक चली इसमें अगर कह भी दिया तो कौनसी सीक्रेसी आउट होने की बात है। तो पहले यह तय करना पड़ेगा हाउस में कि What is secrete? सीक्रेसी की तारीफ क्या है। वह जब तक तय नहीं करेंगे तब तक कोई अपराध आयद नहीं हो सकता। Let us discuss it. आप मौका दीजिए। अगर आप इतना गम्भीर मान रहे हैं, नियम ही बदल दीजिए और आप अनुमति ले लीजिए, व्हाई?

**श्री राजेन्द्र पारीक** : कौल एवं शकधर क्या कहता है इस मामले में?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या है? क्या बीमारी है यह?

**श्री राजेन्द्र पारीक** : कौल एवं शकधर क्या कहता है? यह बताइये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) :

(श्री भंवरलाल शर्मा)

What is not secrete? सीक्रेसी है क्या आखिर में जो आउट हो गयी? What is secrete? सीक्रेट की तारीफ तो तय करिये। Ki bhai what is secrete? यह विचार का विषय हो सकता है, चिन्तन का विषय हो सकता है। इसको आप पालिटिकल मत लीजिए। यदि वास्तव में आप गम्भीर हैं तो पहले यह तय करिये कि सीक्रेसी है क्या? कौनसा बिन्दु सीक्रेट है, कौनसा नहीं है। कोई भी बात सीक्रेट कैसे हो जाएगी? आपने वहां चाय पी है? हां, मैंने बिना शक्कर की पी। यह आउट कैसे कर दी? यह कोई सीक्रेसी हो सकती है क्या? to what is secrete and What is not secrete? है क्या, उसको ही तय करें पहले। यह तो तय करिये न।

**श्री जनार्दन गहलोत** : इसका मतलब बी.ए.सी. की गोपनीयता का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी परम्पराओं में यह रहा है? भैरोंसिंहजी यही सिखा गये थे क्या?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : भयंकर मतलब है। वाट इज गोपनीयता? आप अपने विचार मेरे पर मत रखिये। गम्भीर है। पूछिये सरकार से, अगर किसी भी प्रकार से...(व्यवधान)

**डा. महेश जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसका यह अर्थ लगाया जाए कि माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय के बयान को आधार बनाते हुए इस बिन्दु पर चर्चा करने को तैयार है। आप इस बात को मानते हैं?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मेरी बात सुनिये पहले आप। मैं तैयार हूं या नहीं, यह मैं नहीं कहना चाहता। (व्यवधान)

**डा. महेश जोशी** : आप तैयार हैं?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप बात तो सुनो मेरी।

**डा. महेश जोशी** : आप तैयार हैं? हम सब चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। इस बिन्दु को आधार बनाकर तैयार हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सीक्रेट क्या है?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस का समय नष्ट कर रहे हैं। समय नष्ट करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ज्वलंत समस्याओं पर तो यह सदन में चर्चा कराना नहीं चाहते। राजस्थान के गरीब की चर्चा करें, किसान की चर्चा करें, बिजली की चर्चा करें, फसल बीमा की चर्चा करें, वह नहीं चाहते, यह उठाकर एक कागज बोल संसदीय कार्य मंत्रीजी बयान देते हैं कि सदन तीन दिन चलेगा, सदन इतने दिन चलेगा और यही बात इन्होंने कह दी तो क्या गुनाह कर दिया? बात बिना मतलब की करते हैं यह।

**डा. सी. पी. जोशी** : आप जैसे सीनियर आदमी बोल रहे हैं यह।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : क्या सीक्रेट है? Secrecy should be defined first. मेरा यह निवेदन है साहब...(व्यवधान)

**श्री जुगल काबरा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मर्यादा और परम्पराओं के ऊपर चर्चा करने से इन्हें परहेज है तो यह क्या लोकतंत्र में विश्वास करते हैं? आप लोकतंत्र की भावना की बात करिये न। सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ गरिमाएं हैं। इनके बारे में बात करिये। आप इनसे क्यों भाग रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : आप प्रजातंत्र की बात करते हो? आप प्रजातंत्र की बात करते हो क्या? 19 महीने देश को जेल बनाकर रखा है आपने। काहे की प्रजातंत्र की बात करते हो आप?

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीतिगत बात यह है कि षट्कर्णे मंत्रणा, षट्कर्णे मंत्रणा, छह कानों में कही हुई बात गोपनीय नहीं रह सकती। वह गोपनीय नहीं है। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : 19 महीने, ईमरजैंसी की बात करते हो आप? प्रजातंत्र की बात करते हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : पण्डितजी, आप फरमाइये।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार कानों में जब तक बात रहेगी तब तक ही वह गोपनीय है और षट्कर्णे मंत्रणा, छह कानों में कोई बात चली गई तो वह गोपनीय नहीं रह गयी, यह सर्व सिद्ध सिद्धान्त है। आप चाहे मानो या चाहे न मानो।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : कल तो यह भंवरलालजी शर्मा साहब तो आये नहीं थे। कटारिया साहब और राजेन्द्र राठौड़ साहब दोनों ही थे और इन दोनों के चार ही कान थे तो फिर यह आउट कैसे हो गई? कल तो चार ही कान थे, साहब।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा सदन में उठाई गई है, मैं आपका ध्यान आपके आब्जर्वेशन की तरफ आकर्षित करता हूं। आपने आब्जर्व किया कि आप कोई मुद्दा विशेषाधिकार का उठाना चाहते हैं तो प्रक्रिया से उठाइये। यह बात आप कह चुके हैं। जैसा मैं समझा।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, ठीक समझे आप।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं उसको रूलिंग नहीं, आब्जर्वेशन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैप्टर-19, अध्याय-19 और 157 पर गौर फरमाये। कोई भी सदस्य अध्यक्ष भी सम्मति से ऐसा कोई प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के, या सदन के, या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अन्तर्ग्रस्त हो।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर 160 को देखिये। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की रीति। अध्यक्ष यदि नियम 157 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए पुर:स्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की अनुमति मांगते हुए उससे सम्मत एक संक्षिप्त...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, है नहीं हमारे सामने, हम कहां से लाये?

**डा. सी. पी. जोशी** : I have raised a point of order. I have not raised a privilege motion. यह विशेषाधिकार कोट कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप समझे ही नहीं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 157 का उल्लेख किया है, यह बिलकुल सही है लेकिन इसका अन्तिम पैरा है वह भी पढ़िये आप। वह क्या है?

**डा. सी. पी. जोशी** : आप क्या कह रहे हैं? मैंने प्रिविलेज का नहीं उठाया, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। I have raised the point of order but not the privilege. Are you quoting the privilege? माननीय सुराना साहब, मैंने प्रिविलेज का पाइंट नहीं उठाया है, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। आप प्रिविलेज के रूल को कोट कर रहे हैं। which is irrelevant. I have not raised the privilege. I have raised the point of order. You are citing the example of आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। मैंने प्रिविलेज की बात नहीं उठायी है। आप प्रिविलेज को कोट कर रहे हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप विशेषाधिकार का प्रश्न...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : नहीं उठाया है मैंने। I have not raised it. I have raised point of order. I have not raised privilege motion. प्रिविलेज अलग बात है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : पाइंट आफ आर्डर, प्रिविलेज का नहीं है।

**डा. सी. पी. जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। मैंने प्रिविलेज की बात नहीं उठायी है। आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय मंत्री महोदय, आप बीच में इंटरविन क्यों कर रहे हैं? आप बीच में इंटरविन क्यों कर रहे हैं?

**डा. सी. पी. जोशी** : मैं इंटरवीन

(डा. सी. पी. जोशी)

इसलिए कर रहा हूं कि आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप पार्लियामैंटेरियन हैं, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, आप प्रिविलेज कोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं कुछ भी हूं, आपको बीच में...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी बात है। पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर करने वाले नरेन्द्र सिंह भाटी आज तक सदन में लौटकर नहीं आये। अब यह पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर कर रहे हैं, अब यह भी सदन में नहीं आएंगे क्योंकि मैंने ...(व्यवधान) नाटक पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर मत करिये। नरेन्द्र सिंह भाटी वह चले गये और आये नहीं। पाइंट आफ आर्डर, यह क्या मंत्रीजी, बात ले आये हो आप? (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : मैं आऊंगा। आप तो अपनी मूंछो का ध्यान रखिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : यह क्या पाइंट आफ आर्डर कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : कोई भी बी.ए.सी. में...(व्यवधान) I am in the possession of the floor with your kind permission.

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिये आप।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : पानी पर डिस्कस करो, बिजली पर डिस्कस करो, अकाल पर डिस्कस करो, आप किसानों पर डिस्कस करो, आप चर्चा करो तो फसल बीमा पर करो और चर्चा करो तो जनता की समस्याओं पर करो, यह क्या नई बात ले आये हो आप पाइंट आफ आर्डर-पाइंट आफ आर्डर। यह क्या नाटक करते हो और यह क्या नौटंकी करते हो आप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र सिंह भाटी, वह चले गये पाइंट आफ आर्डर बोलते ही। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : कोई भी बिजनस एडवाइजरी कमेटी में...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप कुछ सुनने की कृपा करें। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : मगर मैं निवेदन करूं, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। मैंने प्रिविलेज नहीं उठाया है। आप अननेसेसरी प्रिविलेज के रूल को कोट कर रहे हैं। आप इतने सीनियर आदमी हैं। आप पाइंट आफ आर्डर पर बोलिये। आप प्रिविलेज को कोट कर रहे हो। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : पाइंट आफ आर्डर पर नरेन्द्र सिंह भाटी भी नहीं रहे हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** अब पाइंट आफ आर्डर तो होंगे। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** आपके पाइंट आफ आर्डर तो उपाध्यक्ष महोदय सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना :** आप जरा नियम 212 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कार्य सलाहकार समिति के पूरे चैप्टर में माननीय उपाध्यक्ष महोदय कहीं नहीं कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट सीक्रेट है। वह रिपोर्ट पूरी सदन में आनी है। आपने जो भी चर्चा की, आप हाउस की कमेटी है और हाउस की कमेटी हाउस को रिपोर्ट कर रही है और हाउस की कमेटी किस बारे में रिपोर्ट करेगी कि गवर्नमेंट का बिजनस का क्रम क्या है? मुख्य बात उसमें यह है, यह मैं पढ़ रहा हूं।

**समिति के कृत्य** :-समिति का कृत्य यह होगा कि वह उस क्रम की सिफारिश करे जिसमें सरकार तथा अन्य कार्यों पर सदन में चर्चा की जा सकेगी तो जब आप गवर्नमेंट का बिजनस सदन को बता रहे हैं उस कमेटी में तय हो रहा है इसमें सीक्रेट क्या है? क्या सीक्रेसी भंग हो गयी? आप छुईमुई नहीं बनें, यह ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। आप कह रहे हैं न कि हम तो बिलकुल पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। आप हाउस की कमेटी में जो बात हुई है, जो कल हमारे सामने आनी है जिसमें हम संशोधन पेश करते हैं, क्या सीक्रेसी है इसमें और उसमें क्या बम फोड़ने की बात है? इस सरकार का क्रम यह है और हाउस इतने दिन चलेगा और विपक्ष के नेता महोदय ने सही कहा कि हां, हमने टेलीफोन पर कहा और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह यदि विशेषाधिकार का भंग है, बिठा दीजिये कमेटी और ले लीजिये रिपोर्ट, आपकी सारी पोल खुल जायेगी। न यह विशेषाधिकार का हनन है, न यह किसी भी बात का हनन है और मैं कहता हूं इस ट्रांसपेरेन्सी की सरकार में जबकि हम जो बोलते हैं, लोक सभा में बोलते हैं वह गांव-गांव में रिले किया जाता है और गांव-गांव को मालूम होता है कि क्या हुआ लेकिन सदन में बिजनैस एडवाइजरी हुई और सारे सदन को पता चल गया कि सदन दो दिन चलेगा और यह बात किसी से छिपी नहीं है और विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कह दिया तो हुआ क्या? आपको हुआ यह कि घण्टे भर इस समय का सदुपयोग जो राजस्थान की मूल समस्याओं पर चर्चा करनी है, वह चर्चा नहीं हो सके और विपक्ष के नेता को कटघरे में खड़ा करो और रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है आज विपक्ष के नेता को कर दो खड़ा ताकि मोरल डाउन हो जाये। ऐसे मोरल डाउन नहीं होने वाला माननीय जोशीजी और ऐसे डाउन नहीं होने वाला,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नियम और प्रकियाओं को सही तरीके से कोट कीजिये, सीक्रेसी, कौनसी चीज सीक्रेट है, कौनसे आफिशियल सीक्रेट इन्होंने लीक कर दिये कि वह सीक्रेसी लीक हो गयी है। मुझे बहुत दुःख है कि इस तरह की निरर्थक चर्चाएं सत्ता पक्ष की ओर से करके इस सदन का समय बरबाद किया जाता है और हम लोगों को रेलेवेंट मुद्दों पर बात कहने का अवसर नहीं मिलता है।

**डा. सी. पी. जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सैक्रेटेरियट से यह कागज मिला है। आपकी विधान सभा के सैक्रेटेरियट से यह कागज मिला है जिसमें लिखा हुआ है गोपनीय। मैं समझता हूं कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गम्भीर प्रश्न उठाया है। गम्भीर प्रश्न उठाया है असेम्बली की, सैक्रेटेरियट की कार्य करने की जो पद्धति है उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। आपने लिखकर भेजा है यह प्रतिवेदन गोपनीय है। मैं चाहूंगा कि पुनः यह फैसला करें, यह माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह सैक्रेटेरियट की जो प्रैक्टिस है... (व्यवधान) यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) असेम्बली सैक्रेटेरियट... (व्यवधान) नितान्त गोपनीय यह मैंने नहीं लिख रखा है। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : केन्द्र का पैसा खा गये...(व्यवधान)...बी.पी.एल. के गेहूं का पैसा खा गये...(व्यवधान)...अकाल का पैसा खा गये...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : जो कागज दिया है...(व्यवधान)...मैं समझता हूं जो सीनियर आदमी है...(व्यवधान) और आप इस बात को इतने...(व्यवधान) कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी यह है...(व्यवधान)...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : कम्प्यूटर के पैसे खा गये...(व्यवधान)...कम्प्यूटर के ठेके कैसे दिये। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है असेम्बली की सैक्रेटेरियट कागज को लिखकर भेजे, यह गोपनीय प्रश्न है और उसके बाद यह कहे कि गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है। असेम्बली सैक्रेटेरियट को गोपनीय कागज नहीं लिखना चाहिये। (व्यवधान) रूल सब पर लागू होता है। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि आप सीनियर एडवोकेट हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं...(व्यवधान) इससे बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण कुछ नहीं हो सकता। (व्यवधान) आप समाजवादी हैं, समाजवाद की बातें करते हैं और कहें आप सत्ता...(व्यवधान) कि गोपनीय नहीं है, किसलिये गोपनीयता की शपथ होती है...(व्यवधान) शपथ की बात...(व्यवधान) सैक्रेटेरियट के ऊपर जो क्वेश्चन उठाया आपने उसको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली का कागज है, उस कागज में गोपनीय लिखना आवश्यक नहीं है तो आप

(डा. सी. पी. जोशी)

फैसला कर लें...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह गम्भीर प्रश्न है, यह प्रश्न ज्यादा जरूरी है...(व्यवधान) यह प्रश्न ज्यादा जरूरी है कि बेरोजगारी की चर्चा करें, रोजगार की चर्चा करें और जो...(व्यवधान) फिर काहे की चर्चा करना चाहते हैं...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : पानी का पैसा खा गये, केन्द्र का गेहूं डकार गये। बी.पी.एल. का गेहूं कैसे डकार गये। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : आप बैठिये। एक सैकण्ड...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : आप अस्पताल भेज दीजिये। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : आप बैठिये। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** : अस्पताल में जो जायेंगे, काम ठीक हो जायेगा। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** : हास्पिटल में डाक्टर क्यों नहीं हैं...(व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : एक सैकण्ड, आप बैठें प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, अच्छे वकील भी हैं, समाजवादी भी हैं। इन्होंने एक नया ही मुद्दा खड़ा कर दिया। इन्होंने कह दिया कि सीक्रेसी क्या होती है, गोपनीयता होती क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसको ट्रांसपेरेंसी से जोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिये वहां यह सरकार ट्रांसपेरेंसी रखती है लेकिन शासन को और राज्य हित में गोपनीयता भी रखनी पड़ेगी। सदन को चलाने के लिये नियम और परम्पराएं रखनी पड़ेगी। गरिमा है। आपसे इस सम्बन्ध में इतना ही आग्रह है, आप यह बताइये कि यह जो दस्तावेज है कार्य सलाहकार समिति का, सदन में जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाये तब तक इसको गोपनीय रखना चाहिये, यह गोपनीय है या नहीं है, केवल आप इस पर व्यवस्था दीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : इसमें गोपनीय क्या है?

–**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर-आर्डर। एक मिनट। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : नया मुद्दा खड़ा कर दिया।

**श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको इतना दीर्घकालीन अनुभव है कि जब हमारे पास डाक पहुंचती है, यह प्रतिवेदन पहुंचता है न, उससे पहले तो सायंकालीन अखबार में छप जाता है। अब यह क्या गलत कह दिया लूणकरणसर से आने वाले

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

माननीय सदस्य ने, बिलकुल छपता है। सब अखबारों के अन्दर छपता है। यह डोकमेटिक क्या तरीका है कि इसको आपने गोपनीय कर रखा है, क्या गोपनीय है? टोटल ही एग्री करता हूं मैं इनसे। आपको इसको बिलकुल निलम्बित करना चाहिये। हम लोगों को मालूम पड़ता है उससे पहले अखबार में छपता है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इश्यू है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं आज पांच वर्ष हो गये आप प्राइवेट मैम्बर्स डे नहीं रखते हैं। आपका बहुमत यहां पर है, आपकी मैजोरिटी है, पब्लिक ने 153 का मेंडेटरी यहां दिया है उसी अनुपात में आप कमेटी के अन्दर हैं, उसी अनुपात में आप बी.ए.सी. कमेटी के अन्दर हैं। आप सुनते नहीं हैं आपको कितना ही निवेदन कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ प्रोसाइड और कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, अपना कोई वीटो पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह पहला हाउस है जिसके अन्दर सिर्फ एक दफा शुरू-शुरू में प्राइवेट मैम्बर्स डे हुआ था, उसके बाद आज तक मैम्बर्स डे नहीं हुआ। इसकी डिमाण्ड होती है, गवर्नमेंट का बिजनस खतम हुआ और चल देते हैं अगर अपोजिशन के लीडर ने यह बात कह दी प्रेस कांफेंस करके तो मैं समझता हूं यह तो हैल्दी डेमोक्रेसी के अन्दर इसमें क्यों चन्द्रभानजी इतना नाराज होते हो? यह इनका एक पोलिटिकल स्टेटमेन्ट है। आप इनको पोलिटिकल तरीके से मीट आउट कीजिये। आप कीजिये हम तमाम लोग तैयार हैं बहस करने के लिये। अपोजिशन के पास कोई इश्यू नहीं है। आप रोज कहते हो वह आपका पोलिटिकल जवाब वाजिब है। आप वह कहिये। अब क्या इसको टैक्नीकल की बात पर लाकर अपोजिशन के लीडर को आप किस बात पर कटघरे के अन्दर खड़ा करना चाहते हैं? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिये, अब और क्या बचा? (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : आरक्षण व्यवस्था पर चर्चा कराओ न। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं हुआ....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजो ना। (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** : आप नाराज होते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कुछ कहना था इसलिए मैं खड़ा हुआ था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कहना चाहते हो कुछ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : नहीं साहब, कुछ नहीं कहना। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ, हमेशा से, कभी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्य सलाहकार समिति की बात को संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कई बार समाचार पत्रों में कही है जिस दिन सदन आहूत हुआ था उस दिन भी सरकार की तरफ से उत्तर आया था। आज नये मुद्दे की क्या बात है?

**डा. सी. पी. जोशी** : गवर्नमेंट को कर सकता है, लिखा हुआ है इसमें आप पढ़ो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : क्या लिखा है?

**डा. सी. पी. जोशी** : गवर्नमेंट को इन्फोर्म कर सकता है। लिखा हुआ है इसको पढ़ो।

**श्री शिवनाथ सिंह** : उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि सदन में अब जो डिस्कशन हो रहा है, यह जो एक्सरसाइज हो रही है...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : इसको गोपनीय बता रहे हैं।...(व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** : एक कार्यक्रम चल रहा था। माननीय मंत्री महोदय ने पाइंट आफ आर्डर उठाया, उसको आपने डिस्पोज आफ कर दिया कि नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है, नियमों के अन्दर आप आइये। अब उसके बाद में यह जो डिस्कशन हो रहा है कि यह सब्जैक्ट आपका गोपनीयता भंग करने का है कि नहीं करने का है, यह तब आता जबकि कोई इधर से मोशन आता तक कोग्नीजेंस की बात थी। अब जो सब एक्सरसाइज हो रही है वह एक्सरसाइज में छूट है...

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : यह एकेडेमिक डिस्कशन है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : यह एकेडमिकली नहीं है। यहां लोगों की समस्याएं सुनने के लिये हैं इसलिए उपाध्यक्षजी, जब आपने एक पाइंट आफ आर्डर को डिस्पोज आफ कर दिया...

**श्री उपाध्यक्ष** : कहां किया? अब कर रहा हूं डिस्पोज आफ।

**श्री शिवनाथ सिंह** : हां, हो गया। इसलिए सत्ता पक्ष चाहे तो अपना मोशन ला सकती है लेकिन आगे वाला आपका भंग की गयी से है, यहां यह सवाल उठाया ही नहीं और इसके ऊपर बिना मतलब का एक-डेढ़ घंटे बहस चल रही है इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सत्ता पक्ष को जो भी आपने निर्देश दिये हैं उसके अनुसार आगे कार्यवाही कीजिये और यह तब उत्तर आ जायेगा जब कोई प्रस्ताव पेश होगा तो गोपनीय है कि नहीं इस ओर बाद में आयेगा, यही मुझे निवेदन करना है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, इसका न तो कोई मोशन आया, न यहां हमारे आफिस में इस सम्बन्ध में कोई लिखित में चीज

(श्री उपाध्यक्ष)

आयी। पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से माननीय मंत्रीजी ने यह प्रश्न उठाया है। इस पर जितनी चर्चा हुई, वह सब आपके सामने है।

कुल-मिलाकर सदन का कोई भी पत्र हो, वह गोपनीय यदि लिखा जाता है तो गोपनीय माना जाना चाहिए और जब तक उसकी गोपनीयता समाप्त नहीं हो जाती जब तक उसको गोपनीय ही रखा जाना चाहिए। यह बात है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जिस पाइंट को इन्होंने उठाया, उसके बाद सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने इस बात को स्वीकार कर लिया और यह कह दिया कि मैंने अखबार में कहा है, उसके बाद मैं समझता हूं और कोई कुछ ज्यादा बचता नहीं है। इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में जो भी गोपनीय पत्र हो उसको मेहरबानी करके जब तक हाउस में नहीं आ जाए जब तक डिसक्लोज नहीं करें। और इस पाइंट आफ आर्डर को यहीं समाप्त करके कार्यवाही आगे चालू रखें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : दो दिन तक डाक ही नहीं खोलते, काहे से भंग हो गयी।

**श्री उपाध्यक्ष** : चलिये। इन्होंने कह दिया सजा देनी हो तो दे दो, फिर क्या कहोगे इनको, क्या कहना चाहते हो?

**श्री देवीसिंह भाटी** : अब आरक्षण पर चर्चा कराओ, साहब। आरक्षण व्यवस्था पर चर्चा हो जाए।

**डा. करण सिंह यादव** : साहब, यह चर्चा जीरो आवर पर हो रही थी या किसी और आवर में हो रही थी?

**श्री उपाध्यक्ष** : डा. चन्द्रभानजी। आप बिराजिये प्लीज।

**डा. करण सिंह यादव** : हमारी पर्चियों का क्या हुआ, साहब। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : वह गयी सब।

**श्री देवीसिंह भाटी** : साहब, वो आरक्षण के प्रणेता हैं हमारे, अब दो-दो हाथ हो जाएं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कल इस पर स्टेटमेंट आयेगा उसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे।

**श्री धर्मपाल चौधरी** : इस सदन में किस-किस के पास कितनी जमीन है, प्रोपर्टी है...

**श्री देवीसिंह भाटी** : डा. साहब, क्या आरक्षण पर चर्चा करवाएं...(व्यवधान) अब पूरे सदन से आरक्षण पर चर्चा की मांग हो रही है। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** : गुण्डागर्दी पर भी हो रही है सदन पर। (व्यवधान)

## राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003

**डा. चन्द्रभान** (उद्योग मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय कटारियाजी, आपको रिपोर्ट पेश करनी है।

## समिति का प्रतिवेदन

### जन लेखा समिति 2003-2004 का 192वां से 203वां प्रतिवेदन

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (सभापति, जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 2003-2004 के निम्नांकित 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) जनलेखा समिति, 1991-92 के 37वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 192वां प्रतिवेदन

(2) जनलेखा समिति, 1991-92 के 66वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 193वां प्रतिवेदन

(3) जनलेखा समिति, 1992-93 के 82वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति 2003-2004 का 194वें प्रतिवेदन

(4) जनलेखा समिति, 1991-92 के 35वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 195वां प्रतिवेदन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(5) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 पैरा संख्या 4.2, 4.4 व 4.5 सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग व पैरा संख्या 4.7 व 4.8 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2003-2004 का 196वां प्रतिवेदन

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 पैरा संख्या 4.12, 4.13 व 4.15 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2003-2004 का 197वां प्रतिवेदन

(7) जनलेखा समिति, 1994-95 के 7वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 198वां प्रतिवेदन

(8) जनलेखा समिति, 1994-95 के 5वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 199वां प्रतिवेदन

(9) जनलेखा समिति, 1995-96 के 51वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 200वां प्रतिवेदन

(10) भारत के नियंत्रक एवं महखलेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 के पैरा संख्या 3.7 जनजाति क्षेत्र विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2003-2004 का 201वां प्रतिवेदन

(11) जनलेखा समिति, 1995-96 के 57वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 202वां प्रतिवेदन

(12) जनलेखा समिति, 1995-96 के 71वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2003-2004 का 203वां प्रतिवेदन

**श्री उपाध्यक्ष** : हरजीरामजी, आपको भी पेश करनी है।

**राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 का 71वां से 76वां प्रतिवेदन**

**श्री हरजीराम बुरड़क** (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 के निम्नांकित 6 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 का 71वां प्रतिवेदन

(2) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वाणिज्यिक वर्ष 1991-92) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 का 72वां प्रतिवेदन

(3) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वाणिज्यिक वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 तथा निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों व वित्त लेखों पर आधारित) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 का 73वां प्रतिवेदन

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2003-2004 का 74वें प्रतिवेदन

(5) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के दसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2003-2004 का 75वां प्रतिवेदन एवं

(6) राजस्थान वित्त निगम(राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 51वें प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95 पर आधारित) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 का 76वां प्रतिवेदन।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय कृषि मंत्रीजी।

## विधायी कार्यः विधेयक पर विचार

### राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार

**श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मानिक चन्दजी। इसको निपटाओ। ईमे कई है, कई कोनी। एक शब्द तो है, क्यों टाइम जाया करो, और है।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी ने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट में एक संशोधन पेश किया। संशोधन का मुद्दा यह है कि आज तक वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जो वस्तुएं किसान वहां रखता था, उस पर ऋण नहीं दे सकता था पर अब वह संशोधन के मार्फत धारा 20 में एक प्रतिबन्ध है कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऋण नहीं दे सकेगा...

**श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री):** अभी तो पुर:स्थापित हुआ है, बहस चालू हो रही है क्या। इस स्टेज पर तो होता ही नहीं है कुछ भी।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** पुर:स्थापित नहीं, मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु मेरा नाम पुकारा गया, विचारार्थ लिया। आपने सुना नहीं होगा इसलिए माफी चाहता हूं।

अब आप यह जो संशोधन ला रहे हैं, आपने कारण भी नहीं बताये कि क्यों ला रहे हैं? राज्य के अनेक प्रतिष्ठानों में से राजस्थान वेयर हाउसिंग कारपोरेशन मुनाफे में है। माननीय कृषि मंत्रीजी, हमें जानकारी है, 2000-2001 का मुनाफा काफी अच्छा, टर्न ओवर करीब 23 करोड़ का और मुनाफा भी 12 करोड़ का और उसके पहले आपकी कैपेसिटी जो 77 परसेंट यूटिलाइज होती थी अब 85 परसेंट, 88 परसेंट यूटिलाइज हो रही है पर मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और सदन से निवेदन कर रहा हूं कि यह अधिकार आप क्यों ले रहे हैं? सिर्फ 87 जगह पर ही वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की फैसिलिटी है अभी तक 31 जिलों में और आप इस वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को एक्सटेंड करिये। आप इस नये काम को क्यों ले रहे हैं? यह काम तो काआपरेटिव कर सकती हैं। आपके द्वारा जो रसीद दी जाती है। वह ट्रांसफरेबल है, हस्तान्तरित की जा सकती है और उस रसीद के ऊपर लोन काआपरेटिव सोसाइटीज दे सकती हैं, ग्राम सेवा दे सकती हैं, अन्य काआपरेटिव बैंक्स दे सकती हैं, अन्य दूसरी शिड्यूल बैंक्स दे सकती हैं। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को यह काम करने की आवश्यकता क्या है?

कृषि मंत्रीजी, आपका विभाग बहुत बड़ा है और आपका विभाग बड़ा होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां मंत्रिमण्डल के अनेक माननीय सदस्यों से अधिक हैं पर, माननीय मंत्रीजी, आप अपनी मूल जिम्मेदारियों को जरा निभाने का काम करें। भण्डागार में लोनिंग करके वह जिम्मेदारियों डाइवर्ट हो जायेगी। जो मूल काम भण्डागार कर रहा है, इस 12 करोड़ के मुनाफे से आप नये स्थानों पर जो वेयर हाउसिंग की सुविधाएं दे सकते हैं वह काम मुख्य है, वह काम करिये न कि इस काम को करिये

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि वह वहां ऋण भी ले सकेगा। यह 12 करोड़ रुपये जो आपका मुनाफा आया है, कभी 14 करोड़ भी आ रहा है, उसका उपयोग वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज को एक्सटेंशन में लगाइये।

कृषि मंत्रीजी, मुझे जानकारी मिली है कि अनेक कृषि से सम्बन्धित मुद्दे ऐसे हैं कि जिनकी तरफ आपने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी झुंझुनूं में 190 रुपये प्रति बीघा सब्सिडी बंट रही है किसानों को जिनका खराबा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह बीकानेर जिले में क्यों नहीं बंट रही? क्या बीकानेर जिले में खराबा नहीं हुआ? जो सब्सिडी झुंझुनूं में बंट रही है, माननीय शिवनाथ सिंहजी भी बैठे हैं, माननीय सुमित्राजी भी थीं, इनके ध्यान में है और जिस तरीके से वह सब्सिडी बंट रही है वह तरीका गलत है, माननीय मंत्रीजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : वह रामनारायणजी का क्षेत्र है, ऊर्जा मंत्रीजी का।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : ऊर्जा मंत्रीजी का तो खैर जिला है पर यह विषय इनका है कि किसान को सब्सिडी बंटे खराबे की। मैं जानना चाहता हूं कि कितने जिलों में बांट दी?

**श्री रामसिंह विश्नोई** : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : नहीं, इससे सम्बन्धित नहीं हो, कृषि से सब कुछ सम्बन्धित है। राजस्थान में 4 साल से अकाल है और 4 साल से आपके पास में माल नहीं है। चार साल से भण्डारण करने के लिए माल नहीं है किसान का आपके पास में और आज उसकी जैसे ही फसल हुई है, होने को है आप कह रहे हैं कि हम उस पर लोनिंग करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार, माननीय वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, खराबे का रुपया झुंझुनूं जिले में बंटे और चूरू और बीकानेर में नहीं बंटे, कुछ जिलों में बंटे और बाकी में उसको डिसक्रिमिनेट किया जाए, यह किसान बरदाश्त नहीं करेगा। आपके जो सपने हैं न कि हम चुनाव दोबारा जीत कर आयेंगे, वह सपने इस भेदभाव के आधार पर चकनाचूर हो जायेंगे, ध्यान रखें। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो घोषणा की थी, वित्त मंत्रीजी, आप भी ध्यान दें, भारत सरकार ने दिसम्बर में 27.12 को घोषणा कर दी, रिजर्व बैंक ने कि किसान को ब्याज माफ है 2002 के।

**(15.00 बजे)**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह...

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आपने मुझे नाम लेकर पुकारा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : नाम लेकर कहा तो ध्यान देने के लिए कहा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : फिर मेरा नाम नहीं लीजिए आप।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैंने तो आपका ध्यान आकर्षित किया कि मैं बात कह रहा हूं, उस पर जरा गौर करें। यह निवेदन किया। निवेदन करना भी कोई गुनाह हो गया प्रद्युम्न सिंहजी, यह तो पार्लियामेंटरी पद्धति है। आपको तो हमने बड़ा बनाया। वित्त मंत्री के तौर पर आपसे कहा कि आप ध्यान दें। भारत सरकार ने ब्याज माफ किया, 2002 का ऋण, खरीफ फसल का ऋण जो लिया गया उसका ब्याज माफ किया गया और वह 2002 पांचवां अकाल का साल था। सौ साल में ऐसा अकाल नहीं पड़ा और वह 2002 का ब्याज किसान का माफ था। वह भारत सरकार को भरना था और भारत सरकार ने 20 परसेंट राशि शिड्यूल बैंक्स को भेज दी, नाबार्ड को भेज दी और सारे सैंट्रल काआपरेटिव बैंक्स को आदेश दे दिया कि अभी 20 परसेंट ब्याज की वसूली नहीं करो। बीस परसेंट तो नकद भेज दिया और कह दिया कि 80 प्रतिशत की वसूली नहीं करोगे और इसके साथ, माननीय वित्त मंत्रीजी, राज्य सरकार ने घोषणा की, राजस्व विभाग ने 17.12.2002 को कि जो कर्ज किसान ने लिया है 2002 में वह कर्ज तीन टुकड़ों में, तीन सालों में वसूल किया जाएगा। यह राजस्व विभाग की विज्ञप्ति है। राजस्व विभाग ने विज्ञप्ति जारी की और सहकारी विभाग के नीचे जो सैंट्रल काआपरेटिव बैंक्स हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, एक-एक जिले में दो-दो सौ होंगी, 150, 175, 200 हैं और पूरे राजस्थान में करीब आठ हजार होंगी। एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति ने उसकी अवहेलना की और जो ब्याज किसान को माफ था वह ब्याज वसूल कर लिया गया।

माननीय मंत्री महोदय, मैं उदाहरण के लिए बहुत सटीक बात कहना चाहूंगा और सटीक बात कहते हुए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सैंट्रल काआपरेटिव बैंक डूंगरगढ़ ने दस किसानों का ब्याज, नाम नोट करें तो नाम भी लिखवा दूंगा। सुगना बापेऊका, पूसाराम बापेऊका, श्रीराम कृष्णाराम बापेऊका, भैराराम बापेऊका, जिनका मूलधन क्रमशः 7000, 2000, 10000, 9000 था। उनसे 1050, 323, 1500, 1340 ब्याज वसूल कर लिया गया। यह एक डूंगरगढ़ का ही उदाहरण है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : सुराना साहब, सुनिए। यह सहकारी समिति का मामला नहीं है। कृषि से सम्बन्धित है।

**(15.00 बजे)**

**(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)**

**श्री मानिक चन्द सुराना :** होगा। आपका फर्ज था, आप सहकारी मंत्री से वार्ता करते कि गैर कानूनी ब्याज आप किसान से वसूल नहीं करेंगे। मैं आपका दायरा बढ़ा रहा हूं। सहकारिता मंत्री से ही नहीं किसी भी मंत्री को, जो किसान से सम्बन्धित मुद्दा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका अधिकार है, आप उसमें दखलंदाजी करें। ऐसा नहीं है कि कोई कम्पार्टमेंट हो, कि आपका मुद्दा होते भी, किसान का मुद्दा होते हुए आप सहकारिता मंत्री से बात नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ग्राम सेवा सहकारी समिति है लिखमीसर, डूंगरगढ़ की। एक लाख अठारह हजार। मैं दो ही उदाहरण दूंगा।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, एक मिनट सुनिए। ठीक है, आप बीच-बीच में कुछ कर रहे हैं, लेकिन भण्डागार जो अपना है इसका काआपरेटिव से सम्बन्ध तो जोड़ दी।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** मैं भण्डारण पर आ जाऊंगा। सभापति महोदय, आप चिन्तित नहीं हों, मैं भण्डारण पर आ जाऊंगा। भण्डारण की स्थिति तो पैदा हो। अच्छी बारिश हुई और अच्छी बरसात होने के कारण किसान को बीज और खाद की जरूरत थी और खाद तथा बीज के लिए उसको नये ऋण की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने नये ऋण का दरवाजा खोला। राजस्थान सरकार ने भी खोला 17.12.2002 को 2002 को जो भी ऋण था उसको तीन टुकड़ों में बांटा तीन साल के लिए, आने वाले तीन साल के लिए। पहली किश्त वसूल कब होगी नवम्बर, 2003 में, दूसरी नवम्बर, 2004 में और तीसरी नवम्बर, 2005 में। तीन किस्तों में जिस शार्ट टर्म ऋण को फसली ऋण को राज्य सरकारों और भारत सरकार ने तीन टुकड़ों में बांट दिया, राजस्थान के काआपरेटिव बैंक्स और ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने किसान की खाल उधेड़ दी। ब्याज वसूल कर लिया, सौ परसेंट ब्याज वसूल कर लिया और जो ऋण अस्तित्व में नहीं था, जो तीन सालों में आगे चला गया वह ऋण वसूल कर लिया और उस ऋण की राशि सभापति महोदय, कितनी है? 720 करोड़ रुपये का कर्जा था पिछली बार एपेक्स बैंक का। सहकारी बैंकों को 111.6 करोड़ रुपया तो ब्याज का राजस्थान के किसान से गैर कानूनी रूप से वसूल कर लिया गया और मूलधन 600 करोड़ रुपया जो नवम्बर, 2003 में आना था और बाकी 2004 में 200 आना था और नवम्बर, 2005 में भी 200 आना था वह आपने अभी वसूल कर लिया। भारत सरकार की इंटेंशन क्या थी, पालिसी क्या थी, ब्याज माफ कर दिया और फसली ऋण को तीन किस्तों में कर दिया। इस फसली ऋण का दरवाजा खोल दिया। न ब्याज देना और न किस्त देना किसान को। पांच साल का मारा हुआ है। नया ऋण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लेने का अधिकारी है। उस नये ऋण लेने वाले से आपने सारा पुराना ऋण वसूल करके राजस्थान के किसान को खाद और बीज डालने के लायक नहीं रखा। माननीय कृषि मंत्री महोदय और आपकी सरकार के सहकारी विभाग ने किसान को बरबाद कर दिया। यह सदन के सामने मैं रखना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** अब भण्डागार पर आ जाइये आप। हां, उसी पर आ जाइये।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** मैं भण्डागार पर आऊंगा। मेरा निवेदन यह है कि पालिसी क्या थी। भारत सरकार ने पहली बार किसान का ब्याज माफ किया है। सभापति महोदय, पहली बार भारत सरकार ने 1990 में दस हजार का कर्जा माफ किया था और उसके बाद पहली बार ब्याज माफ किया गया है किसान का।

पांच अकालों की पृष्ठभूमि में और जो ब्याज भारत सरकार के वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने माफ कर दिया। आपको बरदाश्त नहीं हुआ वे ब्याज वसूल नहीं कर रहे, ब्याज आपको भारत सरकार से मिलना है, 20 परसेंट मिल चुका है और 20 परसेंट जो भी किस्तें बकाया हैं उन किस्तों को वसूल करने का स्पेसिफिक आदेश रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने दिया हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिपत्र रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का है कि ब्याज वसूल नहीं होगा। एकमुश्त ब्याज माफ कर दिया गया है। क्या आप भारत सरकार की अवहेलना नहीं कर रहे हैं?

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं। आसन से इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता, आप विषय पर आ जाइये।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** आपने 700 करोड़ रुपये की गैर कानूनी वसूली करके खाद और बीज से किसान को डिसएबल कर दिया और 700 करोड़ से जो पांच हजार करोड़ रुपये की फसल होती और वह जो भण्डागार में आती, आपने उस फसल से जो नयी फसल थी उससे इस भण्डागार को महरूम कर दिया और इसलिए आपकी सरकार, भण्डागार का जो स्पिरिट है कि अधिक से अधिक उत्पादन किसान करे और अधिक से अधिक फायदा उठाये, उस स्पिरिट को भी आपने राजस्थान में बरबाद कर दिया है, उस स्पिरिट को खतम करने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वेयर हाउस में नया ऋण जो देने की सोच रहे हैं, मैं ऋण का विरोधी नहीं हूं आपको यदि बैंकों ने फेसिलिटी दे दी है, आपको वे फेसिलिटेट कर देंगे और नाबार्ड आपको रुपया दे देगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप ऋण का काम भी करें लेकिन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपने कोई फाइनेंशल मेमोरेण्डम इसके साथ नहीं दिया कि यह नया काम करने के लिए आपको कितने रुपयों की जरूरत होगी, आप राज्यकोष से कितना रुपया चाहेंगे पचास करोड़, सौ करोड़, दो सौ करोड़, क्या चाहेंगे? बिल के साथ फाइनेंशल मेमोरेण्डम कहां है माननीय कृषि मंत्रीजी? क्या आप बिना रुपयें का खेल कर लेंगे? क्या वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बिना पांच पचास करोड़ रुपये की पूंजी के हमारे किसानों को ऋण दे देगा और फिर उसको सैंक्शन करवा लेगी? आखिर तो चार छह सौ करोड़ का ऋण सैंट्रल काआपरेटिव बैंक सात सौ करोड़ का बांटती है। छह लाख मिलियन टन आपके पास माल रखने की केपेसिटी है। आपको कैपेसिटी 6.79 लाख मिलियन टन रखने की है इस पर कितना रुपया बनेगा और आपको मार्जिन मनी क्या चाहिए।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** यह सारा थोड़े ही है। किसानों का अलग है और दूसरी जो जिन्स हैं उनको देने की जरूरत नहीं है। पांच परसेंट किसानों का रखने का ही मामला है।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** वह पांच परसेंट आपको राज्य कोष से चाहिएगा। मैं यह कहना चाहता हूं।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** हमारी क्षमता है।

**श्री मानिक चन्द सुराना :** आपकी क्षमता है। बहुत खुशी की बात है। वह क्षमता आपने बिल के आब्जेक्ट में कहीं लिखी नहीं है और हम तो यह कहते हैं कि आप भी पचास करोड़ रुपये लें राज्य से फाइनेंशल मेमोरेण्डम दे देते तो कहां दिक्कत थी और पचास करोड़ रुपये की पूंजी बढ़ाकर आप राज्य के किसानों को एक ही स्थान पर वेयर हाउसिंग में आप उनको फैसिलिटी प्रदान करें। हम तो चाहते हैं कि वेयर हाउसिंग सक्षम बने। और उसके लिए आपको आवश्यकता हो तो वित्त मंत्री बैठे हैं। 100-50 करोड़ रुपये इनसे लीजिए। वह रुपया वेस्ट नहीं है उस रुपये पर ब्याज आएगा। वह रुपया उत्पादन में लगेगा।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करता हूं कि किसान के हित का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वह सहकारी विभाग से सम्बन्धित होगा, वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, मेरी मांग है वित्त मंत्रीजी कि आपके 26 सैंट्रल काआपरेटिव बैंक ने जो गैर कानूनी वसूली की है, एक सप्ताह के भीतर वह गैर कानूनी वसूली किसान को वापस कराने का आदेश प्रदान करें और जो फसली ऋण तीन टुकड़ों में चला गया वह भी आपने तो वसूल कर लिया है, 600 करोड़ वह ऋण भी वापस किसान को एक सप्ताह में देने का काम करें और ऐसा मेरा निवेदन इसलिए है कि क्योंकि आपको ब्याज भारत सरकार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

देगी और यह जो मिडियम टर्म में कन्वर्ट किया है आपकी खुद की सरकार ने किया है। 17.12.2002 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन किया है। एक तरफ आप नोटिफिकेशन कर दें, एक तरफ उसकी स्पिरिट का हनन कर दें, यह दो काम नहीं चलने वाले हैं।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान में यह दो तरह का हां भी और ना भी, आपने एक हाथ से तीन साल में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे हाथ से वसूल कर लिया। उस गरीब को जो गांव में बैठा है उसको क्या पता है कि आपने तीन साल में कंवर्ट कर दिया। वह बैंक मैनेजर को कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि यह ऋण कंवर्ट हो चुका है मिडियम टर्म में और सारी गलत रिपोर्ट सैंट्रल काआपरेटिव बैंकों ने अपने अपेक्स बैंक को दे दी कि हमने एम.टी.एल. में कर दिया, मिडियम टर्म लोन में कंवर्ट कर दी। इतनी बड़ी अवहेलना, राजस्थान के किसान के हितों के विरुद्ध इतना बड़ा काम जो सहकारी विभाग के माध्यम से अपैक्स बैंक, सैंट्रल काआपरेटिव बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है मैं चाहूंगा कि यह राज्य सरकार सात दिन में इसको सही करने का और सात सौ करोड़ रुपये किसानों को वापस रिफण्ड करने का काम करे और पचास करोड़ सौ करोड़ रुपया वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को एनेबल करे जिससे वेयर हाउसिंग 6.79 लाख टन की जो इनकी कैपेसिटी है इन पर यह ऋण दे सकें और इसके द्वारा एडिशनल कैपेसिटी और जनरेट करने की स्थिति राजस्थान में बन सके। नये स्थानों पर वेयर हाउसिंग बन सके, 87 स्थानों पर ही आप लाभ दे रहे हैं राजस्थान में स्थान तो आपके 250 अभी बचे हुए हैं जहां यह फैसिलिटी एक्सटेंड किये जाने की आवश्यकता है।

मैं इसी सुझाव के साथ कि मेरा जो प्रस्ताव है इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करें और लाखों किसानों और नागरिकों की राय भी इस सम्बन्ध में जानें।

**श्री सभापति** : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : सभापति महोदय, राजस्थान भण्डारण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्दर मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आए हैं उसके पीछे इनका हेतु कोई किसान का हित करना नहीं।

**श्री सभापति** : यह भण्डारण नहीं है, भण्डागार है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले साढ़े चार वर्षों से जो चेहरा इस सरकार का किसान के सामने आया है, किसान ने उस चेहरे को अच्छी तरह पहचान लिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और उस चेहरे में किसान जब अपना दुश्मन देखने लगा तो चिन्तन शिविर के माध्यम से चिन्ताएं आपको होने लगीं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस चुनाव घोषणा पत्र की तरफ जो अक्टूबर, 1998 में इसी सरकार ने, इसी पार्टी ने जारी किया था और उसमें उस वक्त के किसान नेता जो आज के हमारे विधान सभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बड़ी फोटो एक मुख्य मंत्री के उम्मीदवार के रूप में लगाई थी, मैं पृष्ठ 18 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मंत्री महोदय, जिसमें आपने यह घोषणा की थी कृषि उपज को बाजार की प्रति–स्पर्धात्मक शक्तियों के कुप्रभाव से बचाने के लिए किसानों के लिए समुचित भण्डारण (वेयर हाउसिंग) की व्यवस्था की जाएगी। किसान अपनी फसल भण्डार गृह में रहन रखकर उसके खरीद मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त ले सकेगा। सभापति महोदय, यह घोषणा है अक्टूबर, 1998 की और आज उस बात को जो जमाना गुजर गया वह है चार साल और दस महीने। अब जब इस सरकार के जाने का वक्त आया अब यह ढोंग रच रहे हैं कि हम किसान को इन वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के माध्यम से वह अपनी फसल वहां रहन रख दे, जो पहले यह सुविधा काआपरेटिव सोसायटीज को थी वह किसान को मिले। मंत्री महोदय, आप किसान के पुत्र हैं, कहां से रखेगा किसान इन वेयर हाउसेज के अन्दर अपना अनाज? राजस्थान का किसान तो तबाह हो गया, सोलह हजार करोड़ से ज्यादा की फसल नष्ट हो गयी और इसमें कोई शक नहीं अब तो लोग गांवों में चर्चा करने लग गये कि जब कांग्रेस आती है अकाल को साथ लाती है और जाती है जब अकाल को साथ ले जाती है तो आपके जाने का वक्त आया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें आपने चार साढ़े चार वर्ष पहले की आज आप वह बातें पूरी करने की बात कर रहे हैं।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां किसान हैं। यह वेयर हाउसिंग की जो सुविधाएं हैं, मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर दें तो बताएं कि आपने कितने स्थानों पर यह सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, सुविधाएं हैं नहीं और भण्डारण में उसमें करेगा क्या किसान, जब किसान के पास अनाज है नहीं, इसलिए मंत्री महोदय, अच्छा रहेगा कि आप इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित करें। आपको तो सिर्फ एक ही चिन्ता है कि जब चिन्तन शिविर में कह दिया कि चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वायदे पूरे करें तो जब यह सामने आया तब आप यह अमेंडमैंट लेकर आए हैं। मैं समझता हूं जो वादा आपने किया यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वास्तव में अगर यह सुविधा किसान को मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलेगा परन्तु यह सुविधा किसान को देने का मकसद आपका लगा नहीं। आपके मन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में इच्छा शक्ति नहीं, किसान को रोता हुआ देखना आप चाहते हो। इसलिए आप जो यहां पर ढकोसला कर रहे हो यह किसान विरोधी अपनी तस्वीर को उजला करने के लिए, उजली होने वाली नहीं। राजस्थान का किसान इन्तजार कर रहा है, इस बार धूल धुसरित कर देगा आपको।

मंत्री महोदय, आपको इस बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आपने पहला और मैं समझता हूं शायद वापस लौटकर आप नहीं आएं इसलिए दुबारा आपको इस तरह का विधेयक पेश करने का मौका नहीं मिले इसलिए अन्तिम विधेयक जो मंत्री महोदय आपने प्रस्तुत किया है उसके लिए तो आपको बधाई परन्तु इसके साथ इसे जनमत जानने हेतु प्रचारित करें, यह मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति :** माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :** इतने गम्भीर हैं इस भण्डार व्यवस्था निगम के संशोधन पर कांग्रेस के सारे विधायक, सारे माननीय सदस्य हैं, आप माननीय सभापति महोदय, देख सकते हैं क्योंकि यह किसान विरोधी हैं। माननीय कृषि मंत्री किसान समर्थक हो सकते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से यह कह रहा हूं क्योंकि इनको भी मंत्री मण्डल में कुछ समय रखा नहीं, अब क्योंकि इनको रखा नहीं, मंत्री मण्डल से बाहर कर दिया तो किसानों के बारे में फिर चिन्तन कौन करता। दुबारा लाए हैं तो साढ़े चार साल बाद, पौने पांच साल बाद।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** मैं बाहर किया नहीं गया हूं, बाहर हुआ था और वापस ले लिया गया और अब मंत्री हूं और वह भी कृषि मंत्री हूं।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** आप संशोधन लाए हैं तो मैं अपनी बात को संशोधन कर लेता हूं। आप बाहर गये, अब अन्दर आए, अब कब बाहर जायेंगे, चार महीने बाद बाहर जायेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, यह जो वेयर हाउस कारपोरेशन है इसकी मूल भावना क्या थी। भण्डार व्यवस्था निगम में यह सफेद हाथी जो बैठाये गये हैं इनकी तनखाह, इनकी सुविधाएं, इनके टी.ए. और डी.ए. और इनको मिलने वाले भत्ते उसको लेकर के भण्डार व्यवस्था निगम की भावना थी क्या? मूल भावना यह नहीं थी, किसानों को हित लाभ दिया जाए किसान को जो प्राइवेट निजी आड़तियों के पास जाता है अपने उत्पादन को, अपने अनाज, दल्हन या तिलहन को वह भण्डार निगम में रख सके और उसका 75 प्रतिशत उसको मिले ताकि वह आगे अपनी खेत का काम कर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सके। यह मूल भावना थी और भावना यह थी कि किसान खुशहाल हो लेकिन आपने बरबाद कर दिया किसान को। मेरे क्षेत्र में रामगढ़ में अलवर जिले में और लगभग राजस्थान में सभापति महोदय, यही स्थिति है। आप सभापति महोदय, मंच पर विराजमान हैं आप भी मानते होंगे और जो यहां कह रहे थे यहां बैठे हुए माननीय सदस्य कि आपको देख करके हंसते हैं, हंसी तो आपको आनी चाहिए क्योंकि हम लोग लाए हैं अकाल का दूर करके सुकाल क्योंकि चार साल कांग्रेस ने, कांग्रेस तो काल, अशोक गहलोत तो अकाल, वसुन्धरा तो वर्षा और भाजपा तो बादल, अब हम लोग बादल को लाए हैं, वसुन्धरा और वर्षा को लाए हैं।

**श्री कय्यूम खान :** अकाल गया अब तो महा बारिश आ गयी। अशोकजी के टाइम में महा बारिश कहो अब तो।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** महामारी के शिकार भाई कय्यूम खानजी, महामारी के शिकार भाई रमेश खींचीजी, आप लोग खुद दुखी थे और मेरे से व्यक्तिगत बातचीत तो करते थे कि वास्तव में कांग्रेस जब आती है तो अकाल आता है।

**श्री कय्यूम खान :** नहीं नहीं गलत कह रहे हो आप।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा :** इस अकाल को हम लोगों ने भोगा, किसान ने भोगा। किसान के पास में अनाज रखने के लिए जब समय आया तो आपने मेरी जो मूल भावना थी वह माननीय सभापति महोदय, यह है कि उसको बीज नहीं दिया गया और बीज दिया गया तो नकली बीज दिया गया। सी.एस.सी. का, हमारे ट्रेड मार्क का, आई.एस.आई. मार्क का बीज उसको उपलब्ध नहीं हुआ। अब आप संशोधन लाये हैं, संशोधन इस बात के लिये लाये हैं कि किसान जो उत्पादन दे, उसमें आपका कोई अहसान है? वर्षा आपके कारण हुई है? यह भण्डार व्यवस्था निगम की मूल भावना को खतम करके अब भण्डार भरे जाने की भावना है? आपने तो एफ.सी.आई. का करोड़ों-करोड़ों टन जो केन्द्र से आया उस गेहूं को भण्डारों में भरा। आपने चार साल भण्डारों को खाली रखा, वह इसलिये रखा कि आप लोग अकाल लाये। केन्द्र के गेहूं को आपने भरा, उसको भी ब्लैक किया। इसको भी आप खा गये, डकार गये और आपने खाने के बाद डकार तक नहीं ली, यह स्थिति आपकी रही। तो यह जो भण्डार व्यवस्था निगम में आप मूल संशोधन लाये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की विरोधी यह सरकार अब कुछ कर नहीं पायी और जाते समय अब यह संशोधन लायी तो अब यह सरकार आयी और गयी इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस नाते से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाए,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

यह संशोधन स्वीकृत नहीं किया जाए। माननीय कृषि मंत्री और राजस्थान सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, मैं जनमत जानने के लिये निवेदन करता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम।

**श्री सभापति** : माननीय श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण विश्नोई। (अनुपस्थित) डा. रामप्रताप। (अनुपस्थित) माननीय मंत्री महोदय।

**श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री)** : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा किसानों को उनकी फसल भण्डार गृह में जमा कराने पर 75 परसेंट ऋण योजना के सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। हालांकि इनके विचार न तो कृषि से सम्बन्धित थे, न भण्डार व्यवस्था से सम्बन्धित थे। इन्हें कुछ बात कहनी थी इसलिये सहकारी समिति या अन्य बात को देख कर यह किसानों के हितों की जो बात कही है मैं इसका क्या जवाब दूं? इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका जवाब दिया जा सके।

हमारी सरकार के घोषणा पत्र में साढ़े चार साल पहले यह तय किया गया था कि जो भी किसान जिन्स पैदा करेगा उनको भण्डार व्यवस्था के माध्यम से 75 परसेंट ऋण के रूप में दिया जाएगा। आपको मालूम है मेरे से पहले जो कृषि मंत्री थे उन्होंने करीब-करीब पिछले दो, तीन वर्षों में यह व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी किसानों के ऋण की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन अब चूंकि दो साल जमाना भी नहीं था, दो, तीन साल से बहुत भयंकर अकाल पड़ा था इसलिये जो चीजें किसान भण्डारण में रख सकता था वह पैदा ही नहीं हुई थीं इसलिये सरकार ने इसके ऊपर कोई ज्यादा विचार नहीं किया और जो व्यवस्था चल रही थी उसी को चालू रखा। लेकिन अब यह ठीक समझा गया कि इस बार अच्छी बरसात हुई है और लाखों टन किसान की फसल बाजार में आने की उम्मीद है, ऐसी स्थिति में सरकार ने जो फैसला किया है, माननीय सदस्यों को उसका स्वागत करना चाहिये लेकिन इन्होंने उल्टा विरोध किया है और यह जताने का प्रयास किया है जैसा कि सुराना साहब ने कहा है कि गांव की सहकारी समिति, मार्केटिंग सोसायटी, लाभशाही सोसायटी, यह लोन भी देती हैं और भण्डार व्यवस्था कर सकती हैं लेकिन उन संस्थाओं की सीमा होती है। उनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। हमारी यह संस्था 58 और 60 से भण्डारण की व्यवस्था कर रही थी और बीच में किन्हीं कारणों से केन्द्र सरकार की सलाह से इसको रोक दिया गया और अब राज्य सरकार ने अपने स्तर पर भण्डारण की

(श्री रामसिंह विश्नोई)

व्यवस्था, किसानों को 75 परसेंट ऋण की व्यवस्था की है। इसमें कहीं भी किसानों का अहित होने की गुंजाइश नहीं है। किसान जो भी चीज रखना चाहेगा, गेहूं, तिलहन, सरसों करीब 10-11 जिन्स हैं, रखकर ऋण ले सकता है और छह महीने की इसकी मियाद है। पहले 15-16 परसेंट ब्याज पर था और अब सरकार और विभाग ने 12 परसेंट ब्याज पर ऋण देने का तय किया है। गरीब किसानों को भी राहत दी गयी है। जैसे अगर कोई एक बोरी भण्डार गृह में रखता है तो उसको तीन बोरी, तीन रुपये चुकाने पड़ते हैं, इसमें क़रीब 60-70 परसेंट छोटे किसान, गरीब किसान को सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, यानि उसको एक बोरी के ऊपर एक, डेढ़ रुपये के आस पास पड़ेगा। उनको बहुत भारी राहत दी गयी है।

वेयर हाउसिंग को पिछले वर्ष भी करीब बारह करोड़ नौ लाख रुपये का मुनाफा हुआ है और सब मिलाकर 70-80 करोड़ के मुनाफ में चल रहा है। आपको मालूम है केन्द्र सरकार ने भी हमारे अच्छे काम को देखकर और आर्थिक अध्ययन संस्था, नयी दिल्ली द्वारा 16 जनवरी, 2003 को उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान के लिये निगम को एक्सीलेंस अवार्ड एवं प्रबन्ध निदेशक को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो काम किया गया है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कार्य संतोषजनक है और किसानों के हित में काम करने का चार साल पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया गया है और कोई नया...

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** घोषणा पत्र को अब लागू करोगे क्या मंत्रीजी?

**श्री रामसिंह विश्नोई :** नया कोई मैंने नहीं किया है, चार साल पहले से ही चल रहा है। जब से कांग्रेस सरकार आयी है, मुख्य मंत्रीजी के डायरेक्शन थे सब मंत्रियों के पास कि जो जो भी रियायतें गरीब आदमी, किसान, व्यापारी को, मजदूर को दी जानी चाहिये, घोषणा पत्र के अनुसार सबको वह देने के डायरेक्शन हैं। उसी के अनुरूप यह सारी फैसिलिटीज दी गयी हैं।

आज जैसा सुराना साहब और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया करीब 86 स्थानों पर भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा भण्डारण की व्यवस्था हमारे यहां पर है, केवल झुंझुनूं और चूरू में यह व्यवस्था नहीं है। 32 में 30 जिलों के अन्दर है और झुंझुनूं में केन्द्र भण्डारण निगम है, वह व्यवस्था कर रहा है। हमारी उसमें म्युचुअल अण्डरस्टेंडिंग है कि जहां पर केन्द्र की भण्डारण व्यवस्था चल रही है कि वहां राज्य सरकार यह काम नहीं करेगी। चूरू के अन्दर यह बात सही है

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कि हमने पिछले किराये पर गोदाम लेकर व्यवस्था पहले की थी और अब भी अगर आप वहां महसूस करेंगे, वहां कैसी फसल है, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां की जनता की मांग हुई तो हम आपको विश्वास देते हैं कि चूरू के अन्दर भी भण्डार की व्यवस्था करने की हम चेष्टा करेंगे। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। 86 स्थानों पर तो है और अगर सौ, डेढ़ सौ, दो सौ, जहां-जहां भी उचित समझें, माल कोई कृषि का ही नहीं दूसरी जिंसों का भी है, करीब 80-90 जिंसें हैं जो किसान से सम्बन्धित भी हैं। जैसे पाइप्स हैं, मोटर्स हैं जो बिजली की हैं, इंजन आयल है, जो भी चीजें हमारे बाजार के अन्दर उपलब्ध होती हैं। व्यापारी लोग भी अपनी चीजों को यहां पर गिरवी रख सकते हैं। उनको बेशक ऋण की सुविधा नहीं है लेकिन किसान को ऋण की सुविधा 75 परसेंट की दी हुई है। मैं मानता हूं कि 12 परसेंट का यह जो ब्याज है, यह दर बहुत ज्यादा है, यह 16 से 12 तो की है लेकिन हमारा प्रयास यह रहेगा कि इसको कम से कम 6 परसेंट पर लाया जाये। ताकि किसान को ज्यादा नुकसान नहीं हो। आपको मालूम है पिछले वर्षों के अन्दर दो-तीन वर्षों तक तो जमाना नहीं हुआ, जब फसल ही नहीं हुई तो कुछ सामान रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब जब फसल हुई है और जब फसल ज्यादा पकती है तो भाव डाउन हो जाते हैं, बाजार भाव, तो सरकार का और हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम किसानों की चीज को भण्डारण के अन्दर रखने की व्यवस्था करें। कम ब्याज लें। छह महीने के अन्दर जब भी भाव ठीक हों किसान उसको बेचकर पैसे प्राप्त कर सकता है। ऐम यही है कि किसान का ज्यादा नुकसान नहीं हो।

पहले भी आपको मालूम है जब झुंझुनूं, सीकर वगैरह में बाजरा ज्यादा हुआ था, यह शिकायत थी कि हमारे बाजरा बहुत ज्यादा पैदा हुआ है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, हालांकि बाजरा बहुत ज्यादा पैदा हुआ ही नहीं था लेकिन बोलने के लिये बोला गया था।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इस साल तो आप रहेंगे, आप तो पूरा खरीद लेंगे।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : जी?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इस बार तो आप रहेंगे फसल पकेगी तब, तब तो खरीद लेंगे।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : हां जी। बाजरा हम खरीदने वाले नहीं है, खरीदने वाला तो बाजार है, व्यापारी खरीदते हैं। भण्डारण की व्यवस्था हम करेंगे। आपने खरीदने की बात कही है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : भण्डार में तो किसान खुद लाकर रखेगा, उसमें आपकी क्या भूमिका है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अगर आप देखें। आप देखना नहीं चाहती। जो भी किसान बेचना नहीं चाहता है और वह चाहता है कि बाद में बेचूं...

**श्री केसाराम चौधरी** : मंत्री महोदय, एक पाइंटेड बात पूछना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : तो हमारी व्यवस्था यह रहेगी कि हम उसके भण्डारण की व्यवस्था करें। बहुत कम ब्याज के अन्दर 75 परसेंट ऋण भी उसको दें। यह हमारी व्यवस्था होगी, बाकी हम खरीदने वाले नहीं हैं। खरीदने वाला व्यापारी होता है या सरकार होती है, वह करते हैं। हमारा काम यह नहीं है।

**श्री केसाराम चौधरी** : माननीय मंत्री महोदय, इसमें आप यह बता दें कि जब भण्डागार में किसान अपनी जिन्स रखेगा उसमें आप छीजत कितनी काउंट करेंगे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बिराजें।

**श्री केसाराम चौधरी** : उसने माल रखा एक क्विंटल, अब उसमें से कम हो गया तो उसके लिये जिम्मेदार भण्डागार होगा या उसके लिए कितनी प्रतिशत छीजत होगी।

**श्री सभापति** : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

**श्री केसाराम चौधरी** : XXX

**श्री सभापति** : आप बिराजें। आपको बोलने का अवसर मिलेगा। थर्ड रीडिंग होगी। आप इसमें बोलना।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : सभापति महोदय, पहले करीब दो प्रतिशत किसानों का ही माल था, अब 5 प्रतिशत हुआ है और ज्यों-ज्यों प्रचार-प्रसार होगा, जैसे अनाज की उपज ज्यादा होगी तो मेरे ख्याल से इसमें परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगी और किसान को ज्यों-ज्यों मालूम पड़ेगा त्यों-त्यों ज्यादा किसान आकर्षित होगा और जब भण्डारण की व्यवस्था हो जायेगी तो मैं ऐसा समझता हूं और आप भी जानते ही हैं कि जब भण्डारण की व्यवस्था हो जाती है और व्यापारी को ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो ये भण्डागार में रख देंगे तो ऐसी स्थिति में भाव भी बाजार में ठीक रहेंगे। भाव गिरने का कारण यही होता है कि किसान के पास कोई चारा नहीं होता है, उसको जबरदस्ती बेचना पड़ता है। मजबूरी में बेचना पड़ता है।

जब सहकारी समितियां, मार्केटिंग सोसायटी और वेयर हाउसिंग वगैरह जब माल रखने की क्षमता रखेंगे तो मेरे ख्याल से भाव हमेशा स्थिर रहेंगे और बाजार की रेट से जब किसान ऋण उठा सकता है, छह महीने की इसमें मियाद होगी तो मेरे ख्याल से भाव स्थिर रहेंगे और किसानों को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा होने की ही इसमें सम्भावना रहेगी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

तो ऐसी स्थिति में जो यह नया संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं इस संशोधन...

**श्री सभापति** : स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : संशोधन को तो स्वीकार करना है लेकिन प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री सभापति** : वही तो है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को...

**श्री रामसिंह विश्नोई** : कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

**श्री सभापति** : इनके पास मौका आयेगा।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : आप क्या पूछ रहे थे, खारची से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री सभापति** : इनको मौका मिलेगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाये?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जायें?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री रामसिंह विश्नोई** (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य। केसारामजी।

**श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने भाण्डागार में जो किसानों की जिन्सों को रखने का प्रावधान किया है। उसमें किसानों की जो जिन्स रखी जायेंगी। उसने मान लो एक क्विंटल की बोरी रखी है, उसमें

(श्री केसाराम चौधरी)

चूहों से नुकसान होकर के उसकी छीजत आयेगी तो उसका परसेंटेज भी तय किया जाये। काश्तकार ने जितना गेहूं या बाजरा रखा है, एक क्विंटल में कितनी छीजत होगी, कितना प्रतिशत होगी तो उससे ज्यादा होगी तो भण्डागार उसके लिये जिम्मेवार होगा क्योंकि उससे किराया वसूला जायेगा। इसलिए इसको भी साफ इन नियमों में प्रावधान होना चाहिए कि उसकी छीजत इतने प्रतिशत होगी ताकि काश्तकार को लूटा नहीं जाये, नहीं तो खाली बारदाना ही उसको वापस दिया जायेगा और भण्डागार का किराया लेकर के उसको उलटा महंगा पड़ जायेगा और आपके पैसों का ब्याज और लगेगा। इसलिए इन नियमों में सरलीकरण करें ताकि किसान का वास्तव में फायदा हो सके।

**श्री सभापति** : माननीय डागाजी, बोलें।

**श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)** : सभापति महोदय, मैं राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप राजस्थान के किसानों के हित में एक दूरदृष्टि संशोधन लायें हैं। सभापति महोदय, राजस्थान भण्डागार (संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 20 में पहले यह प्रावधान था कि भण्डार में कोई भी किसान और कोई सहकारी संस्था अपना माल रखेगी, उस पर सिर्फ सहकारी संस्था के माध्यम से तो ऋण उपलब्ध कराया जा सकता परन्तु अन्य कोई भी वित्तीय संस्था यदि स्लिप, रसीद प्रस्तुत करके उसका पुनर्भरण प्राप्त कर सकती थी परन्तु किसान उस पर सीधा ऋण प्राप्त नहीं कर सकता था। माननीय मंत्रीजी ने यह संशोधन लाकर के किसानों के हित में एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, किसान की क्षमता लम्बे समय पर अपनी उपज को रखने की नहीं होती है। किसान जैसे ही अपनी फसल को लाता है उसको मण्डी में बेचने के लिए मजबूर होता है और ऐसी स्थिति में जब अच्छी फसल होती है तो भाव भी नीचे आते हैं। सरकार भी आगे आती है, केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये राजस्थान सरकार के माध्यम से व्यवस्था करती है। उस प्रक्रिया में जो समय लगता है, किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उस प्रक्रिया के समय का इंतजार करके वह अपनी फसल को रोक ले। ऐसी स्थिति में जो भी उसको भाव मिलता है उस भाव में ले जाकर के मण्डी में बेचता है तो यह संशोधन लाने से या अधिनियम के पारित हो जाने से किसान को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि वह इस बात का इंतजार कर

(श्री मांगीलाल डांगा)

ले कि सरकार अपने समर्थन मूल्य पर जिन्स की खरीद करे तब तक उसको भण्डार में जमा करा दे और जो उसकी न्यूनतम साख है उसके लिये वह भण्डार से 75 प्रतिशत राशि प्राप्त करके अपनी जो आगे आने वाली फसल है और जो रोजमर्रा के खचे हैं उसके लिये वह व्यवस्था कर ले। कभी-कभी यह भी होता है कि जब फसल आती है तब तो भाव बहुत नीचे चले जाते हैं, एक महीने, दो महीने के बाद में चाहे सरकार खरीदे या नहीं खरीदे, फिर भी मण्डियों में भाव बढ़ जाते हैं और हमारे किसान उस बढ़े हुए भाव, जो उपज का सही मूल्य है, उसको लेने से तो महरूम रह जाते हैं तो मण्डियों के अन्दर भी उसको अपने माल को भण्डार में रखकर, रसीद प्राप्त करके उसके पेटे उसकी आवश्यकता के अनुसार वह राशि अग्रिम प्राप्त कर लेगा और अग्रिम प्राप्त कर लेगा तो जब भी भाव बढ़ेंगे तो उसको यह अवसर मिलेगा कि जब भाव बढ़ें तो अपनी फसल को बेचे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भण्डारों में आपके किसानों का सिर्फ पांच प्रतिशत माल आ रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से आप उसका आंकलन करेंगे तो यह प्रतिशत आज भी बढ़ा हुआ है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप नाबार्ड से, आज पैसे की कमी हमारे सहकारी बैंकों के पास भी नहीं है, उन्हें विनियोजन के लिए सोचना पड़ रहा है कि हमारा इंवेस्टमेंट कहां करें तो आप इसको इसके साथ इस तरह से टाइ अप करिए कि आने वाले समय में भगवान की कृपा हुई है, फसल अच्छी होगी, बाजरे के लिए भी, यह पिछले टाइम भी भाजपा के हमारे साथी जो बाजरे की राजनीति कर रहे थे, आपसे निवेदन है कि आपने यह बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, किसानों को जमा कराने का तो मौका मिल जाएगा, हम भारत सरकार को कहें, क्योंकि समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम है वह भारत सरकार का है इसलिए आप भारत सरकार को भी तुरन्त अभी निवेदन कर दें कि वह बाजरे की जो फसल आने वाली है उसको समर्थन मूल्य पर खरीद करने की व्यवस्था कराए ताकि राजस्थान सरकार के जिम्मे तो सिर्फ उसका प्रबन्ध ही रहता है, खरीद सारी भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार के खाते में होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत सरकार से यह भी समय रहते निवेदन करें कि बाजरे की फसल आए तो वह भी समय पर समर्थन मूल्य घोषित करे।

दूसरा, यह भी होता है कि समर्थन मूल्य की घोषणा हो जाती है। कई दफा हमारे अधिकारी मोइश्चर, नमी, इस बात

(श्री मांगीलाल डांगा)

का बहाना लेकर भी खरीद शुरू नहीं करते हैं तो आपकी इस व्यवस्था से किसानों को यह लाभ मिल जाएगा कि वह अपने माल को उसमें जमा करवा दे और मैंने देखा है, अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि सरसों के मामले में जब मोइश्चर होती है तो उसमें कितनी छीजत होती है? सरसों जब मार्केट में आती है और उसके तीन महीने, चार महीने के बाद भी उसमें किसी प्रकार की छीजत नहीं होती है, यह प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है, इवन आप जब एक महीने के बाद में खरीद करेंगे और बिक्री का टाइम आता है उसमें गैन और होता है और यह जो भण्डार व्यवस्था और जो हमारे राजफैड के रिकार्ड में यह प्रमाणीकरण है, मैं इसी के साथ कृषि मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए कि किसानों के हित में आप यह जो संशोधन लाए हैं, बहुत ही अच्छा संशोधन है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा और हमारी सरकार की नीतियों के अन्तर्गत उठाया हुआ यह बहुत अच्छा कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं इसको पास करने के लिए समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

**श्री अमराराम** (धोद) : माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी जो भण्डार गृह संशोधन विधेयक लाए हैं, अभी बड़ी किसानों की बात कर रहे हैं कि किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जहां इन भण्डार गृहों की क्षमता का 95 प्रतिशत किसानों के अलावा लोग उपयोग कर रहे हैं और पिछले कई सालों से, शायद कई दशकों से यह राजस्थान वेयर हाउसिंग काम कर रहा है, यह बात भी सही है कि वह मुनाफा भी कमा रहा है लेकिन इस भण्डार व्यवस्था से किसानों की जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, वह मात्र 5 प्रतिशत है और उस पर हम उनको लोन देकर बहुत बड़ी वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं। हमारे मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि राजस्थान के किसान का इससे बड़ा भाग्य उदय हो जाएगा। यही वेयर हाउस आज से दो साल पहले, इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि केवल पांच प्रतिशत जो व्यवस्था है, वह भी तमाम जगह नहीं है, उसमें जितनी वेयर हाउसों की कैपेसिटी है, उसका केवल पांच प्रतिशत राजस्थान के किसान और उसमें भी विशेष तौर से बड़े किसानों ने रखा होगा, किसान के नाम से रखा होगा, अगर आप एक्चुअल में उसका वेरीफिकेशन करवाएंगे तो नाम किसान का होगा और व्यापारी ने रखा होगा, वह पांच प्रतिशत भी मैं नहीं मानता।

आज हालत यह है कि जब भी राजस्थान के किसान की पैदावार होती है, दो साल पहले बाजरे की पैदावार हुई, केन्द्र सरकार का 485 रुपए का समर्थन मूल्य था और राजस्थान की सरकार को एजेंसियों के माध्यम से खरीदने के लिए। लाख मीट्रिक टन का आदेश मिला और यही राजस्थान की सरकार और केन्द्र

(श्री अमराराम)

सरकार, दोनों ने राजस्थान के किसान के बाजरे के साथ जिस तरह की बेइज्जती है, पूरे राजस्थान में, यही सरकार है जिसने गिरदावरी के नाम से जिस तरह से किसानों के साथ मजाक किया, एक लाख के टार्गेट में केवल 32 हजार मीट्रिक टन और राजस्थान की सरकार ने यह कहा कि बाजरा रखने के लिए हमारे पास गोदामों में कोई जगह नहीं है। जब किसान पर आफत आए, समर्थन मूल्य से कीमत नीचे जाए, चाहे वह बाजरे की आए या चाहे वह जौ की आए या चाहे दूसरे किसी जिन्स की आए, जब भी राजस्थान के किसान की पैदावार हुई है और जो परिस्थितियां डब्ल्यू.टी.ओ. के माध्यम से देश में बनी हैं और प्रान्त में बनी है, किसानों को जिस तरह से इस भाव के माध्यम से लूटा जाता है, जब भी मौका आया समर्थन मूल्य से नीचे बिकने का तब न सरकार ने खरीदा और सबसे बड़ा बहाना यह बनाया कि हमारे पास रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था नहीं है क्योंकि गोदामों में जो माल रखा होता है उसमें 95 प्रतिशत व्यापारियों का होता है।

इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप लोन दें इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है लेकिन वेयर हाउस की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब मुनाफा है, 12 करोड़ या 14 करोड़, जो सालाना मुनाफा हो रहा है उसके अनुसार वेयर हाउसों की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब भी किसान की जिन्स का समर्थन मूल्य से डाउन भाव जाए, किसी भी तरह का आब्सटेकल लगाकर, सही है, गिरदावरी का आब्सटेक्ल आपने लगाया है, उसकी जिन्स चाहे बाजरा हो, जौ हो, सरसों हो, हमेशा कोई न कोई अडंगाबाजी लगाकर राजस्थान के किसान की उपज का समर्थन मूल्य जो तय होता है वह भी नहीं बढ़ाया जाता है।

आज हालत यह है कि अभी केन्द्र सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य मात्र 20 पैसे प्रति किलो बढ़ाया है जबकि डीजल का दाम बढ़ता है तो 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ता है और किसान के बाजरे की कीमत बढ़ाई है। किलो पर 20 पैसे। तो यह सरकार पहले ही मार रही है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया यह होगा कि भण्डार व्यवस्था, जब भी किसान का समर्थन मूल्य से भाव नीचे आए तो यह व्यवस्था करनी चाहिए, कभी भी ऐसा मौका आए तो राजस्थान की सरकार यह फिर न कहे कि हमारे पास भण्डारण व्यवस्था की कमी है, यह मुझे निवेदन करना है।

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** सभापति महोदय, दो–तीन बातें हैं। एक तो छीजत

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के बारे में खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वैसे तो छीजत आधा किलो, किलो तक की छूट होती है और उससे ज्यादा होती है तो भण्डार व्यवस्था निगम आपने आप ही करता है क्योंकि उसमें चोरी होने की या उसमें निकालने की गुंजाइश होती है तो किसान को वह लोस नहीं हो, आधा किलो तक उसमें कोई आल-सूख का हो सकता है कि आधा किलो और एक किलो तक छह महीने के अन्दर तो आधा किलो की छूट होती है और किलो तक अगर हो तो भी जाती है तो उसमें किसान को भरपाई करने की व्यवस्था की गई है।

बाकी आपने जो बात बताई है, यह जो बाजरे की बात बताई है, यह हालांकि हमारे से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह जो भण्डार व्यवस्था निगम है, बाजरा-मूंग और मोठ हालांकि ये तीनों ही चीजें मारवाड़ और राजस्थान के अन्दर बहुतायत से पैदा होती हैं लेकिन यह चूंकि दो-तीन महीने बाद में काली भी पड़ जाती हैं और सूख जाती है, पुराने समय से अपने तो यह व्यवस्था कर लेते हैं गांव के लोग तो लेकिन सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई जादू या ऐसी कोई नई टैक्नीक अभी निकाली नहीं है तो वह बाजरा को, मूंग और मोठ को...

**श्री अमराराम (धोद) :** आप तो मारवाड़ के हो, वैसी व्यवस्था करवा दो।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** हां, वह बात अलग है। आपने बोल लिया, आप जिस तरह से बोलते हैं उससे तो लगता नहीं है कि कर लें लेकिन फिर भी किसानों का हित हम भी जानते हैं और मैंने खुद ने यह प्रयास किए हैं। मैं चाहता हूं कि बाजरा-मूंग-मोठ, कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। इनके बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होने के कारण मुझे लगता ऐसा ही है कि कभी-कभी राजस्थान के अन्दर ज्यादा इतना पैदा हो जाता है कि रखने की जगह भी नहीं होती है। इसलिए शायद उन्होंने न कर दिया होगा बाकी कहीं पर लोगों के पास पांच-पांच साल से बाजरा पड़ा है, काला जरूर हो जाता है। तो यह व्यवस्था हम आइन्दा देखकर इसको करने की चेष्टा करेंगे, शामिल करने की चेष्टा करेंगे। आज रख तो सकते हैं लेकिन उस पर पैसे देने का प्रावधान अभी तक नहीं किया हुआ है।

जहां तक मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव और जो बात कही है, मैं उसकी ताईद करता हूं और इसमें केन्द्र सरकार का जब तक सहयोग नहीं होता है। तब तक हम पूरी व्यवस्था हमारे स्तर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैसों की प्रोब्लम जो आप बता रहे हैं वह न तो हमारे पास आने की है, क्योंकि 70-80 करोड़ रुपये का मुनाफा हमारे पास है और बैंकों से ऋण लेने की व्यवस्था भी अलग-अलग संस्थाओं से, आजकल वर्ल्ड बैंक है, काफी जगह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

से मिल जाती है, केन्द्र सरकार से भी मिल जाती है। इसलिए यह कोई प्रोब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो भी कदम उठाये गये हैं ये किसान के हित में उठाये गए हैं और कांग्रेस के घोषणा-पत्र के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने, राज्य सरकार ने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं, मेरे ख्याल से फसल बीमा का मामला है, 75 परसेंट रहन ऋण योजना का मामला है और कई किसानों के हित में फैसले किये गये हैं, आठ घण्टे बिजली का मामला है, ये इतने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे काम किये हैं (व्यवधान) आपका काम तो विरोध करने का है, विरोध करना ही चाहिए, विरोध नहीं करें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो काम पार्टी ने, सरकार ने पांच साल में किये हैं, वे इतने उल्लेखनीय कार्य हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। किसान के हित में जो भी फैसले किये गये हैं, कदम उठाये गए हैं वे सराहनीय कदम हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और सुझाव के रूप में हमारी कहीं गलती है, आप क्या नया सुझाव चाहते हैं, क्या किसान के लिए किया जा सकता है, अगर वह बताएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सारी बातें आपकी मानी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा और उनको लागू करने की चेष्टा की जाएगी, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। बाकी मैं आपको यही कह सकता हूं कि इसको पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान भण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया गया। माननीय वित्त मंत्रीजी।

## मांगों का उपस्थापन

### अतिरेक मांगों (वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 व 1999-2000) का उपस्थापन

**श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री)** : माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

## मांगों का पारण

### अतिरेक मांग वर्ष 1996-97

**मांग संख्या-2**

**श्री सभापति** : मुखबंद का प्रयोग करते हुए प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-2-मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,71,355/- (बारह लाख इकहत्तर हजार तीन सौ पचपन) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

**मांग संख्या–4**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,70,82,437/–(एक करोड़ सत्तर लाख बयासी हजार चार सौ सैंतीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–6**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,06,66,679/–(तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार छह सौ उन्नासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–8**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,33,51,861/–(दो करोड़ तैंतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ इकसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–10**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,72,699/–(दो लाख बहत्तर हजार छह सौ निन्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–15**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–15–पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,72,20,476/–(तैंतीस करोड़ बहत्तर लाख बीस हजार चार सौ छिहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–19**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष

(श्री सभापति)

में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,79,531/–(अड़तीस लाख उन्नासी हजार पांच सौ इकतीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–21**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,28,80, 841/–(एक करोड़ अट्ठाइस लाख अस्सी हजार आठ सौ इकतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–25**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–25–कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28, 46,874/–(अट्ठाइस लाख छियालीस हजार आठ सौ चौहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–26**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,61,94,126/–(ग्यारह करोड़ इकसठ लाख चौरानवे हजार एक सौ छब्बीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–27**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,76,89,316/–(छत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख नवासी हजार तीन सौ सोलह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या–43**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या–43–खनिज के सम्बन्ध में 31

(श्री सभापति)

मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,11,090/-(एक करोड़ सात लाख ग्यारह हजार नब्बे) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,16,66, 858/-(पन्द्रह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार आठ सौ अठावन) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक मांग वर्ष 1997-98

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4, 94, 586/-(चार लाख चौरानवे हजार पांच सौ छियासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,60,00,794/-(तीन करोड़ साठ लाख सात सौ चौरानवे) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,06,18,726/-(उनसठ करोड़ छह लाख अठारह हजार सात सौ छब्बीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(16.00 बजे)

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष

(श्री सभापति)

में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,483/-(सत्रह हजार चार सौ तिरासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,62,083/-(चौदह लाख बासठ हजार तिरासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपालं महोदय को रुपये 17,82,875/-(सत्रह लाख बयासी हजार आठ सौ पचहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक मांग वर्ष, 1998-99

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,33,55,863/-(सत्रह करोड़ तैंतीस लाख पचपन हजार आठ सौ तिरेसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,90,13,844/-(सोलह करोड़ नब्बे लाख तेरह हजार आठ सौ चवालीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,23,88,325/-(अट्ठाइस करोड़ तेईस लाख अठासी हजार तीन सौ पच्चीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-35**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,19,56,316/-(एक करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार तीन सौ सोलह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-48**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 875/-(आठ सौ पचहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक मांग वर्ष 1999-2000

**मांग संख्या-34**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,83,60,408/-(सात करोड़ तिरासी लाख साठ हजार चार सौ आठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-41**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,92,12,230/-(दस करोड़ बानवे लाख बारह हजार दो सौ तीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-48**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,72, 814/-(उनतालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ चौदह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय वित्त मंत्रीजी।

## विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

### राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

**(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह चार बिल हैं। तीन को पास कर देते हैं, चौथे पर जितने भी माननीय सदस्यों को विचार रखने हैं, वह चौथे बिल पर रख देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाय।

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

माननीय मंत्रीजी।

## विधेयक का पारण

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2003 को पारित किया गया।

माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

### राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पास के लिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आगे बोलो पारित के लिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : पारित बाद में होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पारित...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : Please don't confuse me. I know what have to do. उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक...

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट, पहले इसको विचारार्थ को स्वीकार करने दो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हां वही तो मैं कह रहा हूं, कन्फ्यूज कर रहे हैं बीच बीच में बोलकर।

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले इसको तो पारित हो जाने दो।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाय।

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

अब पारित वाला बोलो।

## विधेयक का पारण

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2003 को पारित किया गया।

## राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक, विचारार्थ लिया गया।

## विधेयक का पारण

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2003 को पारित किया गया।

## राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

## विधेयक पर विचार

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आमतौर पर परम्परा यह रही है कि एक्सेस डिमांड के एप्रोप्रियेशन पर कभी चर्चा होती नहीं है क्योंकि सारे मसले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अन्दर बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से एग्जामिन होता है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही रिकमंडेशन करती है कि इसको हाउस से आप एप्रूव करा लीजिये, आप इसको हाउस से एप्रूव करा लीजिये। वैसे आपकी जैसी आज्ञा, अगर आप कोई नई परम्परा डालना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि कृपया आप नई परम्परा न डालें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : नई परम्परा नहीं है उपाध्यक्ष महोदय

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आज तक एक्सेस डिमाण्ड के एप्रोपिएशन के ऊपर सदन में कभी चर्चा आमतौर से होती नहीं है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : बैठ गये साहब, राठौड़ साहब बैठ गये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : राठौड़ साहब के बैठने से क्या होता है, मैं नहीं बैठा हूं। मैं बोल रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : It is never discussed.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, ऐसी कोई परम्परा नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, बोलो-बोलो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 विचारार्थ है। वित्त मंत्रीजी, इसमें कोई शक नहीं कि इस विनियोग विधेयक के माध्यम से आप कंसोलिडेट फण्ड से 19 करोड़ 20 लाख 97 हजार 552 रुपये की राशि को जो पूर्व में जिसको व्यय किया गया उसका समायोजन करना चाहते हैं। वित्त मंत्रीजी, निश्चित तौर पर वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विनियोग बिल या दूसरे कार्य करने का शायद आपका आखिरी दिन होगा। कभी आप मन में शांत मन से विचार करें कि राजस्थान को आपने किस स्थिति में पहुंचा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान को हाई फिस्कल स्ट्रेस के राज्यों में से एक राज्य माना जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह बजट की बहस थोड़े ही कर रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह बजट नहीं, मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है साहब। यह क्यों लेकर आये हैं वह बता रहा हूं। यही बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : यह इन्हीं के टाइम के है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह हमारे टाइम की नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह किसी स्पेसिफिक डिमाण्ड के बारे में चर्चा भी करें, स्पेसिफिक डिमाण्ड के बारे में चर्चा कर सकते हैं न कि पूरे एम्बिट के ऊपर...

**श्री उपाध्यक्ष** : यही करा रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** :...चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह बिलकुल गलत परम्परा होगी उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप आ नहीं रहे हो, आप तो...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : पर राजस्थान की जो...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज यह बिल विचारार्थ क्यों आया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो प्रैक्टिस है जो आता है, नई बात कुछ नहीं है। हमेशा ही आता है यह तो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को इस सरकार ने कर्जे में डुबो दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के हर व्यक्ति पर 10600 रुपये से ज्यादा का कर्जा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, प्लीज। आप बैठिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इन्होंने बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही थीं। (व्यवधान) आप सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आप तो वरिष्ठ सदस्य हो, मंत्री रहे हुए हो, यह इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राजेन्द्रजी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को तथ्यों की ओर ले जाना चाहता हूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : कहना क्या चाहते हो आप?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : मैं सदन को उन तथ्यों की तरफ ले जाना चाहता हूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आप जो कहना चाहते हो वो सब समझते हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इन्होंने 19 करोड़ रुपये कंसोलिडेट फण्ड में से मांगें हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, आप बिराजें प्लीज।

## विधेयक का पारण

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2003 को पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 25 अगस्त, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.16 बजे सोमवार, 25 अगस्त, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# परिशिष्ट–1

## (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

### राजकीय प्राथमिक विद्यालय राम मन्दिर (जयपुर) की सेवानिवृत्त अध्यापिका का पेंशन प्रकरण

3. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर के आदेश क्रमांक जिशिअ/जय/प्रार./संस्था–2/फा. से.नि./82/1902 दिनांक 19 अगस्त, 2002 से एक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय राम मन्दिर, जयपुर को सेवानिवृत्त किया गया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश में संस्था प्रधान को उक्त सेवानिवृत्त अध्यापिका के बकाया पेंशन प्रकरण को निपटाये जाने की हिदायत दी गई थी? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेश में यह उल्लेख था कि उक्त सेवानिवृत्त अध्यापिका के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(4) क्या उक्त सेवानिवृत्त अध्यापिका को प्रोविजनल पेंशन जारी की गई थी? यदि हां, तो कब एवं उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त प्रोविजनल पेंशन प्रकरण में पेंशन विभाग ने कोई एतराज किये थे? क्या उक्त एतराजों की पूर्ति करके पुनः प्रोविजनल पेंशन प्रकरण को पेंशन विभाग को भेज दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

(6) क्या उक्त पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रार्थिया ने शिक्षा मंत्रीजी को दिनांक 24 अप्रैल, 2003 व 31 जुलाई, 2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त अध्यापिका को अब शीघ्र पेंशन राशि का

(डा. समरजीत सिंह)

भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीमती उर्मिला शर्मा, अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रांम मन्दिर, जयपुर के सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां। श्रीमती उर्मिला शर्मा का प्रोविजनल पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया है। वांछित आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(3) उक्त आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

(4) जी नहीं। अपितु प्रोविजनल पेंशन प्रकरण तैयार कर निदेशक, पेंशन विभाग को भिजवाया गया है।

(5) जी हां। आदेशों की पूर्ति कर प्रकरण निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर को दिनांक 31.7.2003 को भिजवा दिया गया है।

(6) जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(7) श्रीमती उर्मिला शर्मा का प्रोविजनल पेंशन प्रकरण, निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर के पास विचाराधीन है।

---

**परिशिष्ट-क**

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर**

**कार्यालय-आदेश**

श्रीमती उर्मिला शर्मा, अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राम मन्दिर जयपुर जिनकी तिथि 15.12.1936 है, को 58 वर्ष की अधिवार्षिक आयु वर्ष पूर्ण करने पर श्रीमती शर्मा को राजस्थान सेवा नियम 56 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.1994 से सेवानिवृत्त किया जाता है।

संस्था प्रधान श्रीमती शर्मा का बकाया पेंशन प्रकरण निपटाने की कार्यवाही करें।

ह०/-

**जिला शिक्षा अधिकारी**
**प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर**

## बेरोजगार युवकों को देय मासिक भत्ता

4. **श्री अमराराम** (धोद): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चयनित परिवारों के 12वीं पास बेरोजगार युवकों को 300/–रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जुलाई, 2003 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं?

(2) उक्त में से कितने बेरोजगार युवकों को दिनांक 31 जुलाई, 2003 तक कितना भत्ता जिलेवार भुगतान किया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बी.पी.एल. परिवार, जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12 हजार रुपये से अधिक नहीं हो, के उच्च माध्यमिक स्तर के योग्यताधारी बेरोजगार एक सदस्य को, जो तीन वर्ष या अधिक समय से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, 300 रुपये प्रतिमाह की दर से दो वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने तक, तो भी पहले हो, के लिए मासिक सहायता राशि देय होगी।

जिला कलक्टर्स से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2003 तक 241 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(2) दिनांक 31 जुलाई, 2003 तक किसी भी आवेदक को भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है।

दिनांक 5 मार्च, 2003 को विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2003 की बैठक में समाज कल्याण विभाग को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाये जाने का निश्चय किया गया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत, योजना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश एवं विभिन्न प्रपत्रों के अनुमोदित प्रारूप वित्त विभाग से दिनांक 21.06.2003 को प्राप्त हुए तथा इसी तिथि को समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जिला कलक्टर्स को जारी कर दिये गये। पुनः विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2003 को जिला कलक्टर्स को इस योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चलाने हेतु निर्देश जारी किये गये। दिनांक 15.07.2003 को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विभाग द्वारा आम जनता की जानकारी हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.09.2003 तक सभी पात्र युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये

(समाज कल्याण मंत्री)

गये हैं। ऐसे सभी आवेदक जो निर्धारित पात्रता रखते हैं एवं 30.09.2003 तक आवेदन करते हैं, उन सभी को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जायेगी।

## औद्योगिक इकाइयों में पूंजी निवेश में वृद्धि

**5. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जुलाई, 2003 में मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में न्यूयार्क सहित किन-किन देशों में सरकार का शिष्टमण्डल गया तथा उक्त दल में कुल कितने सदस्य थे और उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दल की विदेश यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या था और प्रयोजन में कितनी सफलता मिली है?

(3) राज्य सरकार को कुल कितने प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों में व उद्योगों में निवेदन हेतु प्राप्त हुए और कुल कितना वास्तविक निवेश हुआ?

### उत्तर

(1) (अ) माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार के शिष्टमण्डल ने राना द्वारा आयोजित राजस्थान अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 2003 न्यूयार्क (यू.एस.ए.) में भाग लिया।

(ब) शिष्टमण्डल में कुल 15 सदस्य थे।

(स) शिष्टमण्डल के सदस्यों की यात्रा पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कुल राशि रुपये 28,39,762/- व्यय होना अनुमानित है।

(2) (अ) शिष्टमण्डल का राजस्थान अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयार्क में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के अनुभवों का लाभ उठाना, राजस्थान सरकार व अप्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना तथा अपनी मातृभूमि एवं मूल संस्कृति से उन्हें जोड़े रखना था। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजस्थानी मूल के निवासियों द्वारा प्रथम बार इस प्रकार का अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि उनके इस प्रयास की हौसला अफजाई करे तथा राज्य का उनसे सम्बन्ध सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार का प्रतिनिधिमण्डल इस सम्मेलन में भाग लें।

(ब) इस सम्मेलन में भाग लेने से राजस्थान राज्य के प्रति अप्रवासियों की सामाजिक प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। सम्मेलन में राज्य में पीने के पानी, अकाल की समस्या और सर्वांगीण विकास, पर्यटन व सूचना प्रौद्योगिकी समेत सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

(उद्योग मंत्री)

(3) राजस्थान अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 2003 न्यूयार्क से राजस्थान के प्रति अप्रवासियों की सामाजिक प्रतिबद्धतां मजबूत हुई है। इस सम्मेलन में भाग लेने का यह उद्देश्य नहीं था कि अप्रवासी राजस्थानियों से राज्य में निवेश की मांग की जाए। इस सम्मेलन के जरिए इस क्षेत्र में रहने वाले अप्रवासी राजस्थानियों में राज्य के प्रति जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया था। निवेश के निर्णय काफी मंथन व विश्लेषण के बाद लिये जाते हैं तथा किसी भी विदेश यात्रा से यह अपेक्षा करना कि उसके समाप्ति के साथ ही निवेश के प्रस्ताव आने शुरू हो जाऐंगे व्यावहारिक नहीं हैं।

## विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की सड़कों का नवीनीकरण

6. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार क्षति ग्रस्त डामर सड़कें जिनका पूरा नवीनीकरण नहीं हुआ, का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार ग्राम आसोतरा से कीटनोद अपूर्ण नवीनीकरण तथा पारलू से जेठतरी अपूर्ण नवीनीकरण डामर सड़कों का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार पाटोदी से खोखसर क्षतिग्रस्त डामर सड़क का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या कालेवा फाटा से कालेवां ग्राम तक की डामर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है? क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के अनुसार सम्भव नहीं है।

(2) फिलहाल वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के अनुसार सम्भव नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार। इस सड़क का परेऊ से खोखसर का भाग ग्रामीण सड़क होने से संधारण का कार्य पंचायत समिति बायतु द्वारा किया जावेगा।

(4) यह सड़क ग्रामीण सड़क होने से संधारण का कार्य पंचायत समिति बालोतरा द्वारा किया जावेगा।

## जिला अलवर के स्टोन क्रेशरों से चेजा पत्थर पर कर वसूली में अनियमितताएं

7. **श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(1) राज्य में चेजा पत्थर पर बिक्री कर कितना प्रतिशत है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में तहसील तिजारा (अलवर) में मै. महालक्ष्मी ग्रिट उद्योग ने 25264 टन, मै. सूर्या ग्रिट उद्योग ने 42328 टन, मै. राजेश ग्रिट उद्योग ने 12673 टन, मै. हनुमान ग्रिट उद्योग ने 24900 टन, मै. एम.टी.सी.सी. ग्रिट उद्योग ने 6044 टन, मै. गणेश ग्रिट उद्योग ने 5434 टन, मै. शिव ग्रिट उद्योग ने 19277 टन, मै. मां सन्तोषी ग्रिट उद्योग ने 95167 टन, मै. जैन स्टोन क्रेशर ने 500 टन कुल 236087 टन चेजा पत्थर का उपयोग किया है? क्या उक्त चेजा पत्थर का बिक्री कर चुकता कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कौन अधिकारी दोषी है?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 3 अगस्त, 2000 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापा मारकर यह माल पकड़ा तो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी (अलवर) भी साथ थे? उक्त अधिकारी ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

**उत्तर**

(1) राज्य में चेजा पत्थर पर दिनांक 26.9.2002 तक बिक्री कर 12 प्रतिशत व कर पर 15 प्रतिशत सरचार्ज है। इसके पश्चात् अलवर जिले में कर दर 8/- प्रति टन है तथा 100 रुपये प्रति ट्रक मुक्ति शुल्क अधिसूचित है।

(2) इन फर्मों द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में रिटर्न प्रस्तुत करते समय कच्चे माल की खरीद सूचना 'टन वाईज' नहीं दी जाती है। विभाग में पेश रिर्टन में कुल खरीद मूल्य दर्शाया जाता है। अत: तिजारा तहसील (अलवर) स्थित उद्योगों द्वारा वर्ष 1999-2000 में उपयोग किये गये चेजा पत्थर का टन वाईज खरीद के आकड़े रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। (खरीद मूल्य के आंकड़े उपलब्ध है) वर्ष 1999-2000 में तिजारा स्थित ग्रिट उद्योगों द्वारा रुपये 20.47 लाख बिक्री कर का भुगतान किया गया है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी हां। दिनांक 3.8.2000 को एसीडी की टीम के द्वारा एसीटीओ वार्ड प्रथम भिवाड़ी व निरीक्षक भिवाड़ी को साथ लिया जाकर मैसर्स राजेश ग्रिट उद्योग, उदनवास का सर्वेक्षण किया गया था मौके जांच उक्त फर्म के व्यवसाय स्थल से कुछ व्यवसाय सम्बन्धित रिकार्ड एवं लूज पेपर अभिग्रहित किये गये थे। जिनकी जांच कर फर्म के विरुद्ध 1998-99, 1999-2000, 2000-01 के सम्बन्ध में रुपये 25 लाख 27 हजार तीन सौ उन्नतर की मांग कायम की गयी थी। चूंकि अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी

(वित्त मंत्री)

है, अत: उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

## जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार

8. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पूर्व जैसलमेर रियासत के खातेदार काश्तकारों को गैर खातेदार घोषित किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व जैसलमेर रियासत में कोई राजस्व बंदोबस्त नहीं था?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे काश्तकारों के परिवार को खातेदारी अधिकार देने हेतु काश्तकारी अधिनियम का द्वितीय संशोधन करके धारा 15 ए.ए.ए. के आधार पर वयस्क परिवार के सदस्यों को हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित करने का निर्णय लिया है?

(4) क्या सरकार नहरी क्षेत्रों के गैर खातेदारों को 15 ए.ए.ए. के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक निस्तारण किया जावेगा और नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पूर्व जैसलमेर रियासत के कृषकों को जिनका कृषि भूमि पर वास्तविक कब्जा था किन्तु खातेदार नहीं थे उनको भू-अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज किया गया है।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15–ए.ए.ए. के तहत खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। गैर खातेदारों की सीलिंग सीमा से अधिक भूमि उनके परिवार के बालिग सदस्यों को सीलिंग सीमा तक आबंटन करने का प्रकरण विचाराधीन है।

(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 ए.ए.ए. में उल्लेखित प्रावधान अनुसार गैर कार्यवाही की जा रही है।

## 10वीं पास विद्यार्थियों को पैरामेडिकल आफिसर का दर्जा

9. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार 10वीं पास विद्यार्थियों को 6 माह की ट्रेनिंग देकर पैरामेडिकल आफिसर का दर्जा देकर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जनता को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि नर्स अथवा मेल कम्पाउण्डर जो स्नातक होने के बाद तीन वर्ष की ट्रेनिंग लेकर स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त होते हैं, उन्हें भी मरीज को दवा लिखने का अधिकार नहीं होता है? यदि हां, तो उक्त दसवीं पास 6 माह की ट्रेनिंग लेकर पैरामेडिकल अधिकारी बने व्यक्तियों को दवा लिखने का अधिकार सौंपने का सरकार ने किस आधार पर निर्णय लिया है?

**उत्तर**

(1) जनता को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए "स्वास्थ्य मित्र योजना" विचाराधीन है। योजना अन्तिम रूप से स्वीकृत होने पर ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण का स्वरूप निर्धारित हो सकेगा।

(2) चुंकि योजना अभी अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं हुई है। अत: मरीजों को दवा लिखने का अभी कोई प्रश्न ही नहीं है।

## विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) की मिसिंग लिंक सड़कों का अपूर्ण कार्य

10. **श्री दुर्गाप्रसाद** (गंगापुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुरसिटी में चार वर्ष पूर्व स्वीकृत सवाईमाधोपुर से ग्राम पंचायत बूचोलाई, सवाईमाधोपुर (डा. गिरराज के सामने से) ग्राम हबीबपुर होकर नौगांववाली लिंक रोड सड़कें अभी तक अपूर्ण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लिंक सड़कों की राशि मंजूर शुदा वर्षों से अधिशासी अभियन्ता, गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) के खाते में जमा है? यदि हां, तो उक्त लिंक सड़कों का कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सूर्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बीच-बीच में काम छोड़कर आधी अधूरी पेवर रोड बना रही है?

(4) क्या उक्त कम्पनी ने रायपुर से वजीरपुर होकर पाटोली से निकलने वाली सी.सी. रोड का कार्य छोड़ दिया है? यदि हां, तो उक्त शेष सड़क का कार्य कब तक करवा दिया जायेगा?

(5) क्या सूर्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा समय से कार्य नहीं करने पर कोई जुर्माना वसूला गया? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्षा के पश्चात्

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार्य पूर्ण करा दिया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सी.सी. रोड का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। कार्य समय पर नहीं करने के कारण आर.यू.पी.-II के कार्यो पर राशि 10.90 लाख रुपये तथा केन्द्रीय निधि योजना (सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत 5.65 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

## क्षतिग्रस्त कोट बालियान एवं लाटेड़ा बांध पाली का मरम्मत कार्य

11. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के कोट बालियान एवं लाटेड़ा बांध क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य माध्यमों से उक्त क्षतिग्रस्त बांधों का पुन: निर्माण/ मरम्मत के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त बांधों के पुन: निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) में स्थित कोट बालियान बांध दिनांक 11.7.2001 से क्षतिग्रस्त है तथा लाटाड़ा बांध दिनांक 11.7.2001 से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। कोट बांध की हाइड्रोलोजी का कार्य आई.डी. एण्ड आर. यूनिट जयपुर में प्रगति पर है। आंशिक क्षतिग्रस्त लाटाड़ा बांध को भविष्य में होने वाली क्षति से बचाने को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002 में बांध के शेष भाग का आंशिक मरम्मत कार्य सिंचाई मद में कराया गया था। लाटाडा बांध के क्षतिग्रस्त भाग के पुन: निर्माण हेतु जिला कलक्टर (सहायता), पाली द्वारा अकाल राहत सम्वत 2059 के अन्तर्गत 2.33 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। कार्य प्रारम्भ भी कराया गया था किन्तु 15.7.2003 को अकाल राहत कार्य अवधि समाप्त होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका।

(3) जी हां। कोट बांध की हाइड्रोलोजी कार्य आई.डी. एण्ड आर., यूनिट सिंचाई, जयपुर में प्रगति पर है। बांध की हाइड्रोलोजी निश्चित होने पर

(सिंचाई मंत्री)

प्रशासनिक तखमीना बनाया जायेगा। वित्तीय संसाधन की उपलब्धतानुसार बांध का कार्य कराया जाना सम्भव होगा। लाटाडा बांध वर्तमान में पानी से भरा है। बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनः निर्माण, बांध खाली होने के उपरान्त वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

## नवोदय विद्यालय, खैरथल (अलवर) के छात्रावासों में देय सुविधाओं का निरीक्षण

12. **श्री रमेश खींची (कठूमर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नवोदय विद्यालय, खैरथल (अलवर) केन्द्रीय मानव विकास संस्थान मंत्रालय से स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त विद्यालय की वर्ष 2002–2003 में कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षाओं की छात्र संख्या कितनी रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? क्या उक्त विद्यालय पर राज्य सरकार का नियंत्रण है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में छात्रावास की भी व्यवस्था है? यदि हां, तो एक कमरे में कितने–कितने विद्यार्थियों को रखा जाता है?

(5) उक्त विद्यालय में छात्रों को छात्रावास मेस में नास्ते व खाने की भी व्यवस्था है? यदि हां, तो नाश्ते में क्या क्या दिया जाता है?

(6) क्या सरकार द्वारा कभी उक्त विद्यालय का निरीक्षण कराया गया है? यदि हां, तो कब–कब और उसमें क्या क्या कमियां पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या अब सरकार उक्त विद्यालय की व्यवस्थाओं आदि का निरीक्षण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। जवाहर नवोदय विद्यालय खैरथल, अलवर (राज.) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत शिक्षा अनुभाग की स्वायत्तशासी संस्था के रूप में दिनांक 20.8.1988 से स्वीकृत एवं सत्र 1988–89 से संचालित है।

(2) वर्ष 2002–2003 में प्रत्येक कक्षाओं में कक्षा 6 से 12 तक छात्र–छात्राओं की संख्या निम्नानुसार है :-

| कक्षा | छात्रों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 6 | 71 |
| 7 | 69 |
| 8 | 69 |
| 9 | 65 |

(शिक्षा मंत्री)

| 1 | 2 |
|---|---|
| 10 | 61 |
| 11 | 66 |
| 12 | 56 |

(3) सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित योजनानुसार जिले के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थियों की चयन परीक्षा का आयोजन कर चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। राज्य सरकार का इस विद्यालय पर सीधा नियंत्रण नहीं है, किन्तु इसकी विद्यालय प्रबन्ध समिति में जिला कलक्टर अध्यक्ष एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति "नवोदय विद्यालय समिति" जो मानव संस्थान विकास मंत्रालय से सम्बद्ध स्वायत्तशासी संस्थान है, के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।

(4) जी हां। छात्रावास की बनावट कमरे के अनुसार न होकर डोरमेट्री (हाल) के रूप में है, जिसमें अधिकतम 20 छात्र/छात्रा रहते हैं।

(5) जी हां। विद्यालय में छात्रों को छात्रावास मैस में नाश्ते में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को मसालेदार पोहा तथा दूध 250 ग्राम, बुधवार ब्रेड 6 पीस जैम के साथ, शनिवार को दलिया दूध एवं रविवार को पराठा, दही दिया जाता है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार का इस विद्यालय पर सीधा नियंत्रण नहीं है तथा इसकी समस्त व्यवस्थाएं जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निर्मित समिति द्वारा की जाती है।

## विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

**13. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में सेम समस्या के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों में से कतिपय सड़कों की विधायक कोटे के अन्तर्गत मरम्मत की गई है और कतिपय सड़कें राशि के अभाव में अभी भी क्षतिग्रस्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अपितु विधायक महोदय की अभिशंसा पर आर.यू.पी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रथम व द्वितीय चरण में सेम ग्रस्त सड़कों पर 15 किलोमीटर का कार्य किया गया है।

(3) जी हां। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों एवं बजट अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है।

## 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन चन्दवाजी (जयपुर) के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन

**14. श्री रामचन्द्र सराधना** (जमुवारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम ने चन्दवाजी 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु जयपुर कलक्टर से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व सचिव स्तर तक ग्रिड सब स्टेशन चन्दवाजी (जयपुर) के लिए भूमि देने की सहमति दे दी गई थी? यदि हां, तो उक्त भूमि क्यों नहीं दी गई?

(3) उक्त भूमि नहीं देने का निर्णय किस स्तर पर हुआ और उक्त के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार अब उक्त ग्रिड सब स्टेशन हेतु भूमि देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस ग्रिड स्टेशन हेतु पूर्व में ही भूमि आबंटित की हुई थी।

(3) उक्त भूमि नहीं देने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर हुआ व प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर में उल्लिखित कारणों से भूमि का आबंटन नहीं किया गया।

(4) उक्त ग्रिड सब स्टेशन हेतु पूर्व में ही भूमि आबंटित की जा चुकी है। इसलिये भूमि देने का कोई औचित्य नहीं है।

## निदेशक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर) के विरुद्ध कार्यवाही

**15. श्री यशवन्त सिंह (रामू)** (नदबई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निदेशक प्राथमिक जिला शिक्षा कार्यक्रम द्वारा जिला श्रीगंगानगर के किस ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध जांच के आदेश कब–कब, किस किस को दिये और किस–किस के द्वारा कब

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

कब जांच रिपोर्ट कितने समय में निदेशक को सौंपी गई?

(2) क्या ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, अनुपगढ़ के विरुद्ध भी अनियमितताओं की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या रहा?

(3) क्या उक्त जांच में उक्त केन्द्र प्रभारी द्वारा आर्थिक अनियमितता, अमानत में खयानत आदि आरोप प्रमाणित हो चुके हैं?

(4) क्या यह सही है कि निदेशक द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाकर आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो आरोपी केन्द्र प्रभारी को अभी तक फील्ड पोस्टिंग से क्यों नहीं हटाया गया और कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(5) क्या सरकार अब उक्त ब्लाक केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) श्रीगंगानगर जिले के ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी श्री श्यामलाल कुक्कड़, अनुपगढ़ के विरुद्ध दिनांक 4.2.2003 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। जिला कलक्टर द्वारा 24.3.2003 को भेजी गई जांच रिपोर्ट निदेशक, डीपीईपी को दिनांक 1.4.2003 को प्राप्त हुई।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ आरोपों में वी.आर.सी.एफ. अनुपगढ़ को दोषी पाया गया।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। उक्त कार्मिक को वी.आर.सी.एफ. अनुपगढ़ के पद से कार्यमुक्त किया जा चुका है।

(5) जी हां। सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) में स्वीकृत अपूर्ण सड़कें

16. **श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली (बूंदी) में बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरित करो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, न्यूनतम सेवा कार्यक्रम, केन्द्रीय सड़क निर्माण निधि योजना, सड़क रख रखाव योजना के तहत वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक कहां-कहां कितनी राशि का कार्य स्वीकृत किया गया?

(2) क्या उक्त योजनाओं में स्वीकृत राशि पूर्ण खर्च कर कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कौन

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

कौन से कितने एवं क्यों बकाया है और इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पजारा के ग्राम हुवाला की सड़क का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

(4) क्या सरकार उक्त बन्द अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) में बनाओ-चलाओ और हस्तान्तरित करो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, न्यूनतम सेवा कार्यक्रम केन्द्रीय सड़क निर्माण निधि योजना, सडक रख-रखाव योजना के तहत वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण प्रपत्र I से IV पर अंकित है।

(2) योजनावार एवं कार्यभर प्रगति विवरण कारण सहित एवं पूर्ण कराने की प्रस्तावित तिथि उपरोक्तानुसार प्रपत्र I से V पर अंकित है।

(3) जी हां। क्योंकि उक्त सड़क की प्रारम्भिक 3.00 किमी. लम्बाई आरक्षित वन क्षेत्र में से निकालने की फोरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। फोरेस्ट क्लियरेंस प्राप्ति की आवश्यकता प्रक्रिया को पूर्ण करने में समय लग रहा है। अत: इसमें किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है।

(4) जी हां। फोरेस्ट क्लियरेंस के उपरान्त इस कार्य को 6 माह में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र-I

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली ( बून्दी ) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत सड़क कार्य

योजना : बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | कुल व्यय | कार्य की प्रगति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ——————————शून्य—————————— | | |

प्रपत्र-II

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली ( बून्दी ) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत सड़क कार्य

योजना : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ( P.M.G.Y )

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि ( लाखों में ) | कुल व्यय ( लाखों में ) | कार्य की प्रगति का विवरण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सम्पर्क सड़क रेण | 24.92 | 22.05 | कार्य पूर्ण | — |
| 2. | सम्पर्क सड़क हुवालिया | 69.17 | 0.04 | वन विभाग द्वारा कार्य बन्द | वन विभाग से से स्वीकृति प्राप्त होने पर माह माह मार्च–2004 तक कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 3. | चेता से ढगारिया सड़क | 62.95 | — | कार्यदेश जारी | Stp. Dt of Comp. is 18.5.04 |
| 4. | बड़ौदिया से त्रिशुल्या सड़क | 72.37 | — | कार्यादेश जारी | 18.5.04 |
| 5. | डाबेटा से बिशधारी सड़क | 67.36 | — | कार्यादेश जारी | 18.5.04 |
| 6. | सम्पर्क सड़क अस्तोली | 64.49 | — | कार्यादेश जारी | 6.5.04 |
| 7. | दबलाना से सूरी सड़क | 124.95 | — | कार्यादेश जारी | 18.5.04 |
| 8. | सम्पर्क सड़क सलावलिया | 52.90 | — | कार्यादेश जारी | 18.5.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | हिण्डौली पेलेस से काछोला | 20.11 | .0.19 | कार्य प्रगति पर | 20.11.03 |
| 10. | सम्पर्क सड़क रानीपुरा | 21.77 | 20.75 | कार्य पूर्ण | |
| 11. | सम्पर्क सड़क रूणीजा | 38.83 | 33.97 | कार्य पूर्ण | |
| 12. | नेशनल हाईवे 12 से काबरी सड़क | 9.73 | 8.69 | कार्य पूर्ण | |
| 13. | सम्पर्क सड़क डाबेटा दरा का नयागांव | 156.06 | 150.07 | कार्य पूर्ण | |
| | योग | 785.61 | 235.76 | | |

प्रपत्र-III

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत सड़क कार्य

योजना : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (M.N.P.)

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | कुल व्यय | कार्य की प्रगति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ——————————शून्य—————————— | | | |

प्रपत्र-IV

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत सड़क कार्य

योजना :- केन्द्रीय सड़क निर्माण निधि योजना (C.R.F.)

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाखों में) | कुल व्यय (लाखों में) | कार्य की प्रगति का विवरण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्ट्रेंथनिंग एण्ड बाइडनिंग सी. 7 मी. एवं कारपेट इन फुल विड्थ बून्दी–चित्तौड़ रोड (एस.एच.-9) किमी. 0/0 से 10/0 तक | 80.00 | 71.22 | कार्य पूर्ण | |

**प्रपत्र-V**

**विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली ( बून्दी ) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत सड़क कार्य**

योजना : रख रखाव योजना ( R.U.P. )

| क्र. सं. | कार्य का नाम | चरण ( फेज ) | स्वीकृत राशि ( लाखों | कुल व्यय ( लाखों में ) | कार्य की प्रगति का विवरण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मेण्डी-गोठड़ा सड़क | I | 18.75 | 13.89 | कार्य पूर्ण | |
| 2. | गुढ़ा-गोकुलपुरा सड़क | I | 3.40 | 3.40 | कार्य पूर्ण | |
| 3. | बून्दी-दबलाना सड़क | I | 17.35 | 13.45 | कार्य पूर्ण | |
| 4. | सथूर-शक्करगढ़ सड़क | I | 20.40 | 15.68 | कार्य पूर्ण | |
| 5. | बून्दी-चित्तौड़गढ़ सड़क किमी. 16,17,20 | I | 17.10 | 13.39 | कार्य पूर्ण | |
| 6. | सथूर-शक्करगढ़ सड़क | II | 17.50 | 15.87 | कार्य पूर्ण | |
| 7. | बून्दी-अलोद-दबलाना सड़क | II | 28.40 | 21.57 | कार्य पूर्ण | |
| 8. | धनावा से रामेश्वर महादेव तक | II | 8.40 | 5.76 | कार्य पूर्ण | |
| 9. | काछोला से ओधून्दा सड़क | II | 12.00 | 9.52 | कार्य पूर्ण | |
| 10. | तलाबगांव से बड़ोदिया सड़क | II | 7.50 | 6.30 | कार्य पूर्ण | |
| 11. | मेघारावत की झोपडिया से खिण्या सड़क | II | 20.90 | 19.67 | कार्य पूर्ण | |
| 12. | बडा नयागांव से गुढ़ा डेम सड़क | II | 10.00 | 8.77 | कार्य पूर्ण | |
| 13. | एप्रोच रोड सथूर माताजी | II | 5.00 | 3.10 | कार्य पूर्ण 100 | सथूर गांव के 1 किमी. लम्बाई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | किमी. में पानी निकास डामरीकरण व्यवस्थित नहीं होने के कारण छुड़वाया गया है। |
| 14. | एप्रोच रोड सथूर गांव | II | 6.00 | 5.98 | कार्य पूर्ण | |
| 15. | एप्रोच रोड मांगली माताजी | II | 5.30 | 4.81 | कार्य पूर्ण | |
| 16. | एप्रोच रोड धोवड़ा | II | 2.80 | 2.35 | कार्य पूर्ण | |
| 17. | एप्रोच रोड हिण्डौली पेलेस | II | 5.00 | 4.14 | कार्य पूर्ण | |
| 18. | दबलाना से भवानीपुरा सड़क | II | 5.00 | 4.99 | कार्य पूर्ण | |
| 19. | मेण्डी–गोठड़ा सड़क | II | 11.20 | 9.75 | कार्य पूर्ण | |
| | योग | | 222.00 | 182.39 | | |

**प्रपत्र-VI**

**विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली ( बून्दी ) में वर्ष 1999 से जुलाई, 2003 तक स्वीकृत सड़क कार्य**

**योजना : रख रखाव योजना ( R.U.P. )**

| क्र.सं. | कार्य का नाम | चरण ( फेज ) | स्वीकृत राशि ( लाखों में ) | कार्य की प्रगति | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | काछोला से ओडन्डा मार्ग | प्रथम | 3.40 | कार्य पूर्ण | |
| 2. | धनावा से रामेश्वर वाया अकोदा | प्रथम | 9.00 | कार्य पूर्ण | |
| 3. | सम्पर्क सड़क बड़ा नया गांव | प्रथम | 3.00 | कार्य पूर्ण | |
| 4. | सम्पर्क सड़क बिछड़ी से चेता | प्रथम | 6.00 | कार्य पूर्ण | |
| 5. | सम्पर्क सड़क अलोद | प्रथम | 6.00 | कार्य पूर्ण | |
| 6. | धोवड़ा से मेण्डी | प्रथम | 3.40 | कार्य पूर्ण | |
| 7. | सम्पर्क सड़क खेरुना | प्रथम | 9.00 | कार्य पूर्ण | |
| 8. | सम्पर्क सड़क कंजर कालोनी मांगल | प्रथम | 12.80 | कार्य पूर्ण | |
| 9. | मेघरावत की झोपड़िया से खिनिया | प्रथम | 20.40 | कार्य पूर्ण | |
| | योग | | 73.00 | | |

## जिला सिरोही में प्रस्तावित नवीन उप तहसीलें एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

17. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में नए उपखण्ड अधिकारी कार्यालय व उप तहसील खोलने के कितने प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है?

(2) क्या सरकार जिला सिरोही के शिवगंज व पिण्डवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं कैलाश नगर तहसील शिवगंज में उप तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक उक्त कार्यालय नहीं खुलने के क्या कारण है?

### उत्तर

(1) राज्य में 4 नये उपखण्ड कार्यालय व 16 नई उप तहसील कार्यालय खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है। पूर्व में प्रभारी अधिकारी अकाल राहत के नाम से 33 अधिकारी पदस्थापित किये हुए हैं तथा 41 स्थानों पर नायब तहसीलदारों के मुख्यालय स्थापित किये हुए हैं।

(2) जी हां। ये पूर्व से कायम किये हुए हैं जिनमें शिवगंज व पिण्डवाड़ा में प्रभारी अधिकारी अकाल राहत के नाम से तथा तहसील शिवगंज के कैलाशनगर के नाम से नायब तहसीलदार का कार्यालय स्थापित है।

(3) इसका उत्तर बिन्दु संख्या 2 में दिया जा चुका है।

### प्रश्न संख्या–18
(स्थगित)

## पचपदरा से बागूंडी (बाड़मेर-जोधपुर) सड़क निर्माण कार्य

19. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर से जोधपुर सड़क मार्ग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं लगभग 5 वर्ष से क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या यह भी सही है कि पचपदरा से बागूंडी सड़क क्षतिग्रस्त है?

(3) क्या सरकार बाड़मेर जिले की सर्वोत्त उपयोगिता की सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पचपदरा से बागूंडी की सड़क को उच्च कोटि के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से किस प्रकार?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्तमान में सी.आर.एफ., आर.यू.पी. के अन्तर्गत 97 किमी. में कार्य प्रगति पर है। शेष 99 किमी. में से 72 किमी. सी.आर.एफ. योजना में प्रस्तावित है।

(2) जी हां।

(3) जोधपुर से बाड़मेर वाया बालोतरा राष्ट्रीय राज्य मार्ग बनाने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(4) जी हां। पचपदरा से बागूंडी सड़क को राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ.7 (442) अनु.II/79/डी-357 दिनांक 9.5.2003 के द्वारा राज्य मार्ग (28 बी) में परिवर्तित कर दिया गया है।

## चक 22 के एच. एम. में अन्तिम छोर पर जलापूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही

**20. श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चक 22 के.एच.एम. में आबंटित सिंचित कृषि भूमि जो 20-25 बावरी परिवारों को आबंटित की हुई है, गत 4-5 वर्षों से बिलकुल असिंचित हो चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि के.एच.एम. नहर की आर.डी. 81 पर एक ठोकर लगी हुई है इसके आगे आर.डी. 90 से आर.डी. 95 तक का बेड लेवल 2-2.5 फीट ऊंचा होने के कारण चक 22 के.एच.एम. के काश्तकारों को आबंटित भूमि में सिंचाई का पानी गत 4-5 वर्षों से उपलब्ध नहीं हो रहा है?

(3) क्या चक 22 के.एच.एम. के सिंचित मुरब्बों के असिंचित होने की शिकायतें सिंचाई विभाग के अधिकारियों/ अभियन्ताओं को प्राप्त होने के बावजूद उक्त पर कोई सक्षम कार्यवाही आज तक नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सिंचाई अभियन्ताओं ने परीक्षण किया है कि आर.डी. 90 से आर.डी. 95 के बैड लेवल को तोड़कर नीचा करके आगे पीछे के लेवल के अनुसार समतल किये जाने के फलस्वरूप व आर.डी. 81 पर लगी हुई ठोकर को तोड़ने से चक 22 के.एच.एम. के पचीसों मुरब्बों को सिंचाई का सही पानी दिए जाने की व्यवस्था की जा सकती है?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। खुशानवाला माइनर (के.एच.एम. माइनर) रेतीले क्षेत्र में से निकलती है जिसके कारण नहर में बार बार सिल्ट भर जाती है। सिल्ट सफाई के उपरान्त चक 22 के.एच.एम. की कमाण्ड भूमि को पूरा पानी मिलता है।

(2) जी नहीं। के.एच.एम. नहर की आर.डी. 81 पर ठोकर नहीं बनी हुई है अपितु 5 फीट का फाल बना हुआ है। आर.डी. 92 से 95 के ऊंचे बैड लेवल को वर्ष 1996 में तोड़ कर सही कर दिया गया है जिसके उपरान्त टेल पर पूरा पानी उपलब्ध होने लग गया है।

(3) जी नहीं। चक–22 के.एच.एम. (टेल पर) में काश्तकारों से प्राप्त कम पानी की शिकायतों पर कार्यवाही की जाती रही है।

(4) उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 के अनुसार।

## परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-3 की सूची)

शासन सचिवालय में आशुलिपिकों के रिक्त पदों की वर्षवार स्थिति

| क्र.सं. | वर्ष | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 1. | 1996 | 49 |
| 2. | 1997 | 12 |
| 3. | 1998 | 17 |
| 4. | 1999 | 13 |
| 5. | 2000 | शून्य |
| 6. | 2001 | 15 |
| 7. | 2002 | 18 |
| 8. | 2003 | 07 |

# परिशिष्ट–3

परिशिष्ट–'अ'

## (अतारांकित प्रश्न संख्या–14 की जांच रिपोर्ट)

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,
जयपुर, जिला–जयपुर।

विषय : पटवारी हल्का सिरसली तहसील आमेर, जिला–जयपुर द्वारा किसानों से राजस्व रिकार्ड की नकल व अन्य कार्यों के लिए भ्रष्ट आचरण से पैसा लेने व नाजायज परेशान करने बाबत।

मान्यवर महोदय,

निवेदन है कि श्री राजकुमार यादव, पटवारी हल्का सिरसली, तहसील आमेर, जिला–जयपुर में गत करीब तीन वर्षों से कार्यरत है तथा पटवारी हल्का द्वारा किसानों को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने, सीमज्ञान करवाने या अन्य कार्यों के लिए भ्रष्ट आचरण से नाजायज हैरान परेशान करते रहते है, जिसका निम्नप्रकार निवेदन है :

1. यह कि पटवारी हल्का सिरसली द्वारा कतिपय व्यक्तियों से साठ–गांठ करके ग्राम रामगटा, उर्फ हरवंशपुरा की चरागाह भूमि से हरे वृक्षों की कटाई करवा दी। जिसकी स्थानीय नागरिकों द्वारा पटवारी हल्का को शिकायत करने के उपरान्त भी पटवारी हल्का द्वारा चरागाह भूमि से हर वृक्ष काटने वालों के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही न तो स्वयं के द्वारा की गई व न ही राजस्व के उच्चाधिकारियों को लिखा गया।

इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा कार्यवाही नहीं करने के उपरान्त ग्राम पंचायचत सिरसली के उपसरपंच द्वारा श्रीमान् जिलाधीश महोदय, जयपुर के निवेदन करने पर श्रीमान् तहसीलदार साहब आमेर के द्वारा पेड काटने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना चौमूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का आदेश दिया गया लेकिन पटवारी हल्का की उक्त व्यक्तियों से मिलीभगत व सांठ–गांठ होने की वजह से उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आज तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है तथा मामले को दबा दिया गया है।

2. यह है कि ग्राम पौखर सा का बास, तहसील आमेर एवं ग्राम मुवारडी,

तहसील चौमूं के काकड़ का सीमाज्ञान करवाने हेतु भी एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिरसली के उप सरपंच द्वारा प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग कैम्प सिरसली को प्रस्तुत किया था लेकिन उक्त प्रकरण में भी पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अधिकारियों को गुमराह करके उक्त ग्रामों के काकड़ा का सीमाज्ञान नहीं करवा रहे है। जिससे उक्त दोनों ग्रामवासियों में आपस में विवाद कायम है व इस बाबत कभी भी लड़ाई झगड़ा व शांति भंग हो सकती है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

3. यह है कि न्यायालयों के निर्णयों व राजस्व के अन्य शीर्ष अधिकारियों के आदेशों की राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने हेतु पटवारी हल्का द्वारा मोटी रकम की मांग की जाती है तथा नहीं देने पर न्यायालयों के निर्णय या शीर्ष अधिकारियों के आदेशों का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं किया जाता है।

4. यह है कि कृषकों को ऋण लेने हेतु बिजली के कनेक्शन का आवेदन करने हेतु या अन्य कार्यों हेतु, राजस्व रिकार्ड की नकल पटवारी हल्का द्वारा तब तक नहीं दी जाती है। जब तक की पटवारी हल्का को सेवा शुल्क नहीं दे दिया जाता है व गरीब किसानों से नाजायज रूप से भ्रष्ट आचरण से पैसा लेता है व नाजायज रूप से परेशान किया जाता है।

5. यह है कि उक्त पटवारी हल्का के विरुद्ध ग्राम पंचायत सिरसली की बैठक में भी किसानों से नाजायज रूप से पैसा लेने व परेशान करने बाबत एक प्रस्ताव लिया गया है जिसके उपरान्त भी पटवारी हल्का के विरुद्ध आज तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है।

6. यह है कि उक्त पटवारी हल्का के विरुद्ध कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा श्रीमान् तहसीलदार आमेर को लिखित व मौखिक शिकायत की जा चुकी है तथा एक शिकायत स्थानीय नागारिकों द्वारा पटवारी हल्का के विरुद्ध प्रशासन गांवों के संग कैम्प में भी की गई थी लेकिन पटवारी हल्का ने तहसीलदार आमेर से सांठ-गांठ करके मामले को दबा दिया गया है।

7. यह है कि उक्त पटवारी हल्का ने तहसीलदार आमेर से सांठ-गांठ कर रखी है जिस वजह से तहसीलदार आमेर द्वारा उक्त पटवारी के विरुद्ध की गई शिकायतों को दबा दिया जाता है। जिस वजह से पटवारी हल्का के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होती है तथा तहसीलदार आमेर के द्वारा पटवारी हल्का को पूर्ण शह दे रखी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि श्री राजकुमार यादव पटवारी हल्का सिरसली का दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण करके प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवा कर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

**प्रार्थी**

आम जनता
पौखर सा का बास व रामगटा,
ग्राम पंचायत सिरसली, तहसील आमेर,
जिला–जयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर        परिशिष्ट-'ब'

क्रमांक : जांच/03/499                                    दिनांक : 19 अक्टूबर, 2003

श्रीमान् कलक्टर महोदय,
(भू.अ.) जयपुर

विषय : शिकायती प्रा. पत्र विरुद्ध श्री राजकुमार यादव, पटवारी हल्का सिरसली तह. जिला–जयपुर।
द्वारा ग्राम:पोखरन का बारा/सिरसली/आमेर बाबत:किसानों से राजस्व रिकार्ड की नकल व अन्य कार्यो के लिये भ्रष्ट आमरण से पैसा लेने व नाजायज परेशान करने।

प्रसंग :-आपका पत्रांक भू.अ./पी.4/03/5419 दिनांक 22.5.2003

**महोदय**

उक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न प्राप्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में अपोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा की गई जांच तथा तहसीलदार आमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से बिन्दुवार निम्नप्रकार निष्कर्ष निकाले गये :

(1) शिकायतकर्ताओं द्वारा ग्राम हरवंशपुरा की चरागाह भूमि से हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत की गई है। उक्त हरे पेड़ वस्तुत: ग्राम हरवंशपुरा के खसरा नम्बर 200 गैर मुमकिन रास्ता के काटे गये है। इसकी फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का सिरसली द्वारा दिनांक 01.03.2003 को तैयार की गई थी, जिस पर सायं सरपंच एवं उप सरपंच के भी हस्ताक्षर है। साथ ही पटवारी हल्का को तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 28.03.2003 को निर्देश दिये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 04.04.2003 को थाना चौमूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई थी तथा 26.5.2003 को दोषियों के खिलाफ चालान पेश हो चुका है। अत: यह आरोप निराधार है कि हल्का पटवारी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश के उपरान्त भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

(2) ग्राम पोखरना का बास तहसील आमेर तथा ग्राम गुवारड़ी तह. चौमूं के काकड़ का सीमाज्ञान केवल हल्का पटवारी के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अत: इस हेतु हल्का पटवारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) उक्त बिन्दू में कोई विशिष्ट प्रकरण तथा नाम आदि नहीं होने से जांच की जानी अपेक्षित नहीं है।

(4) उक्त बिन्दू में भी कोई विशिष्ट प्रकरण तथा नाम आदि नहीं होने से जांच की जानी अपेक्षित नहीं है।

(5) इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.7.2003 को यह लिख कर दिया गया है कि हल्का पटवारी द्वारा किसानों से नाजायज रूप से पैसा लेने व परेशान करने बाबत कोई प्रस्ताव पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु नहीं लिया गया है तथा हल्का पटवारी की कार्यशैली संतोषप्रद है। अत: यह शिकायत भी निराधार प्रतीत होती है।

(6) उक्त आरोप बेबुनियाद प्रतीत होता है क्योंकि पूर्व में भी हल्का पटवारी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय से पत्रांक एलआर/02/2124 दिनांक 28.6.2002 द्वारा श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय को भिजवायी गई है।

(7) यह आरोप उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पूर्व में प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाकर रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

इस प्रकार शिकायती पत्र के अधिकांश आरोप प्रमाणित नहीं हो पाये है तथा आधारहीन प्रतीत होते है। उल्लेखनीय है कि हल्का पटवारी राजकुमार यादव पटवार मण्डल सिरसली में अक्टूबर, 2002 से आज दिनांक तक कार्यरत है। जांच रिपोर्ट बिन्दुवार श्रीमान् की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

ह०/-

उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु. जयपुर।

# परिशिष्ट-4

परिशिष्ट-'क'

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का पदवार विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि चिकित्सा संस्थान वार एवं पदवार निम्न प्रकार है

| चिकित्सा संस्थान का नाम | पदनाम | स्वीकृत पद संख्या | रिक्त पद संख्या | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र बस्सी | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | |
| | संगणक | 1 | — | |
| | बी.एच.एस. (मेल) | 1 | 1 | 3/02 |
| | बी.एच.एस. (फिमेल) | 1 | — | |
| | वरिष्ठ लिपिक | 1 | — | |
| | एल.एच.वी. | 2 | — | |
| | वाहन चालक | 1 | 1 | 7/02 |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | सेक्टर सुपरवाइजर | 5 | 5 | 3/99 |
| 2. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र), बस्सी | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, स्त्रीरोग, सर्जरी) | 3 | — | |
| | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 3 | — | |
| | नर्स श्रेणी प्रथम | 1 | — | |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 6 | 2 | 7/03 |
| | वरिष्ठ लिपिक | 1 | — | |
| | कनिष्ठ लिपिक | 1 | — | |
| | रेडियोग्राफर | 1 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन | 1 | — | |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | वाहन चालक | 2 | 1 | 8/02 |
| | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | — | |
| | वार्ड ब्वाय | 8 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 2 | 1 | 5/03 |
| | एम.पी.डब्ल्यू. (मेल) | 9 | — | |
| 3. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र कोटखावदा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | |
| | संगणक | 1 | — | |
| | बी.एच.एस. (मेल) | 1 | — | |
| | बी.एच.एस. (फिमेल) | 1 | 1 | 4 वर्ष से |
| | एल.एच.वी. | 1 | — | |
| | सैक्टर सुपरवाइजर | 4 | 1 | 3 वर्ष से सेवानिवृत्त |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | |
| | नर्स द्वितीय | 2 | 1 | /03 से |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | वार्ड ब्वाय | 1 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | |
| 5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़वा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 1 | — | |
| | एल.एच.वी. | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | |
| | स्वास्थ्य निरीक्षक | 1 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | वार्ड ब्याय | 1 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | |
| 6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाड़ी | चिकित्सा अधिकारी | 1 | — | |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | 1 | 12/02 |
| | एल.एच.वी. | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | — | |
| | वार्ड ब्याय | 1 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | |
| 7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (एम.सी.एच.), बासखो | चिकित्सा अधिकारी | 2 | — | |
| | नर्स द्वितीय | 2 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | | |
| | वार्ड ब्याय | 2 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | |
| 8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (एम.सी.एच.), तुंगा | चिकित्सा अधिकारी | 2 | — | |
| | नर्स द्वितीय | 3 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | लैब टैक्नीशियन | 1 | | |
| | वार्ड ब्याय | 4 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | |
| 9. एडपोस्ट बैनाड़ा | नर्स द्वितीय | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | वार्ड ब्याय | 1 | — | |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | — | |
| 10. एडपोस्ट माधोगढ़ | नर्स द्वितीय | 1 | 1 | 7/03 |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| 11. एडपोस्ट जटवाड़ा | नर्स द्वितीय | 1 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| | वार्ड ब्याय | 1 | — | |
| 12. एडपोस्ट कानोता | नर्स द्वितीय | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| 13. एडपोस्ट पालावाला जाटान | नर्स द्वितीय | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| 14. एडपोस्ट गरूडवाजी | नर्स द्वितीय | 1 | — | |
| | प्रसाविका | 1 | — | |
| 15. उपकेन्द्र, हरिनारायणपुर | प्रसाविका | 1 | — | |
| 16. उपकेन्द्र, झापदाकलां | प्रसाविका | 1 | — | |
| 17. उपकेन्द्र, खेडारानीबास | प्रसाविका | 1 | — | |
| 18. उपकेन्द्र, देलाला | प्रसाविका | 1 | — | |
| 19. उपकेन्द्र, राडोली | प्रसाविका | 1 | — | |
| 20. उपकेन्द्र, महादेवपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 21. उपकेन्द्र, रामनगर | प्रसाविका | 1 | — | |
| 22. उपकेन्द्र, रूपाहेडीकलां | प्रसाविका | 1 | — | |
| 23. उपकेन्द्र, ठिकरिया गुजरान | प्रसाविका | 1 | — | 7/02 |
| 24. उपकेन्द्र, ठिकरिया मीणान | प्रसाविका | 1 | — | |
| 25. उपकेन्द्र, धनाओकलां | प्रसाविका | 1 | — | |
| 26. उपकेन्द्र, गढ़ | प्रसाविका | 1 | — | |
| 27. उपकेन्द्र, कचोलिया | प्रसाविका | 1 | — | |
| 28. उपकेन्द्र, रामसिंहपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 29. उपकेन्द्र, सामरिया बराला | प्रसाविका | 1 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. उपकेन्द्र, जहाज वाड (झांझवाड़) | प्रसाविका | 1 | 1 | 5/03 |
| 31. उपकेन्द्र, टोडाभाटा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 32. उपकेन्द्र, काशीपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 33. उपकेन्द्र, मनोहपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 34. उपकेन्द्र, नागराजपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 35. उपकेन्द्र, पालाबाला रामसर | प्रसाविका | 1 | — | |
| 36. उपकेन्द्र, दूधली | प्रसाविका | 1 | — | |
| 37. उपकेन्द्र, झर | प्रसाविका | 1 | — | |
| 38. उपकेन्द्र, पाटन | प्रसाविका | 1 | — | |
| 39. उपकेन्द्र, अणतपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 40. उपकेन्द्र, राजपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 41. उपकेन्द्र, टहटला | प्रसाविका | 1 | — | |
| 42. उपकेन्द्र, पडासोली | प्रसाविका | 1 | 1 | 5/03 |
| 43. उपकेन्द्र, खेड़लावास | प्रसाविका | 1 | — | |
| 44. उपकेन्द्र, करणगढ़ | प्रसाविका | 1 | — | |
| 45. उपकेन्द्र, खोखावाला | प्रसाविका | 1 | — | |
| 46. उपकेन्द्र, जितावाला | प्रसाविका | 1 | — | |
| 47. उपकेन्द्र, बराला | प्रसाविका | 1 | — | |
| 48. उपकेन्द्र, फालियावास | प्रसाविका | 1 | — | |
| 49. उपकेन्द्र, भटेरी | प्रसाविका | 1 | — | |
| 50. उपकेन्द्र, सिन्दोली | प्रसाविका | 1 | — | |
| 51. उपकेन्द्र, खेतपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 52. उपकेन्द्र, मोहनपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 53. उपकेन्द्र, कुथाडाकलां | प्रसाविका | 1 | — | |
| 54. उपकेन्द्र, लालगढ़ | प्रसाविका | 1 | — | |
| 55. उपकेन्द्र, कानेटी | प्रसाविका | 1 | — | |
| 56. उपकेन्द्र, नागल बोहरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 57. उपकेन्द्र, श्रीरामपुरा | प्रसाविका | 1 | — | |
| 58. उपकेन्द्र, भूड़ला | प्रसाविका | 1 | — | |

## परिशिष्ट-5

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-21 की सूची)

अनुशांषित कार्यों की सूची

परिशिष्ट "अ"

| क.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाखों में) | प्राप्त राशि (लाखों में) | व्यय राशि (लाखों में) | अधिशेष राशि (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अ. | वर्ष 1999-2000 | शून्य | — | — | — | — |
| ब. | वर्ष 2000-2001 | | | | | |
| | 1. बीटी सड़क निर्माण कार्य खिंवल चौराहा से सोजत तहसील सीमा तक कि.मी. 0/0 से 2/0 | 4.99 | 4.91 | 4.91 | — | कार्य पूर्ण |
| | 2. डब्लूबीएम कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी. 2/0 से 4/0 | 4.83 | 3.90 | 3.90 | — | कार्य पूर्ण |
| | 3. डब्लूबीएम कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी. 0/0 से 2/0 | 4.68 | 3.77 | 3.77 | — | कार्य पूर्ण |
| | 4. बीटी सड़क निर्माण कार्य खिंवल चौराहा से सोजत तहसील सीमा तक कि.मी. 2/0 से 3/0 | 2.49 | 2.25 | 2.25 | — | कार्य पूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स. | वर्ष 2001–2002 | | | | | |
| | 1. बीटी सड़क निर्माण कार्य बर से मेघडदा किमी. 0/0 से 3/500 | 9.97 | 7.97 | 7.75 | 0.22 | अधिशेष राशि डीआरडीए में जमा करवा दी जावेगी |
| | 2. बीटी सड़क निर्माण कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी. 4/0 से 6/225 | 9.97 | 3.99 | 3.15 | 0.84 | वन विभाग द्वारा कार्य पर रोक लगाने से बीटी कार्य किया जाना शेष है। इस संबंध में विधायक महोदयजी ने इस बाबत वनविभाग के सचिवजी से रोक हटाने हेतु कार्यवाही जारी है। |
| | योग | 19.94 | 11.96 | 10.90 | 1.06 | |

बताया है कि उनकी

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| द. | वर्ष 2002–2003 | | | | | |
| | 1. सम्पर्क सड़क मैटल सड़क निर्माण कार्य दीपावास रेलवे फाटक के पास पुलेश्वर महादेव | 2.56 | 2.04 | 2.00 | 0.04 | कार्य पूर्ण, कार्य का अन्तिम देयक भुगतान करना शेष है। |
| | 2. आसन जिलेलाव छान की बेरी नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य किमी. 6 पर | 3.41 | 2.72 | 2.72 | — | कार्य पूर्ण,— ''— |
| | 3. झाला की चौकी सूरजकुण्ड पर पुलिया निर्माण कार्य किमी. 5 | 4.83 | 3.86 | 3.70 | 0.16 | कार्य पूर्ण, अन्तिम देयक भुगतान करना शेष है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बीटी कार्य सड़क भैरू का नाका से झाला की चौकी कानूजा रोड किमी. 8 से (0/0 से 2/0=2 किमी.) | 6.24 | 4.99 | 4.60 | 0.39 | कार्य पूर्ण, अन्तिम देयक भुगतान करना शेष है। |
| 5. | अटपडा गांव में नाली निर्माण का कार्य (डोवटेल कार्य विधायक महोदय द्वारा अनुषाशित) | 2.45 | 2.19 | 0.97 | 1.22 | कार्य पूर्ण, अन्तिम देयक भुगतान करना शेष है। |
| 6. | मैटल सड़क कानूजा से पचानपुरा वाया बलुपुरा किमी. 0/0 से 5/500 | 2.74 | 2.19 | 1.53 | 0.66 | कार्य पूर्ण, अन्तिम देयक भुगतान भुगतान करना शेष है। |
| 7. | बीटी सड़क खेडा मामावास से गिरी किमी. 2/0 से 3/500 | 3.38 | 2.70 | 2.61 | 0.09 | कार्य पूर्ण,— ''— |
| 8. | बीटी सड़क कुशालपुरा से करमावास (3 किमी.) | 7.35 | 5.88 | 1.31 | 4.57 | डब्ल्यू.बी.एम. तक कार्य हुआ है। डामरीकरण कार्य करना शेष है। वर्षा समाप्त होते ही बीटी कार्य करवाया जावेगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9. सड़क डामरीकरण (मैटल रोड से) कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी. 0/0 से 4/0 | 10.47 | 4.29 | 0.51 | 3.78 | —"— |
| | योग | 43.43 | 30.86 | 19.95 | 10.91 | |
| य. | वर्ष 2003-2004 (जुलाई 2003 तक) | | | | | |
| | 1. बीटी सड़क भैंरू का नाका से झाला की चौकी कानूजा किमी. 2/0 से 2/500 | 1.32 | 0.53 | — | 0.53 | उक्त कार्य की स्वीकृति दिनांक 19.6.2003 को जारी की गई जिसमें श्रीमान् जिला कलक्टर, पाली ने स्वीकृति के फुट नोट में लिखा, कि कार्य 30.6.2003 तक पूर्ण होने की स्थिति में ही कार्य शुरू करें। अतः समय अभाव के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया। |
| | योग | 1.32 | 0.53 | — | 0.53 | |
| | महायोग (अ+ब+स+द+य) | 81.68 | 58.15 | 45.65 | 12.50 | |

**शेष बची राशि के प्रत्येक सड़क कार्यों का विवरण** सूची "ब"

| क.सं. | सड़क कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाखों में) | प्राप्त राशि (लाखों में) | व्यय राशि (लाखों में) | शेष बची राशि (लाखों में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | बीटी सड़क निर्माण कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी. 4/0 से 6/225 | 9.97 | 3.99 | 3.15 | 0.84 | चूंकि डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक कार्य पूर्ण होने के बाद वन विभाग द्वारा कार्य पर रोक लगाने से बी.टी. कार्य किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में विधायक महोदय ने बताया कि उनकी इस बाबत वन विभाग के सचिव महोदयजी से रोक हटाने हेतु कार्यवाही जारी है। |
| 2. | बीटी सड़क कुशालपुरा से करमावास (3 किमी.) | 7.35 | 5.88 | 1.31 | 4.57 | डब्ल्यू.बी.एम. तक का कार्य पूर्ण एवं वर्षा के कारण शेष डामर कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं हो सका अब डामर कार्य करवाने की कार्यवाही की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | सड़क डामरीकरण (मैटल से) कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी. 0/0 से 4/0 | 10.47 | 4.29 | 0.51 | 3.78 | ——"—— |
| 4. | बीटी सड़क भैरू का नाका से झाला की चौकी कानूजा तक किमी. 2/0 से 2/500 | 1.32 | 0.53 | — | 0.53 | उक्त कार्य की स्वीकृति दिनांक 19.6.2003 को जारी की गई। अतः समयाभाव से कार्य शुरू नहीं किया जा सका। स्वीकृति के नीचे श्रीमान् जिला कलक्टर पाली द्वारा जारी स्वीकृति के फूट नोट पर यह वर्णित है कि कार्य 30.6.2003 तक पूर्ण होने की स्थिति में ही शुरू किया जाये। समय अभाव के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया। |
| | योग | 29.11 | 14.69 | 4.97 | 9.72 | |

परिशिष्ट-6                    परिशिष्ट 'क'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-22 के पत्र की प्रति)

**Office of the Executive Engineer P.W.D. Div. Tonk Letter of Acceptance of Tender**

**No./Untied** **Dated 18.9.1998**

**To Shri Ratan Lal Choudhary**

Vazeerpura

P.W.D. Contractor TONK

Sub.-Your tender at 30.7.1998 Negotion dt 2.9.1998

for the work Const. of Adm. Block in Govt. Girls College, Tonk

Dear Sir,

Your tender Dated 30.7.1998 & Negotiation Dt. 2.9.1998 for the work mentioned above has been accepted on be half of the Govrnor of Rajasthan at Parth 38.90% above the Schedule Gamountting to Rs. 6,58,033/- in works Six Lacs Fifty Eight Thousand Thirty Three only. You are requested to attend this office to complete the formal agreement within 15 days receipt of this letter.

You are directed to contact the Assistant Engineer Sub-Dn-Tonk and start the work at once and complete the sume within a period of 3 Months/the date of starting and completion of the work shall be reckoned as follows.

(a) Stipulated date of commencement 1.10.1998

(b) Stipulated date of completion 31.12.1998

This letter of acceptance together with the tender submitted by you combodying all the couditions therin constitutes the contract agreement between you and the Governor of the State Rajasthan for the aforesaid work.

The number allotted to you agreement is 94 of 98-99 the receipt of the letter may please be knowledged.

**Note—**

**Encl**—Shedule of Quantities.

**Yours Faithfully,**

Executive Engineer
Signed for & on behalf of Governor
on the State of Rajasthan

## परिशिष्ट-7

परिशिष्ट 'अ'

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-24 का विवरण)

| क्र. सं. | सड़क का नाम | संवेदक का नाम | किमी. जिस पर कार्य करवाया गया | अवधि जिसमें कार्य करवाया गया | भुगतान का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **(अ) योजना का नाम : 3054-सड़क नवीनीकरण** | | | | | |
| 1. | 6.7 एमएम सीलकोट पाली पिण्डवाड़ा सड़क | मैसर्स सूर्या कंस. कं. | 98/0 से 111/0, 119/0, से 125/0, और 130/0 से 135/0 | 22.9.99 से 21.2.2000 | 25.2.2000 |
| 2. | 6.7 एमएम सीलकोट सम्पर्क सड़क श्री सेला | मैसर्स सूर्या कंस. कं. | 0/0 से 1/0 | 22.9.99 से 21.2.2000 | 25.2.2000 |
| 3. | 6.7 एमएम सीलकोट रानी मुण्डारा सड़क | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 3/0 से 8/0 | 22.9.99 से 21.2.2000 | 25.2.2000 |
| 4. | 6.7 एमएम सीलकोट पाली पिण्डवाड़ा सड़क | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 124/0 से 130/0, 135/0 | 1.4.2000 से 31.3.2001 | 25.2.2000 |
| 5. | 6.7 एमएम सीलकोट रानी मुण्डारा सड़क | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 11/0 से 14/0 | 1.4.2000 से 31.3.01 | 31.3.01 |
| 6. | 6.7 एमएम सीलकोट नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 12/0 से 17/0 | 1.4.2000 से 31.1.01 | 31.3.01 |
| **(ब) योजना का नाम : 5054-सड़क उन्नयन योजना (फेस-प्रथम)** | | | | | |
| 1. | 13 एमएम पीएमसी आन मालनुं लुन्दारा सड़क | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 0/0 से 2/0 | 2002-03 | 24.7.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 13 एमएम पीएमसी आन सम्पर्क सड़क सोकड़ा | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 0/0 से 2/0 | 2002-03 | 24.7.02 |
| 3. | 13 एमएम पीएमसी आन बाली सेवाड़ी सड़क | नारायण सिंह गुलाब सिंह | 4/0 से 5/0 एवं 11/0 से 12/0 | 2002-03 | 24.7.02 |
| **(स) योजना का नाम : 3054-पेच मरम्मत कार्य** | | | | | |
| 1. | पेच मरम्मत कार्य नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | मैसर्स राजेश भंसाली रोहट | 2/0 से 13/0 | 99-2000 | 22.9.2000 |
| 2. | पाली पिण्डवाड़ा सड़क | मैसर्स राजेश भंसाली रोहट | 126/0 से 130/0, 136 | 99-2000 | 22.9.2000 |
| 3. | रानी फालना सड़क | मैसर्स राजेश भंसाली रोहट | 0/0 से 1/0, 5/0 से 10/0 | 99-2000 | 22.9.2000 |
| 4. | बाली सेवाड़ी सड़क | मैसर्स राजेश भंसाली रोहट | 0/0 से 2/0, 4/0 से 11/0 | 99-2000 | 22.9.2000 |
| 5. | पाली पिण्डवाड़ा सड़क | अकाल राहत श्रमिकों द्वारा पेच कार्य | 94/0 से 135/0 | 2000-01 | 22.8.2000 |
| 6. | नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | अकाल राहत श्रमिकों द्वारा पेच कार्य | 0/0 से 17/0 | 2000-01 | 22.8.2000 |
| 7. | बिजापुर गोरीया सड़क | अकाल राहत श्रमिकों द्वारा पेच कार्य | 0/0 से 23/0 | 2000-01 | 22.8.2000 |
| 8. | दानवरली से भीमाणा | अकाल राहत श्रमिकों द्वारा पेच कार्य | 0/0 से 18/0 | 2000-01 | 22.8.2000 |
| 9. | चामुण्डेरी से लुन्दारा | अकाल राहत श्रमिकों द्वारा पेच कार्य | 0/0 से 5/0 | 2000-01 | 22.8.2000 |

परिशिष्ट 'ब'

| क्र. सं. | सड़क का नाम | पदाधिकारी जिसने गुणवत्ता की जांच की | निरीक्षण दिनांक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **(अ) योजना का नाम : 3054–सड़क नवीनीकरण** | | | | |
| 1. | 6.7 एमएम सीलकोट पाली पिण्डवाड़ा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 20.11.99, 23.11.99, 27.11.99 | |
| 2. | 6.7 एमएम सीलकोट सम्पर्क सड़क श्री सेला | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 19.11.99 | |
| 3. | 6.7 एमएम सीलकोट रानी मुण्डारा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 22.11.99 | |
| 4. | 6.7 एमएम सीलकोट पाली पिण्डवाड़ा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 27.11.99 | |
| 5. | 6.7 एमएम सीलकोट रानी मुण्डारा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 22.11.99 | |
| 6. | 6.7 एमएम सीलकोट नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 23.11.99, 27.11.99 | |
| **(ब) योजना का नाम : 5054–सड़क उन्नयन योजना (फेस–प्रथम)** | | | | |
| 1. | 13 एमएम पीएमएम आन मालनुं लुन्दारा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 28.06.2002, 1.7.2002 | |
| 2. | 13 एमएम पीएमएम आन सम्पर्क सड़क सोकड़ा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 26.06.2002 | |
| 3. | 13 एमएम पीएमएम आन बाली सेवाड़ी सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 25.06.2002, 2.7.2002 | |
| **(स) योजना का नाम : 3054–पेच मरम्मत कार्य** | | | | |
| 1. | नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 31.10.99, 8.1.2000, 22.1.2000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | पाली पिण्डवाड़ा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 31.10.99, 8.1.2000, 22.1.2000 | |
| 3. | रानी फालना सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 31.10.99, 8.1.2000, 22.1.2000 | |
| 4. | बाली सेवाड़ी सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 31.10.99, 8.1.2000, 22.1.2000 | |
| 5. | पाली सेवाड़ी सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 22.6.2000 | |
| 6. | नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 22.6.2000, 6.7.2000 | |
| 7. | बीजापुर गोरीया सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 20.6.2000, 3.7.2000 | |
| 8. | दानवरली से भीमाणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 21.6.2000 | |
| 9. | चामुण्डेरी से लुन्दारा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 23.6.2000 | |
| 10. | बेड़ा से सेन्दला सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 24.6.2000 | |
| 11. | चामुण्डेरी से मालनू | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 24.6.2000 | |
| 12. | बीजापुर से बिसलपुर | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 17.6.2000, 21.6.2000 | |
| 13. | आमलिया से भीमाणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 24.6.2000 | |
| 14. | बाली से सेवाड़ी सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 17.6.2000 | |
| 15. | खीमेल धणी खुड़ाला सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 17.6.2000, 1.7.2000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | बोया से जवाई बांध सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 17.6.2000, 1.7.2000 | |
| 17. | फालना से पैरवा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 17.6.2000 | |
| 18. | फालना से पैरवा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 17.6.2000 | |
| 19. | साण्डेराव देसूरी सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 20. | रानी मुण्डारा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 20(i). | खीमेल धणी खुडाला सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 21. | बाली सेवाड़ी सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 22. | बाली दांतीवाड़ा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 23. | नाणा रेलवे स्टेशन से भीमाणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 24. | पाली पिण्डवाड़ा सड़क | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 25. | सम्पर्क सड़क सेणा | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |
| 26. | बीजापुर से बिसलपुर | सहायक अभियंता सानिवि फालना | 13.6.02, 17.6.02, 1.7.02, 3.7.02, 5.7.02, 6.7.02 | |

## परिशिष्ट-8

परिशिष्ट 'क'

( अतारांकित प्रश्न संख्या-26 की सूची )

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित ( राज्यादेश से ) अध्यापकों का पंचायत समितिवार विवरण

| पंचायत समिति का नाम | क्र. सं. | अध्यापक का नाम ( सर्वश्री/ श्रीमती/ सुश्री ) | कहां से ( स्थनान्तरित विद्यालय का नाम ) | कहां को विद्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| लूणकरणसर | 1. | सन्तोष व्यास, अ. | राउप्रावि, 264 आरडी | राउप्रावि, धसनीधर, नं. बीकानेर |
| | 2. | कान्ता पारीक, अ. | राउप्रावि, मोखमपुरा | राउप्रावि, सुथारों का, राममन्दिर, बीकानेर |
| | 3. | अशोक व्यास, अ. | राउप्रावि, संसारदेसर | राउप्रावि, बोथरा, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 4. | मनोज व्यास, शाशि. | राउप्रावि, धीरेरास्टेशन | राउप्रावि, डूडी पेट्रोल पम्प, बीकानेर |
| | 5. | मधु व्यास, शाशि. | राउप्रावि, (बा) महाजन | राउप्रावि, फड़बाजार (बा) अलखसागर बीकानेर |
| | 6. | कंचन शर्मा, प्र.अ. | राउप्रावि, मकड़ासर | राउप्रावि, (बा) औ. क्षेत्र, भगवानपुरा, बीकानेर |
| | 7. | राजकुमारी हर्ष, अ. | राउप्रावि, (बा) महाजन | राउप्रावि, (बा) गुरुद्वारा रानीबाजार बीकानेर |
| | 8. | माधवीपाल, अ. | राउप्रावि, फूलेजी | राउप्रावि, सादुलगज, बीकानेर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| नोखा | 1. शमीम बानो, अ. | | राउप्रावि., बन्धाला | राप्रावि, हरिजनबस्ती, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 2. मदनलाल स्वामी, अ. | | राउप्रावि., चिताणाकाहिरा | राप्रावि, हमालों की बारीबाहर, बीकानेर |
| | 3. खुर्शीद अहमदउस्ता, अ. | | राउप्रावि., दावा | राउप्रावि, माणी चौकन.12 बीकानेर |
| | 4. उर्मिला सोनी, अ. | | राउप्रावि., सोमलसर | राप्रावि, भट्टड़, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 5. बिसमिल्ला पड़िहार, अ. | | राउप्रावि., मुकाम | राप्रावि, भट्टड़, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 6. सोहनलाल चौधरी, अ. | | राउप्रावि., सलुझिडया | राप्रावि, शिवबाड़ी, बीकानेर |
| | 7. चन्द्रकान्ता, अ. | | राउप्रावि., (बा) रोड़ा | राउप्रावि, रथखाना, बीकानेर |
| | 8. शिवरानी पारीक, अ. | | राउप्रावि., भादवों की ढाणी सरूपदेसर | राउप्रावि, ईदगाह बारी, बीकानेर |
| | 9. स्नेहलता, अ. | | राउप्रावि., बनिया | राउप्रावि, ईदगाह बारी, बीकानेर |
| | 10. कर्मजीतकौर , अ. | | राउप्रावि., किशनासर | राउप्रावि, (बा) सोहनकोठी, बीकानेर |
| | 11. रशीदा बानो, अ. | | राउप्रावि., दावा | राप्रावि, बघरों का बास, बीकानेर |
| | 12. देवकी भाटी, अ. | | राउप्रावि., मुकाम | राप्रावि, इन्द्राकालोनी भुट्टाबास, बीकानेर |

| 1 | 2 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| | 13. संतोष मंडाल , अ. | राउप्रावि., गुन्दुसर | राउप्रावि, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर |
| | 14. लीलावती, अ. | राउप्रावि., जैसलसर | राप्रावि, (बा) बोथरा गंगाशहर, बीकानेर |
| | 15. ज्योति डांगी, अ. | रामावि (पलमद) भामटसर | राप्रावि, घड़सीसर, बीकानेर |
| | 16. मंजु झांकल, अ. | राउप्रावि., मुकाम | राप्रावि, किसमीदेसर बीकानेर |
| | 17. पुष्पा शर्मा, अ. | राउप्रावि., केड़ली | राप्रावि, घड़सीसर, बीकानेर |
| | 18. भगवती आचार्य, अ. | राउप्रावि., बासीधोरा | रामावि, (पूलमद), गोगागेट, बीकानेर |
| | 19. मोहनी सारण, अ. | राउप्रावि., सोमलसर | राप्रावि, किसमीदेसर, बीकानेर |
| | 20. विमला आचार्य, अ. | राउप्रावि., (बा) पांचू | राउप्रावि, (बा) बारहगुवाड़, बीकानेर |
| | 21. महेश कुमार, शा.शि. | राउप्रावि., उदासरदक्षिण | राउप्रावि, बंगलानगर रानीबाजार, बीकानेर |
| | 22. शारदा खत्री,अ. | राउप्रावि., पिथरासर | राउप्रावि, मुक्ताप्रसाद बीकानेर |
| | 23. चंचल शर्मा, अ. | राउप्रावि., किशनासर | राउप्रावि, गंगाबाल विद्यालय, बीकानेर |
| | 24. दुर्गाशंकर, शा.शि. | राउप्रावि., रायसर | राउप्रावि, बंगलानगर डूडी पेट्रोल पम्प, बीकानेर |
| | 25. मनोहरी देवी, अ. | रामावि., (पलमद) भामटसर | राउप्रावि, बोथरा, गंगाशहर, बीकानेर बीकानेर |
| बीकानेर | 1. मेघराज मोदी, अ. | राउप्रावि., थारूसर | राप्रावि, करणीनगर, बीकानेर |
| | 2. लता विश्नोई, अ. | राउप्रावि., कतरियासर | राप्रावि, (बा) हाउसिंगबोर्ड, बीकानेर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 3. मदनलाल सुथार | अ. | राउप्रावि., आडूरी | राप्रावि, सुभाषपुरा, बीकानेर |
| | 4. सावरा बानो, | अ. | राउप्रावि., रिड़मलसर | राउप्रावि, (बा) पाबुबारी, बीकानेर |
| | 5. इन्दुबाला, | अ. | राउप्रावि., राजेरां | राप्रावि, अनि. शा. न. 03, बीकानेर |
| | 6. विपिन गौड़, | शा.शि. | राउप्रावि., करणीसरभाटि | राउप्रावि., मुरलीधर व्यासनगर, बीकानेर |
| | 7. शशिकला सिंह, | अ. | राउप्रावि., राजासरभाटि | राउप्रावि., भट्टड़, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 8. लक्ष्मीदेवी स्वामी | अ. | राउप्रावि., आनन्दगढ़ | राउप्रावि., गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 9. कृष्णा शर्मा, | शा.शि. | राउप्रावि., सत्तासर | राउप्रावि., (बा) लालगढ़, बीकानेर |
| | 10. शारदा नांगल, | अ. | राउप्रावि., मकेरी | राउप्रावि., सुजानदेसर बीकानेर |
| | 11. राजकुमारी जोशी, | अ. | राउप्रावि., धरनोक | राउप्रावि., भट्टड़, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 12. उषा रैणा, | अ. | राउप्रावि., डण्डी | राउप्रावि., नायकों का बास, बीकानेर |
| | 13. शोभा सोनी | अ. | राउप्रावि., खारा | राउप्रावि., जैलवैल बीकानेर |
| | 14. शौकत अली, | शाशि. | राउप्रावि., 34 केवाईडी | राउप्रावि., नायकों का बास, बीकानेर |
| | 15. पुष्पा मारू, | अ. | राउप्रावि., सियासरचौगान | राउप्रावि., (बा) सोहनकोठी, बीकानेर |
| | 16. विवेकानन्द स्वामी, | अ. | राउप्रावि., कल्याणसर | राउप्रावि., पुलिस लाईन, बीकानेर |
| | 17. सरोज स्वामी, | अ. | राउप्रावि., सत्तासर | राप्रावि., किसमीदेसर बीकानेर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 18. प्रभा स्वामी, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., कावनी | राप्रावि., (बा) बांठिया, भीनासर, बीकानेर |
| | 19. रमा तंवर, प्र. अ. | | रा.उ.प्रा.वि., रायसर | राप्रावि., (बा) एलवीदम्माणी, बीकानेर |
| | 20. बुलाकीराम जाट, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., गंगाजली | राप्रावि., पूगलमार्ग, बीकानेर |
| | 21. अमरसिंह, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., 14 बीडी | राउप्रावि., बी.एस.एफ. बीकानेर |
| | 22. शिवकुमार व्यास, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., बम्बलू | राप्रावि., (बा) बारहगुवाड़, बीकानेर |
| | 23. विद्या पारीक, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., मेघासर | राप्रावि., छीपों का मोहल्ला, बीकानेर |
| | 24. उषा मोहता, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., अमरपुरा | राप्रावि., पाबुपाठ शाला, बीकानेर |
| | 25. गोपाल पारीक, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., लाखूसर | राउप्रावि., पुलिस लाईन, बीकानेर |
| | 26. सुनीता शेखावत, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., किलचूदेवड़ान | राउप्रावि., मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर |
| | 27. प्रेमलता कल्ला, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., मोतीगढ़ | राउप्रावि., कुम्हारों का मौहल्ला, बीकानेर |
| श्री कोलायत | 1. रमेश तुल्याणी, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., मढ | राउप्रावि., मुक्ता प्रसाद कालोनी, बीकानेर |
| | 2. गुलाम मोहम्मद, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., भेलू | राउप्रावि., सर्वोदय बस्ती, बीकानेर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 3. कुमकुम पंवार, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., (बा) झझू | राउप्रावि., सादुलगंज, बीकानेर |
| | 4. लक्ष्मी देवी, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., मण्डाल चारणान | राउप्रावि., मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर |
| | 5. पूर्णा स्वामी अ. | | रा.उ.प्रा.वि., (बा) गजनेर | राप्रावि., (बा) लखोटियाचौक, बीकानेर |
| | 6. शीला देवी, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., राववाला | राउप्रावि., घड़सीसर बीकानेर |
| | 7. कमलेश पाण्डे, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., गोगड़ियावाला | राउप्रावि., बोथरा, गंगाशहर, बीकानेर |
| | 8. विजय लक्ष्मी, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., (बा) खारीचारणन | राप्रावि., (बा) शीतलागेट, बीकानेर |
| | 9. कृष्णा खत्री, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., (बा) खारीचारणन | राप्रावि., इण्ड. ऐरिया रानीबाजार, बीकानेर |
| | 10.भगवानदास, अ. | | रा.उ.प्रा.वि., (बा) झझू | राप्रावि., (बा) हर्षो का चौक , बीकानेर |

परिशिष्ट 'ख'

बीकानेर शहर से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित (राज्यादेश से) अध्यापकों का पंचायत समितिवार विवरण

| क्र. सं. | अध्यापका का नाम /पद (सर्व श्री/ श्रीमती/सुश्री) | कहां से (विद्यालय का नाम मय स्तर) | कहां से (विद्यालय का नाम मय स्तर) | पंचायत समिति का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | संतोष तिवाड़ी, अ. | राउप्रावि, बोथरा, गंगाशहर, बीकानेर | राउप्रावि, संसारदेसर | लूणकरणसर |
| 2. | ओमप्रकाश, शा.शि. | —"—, डूडी पेट्रोलपम्प, बंगलानगर, बीकानेर | —"—, धीरेरांस्टेशन | —"— |
| 3. | विरेन्द्र सिंह चौधरी, अ. | —"—, जैलबैल, बीकानेर | —"—, बींझरवाली | —"— |
| 4. | अंजु आजमानी, शा.शि. | —"—, (बा) भगवानपुरा, औ. क्षे. बीकानेर | —"—, केलां | —"— |
| 5. | रेखा आवतरामानी, अ. | —"—, फुडबाजार (बा), बीकानेर | —"—, (बा) महाजन | —"— |
| 6. | संजु खुराना, प्र.अ. | —"—, (बा) भगवानपुरा, औ. क्षे. बीकानेर | —"—, मकड़ासर | —"— |
| 7. | श्रीराम साध, अ. | —"—, ईदगाह बारी, बीकानेर | —"—, नई आबादी लूणकरणसर | —"— |
| 8. | गौरी शंकर यादव, अ. | —"—, सादुलगंज, बीकानेर | —"—, फूलेजी | —"— |
| 1. | मोहनी सारण, अ. | राउप्रावि, भट्टड, गंगाशहर, बीकानेर | राउप्रावि, सोमलसर | नोखा |
| 2. | इन्द्रा कंवर, अ. | —"— —"— | —"—, मुकाम | —"— |
| 3. | रमलेश मुंजाल, अ. | राप्रावि, शिवबाडी, बीकानेर | —"—, सलुझिडया | —"— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | विक्रम सिंह मीणा, अ. | राउप्रावि, रथखाना, बीकानेर | —''—, (बा) रोड़ा | —''— |
| 5. | विनोद चुग, अ. | —''—, ईदगाहब्बारी, बीकानेर | —''—, (बा) भादवों की ढाणी, सरूपदेसर | —''— |
| 6. | सुमन झा, अ. | —''— —''— | —''—, बनिया | —''— |
| 7. | चंचल देवी, अ. | —''—, (बा) सोहनकोठी, बीकानेर | —''—, किशनासर | —''— |
| 8. | मनोज यादव, अ. | राप्रावि, पंजाबघरों का बास, बीकानेर | —''—, दावा | —''— |
| 9. | मंजु झांकल, अ. | —''—, इन्द्राकलोनी, भटटाबास, बीकानेर | —''—, मुकाम | —''— |
| 10. | नीरू बाला, अ. | —''—, सर्वोदयबस्ती, बीकानेर | —''—, किशनासर | —''— |
| 11. | शैल वाला, अ. | —''—, घड़सीसर, बीकानेर | रामावि, (पूलमद) भामटसर | —''— |
| 12. | पुष्पा शर्मा, अ. | —''—, किसमीदेसर, बीकानेर | राउप्रावि, मुकाम | —''— |
| 13. | सुनीता सक्सेना, अ. | रामावि, (पूलमद) गोगागेट, बीकानेर | —''—, बासी धोरा | —''— |
| 14. | त्रिपुरासी चतुर्वेदी, अ. | राप्रावि, किसमीदेसर, बीकानेर | —''—, सोमलसर | —''— |
| 15. | हीरू लालवानी, अ. | —''—, (बा) बारहगुवाड, बीकानेर | —''—, (बा) पांचू | —''— |
| 16. | अशोक सक्सेना, अ. | —''—, पुलिसलाइन, बीकानेर | —''—, (बा) जसरासर | —''— |
| 17. | विश्वजीत सिंह, शाशि. | —''—, बंगलानगर, रानीबाजार, बीकानेर | —''—, उदासर–दक्षिण | —''— |
| 18. | मेघसिंह, अ. | —''—, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर | —''—, पिथरासर | —''— |
| 19. | संतोष भटनागर, अ. | —''—, गंगावाल, बीकानेर | —''—, किशनासर | —''— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | ओमप्रकाश, शा.शि. | —"—, बंगलानगर डूडी पैट्रोलपम्प | —"—, रायसर | —"— |
| 1. | यशपाल सिंह, शाशि. | राउप्रावि, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर | राउप्रावि, करणीसर भाटियान | बीकानेर |
| 2. | चन्द्र कान्ता, अ. | —"—, भट्टड़, गंगाशहर, बीकानेर | —"—, राजासर भाटियान | —"— |
| 3. | अमरजीत कौर, शा.शि. | —"—, (बा) लालगढ़ | —"—, सत्तासर | —"— |
| 4. | प्रभुदयाल शर्मा, अ. | —"—, नायकों का बास, अम्बेड़कर, बीकानेर | —"—, डण्डी | —"— |
| 5. | महेश नारायण, अ. | —"—, सुजानदेसर | —"—, मकेरी | —"— |
| 6. | शैल जैन, अ. | —"—, भटटड़ गंगाशहर | —"—, धरनोक | —"— |
| 7. | प्रहलाद सिंह, अ. | —"—, गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर | —"—, आनन्दगढ़ | —"— |
| 8. | मुरलीधर, शा.शि. | —"—, नायकों का बास, अम्बेड़कर, बीकानेर | —"—, 34 के.वाई.डी. | —"— |
| 9. | रेखा माथुर, अ. | —"—, (बा) सोहनकोठी | —"—, सियासर चौगान | —"— |
| 10. | संतोष शर्मा, अ. | राप्रावि, किसमीदेसर बीकानेर | —"—, सत्तासर | —"— |
| 11. | मोतिया रानी, अ. | —"—, (बा) बांठिया, भीनासर | —"—, कावली | —"— |
| 12. | तुलसीराम, अ. | राउप्रावि, दम्माणीचौक नं. 12 बीकानेर | राप्रावि, तापड़िया देशनोक | —"— |
| 13. | निर्मला रेवड़ी, अ. | —"—, (बा) बारहगुवाड़, बीकानेर | राउप्रावि, राजेरां | —"— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | प्रेमलता, अ. | —''—, बीएसएफ बीकानेर | —''—, 14 बी.डी. | —''— |
| 15. | पवन बक्शी, अ. | —''—, बालिका बारहगुवाड़, बीकानेर | रामावि, बम्बू | —''— |
| 16. | देवराज उपाध्याय, अ. | —''—, पाबुवाठ शाला, बीकानेर | —''—, अमरपुरा | —''— |
| 17. | धनसुखदासर छंगाणी, अ. | —''—, मुक्ताप्रसाद बीकानेर | —''—, किलचू देवड़ान | —''— |
| 18. | पुष्पा देवी, अ. | —''—, कुम्हारों का मौह, बीकानेर | —''—, मोतीगढ़ | —''— |
| 1. | भगवानदास, अ. | राउप्रावि, सादुलगंज बीकानेर | राउप्रावि, (बा) झझू | श्रीकोलायत |
| 2. | पुष्प कंवर, अ. | —''—, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर | —''—, मण्डालचारणान | —''— |
| 3. | कृष्णा बजाज, अ. | राप्रावि, (बा) लखोटियाचौक, बीकानेर | —''—, (बा) गजनेर | —''— |
| 4. | लक्ष्मी बाला, अ. | राउप्रावि, घडसीसर, बीकानेर | —''—, राववाला | —''— |
| 5. | महावीर प्रसाद, अ. | —''—, बोथरा गंगाशहर, बीकानेर | —''—, गोगड़ियावाला | —''— |
| 6. | ओमकुमार सिंह, अ. | रामावि, (पूलमद) गोगागेट | —''—, बरसलपुरा | —''— |
| 7. | नीलू खत्री, अ. | राउप्रावि, शीतलागेट, बीकानेर | —''—, (बा) खारीचारणान | —''— |
| 8. | आशा पाठक, शाशि. | —''—, (बा) बारहगुवाड़ | —''— —''— | —''— |
| 9. | जेठाराम साध, अ. | राप्रावि, छीपोंकामौहल्ला | —''—, चकविजयसिंहपुरा | —''— |

## परिशिष्ट-9

परिशिष्ट 'क'

### (अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का विवरण)

चूरू जिले की सरदरशहर तहसील के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | पदनाम | रिक्त पदों की संख्या | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राउमावि, सरदारशहर (चूरू) | प्रधानाचार्य | 01 | 9/02 से स्था. |
| | | उप प्रधानाचार्य | 01 | 11/01 से पदो. |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 01/03 से स्वै.सैनि. |
| | | व्याख्याता (चित्रकला) | 01 | 11/00 से सैनि. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 01 | 7/01 से सैनि. |
| | | क. लि. | 01 | 6/03 से स्था. |
| 2. | रा. अंजुमन उमावि, सरदारशहर (चूरू) | प्रधानाचार्य | 01 | 9/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 11/01 से पदो. |
| | | व्याख्याता (चित्रकला) | 01 | 01/03 से स्वै.सैनि. |
| | | व. अ. (उर्दू) | 01 | 11/00 से सैनि. |
| | | व. शा.शि. | 01 | 1/00 से नवक्रमोन्नत |
| | | अध्यापक-III | 03 | 8/01 से पदो. |
| 3. | राउमावि, जैतसीसर | प्रधानाचार्य | 01 | 10/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (अंग्रेजी) | 01 | 11/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 01/03 से स्वै.सैनि. |
| | | व्याख्याता (इतिहास) | 01 | 11/00 से सैनि. |
| | | व्याख्याता (नागरिक शास्त्र) | 01 | 7/01 से सैनि. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 6/03 से स्था. |
| | | अध्यापक-III | 01 | 7/01 से पदो. |
| 4. | राउमावि, पूलासर | प्रधानाचार्य | 01 | 10/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 11/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (अंग्रेजी) | 01 | 01/03 से स्वै.सैनि. |
| | | व्याख्याता (इतिहास) | 01 | 11/00 से सैनि. |
| | | व. शा. शि. | 01 | 6/03 से स्था. |
| | | अध्यापक-III | 01 | 7/01 से पदो. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | राउमावि, फोगा | प्रधानाचार्य | 01 | 10/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (अंग्रेजी) | 01 | 11/02 से स्था. |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 01/03 से स्वै.सैनि. |
| | | व्याख्याता (इतिहास) | 01 | 11/00 से सैनि. |
| | | व्याख्याता (नागरिक शास्त्र) | 01 | 7/01 से सैनि. |
| | | व्याख्याता (गणित) | 01 | 6/03 से स्था. |
| | | अध्यापक-III | 01 | 7/01 से पदो. |
| 6. | राउमावि, मेहरी | प्रधानाचार्य | 01 | 8/02से नवक्रमोन्नत |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 8/02 से " |
| | | व्याख्याता (अंग्रेजी) | 01 | 8/02 से " |
| | | क. लि. | 01 | 6/02 से " |
| 7. | राउमावि, दूलरासर (चूरू) | व्याख्याता (अंग्रेजी) | 01 | 11/02 स्था. |
| | | -"- (हिन्दी) | 01 | 4/99 नवक्रमो. |
| | | -"- (इतिहास) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | -"- (नागरिक शास्त्र) | 01 | 4/99 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 7/02 निधन |
| | | व.शा.शि. | 01 | 4/99 नवक्रमो. |
| | | व. लि. | 01 | 7/03 पदो. |
| 8. | राउमावि, राणासर-जैतासर | प्रधानाचार्य | 01 | 8/02 नवक्रमो. |
| | | व्याख्याता (अंग्रेजी) | 01 | 7/03 नवक्रमो. |
| | | व्याख्याता (हिन्दी) | 01 | 7/03 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 6/03 स्था. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 7/01 स्था. |
| | | अध्यापक-III | 01 | 7/01 स्था. |
| | | व. लि. | 01 | 7/00 स्था. |
| 9. | रामावि, मालकसर (चूरू) | प्रधानाध्यापक | 01 | 7/01 स्था. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 2/01 स्था. |
| 10. | रामावि, मालकसर (चूरू) | व. अ. (गणित) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | शा. शि.-III | 01 | 8/01 स्था. |
| | | व. लि. | 01 | 7/00 नवक्रमो. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | रामावि, अजीतसर (चूरू) | प्रधानाध्यापक | 01 | 7/01 स्था. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 02 | 10/02 स्था. |
| 12. | रामावि, ढाणी पांचेरा (चूरू) | प्रधानाध्यापक | 01 | 10/02 स्था. |
| | | व. अ. (विज्ञान) | 01 | 7/00 स्था. |
| | | व. अ. (गणित) | 02 | 10/02 स्था. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 02 | 7/02 स्था. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 02 | 8/01 निधन |
| | | शा. शि.–III | 01 | 11/02 स्था. |
| | | व. लि. | 01 | 3/01 से. नि. |
| 13. | रामावि, मेहरासर उपा. (चूरू) | व. अ. (विज्ञान) | 01 | 7/01 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 3/03 स्था. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | व. लि. | 01 | 2/03 निधन |
| | | क. लि. | 01 | 7/03 स्था. |
| 14. | रामावि, रातूसर (चूरू) | व. अ. (गणित) | 01 | 3/99 स्था. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 7/03 स्था. |
| | | शा. शि.–III | 01 | 8/01 स्था. |
| | | क. लि. | 01 | 6/03 स्था. |
| 15. | रामावि; खेजड़ा (चूरू) | व. अ. (गणित) | 01 | 3/01 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 11/02 स्था. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 01 | 11/02 स्था. |
| | | शा. शि.–III | 01 | 6/03 स्था. |
| | | व. लि. | 01 | 3/01 नवक्रमो. |
| 16. | रामावि, बुकनसर बड़ा (चूरू) | व. अ. (गणित) | 01 | 8/01 स्था. |
| | | शा. शि.–III | 01 | 4/01 नवक्रमो. |
| 17. | रामावि, बरजोगसर (चूरू) | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 11/02 स्था. |
| | | शा. शि.–III | 01 | 11/02 स्था. |
| | | व. लि. | 01 | 3/99 से. नि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | रामावि, बोघेकरा (चूरू) | व. अ. (गणित) | 01 | 3/03 स्था. |
| | | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 10/02 स्था. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 01 | 8/01 स्था. |
| 19. | रामावि, जयसगसर (चूरू) | व. अ. (सामान्य) | 01 | 10/02 स्था. |
| 20. | रामावि, अड़सीसर (चूरू) | व. अ. (अंग्रेजी) | 01 | 10/02 स्था. |
| 21. | रामावि, सारसर (चूरू) | प्रधानाध्यापक | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (विज्ञान) | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | अध्यापक-III | 03 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | क. लि. | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| 22. | रामावि, सोनपालसर (चूरू) | प्रधानाध्यापक | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (विज्ञान) | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | व. अ. (गणित) | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | अध्यापक-III | 03 | 7/02 नवक्रमो. |
| | | क. लि. | 01 | 7/02 नवक्रमो. |
| 23. | राबाउमावि, सरदारशहर टांटिया (चूरू) | व्याख्याता (नागरिकशास्त्र) | 01 | 7/97 स्था. |
| | | प्र. शा. सेवक | 01 | 12/00 स्था. |
| 24. | रा.बा.मा.वि., चूलासर (चूरू) | व. अ. (गणित) | 01 | 7/01 स्था. |
| | | व. अ. (सामान्य) | 01 | 6/03 स्था. |

# परिशिष्ट-10

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-30 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

**माध्यमिक स्तर हेतु**

1. मारवाड़ केसरी पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, कुचामन सिटी
2. सेंटपाल सैकण्डरी स्कूल, गांधी नगर, आबूरोड़, सिरोही
3. श्री नृसिंह अग्रसेन विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर, अजमेर
4. के. डी. जैन सैकण्डरी पब्लिक स्कूल, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर
5. सेंट सोल्जर पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, पदमपुर रोड, गंगानगर
6. कोटा माडल माध्यमिक विद्यालय, विज्ञान नगर, कोटा
7. जनता गर्ल्स पब्लिक स्कूल, मानसरोवर, जयपुर
8. बालोधान मांटेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, टौंक रोड़, जयपुर
9. इम्मानुएल पब्लिक स्कूल अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर

**उच्च माध्यमिक स्तर हेतु :**

1. सनहिल पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, अलवर
2. इम्मानुएल मिशन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पाली
3. सैंट्रल पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर
4. राष्ट्र सहायक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर
5. सेंट पेट्रिक्स विद्या भवन, उमावि, वैशालीनगर, जयपुर
6. ब्रोइटलेण्ड बालिका उमावि, वैशालीनगर, जयपुर
7. होलीहाक्स पब्लिक स्कूल, टोंक रोड़, जयपुर
8. बी. आर. बिडला पब्लिक उमावि, पाली
9. अल्फा एकेडेमी, उमावि, खातीपुरा, जयपुर
10. आल सेंटस उमावि रेल्वे अस्पताल के पास, ब्यावर रोड, अजमेर

# परिशिष्ट-11

## (अतारांकित प्रश्न संख्या-33 का विवरण)

परिशिष्ट-''क''

विधान सभा क्षेत्र धोद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों की सूचना

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | पदनाम | रिक्त पदों की संख्या | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राउमावि फागलवा | प्रधानाचार्य | 1 | 5/03 |
| 2. | -''- धोद | -''- | 1 | 5/03 |
| 3. | राउमावि चडोली खाखोली | प्र. अ. | 1 | 3/03 |
| 4. | राउमावि गोठड़ा तगेलान | -''- | 1 | 10/02 |
| 5. | राउमावि पलथाना | -''- | 1 | 7/03 |
| 6. | राउमावि जीगरछोटी | -''- | 1 | 7/03 |
| 7. | राउमावि सिरोहीबड़ी | -''- | 1 | 4/03 |
| 8. | राउमावि खूड | प्रधानाचार्य | 1 | 6/03 |
| 9. | -''- सांगलिया | -''- | 1 | 6/03 |
| 10. | राबाउमावि लोसल | -''- | 1 | 6/03 |
| 11. | मावि बानूड़ा | प्र. अ. | 1 | 11/03 |
| 12. | उमावि धोद | व्याख्याता | 3 | 7/03<br>01, 7/01<br>3/01 |
| 13. | उमावि भूपडूवाड़ा | -''- | 3 | 3/2000,<br>3/01,<br>1/7/2000 |
| 14. | -''- फागलवा | -''- | 1 | 7/01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | –''– मूण्डवाड़ा | व. अ. विज्ञान | 1 | 7/01 |
| 16. | मा. वि. सांवलोटा थायलान | –''– | 1 | 7/01 |
| 17. | मा. वि. सिंगरावट | –''– | 1 | 7/01 |
| 18. | मावि सांवलोदा पुरोहितान | –''– | 1 | 7/01 |
| 19. | –''– गोठहातगेलान | –''– | 1 | 7/01 |
| 20. | –''– पलथाना | –''– | 1 | 11/00 |
| 21. | –''– मण्डावरा | –''– | 1 | 11/01 |
| 22. | –''– माण्डोली | –''– | 1 | 7/01 |
| 23. | –''– दूजोत | –''– | 1 | 11/02 |
| 24. | –''– आतंरी | –''– | 1 | 4/03 |
| 25. | उमावि लोसल | –''– | 1 | 3/03 |
| 26. | –''– सांगलिया | –''– | 1 | 9/02 |
| 27. | –''– मावि भैरूपुरा | व. अ. अंग्रेजी | 1 | 10/02 |
| 28. | –''– किरडोली | –''– | 1 | 10/02 |
| 29. | –''– सावंलोढाथायलान | –''– | 1 | 10/02 |
| 30. | –''– सरबड़ी | –''– | 1 | 10/02 |
| 31. | –''– पलथाना | –''– | 1 | 9/02 |
| 32. | –''– दीपपुराराजाजी | –''– | 1 | 7/01 |
| 33. | रामावि शाहपुरा | –''– | 1 | 7/01 |
| 34. | –''– सिंगरावट | –''– | 1 | 7/01 |
| 35. | –''– गोठडातगेलाल | –''– सामान्य | 1 | 7/01 |
| 36. | राउमावि धोंद | –''– सामान्य | 1 | 10/02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 37. | –''– धोद | –''– सामान्य | 1 | 10/02 |
| 38. | राउमावि मूण्डवाड़ा | –''– सामान्य | 1 | 12/02 |
| 39. | रामावि सिहोटछोटी | –''– सामान्य | 1 | 12/02 |
| 40. | –''– शाहपुरा | –''– सामान्य | 1 | 10/02 |
| 41. | –''– सिंगरावट | –''– सामान्य | 1 | 10/02 |
| 42. | –''– सबलपुरा | –''– सामान्य | 1 | 1/03 |
| 43. | राउमावि लोसल | –''– गणित | 1 | 2/02 |
| 44. | –''– लोसल | –''– सामान्य | 1 | 12/01 |
| 45. | राबामावि धोद | –''– विज्ञान | 1 | 3/03 |
| 46. | –''– सेवदबडी | –''– विज्ञान | 1 | 4/03 |
| 47. | –''– धोद | –''– अंग्रेजी | 1 | 8/2 के |
| 48. | राबाउमावि लोसल | –''– अंग्रेजी | 1 | 6/03 |
| 49. | –''– खूड | –''– अंग्रेजी | 1 | 10/02 |
| 50. | राबामावि धोद | –''– गणित | 1 | 12/01 |
| 51. | –''– सेवदबड़ी | –''– गणित | 1 | 4/03 |
| 52. | राबाउमावि खूड | –''– गणित | 1 | 4/03 |
| 53. | –''– खूड | –''– सामान्य | 1 | 6/03 |
| 54. | रामावि करडोली | अध्यापक-III | 1 | 7/01 |
| 55. | –''– सिहोदछोटी | –''– | 1 | 12/02 |
| 56. | –''– सावंलोदाधायलान | –''– | 3 | 9/98 |
| 57. | –''– चिडोली साकोली | –''– | 2 | 1/01 |
| 58. | –''– मोरडूंगा | –''– | 1 | 1/01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 59. | –''– सरवड़ी | –''– | 1 | 1/01 |
| 60. | –''– सिंगरावट | –''– | 2 | 1/01 |
| 61. | –''– मण्डावरा | –''– | 1 | 1/2 के |
| 62. | –''– सावलोदालाडखानी | –''– | 1 | 7/01 |
| 63. | –''– आतंरी | –''– | 3 | 7/03 |
| 64. | राउमावि लोसल | –''– | 1 | 8/01 |
| 65. | रामावि हर्ष | –''– | 1 | 8/01 |
| 66. | राबामावि सेवदबडी | –''– | 3 | 7/03 |
| 67. | –''– लोसल | –''– | 5 | 7/2 के |

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र धोद में लगाए गये अतिथि व्याख्याताओं का विवरण

| क्र. सं. | अतिथि का नाम | पदनाम | विद्यालय | नियुक्ति कब तक के लिए की गई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री सुभाष शर्मा | व्याख्याता | राउमावि, मूण्डवाड़ा | 8/02 से 31/3/02 |
| 2. | श्री प्रवीण शर्मा | –''– | –''– मूण्डवाड़ा | 10/02 से 31/3/03 |
| 3. | श्रीमती अनुराधा शर्मा | –''– | –''– मूण्डवाड़ा | 9/02 से 31/3/03 |
| 4. | श्री बालकृष्ण शर्मा | –''– | –''– धोंद | 11/02 से 31/3/03 |
| 5. | श्री मुन्नालाल सैनी | व. अ. विज्ञान | –''– मूण्डवाड़ा | 1.8.02 से 30.4.03 |
| 6. | श्री जगदीश प्रसाद | –''– | रामावि सावलोदा थायलान | –''– –''– |
| 7. | श्री हरफूलसिंह | –''– | –''– मण्डावरा | –''– –''– |
| 8. | श्री चौथाराम | –''– अंग्रेजी | रामावि सिंगरावट | 19.8.02 से 30.4.03 |
| 9. | श्री पेमाराम | –''– विज्ञान | –''– –''– | 24.8.02 से 30.4.03 |
| 10. | श्री रामदेव | –''– विज्ञान | –''– माडोता | 1.8.02 से 30.4.03 |
| 11. | श्री मोहनलाल | –''– अंग्रेजी | राबामावि धोद | 7.8.02 से 30.4.03 |
| 12. | श्री गिरधारी लाल | –''– गणित | –''– धोद | 7.8.02 से 30.4.03 |
| 13. | श्री रामचन्द्र | –''– विज्ञान | रामावि किडरोली | 16.8.02 से 30.4.03 |
| 14. | श्री रजाक मोहम्मद | –''– विज्ञान | –''– मोरडूंगा | 31.7.02 से 30.4.03 |
| 15. | श्री सुरेन्द्रसिंह | –''– अंग्रेजी | –''– पलथाना | 1.1.03 से 30.4.03 |
| 16. | श्री राजेन्द्र कुमार | –''– गणित | –''– गोठड़ा तगेलान | 1.11.03 से 30.4.03 |
| 17. | श्री लक्ष्मीनारायण | –''– सामान्य | राबाउमावि धोद | 17.12.02 से 30.4.03 |
| 18. | श्री चन्द्रशेखर | –''– गणित | राबाउमावि खूड | 2.8.02 से 30.4.03 |
| 19. | श्री कुशलसिंह | –''– अंग्रेजी | –''– खूड | 2.8.02 से 30.4.03 |
| 20. | श्री सत्येन्द्र भारद्वाज | –''– गणित | राउमावि लोसल | 8.8.02 से 30.4.03 |
| 21. | श्री भगवती प्रसाद | –''– सामान्य | –''– लोसल | 8.8.02 से 30.4.03 |